राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 11

बुधवार,

13 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा। (व्यवधान) श्री नन्दलाल मीणा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रश्न संख्या 225.

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल है माननीय सदस्य, आप समझें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई मतलब नहीं, समय नष्ट करने से कोई मतलब नहीं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अखबारों में भी नहीं छपेगा आपका नाम, अंकित ही नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

वर्ष 2008 से 2012 तक निराश्रित गृहों हेतु नामांकित बालक/बालिकाएं

225. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2012 तक किस-किस वर्ष में कितने-

(श्री नन्दलाल मीणा)

कितने बच्चे किस-किस जिले व क्षेत्रों से निराश्रित बाल गृह में नामांकित किये गये तथा किस-किस वर्ष में उक्त बच्चों को क्या-क्या नि:शुल्क सरकारी सुविधायें दी गईं एवं किस-किस वर्ष में कितने-कितने बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया और भोजन पर प्रति बच्चे कितनी राशि व्यय की गई?

(2) प्रदेश में वर्तमान में किन-किन जिलों में कहां-कहां, कितने-कितने बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें निराश्रित बाल गृह में नहीं रखा जा सका है और इसके क्या कारण रहे? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) राजस्थान में वर्ष 2008 से 2012 तक बालगृहों में वर्षवार, जिलेवार एवं बाल गृहवार नामांकित बच्चों की संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बाल गृह में प्रवेशित उक्त बच्चों को उक्त अवधि में नि:शुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षण, चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

वर्ष 2006-07 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के आहारविदों की राय के आधार पर डाइट स्केल निर्धारित की जाकर वर्ष 2007-08 से राजकीय बाल गृहों हेतु 850 रुपये प्रतिमाह प्रति आवासी एवं अनुदानित बाल गृहों हेतु 765 रुपये प्रति माह प्रति आवासी मैस भत्ता राशि उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2011-12 में इसे संशोधित कर 1250 रुपये प्रति माह प्रति आवासी किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। मई, 2011 में राजस्थान किशोर न्याय नियम, 2011 में निर्धारित राशन स्केल वर्तमान में प्रभावी है, जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

बाल गृहों में प्रवेशित बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया गया है, जिनकी संख्या एवं इस हेतु किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को बाल गृहों में प्रवेश देने हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 29 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में न्यायिक शक्तियां प्राप्त बाल कल्याण समितियां गठित हैं, जो बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण का कार्य करती हैं, जिसमें समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले बच्चों के सम्बन्ध में समिति द्वारा बालक के निराश्रित होने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के पश्चात समिति के आदेशानुसार सभी बच्चों को उपयुक्त गृह में प्रवेशित करवाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के खण्ड 2 में जो जवाब दिया है उसमें आपने यह बताया है कि राज्य में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को बाल गृहों में प्रवेश देने हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जिले में यह बाल कल्याण समिति का गठन कब किया गया, इसके कौन-कौन मैम्बर हैं, पिछली मीटिंग कब हुई और इसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल कल्याण समिति का गठन हर वर्ष किया जाता है। जिसके गठन की नियमानुसार एक प्रक्रिया है। प्रतापगढ़ में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की सूची मैं उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): कब?

श्री अध्यक्ष: आप जब चाहेंगे तब।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अभी क्या कर रहे हो आप? यह क्या तरीका है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चाहे तब उपलब्ध करवा दूंगा?

श्री अध्यक्ष: सूची जब चाहे तब बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): कौन-कौन मैम्बर हैं, मीटिंग कब हुई?

श्री अध्यक्ष: बता रहे हैं, बता रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसका गठन कब हुआ? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न आने दीजिये पहले। (व्यवधान) हां, मंत्रीजी। (व्यवधान) आप विराज जायें, बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तैयारी नहीं है तो स्थगित करवा दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप तो विराजो, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 28.8.2011 को बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा उपाध्याय, सदस्या, श्रीमती समिता शर्मा और सदस्य, श्री एजाज खान, सदस्य, श्री अरविन्द कुमार एवं सदस्य, श्री हुकुमचन्द बिलावल हैं। समिति वर्ष 2011-12, 2012-13 में काम देख रही है और वहां पर देखभाल की व्यवस्था अच्छी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा है कि समिति के कौन-कौन मैम्बर हैं, कब गठन किया, इसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये और इसकी बैठकें कब-कब हुई?

श्री अध्यक्ष: मैम्बर्स की सूची तो बता दी।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैम्बर्स की सूची बता दी लेकिन इसमें से आधे वहां के हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: वह कहां के हैं यह अलग बात है लेकिन सूची तो बता दी आपको।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): बैठक कब-कब हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, और निर्णय क्या हुए? मैं बाल आश्रम में गया हूं। वहां खाना बनाने वाले और जो अन्य लोग हैं उनको स्केल के हिसाब से सामान जो मिलता है वह पर्याप्त नहीं मिलता है। कोई देखने समिति जाती ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, आप बतायें कब समिति ने निरीक्षण किया बाल आश्रम का और उसकी बैठकें कब-कब हुई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्षजी, इसके साथ ही जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं इसके साथ ही जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं मूल प्रश्नकर्ता पहले। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्ताह में लगातार बैठक होती है और इस बाल कल्याण समिति द्वारा उन बच्चों की देखभाल के लिये समय-समय पर पूरे निर्देश दिये जाते हैं जिसकी पालना में विभाग के अधिकारी, कार्मिक काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा उनकी डाइट के बारे में देखभाल नहीं होती है ढंग से।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): आपने कहा कि सप्ताह में एक बार होती है, पिछले सप्ताह कब हुई?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हर सप्ताह होती है। हर सप्ताह में दो बार होती है। जब भी कोई प्रकरण आता है माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या निर्णय लिये गये उसमें?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जब भी कोई प्रकरण आता है उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा यह बाल कल्याण समिति उन प्रकरणों का निस्तारण करती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप मीटिंग का बताओ, पिछले सप्ताह मीटिंग कब हुई यह बता दो आप तो और उसमें क्या निर्णय लिये गये?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पिछले सप्ताह में मीटिंग हुई है। मैं आपको मंगवा कर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही। (व्यवधान) सुनो। सुनो। (व्यवधान) क्या जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं यह निवेदन करता हूं कि सतत प्रक्रिया है और हर सप्ताह में दो बार मीटिंग होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्वेश्चन लगाया है जानकारी के लिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपकी शंका किसी प्रकार की किसी पर्टिकूलर शिकायत की है तो मैं उसको दिखवा लूंगा। आहार, डाइट का मैंने निवेदन कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, आहारविदो...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): यह मीटिंगें कब-कब हुई पिछले सप्ताह में।

श्री अध्यक्ष: कह रहे हैं हर सप्ताह होती है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हर सप्ताह होती है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस महीने में कब हुई?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हर सप्ताह होती है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): पिछले महीने में कब हुई? क्या निर्णय लिये गये, किसने क्या शिकायत की?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पर्टिकूलर डेट का पूछ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, पर्टिकूलर डेट का आपको बता दूंगा। हर सप्ताह में दो बार मीटिंग होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आहार के बारे में जो सवाल उठाया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, कब होती है सप्ताह में?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सप्ताह में दो बार, लास्ट की मीटिंग की तारीख बता दीजिये। मीटिंगों का एक्जिस्टिंस ही नहीं है, न केवल प्रतापगढ़ में और कोई भी जिले में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय मंत्रीजी, पिछले महीने का ब्यौरा बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले जवाब आने दीजिये। बोलो।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): आप बता दें पिछली मीटिंग का, पिछली मीटिंग कौनसी तारीख को हुई थी और क्या-क्या उसमें विचार-विमर्श हुआ, वह बता दीजिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): वही बता दीजिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): यह निवेदन-विवेदन नहीं चलेगा यहां पर। यह निवेदन क्या होता है?

श्री अध्यक्ष: आप इधर माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): पिछली मीटिंग कब हुई थी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य निवेदन तो करेंगे, आप बैठ कर सुनो।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: निवेदन नहीं चलेगा? निवेदन चलेगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): निवेदन इसलिए नहीं चलेगा कि प्रश्न का जवाब चाहिये।

श्री अध्यक्ष: जवाब ही दिलवा रहा हूं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): प्रश्न का जवाब दे रहा हूं माननीय सदस्य, सुनिये। निवेदन अध्यक्ष महोदय से करना पड़ेगा, आप और हम सबको निवेदन करके बात करनी होती है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, आगे चलिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने निवेदन कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, हर सप्ताह मीटिंग होती है, महीने में चार सप्ताह होते हैं, 8 बार मीटिंग होती है। जो शिकायतें आती हैं उनका कल्याण समिति के सदस्यों के द्वारा निराकरण किया जाता है। कई नये बच्चे आते हैं उनके भी प्रवेश का मामला इनके समक्ष होता है, यह निर्णय करते हैं। आहार और भोजन की व्यवस्था।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): पिछले महीने, फरवरी के महीने में कितनी मीटिंग हुई और कब-कब, कौन-कौनसी तारीख को हुई?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब मैं डेट बता दूंगा, कोई वह इसमें गलत निकल जाये उससे क्या दिक्कत है? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखकर जवाब दे दूंगा कि पिछली बार मीटिंग कौनसी डेट को हुई। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): फिर वही बात?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या-क्या निर्णय हुए पिछली मीटिंग में यह बतायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पिछले दो महीनों की मीटिंग की डिटेल बतायें, जनवरी 2013, फरवरी 2013 की।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने निवेदन कर दिया हर महीने मीटिंग होती है, हर सप्ताह में दो बार मीटिंग होती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हर तरह की मीटिंगों का एक्जिस्टिंस है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रश्न स्थगित करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार जो बता रही है मीटिंग होती है, न तो मीटिंग होती है न कोई निर्णय होते हैं उसमें और न उसमें किसी तरह की कोई गतिविधि होती है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): निर्णय मीटिंग बिना होते हैं क्या? डिपार्टमेंट आप चला रहे हो क्या? आप चला रहे हो क्या विभाग? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): निर्णय ही नहीं है, कोई मीटिंग ही नहीं है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग्स होती हैं, निर्णय होते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप अपने जिले को उठाकर देख लजिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मीटिंग में सारे निर्णय कमेटी के माध्यम से किये जाते हैं। अब डेट की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डेट पर्टिकुलर दे दूंगा, इसके अलावा मैं कह नहीं सकता।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत उत्तर दिया जा रहा है माननीय मंत्रीजी द्वारा। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उनकी भोजन की व्यवस्था है ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप राजसमन्द जिले को उठा कर देख लीजिए ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कमेटी के माध्यम से किया जाता है, अब डेट की बात है, अध्यक्ष महोदय, डेट के इनके पर्टिकुलर दे दूंगा। इसके अलावा, मैं कह नहीं सकता।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल गलत उत्तर दिया जा रहा है माननीय मंत्री द्वारा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस मीटिंग की डेट से कौन सा पहाड़ टूट रहा है, मैं दे दूंगा डेट इसकी ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सदन में तैयारी करके नहीं आए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तैयारी करके नहीं आए ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार संवेदनहीन है इसमें ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देखिए, दो सप्ताह में मीटिंग कब-कब हुई है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): स्पेसिफिक डेट की जानकारी देकर निर्णय की सूचना आपको मैं दे दूंगा ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिना तैयारी के माननीय मंत्री आते हैं हाउस में ...(व्यवधान) यह प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सदन का समय जाया कर रहे हैं ...(व्यवधान) अगर मंत्रालय कहीं पूरी इन्फार्मेशन नहीं रखते तो इस्तीफा दे दो ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): व्यवस्थाओं के लिए पूछिए, सुझाव के लिए पूछिए, कोई सुझाव दीजिए तो मैं समझ सकता हूं, हम काम कर रहे हैं ...(व्यवधान) राजस्थान के निराश्रित बाल गृहों की देखभाल अच्छी हो रही है, व्यवस्था काफी अच्छी है, पहले से काफी सुंदर और व्यवस्थित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तैयारी करके नहीं आए हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार संवेदनहीन है।

श्री पेमाराम (धोद): मंत्रीजी तैयार नहीं हैं, सरकार संवेदनहीन है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सुनो, सुनो।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, डेट का बता रहे हैं आपको।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सुनिए, सुनिए। माननीय नन्दलालजी विराज जाओ, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बताना आप।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): आपके फर्क कुछ नहीं पड़ता है,

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्योंकि आपके तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उन निराश्रित बाल गृहों में रहने वालों के फर्क पड़ता है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कह रहे हैं कि तैयारी करके नहीं आए, इतनी पढ़ाई कर रहा हूं कल से और कह रहे हैं कि तैयारी ही नहीं करी। अब डेट पूछ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, आपका जवाब दे रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पिछली मीटिंग 7.3.2013 को हुई है, उसके बाद 12.3.2013 को हुई है बैठक और उसमें सात बच्चे आदिम जाति सेवा संघ से लेकर हमारे बाल गृहों में रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा में तो, पहले 1250 रुपये आहार के लिए दिया जाता था, भोजन के लिए, उसको बढ़ाकर पूरे राजस्थान के निराश्रित बाल गृहों के 1750 रुपये की व्यवस्था की है। यह बहुत अच्छी व्यवस्था होगी और आने वाले समय में कोई भी निराश्रित बच्चा ...(व्यवधान) अच्छा भोजन करेगा और उसकी अच्छी देखभाल होगी।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, एक भी मीटिंग अब तक, जिस दिन से प्रतापगढ़ जिला बना है, उस दिन से आज 13 मार्च तक...

श्री अध्यक्ष: डेट्स बता दी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह आपकी गलती है, आप गलत हैं, आप वहां के प्रतिनिधि हैं। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं। आप भी जिले की समाज कल्याण समिति के मेम्बर हैं, आप हर मीटिंग में जाया करें और आप अपने सुझाव दिया करें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): मिनिट्स पढ़कर बता दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप क्यों नहीं जाते मीटिंग में, आप गैर जिम्मेदार क्यों हो?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी की तरफ से जो जवाब आता है ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसको दुबारा बता दें यह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मीटिंग का इन्होंने बता दिया कि कब-कब मीटिंग हुई।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): हुई ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, डेट दी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मिनिट्स पढ़कर सुना दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न संख्या नहीं बोल रहे हैं तो क्या मैं आगे का प्रश्न ले लूं?

पाली शहर में महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

226. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर की महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कितने बीघा जमीन में किस-किस साइज के कितने-कितने भूखण्ड काटे गये एवं कितनी-कितनी भूमि सार्वजनिक सुविधाओं हेतु रिक्त रखी गई? मानचित्र के साथ विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) किन-किन भूखण्डों के पट्टे उप जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) द्वारा कब-कब जारी किये गये एवं किस-किस नाम से किये गये एवं किस-किस भूखण्ड का आबंटन पत्र समिति द्वारा किस-किस व्यक्ति को कब-कब जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सहकारी समिति के लेखों की जांच सरकार द्वारा कब-कब की गई? इसमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं एवं जांच दल ने कब-कब क्या-क्या आक्षेप लगाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा समिति द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस अनियमितता पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा अनेकों भूखण्डों के दो या उससे अधिक आबंटन पत्र जारी किये गये? यदि हां, तो सरकार द्वारा किस-किस आबंटन पत्र को सही माना एवं किसको गलत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा घोर अनियमितताएं एवं एक ही भूखण्ड के दो या उससे अधिक आबंटन पत्र जारी कर लोगों के साथ ठगी, जालसाजी एवं धोखाधड़ी की गई? यदि हां, तो सरकार समिति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): अध्यक्ष महोदय, (1) पाली शहर की महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1981-82 के अनुसार समिति के द्वारा दिनांक 02.08.1981 का अनुबंध कर 224 बीघा 4 बिस्वा जमीन खरीद की गई जिसमें से 691 भूखण्ड 40x60 माप के तथा 231 भूखण्ड 30x60 फुट माप के काटे गये। आयुक्त नगर परिषद्, पाली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति के नक्शे में 81854.08 वर्ग गज भूमि रिक्त छोड़ी गई दर्शित है। मान चित्र की छाया प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(2) कार्यालय जिला कलक्टर पाली से प्राप्त सूचना के अनुसार महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति में दिनांक 23.10.1982 से दिनांक 30.06.1989 तक कुल 1051 पट्टे जारी किये गये। पट्टाधारी का नाम, पट्टा जारी करने की दिनांक, भूखण्ड संख्या की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

समिति के पूर्व पदाधिकारियों से रिकार्ड प्राप्त नहीं होने पर माननीय

(श्री परसादीलाल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में इस्तगासा दायर कर रखा है। जिसका मुकदमा नं. 333/2009 है।

(3) समिति का पंजीयन 29.07.1981 को हुआ है। समिति की प्रथम आडिट दिनांक 29.07.1981 से 30.06.1982 तक की अवधि का दिनांक 10.09.1982 से 20.09.1982 तक किया गया। द्वितीय आडिट दिनांक 01.07.1982 से 30.06.1984 तक की अवधि का दिनांक 21.06.1985 से 23.06.1985 तक सम्पन्न किया गया। तृतीय आडिट दिनांक 01.07.1984 से 31.03.1990 तक अवधि का दिनांक 26.03.1991 से 05.04.1991 तक सम्पन्न किया गया। चतुर्थ आडिट दिनांक 01.04.1990 से 31.03.1991 तक की अवधि का दिनांक 26.03.1991 तक की अवधि का दिनांक 26.03.1992 से 30.03.1991 तक सम्पन्न किया गया। आडिट आक्षेपों का विवरण वर्षवार परिशिष्ट-2 से 4 पर संलग्न है।

(4) उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पाली तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारी समितियों द्वारा अधिनियमान्तर्गत कराई गई जांच में मनमाने तौर से भूखण्ड आबंटन करना, एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को सदस्य बनाकर भूखण्ड आबंटन करना, कृषि भूमि को रूपान्तरण कराये बिना भूखण्ड आबंटन आदि अनियमितताएं पाई गईं। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-5 एवं 6 पर संलग्न है।

समिति द्वारा अनियमितता करने के कारण उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली द्वारा दिनांक 28.07.1992 से समिति के प्रशासक नियुक्त किया गया। समिति के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा प्रशासक को रिकार्ड नहीं दिये जाने के कारण प्रशासक द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में इस्तगासा दायर कर रखा है। जिसका मुकदमा नं. 333/2009 है।

(5) कार्यालय उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां पाली एवं समिति के प्रशासक के पास पूर्व पदाधिकारियों द्वारा कोई रिकार्ड सुपुर्द नहीं किये जाने के कारण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में इस्तगासा दायर कर रखा है। जिसका मुकदमा नं. 333/2009 है।

(6) समिति के रिकार्ड प्राप्ति हेतु प्रशासक द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) पाली में इस्तगासा दायर किया है। जिसका मुकदमा नं. 333/2009 दिनांक 05.10.2009 से न्यायालय में विचाराधीन है। अब इसकी दूसरी, आगे की, मई की तारीख आ गई, सुनवाई नियत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: सहकारिता मंत्री।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है, भाग संख्या 1 में 40x60 के 691 भूखण्ड 30x60 के 231 भूखण्ड, कुल 922 भूखण्ड होते हैं, जोड़ लगा लो आप और भाग संख्या 2 में आपने जवाब दिया है कि 1051 पट्टे जारी कर दिये। जब आपके पास उसमें 922 भूखण्ड हैं तो 1051 पट्टे जारी कैसे किये। एक तो यह बता दें। मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि पास में स्थित करीब 23 बीघा सरकारी जमीन को भी स्वीकृत करवाकर, उस पर भी पट्टे बनाकर सरकारी भूमि बेच दी? यदि हां, तो इसमें कौन कौन लिप्त हैं क्योंकि जो भी कार्यवाही हुई होगी, उसमें पटवारी से लेकर, पटवारी, तहसीलदार, एस डी एम, लैण्ड कंवर्जन और एस पी पी वगैरह सारे सम्मिलित होंगे और समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, वे भी सम्मिलित होंगे। जब आपको पता है कि 23 बीघा सरकारी भूमि को भी उन्होंने उस प्लान में लेकर उसको मंजूर करा दिया, सब ने मिलीभगत करके और उसके पट्टे उठा दिये तो सरकार ने अब तक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

एक, क्रम संख्या 4 में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि सरकार ने माना अनियमितता है। अनियमितता सरकार मानती है तो सरकार ने उन अनियमितता करने वालों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की?

आपने क्रम संख्या 5 और 6 में भी टालमटोल जवाब दे दिया कि समिति के पदाधिकारियों ने रिकार्ड पेश नहीं किया उसके कारण हमने उनके विरुद्ध इस्तगासा कर दिया। इससे भी काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि कम से कम 500 ऐसे भूखण्ड हैं जो दो व्यक्तियों को बेच दिये और वहां आज की तारीख में रोज झगड़ा हो रहा है। जो 86196 वर्ग गज जमीन सामुदायिक सुविधा के लिए छोड़ी गई थी उसके भी आबंटन पत्र जारी कर दिये और माननीय मंत्री महोदय, यह आबंटन पत्रों की कापी मेरे पास है जो दो-दो को दिये गये हैं। एक भूखण्ड के दो-दो, तीन-तीन आबंटन पत्र दे दिये। पब्लिक वहां पर लड़ रही है और सरकार बेबस होकर कुछ नहीं कर पा रही है। जब आपकी जानकारी में है कि बहुत सारी अनियमितता हुई है और जो आपने जवाब में भी माना है तो जब अनियमितता बहुत हुई तो उनके खिलाफ आपने कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की? एक भूखण्ड को दो-दो, चार-चार को बेच दिया तो यह जालसाजी बनती है, धोखाधड़ी बनती है तो फिर आपने कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सिर्फ एक इस्तगासा करके आपने इतिश्री कर दी। आज वहां पाली में लोग आपस में लड़ रहे हैं, वहां झगड़े हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि मैंने जो तीन-चार प्रश्न पूछे हैं उनका आप जवाब दे दें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना का मैं सम्मान करता हूं। आपने जो जानकारी दी कि प्लाट इतने थे और पट्टे इतने दे दिये। आपने यह भी पूछा कि क्या सरकारी जमीन को उन्होंने उसमें शामिल कर लिया तो आपको भी पता है कि सरकारी जमीन को उन्होंने शामिल कर लिया। इसलिए यह जो सारी अनियमितता आई, आडिट में ये जो चीजें आईं तो वहां पर 1992 में प्रशासक लगा दिया। प्रशासक को भी उन्होंने रिकार्ड नहीं दिया। इसलिए क्या गड़बड़ियां की क्या नहीं की इसकी पूरी जानकारी मिल नहीं सकी और मैं चाहता हूं, मैंने विभाग को भीं निर्देश दिया है, इस्तगासा कोर्ट में 2009 में दर्ज कराया है, इस्तगासे पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह भी सही है कि ये सारी गड़बड़ियां जो हुईं उन्होंने जिस तरह से गड़बड़ी की उसकी मैंने सारी सूची दे दी, कोई चीज छिपाई नहीं है। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों की रिकार्ड लेने में नेग्लीजेंसी रही है, जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ तो हम कार्यवाही करेंगे ही और मैंने आज ही निर्देश दिया है कि रिकार्ड लेने के लिए कल ही एफ.आई.आर. दर्ज करायें। अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो ए.सी.बी. को मामला दें पर हर हालत में रिकार्ड प्रशासक को नहीं दिया उसे हमारा विभाग प्राप्त करेगा चाहे उसमें हमें किसी की भी सहायता लेनी पड़े। 1992 में प्रशासक लगने के बाद 2013 तक रिकार्ड नहीं देना एक तरह से अधिकारियों की बड़ी नेग्लीजेंसी है। मैं चाहता हूं कि इसमें जल्दी रिकार्ड आयेगा, सारी गड़बड़ियों का पता चलेगा और सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारी बातें हैं, आज हम किसी को प्रशासक लगाते हैं, समिति को हटाकर, हाउसिंग सोसाइटी है, दूसरी समितियां हैं तो यह रिकार्ड देने की बहुत पुरानी बीमारी है और मैंने स्टैण्डिंग आर्डर के लिए हमारे विभाग को कह दिया है कि अगर कहीं पर प्रशासक लगाया जाए चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो, जीएसएस हो चाहे कोई बैंक हो, कोई सहकारी संस्था हो, प्रशासक के आर्डर के बाद यदि सात दिन में वो संस्था उसको रिकार्ड नहीं देगा तो उसके खिलाफ तुरन्त आठवें दिन उसमें एफ.आई.आर. होगी और उससे हर हालत में रिकार्ड लिया

(श्री परसादीलाल)

जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह रिकार्ड हम हर हालत में लेंगे। इसमें जिन्होंने भी गड़बड़ियां की हैं चाहे समिति ने की है, आडिट रिपोर्ट भी आपको दे दी है तो हम कोई भी चीज छिपाना नहीं चाहते। को-आपरेटिव संस्थाओं में काम को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके लिए हमने पूरे स्टेट के लिए कह दिया कि जहां पर भी प्रशासक लगाने के बाद सात दिन में रिकार्ड नहीं दे तो उसके तुरन्त बाद एफ.आई.आर. दर्ज कराये और रिकार्ड हर हालत में लिया जाए। यह रिकार्ड भी हम जल्दी ले लेंगे और सारी अनियमितताओं का इसमें पता लगाकर जिनकी भी लापरवाही रही है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मात्र लापरवाही का नहीं है, यह मामला जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसने एक तो सरकारी जमीन को सम्मिलित करके पट्टे बनाकर उसको बेच दिया और उसमें बड़े-बड़े अधिकारी लिप्त हैं। दूसरा, एक भूखण्ड के दो-दो, तीन-तीन आबंटन पत्र या पट्टे जारी कर दिये। मंत्री महोदय, यह रिकार्ड देने में लापरवाही का मामला ही नहीं है, यह बहुत बड़ा भूमि घोटाला है और शायद राजस्थान में इससे बड़ा भूमि घोटाला नहीं हुआ होगा। 500 से ज्यादा भूखण्डों के दो-दो, तीन-तीन आबंटन पत्र जारी कर दिये, जो सार्वजनिक उपयोग हेतु जमीन छोड़ी गई थी उसके भी बाद में अब तक, छह महीने पहले तक भी आबंटन पत्र काट-काट कर दे रहा है। उसके पास आबंटन बुक पड़ी है। उससे नगरपालिका और आबंटन लेने वाले आपस में लड़ रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है। आप जालसाजी, धोखाधड़ी का जो मामला बनता है उसमें आप क्या करेंगे? मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि आप इसकी किसी बढ़िया एजेंसी से जांच कराओ क्योंकि जिसने यह कालोनी काटी है वह इतना प्रभावशाली है कि वह वर्षों तक इस मैटर को लगातार दबाता आ रहा है। वह बहुत प्रभावशाली है। इसलिए जब तक आप बड़े स्तर पर, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह रहेगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, 500 से ज्यादा भूखण्डों का घोटाला हुआ है, उसमें जालसाजी, धोखाधड़ी हुई है तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एस.ओ.जी. से जांच करायें ताकि पाली के लोगों को न्याय मिल सके। यह मेरा आग्रह रहेगा।

श्री अध्यक्ष: जांच के आदेश दिये हैं न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि जब आपने इस पर 28.7.1992 को प्रशासक लगा दिया तो 1992 से लेकर 2009 में जब इसका मुकदमा दर्ज कराया तो 17 वर्ष तक यह प्रशासक क्या कर रहा था? इसने अगर कोई कार्यवाही नहीं की तो इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर आज की तारीख में कोई है तो वो प्रशासक है जो इस पद पर समय-समय पर रहा चाहे एक रहा या पांच रहे। 1992 से लेकर 2009 में मुकदमा दर्ज होने के बीच में जो 17 साल का अन्तर रहा इस 17 साल के अन्तर में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? बाकी काम तो अपन बाद में निपटेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रियाधीन रहा होगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने पूछा कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे तो जो भी प्रशासक रहे, रिकार्ड लेने में जिन्होंने लापरवाही की, एफ.आई.आर. दर्ज कराने में लापरवाही की उनकी सूची बनाकर आज ही सस्पैण्ड कर देंगे और मैं यह चाहता हूं कि यह रिकार्ड लेकर जितनी भी धोखाधड़ी का मामला हो, डबल प्लाट बेचने का है, जैसी आपकी भावना है उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज कल हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। सारा आ गया अब क्या बचा है। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ पाली से सम्बन्धित नहीं है इसमें और भी है। एक छोटा सा मैं सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पाली का ही है, माननीय सदस्य, पाली का ही है। पाली से सम्बन्धित ही है खाली।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि सोसाइटी में जब तक इनेबलिंग क्लाज सोसाइटी एक्ट में नहीं डालोगे तब तक पूरे राजस्थान में कोशिश कर लो....

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपने जो इस्तगासा दायर किया है वो दूसरे मैटर को लेकर है। रिकार्ड के लिए अगर आप इनेबलिंग क्लाज नहीं करेंगे तो कोई अधिकारी नहीं कर पायेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजें आप, विराजें। हो गया बस। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

अतिरिक्त निदेशक खण्ड जोधपुर के क्षेत्राधीन खनन क्षेत्रों के रायल्टी वसूली ठेके

227. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अतिरिक्त निदेशक, खण्ड जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों में रायल्टी वसूली हेतु ठेके वर्ष 2009-10 से 2012-13 में कार्यरत रहे हैं?

(2) उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में कई क्षेत्रों में ठेके नहीं दिये जा सके हैं? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में और क्यों?

(4) क्या यह सही है कि इससे रायल्टी वसूली राशि में कमी आई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है?

(5) ऐसे मामलों में पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

खनिज मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में रायल्टी वसूली हेतु वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक कार्यरत रहे ठेकों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 से 4 पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त ठेकों से वर्षवार प्राप्त रायल्टी का विवरण परिशिष्ट 1 से 4 में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। यह सही है कि अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में विगत दो वर्षों में कुल 22 ठेके स्वीकृत नहीं रहे हैं, जिनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। उपरोक्त वर्णित 22 ठेकों में से अधिकांश ठेकों में जिस अवधि में ठेका नहीं रहा उस अवधि में रायल्टी वसूली में कमी हुई है। अधिकांश प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण पहले ऊंची निविदा राशि दी जाती है, जो बाद में पर्याप्त रायल्टी राशि की वसूली नहीं होने के कारण ठेके खण्डित हो जाते हैं, जिन्हें बार-बार निविदा प्राप्त करने हेतु

(श्री राजेन्द्र पारीक)

विज्ञप्ति जारी करने पर भी ठेकेदारों द्वारा निविदा नहीं दी जाती है जिसके कारण इन ठेकों को निविदा की आरक्षित राशि बार-बार कम कर ठेका स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है जिससे ठेकों से प्राप्त रायल्टी राशि की वसूली में कमी आती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(5) ऐसे मामले जहां पर रायल्टी वसूली के ठेके स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे, उन मामलों में आरक्षित राशि में शिथिलता दी जाकर निविदाएं आमंत्रित कर ठेके आबंटित किये जाने के प्रयास किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि अगर एक सरकारी अधिकारी एक पैसे की भी गलती करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, उसको सस्पैण्ड किया जाता है, कहा जाता है कि यह खयानात करता है, कई तरह के उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि खान विभाग का उपयोग केवल अपने खनन माफियाओं को आब्लाइज करना, उनके सम्बन्ध में खनन घोटाले इस सरकार के सामने आये हैं परन्तु खान विभाग घोटालों की बात सामने आती है तो समस्त सरकार मौन हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: रायल्टी मामला है। प्रश्न क्या है आपका?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर ही आ रही हूं। मेरा प्रश्न उठाये गये अकेले जोधपुर जोन खनन रायल्टी का नहीं है...

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खनन घोटाले के अन्दर दो साल से इन्होंने ठेका नहीं किया। मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना है कि वर्ष 2011, 2012, 2013 में खनिज रायल्टी ठेके नहीं दिये जा सके। क्या कारण है कि सरकार ने ठेके नहीं दिये? इसके अन्दर सारी बात देखें तो सामने यह आता है कि सरकार खनन माफिया और अधिकारी, ये सारे इसके अन्दर मिले हुए हैं इसलिए इसका ठेका नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगी, क्या यह सही है कि अकेले जोधपुर जोन में लगभग 1.75 अरब रुपये का घोटाला हुआ है ये खानें नहीं देने के कारण,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ये ठेका नहीं देने के कारण 1.75 अरब रुपये का लोस हुआ है? यह सरकार को हुआ है, इनको नहीं हुआ है। इन तीनों की मिलीभगत से इस सरकार को लोस हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो पहले ही अपने जवाब में दे दिया था कि कोई अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अधिकारी जिम्मेदार नहीं है तो क्या मैं जिम्मेदार हूं? मैं तो जिम्मेदार हूं नहीं। मैंने यह लिखा नहीं है, यह आपका लिखा हुआ है, वह मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। अधिकारी जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं, तो फिर कौन जिम्मेदार है?

क्या यह सही है कि राजस्व हानि का एकमात्र कारण यही है कि जिम्मेदार अधिकारी कार्य नहीं करना चाहते हैं? सही बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ कुर्सी पर बैठते हैं, आराम करते हैं और एसी की हवा खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं।

मैं सिर्फ जोधपुर जोन की बता रही हूं, और तो कुछ मैंने बताया ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि एक तरफ तो ठेके नहीं होने के कारण से सरकार को राजस्व हानि हुई है और दूसरी तरफ उक्त समस्त क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। मान लो, इन्होंने ठेका नहीं किया। मान गये कि इन्होंने ठेका नहीं किया, कोई कारण रहा होगा तो क्या उससे खनन रुक गया? यह बता दें माननीय मंत्री महोदय कि जो खनन होता था, वह रुक गया क्या? खनन तो वैसे की वैसे ही हुआ है। लोस हुआ है तो सरकार को हुआ है। खननकारी से खनन तो ऐसे ही किया है। क्या यह सही है कि खनन माफिया से मिलकर सरकार के कतिपय अधिकारियों ने उक्त खनन क्षेत्र के रायल्टी ठेकों की दरों को कम करने का षड्यंत्र किया है? ये चाहते हैं कि उक्त दरों को कम करते रहें जबकि सरकार तो बढ़ाती है। क्या यह सही है कि एकमात्र कारण है निविदा शर्तों का बदलना? निविदा बदलते रहे और दो साल तक कोई ठेका ही नहीं किया तो आप कितने दिन तक निविदा बदलते रहेंगे? कारण कि सरकार को हुई राजस्व हानि और अवैध खनन को बढ़ावा देने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त जोन में से कितने रायल्टी ठेके नहीं दिये जा सके हैं और उनसे सरकार को कितनी राजस्व हानि हुई है? मंत्रीजी समस्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि कौन तो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिसने रायल्टी ठेका नहीं किया? और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि ठेका नहीं किया। या तो मंत्रीजी यह बता दें कि कितना लोस हुआ है या मैं एक-एक को पढ़कर सुना दूं? पहले आप सुना दो, फिर मैं बताऊंगी आपको कि सरकार को कितना-कितना लोस हुआ है?

श्री अध्यक्ष: अभी बाकी है क्या आपका सुनाना और?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बताऊंगी, हां मैं और बताऊंगी। मंत्रीजी कोई जवाब तो दें, फिर मैं बताऊंगी। मंत्रीजी कोई जवाब तो दें तो मैं बताऊं? मेरे कोई खान नहीं है, मगर मैं सब जानकारी रखती हूं। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरे कोई परिवार की नहीं, मेरे कोई बच्चों के नाम नहीं, मैं यह काम नहीं करती हूं। मैं बहुत खुली बोल रही हूं मुझे कोई किसी का डर नहीं। मुझे भगवान ने खूब दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कोई भी स्पेसिफिक प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने यह जानकारी चाही कि खनन माफियाओं से मिलकर हम अवैध खनन करवा रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, आप कैसे कह रहे हैं, मैंने नहीं पूछा? मैंने यह पूछा कि यह क्यों नहीं दिये ठेके? नहीं देने का कारण क्या है? आपने कह दिया कि 1-2-3-4-5, मैं आपके 1-2-3-4-5 के भी जवाब दे दूंगी आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपने 1-2-3-4-5 खण्ड पूछे हैं इसलिए खण्डवार मैंने उत्तर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, होता क्या है कि हम निविदाएं आमंत्रित करते हैं। कई बार ठेकेदारों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता होती है और वह किसी भी इश्यू को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट उस पर जब स्टे दे देता है और उस ड्यूरेशन में कोर्ट के प्रोसीजर में हमको यदि एक महीना लग जाता है या दो महीना लग जाता है, कई बार ज्यादा भी लग जाता है तो उस दौरान जो समय है, खनिज कार्य तो होता है, लेकिन उसका ठेका हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देकर, अपने स्वयं के विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से वह रायल्टी वसूल करते हैं। यह तो निश्चित है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब कोई ठेकेदार रायल्टी वसूल करता है तो पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करके, पूरी ताकत के साथ वसूल करता है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

और विभागीय अधिकारियों में इस तरह का कोई मैकेनिज्म है नहीं, संख्या कम रहती है लेकिन यह चार्ज करना कि अधिकारी और सब मिलकर अवैध खनन करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी विभागीय अधिकारियों को इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम लगातार जोइंट कैम्पेन चलाते हैं। जोइंट कैम्पेन के माध्यम से हम लगातार अवैध खनन को डिस्करेज करते हैं और मुझे कहते हुए खुशी है इस बात की कि सरकार ने पहली बार अवैध खनन को रोकने के लिए जहां दो-चार-पांच हजार रुपये की रायल्टी फाइन करते थे, उसकी जगह दो-दो लाख रुपये फाइन किये हैं, सज़ा के प्रावधान किये हैं। खास तौर से जोधपुर में जिन ठेकों की बात की है माननीय सदस्या ने, कुल 22 ठेके ऐसे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंशिक रूप से चले और उनका कारण भी मैंने आपको बताया है...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, आप तो यह बता दो कि इन 22 के ठेके क्यों नहीं किये? यह बता दो आप तो। आप इतनी लम्बी-चौड़ी बात क्यों करते हो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, ठेके दिये हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप घुमा-फिराकर बात क्यों करते हो? आप तो यह बताओ कि यह ठेका क्यों नहीं हुआ? इसका कारण क्या था? ठेके क्यों नहीं हुए, यह बताओ आप तो। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं यही तो निवेदन कर रहा था। मैंने वैसे तो आपको पूरी जानकारी परिशिष्ट एक से लेकर चार तक में दी है कि 22 ठेके ऐसे रहे जो आंशिक रूप से बंद रहे और आंशिक रूप से बंद होने के कारण मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताया। आपसी प्रतिद्वन्द्विता के कारण वह कोर्टस में चले गये। जरूरत से ज्यादा बोली लगाकर...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, कोई कोर्ट में नहीं गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत जवाब दे रहे हैं। कोई कोर्ट में नहीं गया। अगर ये कोर्ट का एक भी हवाला दे दें तो मैं इनको मान जाऊंगी। आप बता दो, एक भी कोई कोर्ट का हो तो, कोई कोर्ट का नहीं है। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं और गलत जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भी गलत जवाब देंगे, सरकार गलत जवाब देगी तो हम कहां जायेंगे? जो सही बात है, वह कहो आप कि हमने गलती की है, आप अपनी गलती को मानो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परिशिष्ट-5 में ये सारी जानकारियां माननीय सदस्या को दी हैं। आपको मैंने पहला लिखकर भेजा है, ''माननीय अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित) संख्या-2 जोधपुर में श्री शंकरसिंह द्वारा एक वाद संख्या 52/2011 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.7.2011 को यथास्थिति के आदेश जारी किये गये। उसके पश्चात् दिनांक 2.7.2012 को यथास्थिति के आदेश खारिज किये गये। तत्पश्चात् ठेका दिनांक 6.7.2012 से प्रभाव में आया।'' यह जो पीरियड है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कोर्ट का ड्यूरेशन है। कोर्ट जब किसी भी विषय विशेष पर स्थगन दे देता है तो अधिकारी और विभाग उसमें किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकता। हम केवल यह कार्यवाही करते हैं कि हम अपने अधिकारियों को भेजकर जल्द से जल्द कोर्ट का निस्तारण कराने की अपनी कार्यवाही करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ''निविदादाता महेन्द्र सिंह भाटी द्वारा ठेके की निविदा को अस्वीकृत करने के विरुद्ध मैसर्स देवदशरथ रायल्टीज माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटीशन की, जिसके निर्णय में 16.4.2012 को मैसर्स देवदशरथ रायल्टीज के पक्ष में निर्णय हुआ जिसकी स्वीकृति निदेशालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 9.5.2012 को जारी की गई, तत्पश्चात् ठेका दिया गया। राज्य सरकार द्वारा डीबी सिविल रिट संख्या 4250/2012 एवं 3335/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.3.2012 एवं 30.3.2012 से खनिज बजरी की रायल्टी की वसूली बंद की गई।'' इस तरह से लगातार जब कोर्ट इन्टरविन करती है और जब भी ये ठेकेदार लोग होते हैं, मैंने आपसे निवेदन किया कि आपसी प्रतिस्पर्द्धा के कारण ये भी चाहते हैं कि ठेकों में किसी तरह का विलम्ब हो लेकिन विभाग उसमें किसी भी तरह की अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ता। जैसे ही ठेकों का ड्यूरेशन चाहे वह पांच दिन का हो, 10 दिन का हो, चाहे 20 दिन का हो, जब भी इस तरह का ड्यूरेशन होता है, हम अपने स्तर पर रायल्टी वसूल करते हैं लेकिन यह कहना कि ठेकों की वजह से अरबों का नुकसान हो गया, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने माननीय सदस्या को एक-एक चीज की जानकारी दी है। जो 22 ठेके आंशिक रूप से बंद

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रहे, मैंने पूरी जानकारी माननीय सदस्या को परिशिष्ट-5 में एक-एक करके दी है। व्यक्तिगत रूप से जिन-जिन ठेकेदारों के जिनके नाम हैं, जिनके ठेके हैं, जिनके ठेके की राशि है, उन सारों की जानकारी मैंने एक-एक की उपलब्ध करवाई है, इसलिए यह कहना सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सतत् प्रक्रिया है। जब भी किसी कारण से विभाग का कोई इश्यु कोर्ट में सबजुडिश हो जाता है तो ठेके की प्रक्रिया हम चालू नहीं रख सकते हैं। उस वक्त डिपार्टमेंट के पास में एक ही विकल्प बचता है कि वह अपने स्तर पर रायल्टी का नुकसान नहीं होने दे और अपना सिस्टम डवलप करके वहां जो माल जा रहा है, मिनरल्स जो जा रहे हैं उनकी रायल्टी हम वसूलें। लेकिन किसी तरह की अनियमितता या किसी व्यक्ति विशेष को इसमें दोषी ठहराना या किसी विभाग के अधिकारी को इसमें दोषी ठहराना, इस तरह की कोई अनियमितता, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 09-10 में, 10-11 में, 11-12 में और 12-13 में जो 22 ठेके जो बंद हुए हैं उनका कारण मैंने स्पष्ट किया, कोर्ट का दखल रहा इसमें, आपसी ठेकेदारों की प्रतिद्वंदिता की वजह से कई बार वह इतनी ज्यादा ऊंची बोली लगाते हैं, किसी चीज के ठेके की बोली, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ आनी चाहिए, ठेकेदार बदमाशी करके उसमें पांच करोड़ की बोली लगा देते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिये पूरा, उसके बाद आपको मैं समय दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पांच करोड़ की बोली में ठेकेदार उस ठेके को लेना नहीं चाहता है लेकिन वह उस दिन का ठेका निरस्त कराने के लिए जरूरत से ज्यादा बोली लगा देता है और उसके बदले में वह अपनी अर्नेस्ट मनी जमा कराता है। विभाग सिर्फ यह काम करता है कि ठेका निस्तारण हो उससे पहले-पहले उसको अवसर देता है और यदि उस अवसर के बदले में अर्नेस्ट मनी जो दस प्रतिशत है वह जमा कराकर यदि बैक आउट हो जाता है तो सरकार उसको बाध्य नहीं कर सकती, बैक आउट होने के बाद में सरकार तो सिर्फ उसको दोबारा प्रोसेस में डाल सकती है और प्रोसीजर में डालने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-बहुत जो समय लगता है, उस

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एक-एक दिन में कलेक्शन हम अपने स्तर पर करते हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि जिस दिन ठेका निरस्त हुआ और ठेके की जो ड्यूरेशन है वह कोर्ट की वजह से या आपसी दोबारा रिटेण्डर होने के प्रोसेस में यदि दो दिन, एक दिन का भी विलम्ब होता है तो हम अपने स्तर पर रायल्टी कलेक्शन करके सरकार का जो रेवेन्यू लोसेज है उसको हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बता दें कि जिस अवधि में ठेका नहीं हुआ उसी अवधि में आपने अपने कर्मचारी लगाकर जो वसूली की, इसकी और उसी स्थान के पूर्व में लगाये हुए ठेके के द्वारा जो है, इन दोनों की आमदनी में क्या अंतर है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जो अपने स्तर पर ठेके लिये उसमें करीब तीन करोड़ की रायल्टी अधिक आती, वह भी नोशनल है, हम उसको क्योंकि ठेके में कितनी राशि कलेक्शन होगी, मैं एक-एक बात की जानकारी देता हूं। (व्यवधान) नहीं-नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। (व्यवधान) पूरा पढ़ा हुआ है। हां-हां, एक-एक चीज। मात्र एक करोड़ रुपये, जो पूरे 22 ठेके हैं उनमें बहुत थोड़ा समय जो हाता है जब ठेकेदार अपनी वसूली करता है तो थोड़ी राशि ज्यादा होती है और जब विभाग अपने स्तर पर राशि वसूल करता है तो राशि का मार्जिन निश्चित रूप से थोड़ा कम होता है लेकिन वह काल्पनिक होता है। उसको हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि ठेके होते तो इतनी ही राशि होती। कई बार...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो केवल 22 ठेके जो आपके नहीं उठे और दो साल तक इन ठेकों के ऊपर आपके डिपार्टमेंट ने काम किया, उन्हीं का हिसाब बता दो, बाकी का अभी इन विषयों का नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हां-हां, निश्चित रूप से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह 22 ठेके ऐसे हैं जो आपने इसी में दिया है कि यह 22 ठेके हैं जो दो साल तक ठेके नहीं उठे तो उन 22 ठेकों पर जो आपके विभाग ने काम किया उसकी रायल्टी में या वसूली में और पहले इन्हीं नाकों पर जो ठेके गये थे उनमें अन्तर क्या है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ना-ना। मैं वही बता रहा हूं। उनमें एक्चुअली, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह ठेके जो हमने अपने स्तर पर किये उनसे हमने 29 लाख एक वसूल किये, 69 लाख एक वसूल किये, 113 लाख एक वसूल किये और विभाग के जो हम एस्टीमेट करते हैं, भाई यदि विभाग अपने स्तर पर करता तो इसमें 6 करोड़ रुपये इकट्ठे होते। इस तरह से और दो करोड़ हमने कलेक्शन किया और चार करोड़ का उसमें नुकसान, यदि ठेकेदार के माध्यम से हम करते तो उतना इसमें फायदा होता। लेकिन उसका, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा यह कहना कि विभाग ने अपने स्तर पर किया तो बड़ा नुकसान हो गया, अधिकतर होता क्या है कि ठेकेदार का भी जो ड्यूरेशन होता हैं उसका भी जब हम केलकुलेशन करते हैं और एवरेज निकालते हैं तो मंथवाइज उसके एवरेज में फर्क आता है। कई बार जब वर्षाकाल होता है तो वर्षाकाल में ठेके की वसूली कम हो जाती है। शादी-ब्याह होते हैं उस दौरान लोगों को उसमें मिनरल्स नहीं, उस समय प्रोडक्शन कम होता है उसकी वजह से उसमें कमी हो जाती है। सीधा-सीधा यह कहना कि एकमात्र कारण रेवेन्यू कम होने का केवल ठेके विभाग द्वारा चलाना है, यह मानने में मुझे कोई एतराज नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ठेकेदार और विभाग जब रायल्टी वसूली करता है तो निश्चित रूप से उसमें कमी आती है और कमी को देखते हुए ही तो विभाग ने ठेके की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन केवल एकमात्र यही कारण नहीं होता है, ठेके में राशि होने के कई कारण हैं, मौसम का भी कारण है, बरसात हो गई, यह भी एक कारण है, कोई त्यौहार आ गया वह भी एक कारण है, क्योंकि एक-एक दिन की रेवेन्यू, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कलेक्ट होती है इसलिए मेरा बिलकुल स्पष्ट आप लोगों से यह निवेदन है कि विभाग अपने स्तर पर रेवेन्यू कलेक्शन की पूरी कोशिश करता है, इसके बावजूद भी यदि किन्हीं कारणों से इसमें रेवेन्यू का लोस होता है तो केवल वह नोशनल है, काल्पनिक मान करके हम उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इतना नुकसान विभाग के इन ठेकों की वजह से हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं। सवाल यह है कि आपके पहले जो ठेके गये हैं इनमें से अधिकांश ठेके करोड़ रुपये प्रति ठेके के हिसाब से भी है, 91 लाख रुपये भी है, तीन करोड़ का भी एक-एक नाके का ठेका है, इन सबको अगर जोड़े ना, तो यह कम से कम भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरे हिसाब सारा मिलाकर पचास करोड़ से ज्यादा तो इन 22 केसेज में ही निकल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं, मैं जोड़ नहीं पाया, मैं सही बात यह है कि केवल आंकड़े ही देख पा रहा हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लियर करना चाहूंगा, यह पूरी तरह से बंद नहीं रहे, जो 22 ठेके हैं उनमें से 14 ठेके आंशिक बंद रहे और आंशिक का मैंने आपको जानकारी दी कि कोर्ट की वजह से रहे, प्रतिस्पर्धा की वजह से उन्होंने आवश्यकता से अधिक बोली लगा दी वह एक कारण रहा, दोनों बिडर्स में काम्पीटीशन हो गया और किसी इश्यू को लेकर के उसमें कोई कमी निकाल दी यदि, कई बार क्या होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेका छूट गया और ठेके की बोली के अनुसार उसने पूरे पैसे जमा करा दिये लेकिन यदि वह उसमें विलम्ब कर देता है और यदि उसका वायलेशन कर देता है तो वायलेशन करने के....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आपने क्या किया? कोर्ट में गये तो आपने क्या किया, सरकार क्या कर रही थी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सरकार तो यही कर रही है कि जब ठेके नहीं होते हैं तो अपनी रायल्टी खुद वसूल करती है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या कर रही थी। सरकार ने दो साल तक कुछ भी नहीं किया। आज जब, रायल्टी का जब आप बता रहे हैं यह किया...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आपका कोई ईगो नहीं टकराता है तो इन 22 केसेज के बारे में डिटेल कम से कम देख करके इसकी सदन को जानकारी दो कि 22 ठेके जो आपके किस समय में नहीं हुए, प्रति ठेका जो पहले होता था उस समय कितने करोड़ रुपये की आमदनी होती थी और सरकार ने उस काम को किया उसके कारण से कितनी आमदनी हुई, इन दोनों के बीच में लीकेज कितना था या कमी कितनी थी, जब तक यह क्लियर नहीं होगा तब तक इस प्रश्न का, अगर आप इसको कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें क्योंकि यह स्टेट का लीकेज है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर इसमें है तो किसी अधिकारी के कारण से है या गलती के कारण से इतना बड़ा लोस राज्य सरकार को हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करके उसको वसूल करने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

या उसके खिलाफ कार्यवाही करने का काम जो कानूनी आपको अधिकार प्राप्त है उसके तहत होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग यदि इसी तरह वसूल करता तो 210.53 लाख और 489.83 लाख रुपये संग्रहण होता और चूंकि विभाग ने हमने किये 69.6 लाख और 113.80, इसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ 41 लाख 47 हजार 788 रुपये और 3 करोड़ 78 लाख 83 हजार 39 रुपये डेफिसिट रहे। तो मैं आपसे यह कह चुका कि इसका कारण हमको इस रूप में देखना पड़ेगा कि ड्यूरेशन कौनसा है? यदि वर्षाकाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वर्षाकाल में संग्रहण कम होगा, यदि कोई अवसर विशेष है, कोई शादी-विवाह का है, कोई त्यौहार है उस दौरान मिनरल्स आयात कम होता है। (व्यवधान) यही एकमात्र कारण है माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये यह एक मजबूरी होती है तब विभाग करता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप तो ठेके की बात करो, पहले कितना...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): तो मैं यह काहे की बात कर रहा हूं, ठेके की ही तो बात कर रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, तो वह करो आप। आप जोर से नहीं बोलेंगे, आप जोर से बोलेंगे तो आपसे ज्यादा मेरे को जोर से बोलना आता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): देवी, मैं तो जोर से नहीं बोल रहा हूं। इतना बोलने के बाद भी आप कह रही हैं कि ठेके की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ठेके की ही तो बात कर रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कहां ठेके की बात कर रहे हैं। आप यह बताओ पहले कितने में गये और अब क्या। यह बताओ न आप। यह क्या बात हो गई।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी ठेकों की ही तो दे रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप बात बतानी है वह तो बताते नहीं हो, फिर जोर से और, अभी भी बोल रहे हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं-नहीं। आपको यदि यह मेरा बोलना जोर से लगा तो मैं और ज्यादा विनम्रता से, और ज्यादा मिठास घोल करके बोलूंगा, बहुत आदर और विनम्रता के साथ बोलूंगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इजाजत दी है अध्यक्ष महोदय ने।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट माननीय सदस्य। मैं नेता प्रतिपक्ष से यह आग्रह करना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जोधपुर जोन में बीकानेर और जोधपुर यह दो हैं। दो में से 22 ठेके जो हैं वह आंशिक रूप से बंद रहे और आंशिक रूप से बंद होने का कारण मैंने परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध भी कराया है, उसका जो मुख्य कारण रहा है वह कोर्ट में मैटर सबज्युडिस होना...(व्यवधान) इसके अलावा आपने कोई पूछा नहीं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक ही बात को बार-बार बता रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूछ रहे हैं क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो दो साल तक रायल्टी के ठेके बंद रहे। सरकारी अधिकारियों ने जो वसूली की है वह दो साल में कितनी की है? उससे पहले जो रायल्टी के टेण्डर हुए, ठेके हुए उसमें कितनी हुई वही तो पूछ रहे हैं। ड्यूरेशन तो खाली छह महीने का बरसात का हो सकता है लेकिन दो साल तक रायल्टी के ठेके बंद हुए हैं और दो साल के ड्यूरेशन में कोई ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ठेके नहीं होने के बावजूद भी खनन होता रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-5 में जानकारी दी गई है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दो साल में यह व्यवस्था कर सकते हैं, दो साल के अन्दर करें ...(व्यवधान) रायल्टी ठेके से कितनी की?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-5 में तारीख़ें दी हुई हैं। 2.7.2012 को यथास्थिति के आदेश खारिज किए गए। तत्पश्चात् ठेका दिनांक 6.7.2012 से प्रभाव में आया। यह ठेका 1.4.2011 से होना था, 1.4.2011 से 5.6.2012 तक होना था। लेकिन यह कोर्ट का ड्यूरेशन रहा। कोर्ट की ड्यूरेशन की वजह से जो विलम्ब हुआ 6.7.2012 को जब कोर्ट का स्टे टूटा तो हमने ठेके वापस लागू कर दिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, कोर्ट की वजह से बंद रहा लेकिन क्या खनन होना बंद रहा क्या, यह तो बता दें या खनन ऐसे ही चलता रहा?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कोर्ट का 10.4.2012 को जो है विज्ञप्ति जारी की, कोर्ट का स्टे है, कोर्ट का जिस दिन स्टे टूटा, उस दिन हमने ठेका जारी कर दिया। एक-एक चीज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या को उपलब्ध कराई है। एक-एक ड्यूरेशन दिया है, एक-एक पीरियड दिया है। कोर्ट ने कब स्टे दिया यह उसमें अंकित किया है, कोर्ट का स्टे कब वेकेट हुआ यह उसमें अंकित किया है, हमने ठेका किस तारीख को दिया यह अंकित किया है, ठेके की राशि कितनी है यह हमने अंकित किया है। एक-एक चीज की जानकारी देने के बाद वह खुद यह समझ नहीं पा रही हैं कि पूछना क्या चाह रही हैं? स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए ना, जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि...

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो बात कह रहे हैं वह बिलकुल सत्य बात है। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कितना डिफरेंस है। किस तरह की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में होती है और किस तरह की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में होती है। आप भी सत्ता में रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट के कामों में फर्क आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने परिशिष्ट-5 के अन्दर उन ठेकों का हवाला दिया है ...(व्यवधान) आपने परिशिष्ट-5 में उन आठ ठेकों का हवाला दिया है, न्यायिक हस्तक्षेप के कारण जिन पर रायल्टी की वसूली नहीं हो सकी, ठेके जारी नहीं कर सके। आपने अपने उत्तर में यह कहा कि 22 ऐसे मामले हैं जिनके अन्दर हमने ठेके जारी नहीं किए हैं और दो वर्षों से विभाग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चला रहा है। आपने खुद ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा के कारण ऊंची दर पर एक बार ठेकेदार भर देता है फिर अर्नेस्ट मनी जमा कराकर बैक-आउट हो जाता है। ऐसे कितने मामले थे जिनमें अर्नेस्ट मनी जमा कराके ठेकेदार बैक-आउट हुआ और बैक-आउट हुआ तो उनमें से कितने ठेकेदारों को आपने ब्लैक लिस्टेड किया उनकी सूची बतायें?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार अधिक राशि लगाकर के बैक आउट हो जाता है तो हम उसकी जो अर्नेस्ट मनी दस परसेंट जमा होती है वह फोरफिट कर लेते हैं। ठेकेदार कोई कम्पनी के रूप में नहीं आता है, ठेकेदार इंडिवीजुअल नाम के रूप में आता है। एक्स के नाम पर कोई आया, दूसरी बार जब वह ठेका लेगा तो वाई के नाम पर आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ब्लैक लिस्टेड कितनों को किया? मेरा एक ही पाइन्टेड सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने वाले चाहे व्यक्ति हो या कम्पनी हो, मैं उनकी सूची जानना चाहता हूं, उनके नाम जानना चाहता हूं, सिर्फ इतनी सी बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ठेकेदार बैक आउट हो जाता है तो हम उसकी दस परसेंट राशि फोरफिट कर लेते हैं और विभाग के नियमों में यह है कि जब तक वह विभाग का पूरा बकाया का नहीं निपटारा कर दे तब तक वह दुबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। विभाग की रकम यदि वह जमा करा देता है तो आकर के इसमें फिर पार्टिसिपेट कर सकता है। विभाग केवल यह कर सकता है कि यदि वह बैक आउट हो गया तो उसकी दस परसेंट जो अर्नेस्ट मनी जमा है वह फोरफिट कर लेते हैं हम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ब्लैक लिस्टेड लोगों की लिस्ट तो बताओ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने किस-किस की जब्त की उनके नाम तो बताओ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप लिस्ट तो बता नहीं रहे हैं और बात को घुमा-घुमा कर बता रहे हैं ...(व्यवधान) आपने किस-किस को ब्लैक लिस्ट किया ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): किन-किन को ब्लैक लिस्ट किया, कौन-कौन से ठेकेदार हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आपने किस-किस को ब्लैक लिस्ट किया उनके नाम तो बताओ ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप लिस्ट के नाम तो बताइए ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, ब्लैक लिस्ट के ठेकेदारों की सूची दे दें। किन-किन को फोरफिट किया उन व्यक्तियों के नाम बता दो, कुछ तो करो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): केवल फोरफिट करना ही पनिशमेंट है उनको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बाकायदा नाम लिये हैं। मैंने हर चीज का नाम दिया है, हर चीज का नाम दिया है। एक-एक परिशिष्ट में नाम दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही सवाल रह गया है अब कि आपने जो यह 22 बताये हैं उसमें से समय और कोई स्टे नहीं मिलने के बाद भी जो बैक आउट हो गए और जिनका आपने अर्नैस्ट मनी जब्त कर दी। वह सूची और उन सूची का, अर्नैस्ट मनी तो जब्त की होगी, मान लीजिए आठ होंगे, दस होंगे, क्या उनको ब्लैक लिस्टेड किया है? उनकी आप सूची दे दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो आपको आग्रह कर रहा हूं। इन 22 ठेकों में...

श्री अध्यक्ष: सूची बता दो ना।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप नाम नोट करिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सूची बताओ और जो राशि फोरफिट की है वह भी बताओ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको पूरा परिशिष्ट दे चुका। सुनिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-5 में जिन-जिन 22 ठेकों की अर्नैस्ट मनी जमा करके हमने उन 22 ठेकों का पूरा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

विवरण, क्यों वह नहीं कार्य रूप में आया, परिणित हो सके, पूरी की पूरी परिशिष्ट-5 में दी है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने नाम नहीं दिया है परिशिष्ट-5 के अन्दर, मैं नाम पूछ रहा हूं आपने ब्लैक लिस्टेड किया है क्या किसी एक को भी? मेरा आरोप है कि एक को भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया। एक को भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया है इन्होंने, वही ठेकेदार दूसरे नाम से फिर ठेका लेता है यह विभाग की मिलीभगत से हो रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): विभाग तो सिर्फ यह करता है कि उनकी अर्नेस्ट मनी फोरफिट करके, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उनकी दस परसेंट राशि जो है वह विभाग जब्त कर लेता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप मुलायजा फरमा लें ...(व्यवधान) न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, अध्यक्ष महोदय, 8 मामलों में न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। 22 की सूची है और 8 मामलों में न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पूरी लिस्ट आपको दे रखी हैं। आप सुनना नहीं चाहते हैं हाउस में हल्ला मचाकर के ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जब अर्नेस्ट मनी फोरफिट कर ली जाती है तो ब्लैक लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। कोई प्रोविजन नहीं है, आप प्रोविजन बता दीजिए, आप गलत तरीके से इंटरफियर कर रहे हैं इसको आप ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): किस-किस की फोरफिट की ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उस पार्टी को, जिसकी अर्नेस्ट मनी जब्त हो जाती है उसको ठेका दुबारा नहीं मिलता है उसको ब्लैक लिस्ट करने का कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है जोर से बोलने से प्रोविजन नहीं बदलता है। उस आदमी को, उसको ब्लैक लिस्ट तो करते ही करते हैं। जो पैसा हमारे पास जमा है वह भी जब्त करते हैं यह दोनों काम करते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ब्लैक लिस्ट करने का प्रोविजन है। सरकार ब्लैक लिस्ट नहीं कर रही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नियम बता दो, आप नियम बता दो ...(व्यवधान) आपके जोर से बोलने का क्या है, नियम बता दो आप ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): डबल काम होता है, पहले तो ब्लैक लिस्टेड करते हैं और ...(व्यवधान) नाम बता दो ना आप ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नाम बता दीजिए ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): विभाग की मिलीभगत है इन ठेकेदारों के साथ में ...(व्यवधान) यह सरकार की मिलीभगत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) ब्लैक लिस्ट कैसे नहीं होता है? आप उनका बचाव क्यों करते हो? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार की मिलीभगत है उन ठेकेदारों के साथ और इसलिए उन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दुबारा ठेका उसको नहीं मिलेगा यह प्रोविजन है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सरकार की मिलीभगत है क्यों नहीं कर रहे उनको ब्लैक लिस्ट ...(व्यवधान) यह सरकार डूबी हुई है भ्रष्टाचार में ...(व्यवधान) मंत्रीजी गोल मोल जवाब दे रहे हैं, बार-बार बारिश की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) नियमों में प्रोविजन है, उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दिया है और उसका परिशिष्ट संलग्न किया है ...(व्यवधान) केवल हल्ला करने का इनका शगूफ़ा बन चुका है। (व्यवधान) जवाब स्पष्ट दे दिया है, आगे कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अब तो यह स्पष्ट है कि यह सरकार भ्रष्ट है ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सरकार में माननीय अध्यक्ष महोदय, घोटाला हुआ है ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप इसकी जांच तो कराओ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसकी जांच तो कराओ, आपने इतनी मेहरबानी कर दी, हमारा प्रश्न नहीं आया। (व्यवधान) यह जांच कराओ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठेकेदार सरकार को चूना लगाते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसकी जांच कराइए ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच करायें। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जांच कराओ जांच ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसकी जांच कराओ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, उसकी जांच कराइए, इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ब्लैक लिस्ट करने का कोई प्रोविजन नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, ठेकेदारों के साथ मिलीभगत हुई है और सरकार को चूना लगा रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जांच कराओ, +++ तो नहीं है पता लगाया जाये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): टाइम खराब कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी की पूरी जांच कराई जाये, भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

(12.00 बजे)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ...(व्यवधान) गलत है तो गलत है सही है तो सही है। आप जांच करवा दो। खनन बंद हुआ नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...(व्यवधान) ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों की लिस्ट नहीं। ब्लैक लिस्ट किनको किया ये इनको पता नहीं। तो इस पूरे प्रकरण की जांच करवाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जांच करवाओ। ठेके नहीं होने के बावजूद भी खनन चलता रहा। ये नुकसान किसका रहा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी से जवाब दिलवा कर इसकी जांच करवाओ आप। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जांच करवाने में क्यों डर रहे हैं? जांच करवाओ। सीधी सी एक बात कह दो कि जांच करवाएंगे। (व्यवधान) जांच करवाने की बात करो। आप खुद लिप्त हो क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 123 ठेकेदार हैं जिनको दुबारा ठेके दिये ब्लैक लिस्टेड को दिया। 123 ठेकेदार हैं माननीय शांती धारीवालजी। आप जोर से बोलिये मत। 123 ठेकेदार हैं अलवर में हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं आपकी बात का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) वो ही रिपीटेड ठेका दिया है इन्होंने।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान) बार-बार उसी बात की पुनरावृत्ति हो रही है। बदबू आ रही है बदबू।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ...(व्यवधान) ठेका दिया नहीं फिर भी खनन हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन कर रहे हैं ऐसे 123 ठेकेदार हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 123 ठेकेदार हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जांच करायी जाए। मंत्रीजी, जांच कराओ। जांच के आदेश दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जांच करवाने की बात कहो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से एक निवेदन करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान) एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जांच करवाओ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) ये क्या परम्परा है, रोज ही क्या परम्परा है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जांच करवाओ। जांच करवाओ भ्रष्टाचार की। जांच कराने में क्यों डर लग रहा है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) ठेकेदारों को आपने ठेका दिया है। (व्यवधान) सरकार भ्रष्ट है। पूरे राजस्थान की जांच करवाओ। अलवर में 123 ठेकेदारों को ...(व्यवधान) लाइसेंस दिया है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): भ्रष्टों की जांच हो। जांच करायी जाए उसकी। बदबू आ रही है भ्रष्टाचार की। सरकार लुप्त है। अब तो ये स्पष्ट है ये सरकार भ्रष्ट है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, जांच करायी जाए। (व्यवधान) कमेटी बैठायी जाए। इस अवैध खनन की जांच करायी जाए। अवैध क्रेशर की जांच करायी जाए। अलवर के 123 ठेकेदार हैं जिनको ठेका दिया गया है।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 बज चुके हैं और आज सबसे ज्यादा समय खराब कर रहे हैं सदस्यगण। सदन का समय सबसे ज्यादा खराब किया है आपने। जिस बात का कोई हाथ नहीं पांव नहीं जब मंत्री महोदय ने बोल दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) भ्रष्ट हैं आप। सरकार भ्रष्ट है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) सरकार के 12 बज गये। घड़ी के नहीं बजे हैं सरकार के 12 बज गये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सरकार भ्रष्ट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। प्रश्न काल समाप्त।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री ओटाराम देवासी सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही के शिवगंज से पिण्डवाड़ा सड़क के चार लाइन में परिवर्तन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश चन्द भंसाली सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों का ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से चित्तौड़गढ़ शहर के नेहरू नगर निवासी एक छात्रा की नृशंस हत्या के अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती किरण माहेश्वरी सदस्य की ओर से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सामुदायिक भवन, सड़क, नालियों का कार्य करवाये जाने के प्रस्ताव कलक्टर/विकास अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से झालावाड़ हायर मेडिकल विभाग में संविदा पर नियुक्त नर्सेज को उचित वेतन एवं सुविधाएं नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में गत वर्ष अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य भर में गोचर, आगोर, नदी एवं नालों की भूमि के सीमांकन करवाने एवं गोशालाओं को स्थायी सरकारी अनुदान दिये जाने आदि मांगों के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओम बिरला सदस्य की ओर से कोटा में सेमटेल ग्लास उद्योग के श्रमिकों द्वारा बकाया भुगतान की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से आदिवासी अंचल में स्थित मानगढ़ धाम के शहीदों के 235 परिवारों को तलवाड़ा के निकट मार्बल खदान और खातेदारी हक का कब्जा प्राप्त आदिवासियों को मार्बल व्यवसायी द्वारा बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्री विजय बंसल एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर सम्भाग मुख्यालय में विश्वविद्यालय की घोषणा के उपरान्त भी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से गत 7 दिन से भरतपुर में धरना प्रदर्शन होने के सम्बन्ध में।

(12) डा. जसवन्त सिंह, यादव सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की लाइफ लाइन कही जाने वाली माढण से तसींग सड़क की हालत बहुत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की विद्युत समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री पवन कुमार दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से हनुमानगढ़, गंगानगर एवं बीकानेर जिलों में सिंचाई पानी के अभाव में लाखों हैक्टेयर में खड़ी गेहूं की फसल के बर्बाद होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री विजय बंसल, डा. जसवन्त सिंह यादव, श्री बाबूसिंह राठौड़ एवं श्री पवन कुमार दुग्गल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(2) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में हवाई सेवा प्रारम्भ करने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम निम्बडी चांदावता को कुचरा जी.एस.एस. से 33 के.वी.ए. की नयी लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पंचायत समिति चितलवाणा के गांव गलिपा से टेंबी जाने वाले रास्ते की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से कोटा के आस-पास वन भूमि व सिवायचक भूमि पर खनिज आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री फतेह सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कतिपय गांवों के भूमिहीन कब्जा काश्तकारों को खातेदारी देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के संविदा कर्मचारियों को वेतन श्रृंखला देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही सहित पूरे राज्य के विधि महाविद्यालयों को बीसीआई के मानदण्डानुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा की कोकाकोला प्लान्ट को अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राजकुमार रिणवा, सदस्य की ओर से सालासर से रतनगढ़ सड़क मार्ग पर मालासी में बाईपास बनाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नगराज सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावद के जाखम डेम के रखरखाव हेतु पर्याप्त बजट का आबंटन करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री विजय कुमार बंसल।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा सेमटेल के मजदूर ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

(समय : 12.06 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा केवल माननीय श्री विजय बंसल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भरतपुर सम्भाग मुख्यालय में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विजय बंसल जी के बाद बात करेंगे अब। वो बोल रहे हैं खड़े हैं। आप चिट लिखकर दे दो हो जाएगा। केवल विजय बंसल जी।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले हाउस को आर्डर में तो लाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चिट दे दो। आप चिट दीजिये। आप आइये क्या दिक्कत है। श्री विजय बंसल।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008-09 में बजट भाषण में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धरा जी राजे ने पृष्ठ संख्या-68 पर भरतपुर के नवगठित भरतपुर सम्भाग में मेडिकल कालेज नहीं है, वर्ष 2008-09 में भरतपुर में पीपीपी आधार पर मेडिकल कालेज स्थापित करने का कार्य शुरू किया जायेगा एवं उसी 2008-09 में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी लेकिन आज पांच साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(श्री विजय बंसल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि 2012-13 के बजट भाषण में पृष्ठ संख्या-144 पर ये घोषणा की गई थी कि अब मैं प्रस्तावित करता हूं कि अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय, भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय तथा सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु राज्य सरकार 10-10 एकड़ निशुल्क भूमि एवं 5-5 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध कराएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012-13 के बजट में इस घोषणा के बावजूद भी न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही बजट का कोई प्रावधान किया गया। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भरतपुर विश्वप्रसिद्ध महाराजा सूरजमल के नाम को बदलकर इसमें ब्रज विश्वविद्यालय कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस नाम को पुन: महाराजा सूरजमल के नाम पर रखा जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस बजट में भी पृष्ठ संख्या-69 पर यह कहा गया है कि जयपुर में एक दूसरा मेडिकल कालेज खोला जाएगा जिसमें भूमि के लिए 45 करोड़ रुपये तथा भवन एवं अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचे हेतु पचास करोड़ रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। साथ-साथ 15 जिला चिकित्सालयों में...

पीपीपी माडल पर चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा जब 2008-09 के बजट में इसी पीपीपी माडल पर मेडिकल कालेज की घोषणा हो चुकी थी तो इस 2013-14 के बजट में चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके का मतलब है शायद 10-15 साल में कोई नम्बर आये, इस सरकार का भरतपुर की जनता के साथ दुर्व्यवहार क्यों है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा पिछले तीन दिनों से भरतपुर के बाजार बंद हैं। चाहे वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे भरतपुर महासंघ हो, चाहे व्यापार महासंघ हो सभी लोग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज के नाम पर बाजार बंद करके विरोध प्रकट कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने घोषणा भी की है कि अगर सरकार इस बजट में यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज के लिए कोई प्रावधान नहीं करती है तो भरतपुर को अनिश्चिकाल के लिए बंद कराया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

(श्री विजय बंसल)

मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा इस 2013-14 के बजट में विश्वविद्यालय हेतु कब तक तो जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी और इस बजट में उसके लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा जाएगा? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कृपया मेरी इस बात का अवश्य जवाब दें अन्यथा अनिश्चित काल के लिए मैं और मेरे साथी धरने पर बैठेंगे।

(श्री विजय बंसल, श्री दिगम्बर सिंह, श्रीमती अनीता सिंह, श्रीमती कष्णेन्द्र कौर माननीय सदस्य सदन कूप में धरने पर बैठे)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। डाक्टर जसवन्त सिंह यादव। (व्यवधान) केवल डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ...(व्यवधान) माढण से तसींग सड़क है जो बहरोड़ की लाइफ लाइन कहलाती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित हो रहा है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह आपके अध्यक्ष जी ने आर्डर दिए हैं सदन में कि बिना नोटिस के नहीं आ सकते। केवल डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: लिखित में दें। आप अध्यक्षजी से बात कर लीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर जसवन्त सिंह यादव। आप लिखित में दे दीजिए। आप चिट में दे दीजिए उसके बाद। डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाओ,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मंत्रीजी बैठे हुए हैं मेरे क्षेत्र के लोगों के मरने जीने का सवाल है। मेरे बहरोड़ क्षेत्र की जनता इस सड़क पर आधारित है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुझे तो बोल लेने दो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब आप इनको तो बैठाओ, मेरी बात तो सुनो, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर जसवंत सिंह यादव।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल डाक्टर जसवंत सिंह यादव। (व्यवधान) आप वरिष्ठतम सदस्य हो आप विराजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, विराजिए । डाक्टर जसवंत सिंह यादव। आप तो बोलें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं कुछ बात सुनें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

सूचना

गौ-वंश की रक्षा हेतु साधु सन्तों का प्रदर्शन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, अगर आज हजारों की संख्या में राजस्थान के साधु संत गाय और गाय की रक्षा के लिए सड़क पर आए और ऐसे विषय पर भी अगर हम संवेदनापूर्वक उनकी बातों को नहीं सुनें, या तो उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बात करें। वह लोग अपने-अपने मंदिरों और मठ को छोड़कर सडकों पर जुलूस निकालें और इसके बाद भी इस सरकार पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है तो मैं सोचता हूं कि यह हमारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए उचित नहीं होगा। केवल इतना ही है कि उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनकी मांगें क्या हैं, सरकार उनके बारे में क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है इसका जवाब दे दें तो कम से कम तोड़-फोड़ करने की तो नौबत नहीं आए। इतनी सी बात में भी कौनसी इतनी बड़ी आफत है जिसके कारण से कोई सुनना ही नहीं चाहे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार स्वयं इसकी चिंता करे। वह लोग आखिर यहां सड़क पर आए हैं तो मन में कोई न कोई दर्द और पीड़ा होगी उसको लेकर आए हैं। हम सब जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है कि जब साधु संत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को लेकर स्टेच्यू सर्किल से आगे आ रहे हैं, अच्छा यह हो कि हम अपनी तरफ से मैसेज भेजकर उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाएं, उनकी बात को सुनें। कल मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि गायों की जो गोचर जमीन है उनको बचाना चाहिए। वह इसीलिए कि इतनी गायें जब पालते हैं, आज की तारीख में जिस प्रकार घास की रेट हो गई 10-11 रुपए किलो के हिसाब से तो वह उनको बचा कैसे सकेंगे। उनकी सुनकर उनकी मदद करें, इतनी ही बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल डाक्टर जसवन्त सिंह यादव। (व्यवधान) आप विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) आप विराजोगे तो बात होगी, आप विराजोगे तब सुनूंगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जीवारामजी, माननीय सदस्य विराजिए। आप विराजिए, विराजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। आप विराजेंगे तब मैं अर्ज करूंगा, आप विराजिए। माननीय सदस्य पाइंट आफ इन्फोरमेशन पर पर्ची आई है, जब 295 समाप्त होगा उसके बाद आयेगी। अब बीच में जीरो आवर में पाइंट आफ इन्फोरमेशन, सदन आपको चलाना है, सदन सभी सदस्यों का है, आपको चलाना है, कैसे चलाना है। जब पाइंट आफ इन्फोरमेशन की पर्ची दी है उस पर बोल लेना।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान) डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल डाक्टर जसवंत सिंह यादव।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसने मना किया, आप सदन नहीं चलाना चाहते? आप सदन चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन चलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते हैं कि नहीं चाहते।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन चलाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने अनुरोध कर दिया पर्ची आई है, 295 के बाद ...(व्यवधान)...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन नहीं चलाना चाहते?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कह दिया। मैंने कह दिया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां तसींग से माढण तक बहरोड़ की लाइफ लाइन कराने वाली सड़क है ...(व्यवधान) यह ऐसी सड़क है जिस पर पूरे बहरोड़ का जीवन आधारित है। ऐसी सड़क है जिसमें हरियाणा की बसें तक बंद कर दीं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: मेरा अनुरोध है आप अपनी सीट पर जाइये। जीरो आवर का जो बिजनस है उसको पूरा करने दीजिए। जीरो आवर का बिजनस पूरा करने के बाद में आपके सबजैक्ट पर हम बात करेंगे । (व्यवधान) जीरो

(श्री उपाध्यक्ष)

आवर के बाद में। सरकार के ध्यान में आपकी बात आ चुकी है। सरकार के ध्यान में ...(व्यवधान) जीरो आवर खतम करने के बाद में। आप जीरो आवर नहीं चाहते हो क्या? आप जीरो आवर नहीं चाहते?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर समाप्त होने के बाद में। आपका आएगा ना, धरने पर बैठने से नहीं आएगा। नियम से आएगा, प्रोसीजर है, जीरो आवर के बाद में आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा, चर्चा करायी जाएगी। मैंने पहले ही अनुरोध कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिल्कुल आपकी भावना की कद्र करेंगे। एक को नहीं, पांच आदमी आप सलैक्ट कर लीजिए, पांचों को बुलाएंगे, यह भी कहेंगे, बुलाएंगे क्योंकि बजट में भी इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा है, आपकी भावना भी है । जनता हो, साधु हो, कोई न कोई बात जब सामने आ रही है तो राजस्थान का मसला है इस पर पूरा विचार विमर्श कराया जाएगा। आप निश्चित रहो। माननीय डा. जसवन्त यादव। (व्यवधान) आप बात कर लीजिए सरकार से, मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बात कर लीजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बहरोड़ की माढण से तसींग सड़क की खस्ता हालत

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में तसींग से कानावास जाने वाली सड़क है जो दोनों तरफ से हरियाणा स्टेट को जोड़ती है और बहरोड़ की वह सड़क, बहरोड़ के विकास के लिए, बहरोड़ के लोगों के लिए लाइफ लाइन सड़क कहलाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहता हूं अगर आपको सड़कों का हाल देखना है, सड़कों की खस्ता हालत देखनी है, आपको अपने विभाग के काम को देखना है....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, थोड़ा शोर्ट बोले।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): शोर्ट ही बोलूंगा लेकिन अपनी बात

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

तो कहूं। मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मंत्री महोदय अगर एक बार उस सड़क को देख लें तो ऐसा लगेगा मंत्री महोदय को कि जैसे वह राजस्थान का हिस्सा नहीं हो या बहरोड़ राजस्थान से निकला हुआ क्षेत्र हो। आये दिन दुर्घटनाएं, मैंने रिपोर्ट मांगी कि कितनी दुर्घटनाएं हुई तो 65 एक साल के अन्दर मौतें हो जाना, बड़े-बड़े गड्ढे, दूर तक सड़क नाम की चीज नहीं है कि कोई सड़क हो। मंत्रीजी बहरोड़ गये थे तब भी इनसे आग्रह किया था, पहले भी कई तरह से पत्र लिखकर आग्रह कर चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है विधान सभा क्षेत्र में आपका प्रतिनिधि नहीं जीता हो, पर वह जनता आपकी है, उस जनता के दुःख दर्द को सुनें। ऐसी कई बार घटनाएं घटी हैं कि जो महिलाएं प्रसव के लिए बहरोड़ जाना चाहती थीं उनके रास्ते में प्रसव भी हो गया। हरियाणा रोडवेज ने अपनी बसें बंद कर दीं इससे बड़ा राजस्थान के लिए कोई कलंक नहीं हो सकता कि यह सड़क चलने लायक नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि एक बार या तो खुद जाकर देखें या विभाग की सही रिपोर्ट लें । इस सड़क को ठीक करायें जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके। हरियाणा सरकार ने हमारे माथे पर कलंक लगाया कि सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए हम अपनी बसें नहीं चला सकते, वो दूर हो जाए। जो रोगी रास्ते में दम तोड़ देते हैं, बीस मिनिट का रास्ता दो घण्टे के अन्दर यात्रा पूरी हो, इस तरह की सड़क आज भी राजस्थान के इतिहास में है, तो इससे ज्यादा सरकार के लिए कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। लोगों के जीवन को बचाने के लिए, इस क्षेत्र को बचाने के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि तसिंग से कानावास रोड का दुबारा से डामरीकरण, मरम्मत या ठीक कराया जाए या नवीनीकरण कराया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूसिंहजी राठौड़ । माननीय सदस्य, निवेदन करूंगा कि जो पाइंट उठा है उस पर भी डिसकस होगा उसके लिए भी समय चाहिए और बहस भी है, डिमांड भी है इसलिए थोड़ा शोर्ट में।

शेरगढ़ की विद्युत समस्याओं का समाधान

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश में मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजनान्तर्गत खेतों और ढाणियों के निवासियों को घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने व विद्युत सम्बन्धी समस्या से उत्पन्न

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

स्थिति के बारे में आज स्थगन प्रस्ताव लगाया है। हिन्दुस्तान आजाद हुए 65 साल हो गए। आजादी की रोशनी आ गयी लेकिन गांव और ढाणियों में अभी तक रोशनी नहीं आयी। पिछले पांच वर्षों में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू हुई। उस योजना में 2001 के, 250 के गांव व 300 तक की जनसंख्या को विद्युतीकृत करना था।

इस योजना के तहत ढाई सौ के गांव और तीन सौ की जनसंख्या में कुल घरों के 10 प्रतिशत कनेक्शन मुख्यालय पर ट्रांसफार्मर लगाकर किये। 90 प्रतिशत कनेक्शन बाकी रह गये। जो बाकी रहे कनेक्शन उसके लिये मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना शुरू की। उस योजना में छह व दस के समूह बनाये गये और हमारे वहां चार और तीन के समूह में कनैक्शन हुए। जिस समय कनेक्शन हुए, उसमें जो बी.पी.एल. थे, उनको भी समूह में शामिल करके नि:शुल्क कनेक्शन दिये गये। जिसमें मात्र शेरगढ़ में 10 हजार कनेक्शन हुए थे। अब जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, ऐसी कोई योजना नहीं रही। जिससे घरों में कनेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में एक मुख्यमंत्री सबके लिये संशोधित योजना शुरू की। उस योजना के तहत जो यह मैं बता रहा हूं आपको, मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना संशोधित, उसके 3.7 में, इस योजना में सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियंता द्वारा राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वे, 2003 की सूची में चिह्नित ढाणियों में, आवासों में घरेलू कनैक्शन एक साथ पांच के समूह में ही आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। गैर चिह्नित ढाणियों व खेतों में घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। यह तुगलकी आदेश इन्होंने बीच में लगाया। इसके साथ ही इसमें जो 4.1 पात्रता रखी, इस योजना का लाभ घरेलू कनेक्शन चाहने वाले ऐसे आवेदकों को मिलेगा जिनके आवास सौ और उससे कम आबादी वाली ढाणियों, ऐसी ढाणियों में हैं जो कि वर्ष 2003 में किये गये, राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वे की सूची में सम्मिलित हैं, चिह्नित हैं व अभी तक किसी योजना में विद्युतीकृत नहीं हैं। साथ ही इन्होंने वर्ष 2012-13, 2013-14 में 60 हजार घरेलू कनेक्शन देने हेतु जिलेवार समूह में कनैक्शन का लक्ष्य आवंटित कर दिया जो परिशिष्ट-अ पर इनका संलग्न था। आवेदनकरण की प्रक्रिया में दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से कनेक्शन लेने थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा जब यह एक जून को योजना शुरू

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

हुई उस समय मेरे शेरगढ़ में 824 आये, और जब एक नवम्बर से शुरू हुई तो एक ही दिन में 10 हजार आवेदन जमा हो गये। इस प्रकार से एक दिन में 10 हजार आवेदन जमा होते हैं। मैं कहता हूं शेरगढ़ में करीब 50 हजार आज भी घरों में कनेक्शन नहीं हैं। राजस्थान में भी कई जगह, अधिकतर घरों में कनेक्शन नहीं हैं। जब मैंने विधान सभा के अन्दर 29.08.2011 को तारांकित प्रश्न लगाया तो उस प्रश्न के अन्दर मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि कृषि भूमि एवं गैर आबादी भूमि पर स्थित घरों पर घरेलू कनेक्शन उन सभी आवेदकों को दिये जा रहे हैं जिनके आवेदन मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जो ढाणियां राजीव गांधी...

श्री उपाध्यक्ष: बाबूसिंहजी, यह बहस नहीं है। यह जीरो-आवर है। (व्यवधान) अपना सिस्टम है, लम्बा नहीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): नहीं, बहस नहीं, बता रहा हूं। इन्होंने जवाब दिया, फिर भी बंद है। इसलिये कह रहा हूं। इसलिये बता रहा हूं कि सरकार स्वयं गैर मुमकिन आबादी खेतों में रहने वाले, ढाणियों में कनेक्शन की बात करती है। हमारे यहां माननीय सदस्यों ने जब स्थगन प्रस्ताव उठाया तो उसमें भी मंत्री महोदय ने यह कहा था, खेतों में जो पांच का समूह होगा उमसें कनेक्शन दिये जाएंगे। यह ढाणियां तो हमारी जो चयनित हैं, यह खेतों में निवास करती हैं। सारे कनेक्शन इन्होंने बंद कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही एकल कनेक्शन के लिये एक पोल-दो पोल से कनेक्शन दिये जाते थे, उसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी है। यह चयनित ढाणियां हैं। इसलिये मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने इस योजना के अन्दर यह कहा है कि जहां पर पहला ग्रुप होगा, दूसरा और तीसरा ग्रुप भी लाया जाएगा। अब यह कह रहे हैं कि अगर एक चयनित ढाणी के अन्दर पहले विद्युतीकरण हो चुका है तो उसमें दूसरा और तीसरा ग्रुप नहीं लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक तरफ तो पहला, दूसरा, तीसरा ग्रुप ले रहे हैं और जहां पहले विद्युतीकरण हो गया ...(व्यवधान) वहां समूह नहीं ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और जहां पहले विद्युतीकरण हो गया,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

वहां समूह नहीं ले रहे हैं। मैं तो स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, विषय तो आने दीजिए, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने लगाया है उस स्थगन प्रस्ताव पर भी आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बाड़मेर के अन्दर डिमाण्ड निकालकर निरस्त कर दिये और शेरगढ़ के अन्दर एस.ई. द्वारा जो डिमाण्ड के लिये समूह बने थे, उनकी स्वीकृति आ गयी, लेकिन आज दिन तक डिमाण्ड नहीं निकाली गयी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चहूंगा कि आप तो यह गैर मुमकिन आबादी में जो ढाणियां निवास करती हैं उनके लिये इस समूह में कनैक्शन दिये जाएं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्दर भी...।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आज जोधपुर जिले में पूरे में रोके हुए हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूरे राजस्थान के अन्दर रुके हुए हैं।

श्री पेमाराम (धोद): कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पवन कुमार दुग्गल। (व्यवधान) केवल पवन दुग्गल का अंकित होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। केवल पवन दुग्गल। बाकी सब बैठ जाएं। केवल पवन दुग्गल का अंकित होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप जवाब सुनिये। आप बोलने दीजिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सौ एवं सौ से कम आबादी की हमारी ढाणियां और गांव हैं

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उनमें विद्युत कनेक्शन के बारे में जो चिन्ता प्रकट की है वह पूरे हाउस की चिन्ता है। उपाध्यक्ष महोदय, सिस्टेमेटिकली भारत सरकार ने तीन सौ से ऊपर की आबादी के कनेक्शन कर दिये, जो बाकी रह गये वह 30 जून तक कम्पलीट हो जाएंगे। उसमें कुछ पोर्शन बाड़मेर का, भरतपुर का, धौलपुर का ही बचा हुआ है। तीन सौ से सौ का एक प्रस्ताव साढ़े 1300 करोड़ का आलरेडी भारत सरकार के पास, 32 प्रोजेक्टस गये हुए हैं तो सौ से कम की आबादी के जो कनेक्शन हैं, जिसकी पूरे हाउस को चिन्ता है, मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व में इसकी घोषणा की थी गत बजट में कि करीब 300 करोड़ रुपये की लागत के 60 हजार कनेक्शन किये जाएंगे। उसमें जो ग्रुप बनाये गये थे वह पांच-पांच के ग्रुप बनाने थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ गये कि उसके ऊपर फिजिबिलिटी सम्भव नहीं है। अभी उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा उन मापदण्डों में शिथिलता देते हुए निर्देश दिये गये हैं कि अण्डर हण्ड्रेड की आबादी के जो परमानेंट निवास कर रहे हैं, उन लोगों को कनेक्शन वहां दिये जाएं, पांच-पांच के ग्रुप में, समूहों में। उसके लिये 40 हजार कनेक्शन और जोड़ दिये गये हैं। इस तरह से एक लाख कनेक्शन दिये जाएंगे। जो एकल लोग ढाणियों में रह रहे हैं, जो एक खेत पर जाकर, शेखावाटी में भी हैं, जहां से हमारे धोद से आने वाले माननीय सदस्य हैं और जोधपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। आपके आलमोस्ट 9835 आवेदन आये हुए थे इसमें। बहुत बड़ी संख्या में हैं। भरतपुर में भी हैं जो गांव छोड़कर खेतों में बस गये। वह व्यवस्था करके, हमें भारत सरकार की तरफ से निर्देश मिले हैं कि इस तरह के जितने भी हैं, चिह्नित करके उनकी रिपोर्ट हमारे पास भेजें ताकि उनको भी कनेक्शन दिये जा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को अवगत कराना चाहूंगा कि जो इस तरह एकल हाउस हैं, जो जाकर खेतों में बस गये उनकी जिलेवाइज गणना हमने, विभाग में शुरू कर दी करीब एक माह से, और करीब -करीब 5-6 जिलों का पूर्ण हो गया। वह प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेज दिये जाएंगे। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी घोषणा की है Electricity for everybody, उसके अन्दर उन्होंने बड़ा बजट रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान...(व्यवधान) धोद से आने वाले माननीय सदस्य...।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी बात तो सुनिये। यह कोई बहस का थोड़े ही है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): वहां पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग थी।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मैंने वहां, जो भारत के माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे कहा कि राजस्थान की ज्योग्राफी को देखते हुए, बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। आप छोटे स्टेट की तरफ तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अकेला बाड़मेर, हमारा जैसलमेर केरल के बराबर है। उसके अन्दर कैसे व्यवस्था करें, कैसे बिजली दें? तो उन्होंने अलग से राजस्थान को प्रायोरिटी के साथ कहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी एकल ढाणियां हैं उनको भी भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी। धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एक पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं निवेदन करना चाहता हूं। एम.एल.ए. कोटे में ढाणियों के लिये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक-एक, कोई बात सुनें। एक-एक बोलें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एम.एल.ए. कोटे से हम ढाणियों में पैसा दे रहे हैं, वह आपने बंद कर दिया। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कनैक्शन दिया जाना चाहिए, बस यह चाहते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ढाणियां हैं कि बिजली से बिलकुल ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): विधायक कोटे से जो राशि दी जाती है उसको अलाऊ करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एम.एल.ए. कोटे को भी अलाऊ करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बैठें।

श्री पेमाराम (धोद): एम.एल.ए. कोटे से तो अलाउ कराओ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इसमें इजाजत देने में दिक्कत कहां है। हम अपना पैसा दे-देकर गांव में ...(व्यवधान) हमें बिजली देने के लिये अलाऊ करिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, आप विराजिये। मान्यवर, ये कहते हैं कि विधायक का जो कोटा होता है, आपका विधायक स्थानीय विकास कोष है, उसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। यह सदन के सभी सदस्यों की राय है।

(श्री उपाध्यक्ष)

उसको कैसे प्रायोरिटी मिले। आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये क्लीयरेंस चाहते हैं उस बात का।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा है, चिन्ता प्रकट की है, विधायक कोष से, मैं मेरे अधिकारियों के साथ इसको एक्सपीडाइट कराता हूं और प्रायोरिटी के आधार पर मैं स्वयं चाहता हूं यह मिलना चाहिए। मैं इसकी व्यवस्था करता हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक, मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रायोरिटी के लिये कह दिया और क्या चाहिये। श्री पवन दुग्गल। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ... (व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष: केवल पवन दुग्गल।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप भी पहली बार आए हो और हम भी पहली बार आए हैं। (व्यवधान)

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ... (व्यवधान) वहां रहेंगे तो पता लगेगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना ज्ञान-वर्धन करो। अपने ज्ञान को यहां पर परिभाषित मत करवाओ। एक क्या कहेगा, एक सी.ई.ओ. कहेगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

मंत्रीजी जवाब देंगे तो माननीय सदस्यों को बोलने की फिर क्या आवश्यकता है?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय पवन दुग्गल का अंकित होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल पवन दुग्गल। आप बोलिए, आपका अंकित हो रहा है।

हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर जिलों में पानी के अभाव में बरबाद गेहूं की फसल

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर फसल बरबाद हो रही है और जो रेगुलेशन सरकार ने, हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर द्वारा जारी किया गया था, वह 17 तारीख को रेगुलेशन खतम होने को आया है। लेकिन अभी भी माननीय मंत्रीजी आज भी सदन में नहीं हैं और इनके अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि पिछले चार साल से लगातार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर हो, किसान ने सड़कों पर उतरकर, संघर्ष करके ही अपनी खेती को बचाया। सरकार ने कभी भी न तो रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई और न मीटिंग बुलाने का इन्होंने आज तक प्रयास किया है। इसी का उदाहरण है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी पिछले दो दिन, शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के बावजूद भी, चीफ इंजीनियर को हम सभी विधायक जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से आते हैं, रेगुलेशन कमेटी के मैम्बर हैं। हमने यह कहा था कि मीटिंग रख लो चूंकि, हाउस चल रहा है, 17 मार्च के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इण्डेन्ट भी इनको भेजना होता है। मगर आज दिनांक तक रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई और नहीं बुलाई तो वहां पर प्रस्ताव तैयार नहीं होगा और इसलिए पूरे तीनों जिलों में लाखों हैक्टेयर में

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

खड़ी गेहूं की फसल जो कि बिलकुल पकाव पर है, वह बरबाद हो जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग जयपुर में बुला ले क्योंकि एक मात्र चीफ इंजीनियर को ही यहां पर आना पड़ेगा। बाकी तमाम विधायक सहमत हैं। हम लोग चाहते हैं कि रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हो। मीटिंग के अन्दर, आज भी पोंग डेम में 1320 माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी है इसलिए एक बारी के अन्दर अगर सरकार पानी दे देती है और मीटिंग हो जाती है तो तीनों-चारों जिलों की गेहूं की फसल बच जाएगी और अगर यह मीटिंग नहीं बुलाते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो न केवल किसान बरबाद होगा बल्कि राजस्थान में जो उत्पादन है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। धन्यवाद।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गम्भीर मामला है क्योंकि हमको फिर से धरना देना पड़ेगा। पिछली बार भी हमने धरना देकर, प्रदर्शन करके, भूख हड़ताल करके बात की थी। अब फिर से वही हालत होगी। अगर यह मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो 15 मार्च को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें फिर से मजबूर होकर चीफ इंजीनियर को घेर कर बैठना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसी विषय पर माननीय शाले मोहम्मद जी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग बुलाएं और तीनों जिलों के किसानों को पानी दिया जाए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल शाले मोहम्मद जी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल शाले मोहम्मद जी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। वे आप ही की बात कह रहे हैं। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आप ही की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल शाले मोहम्मद जी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पवन जी दुग्गल, आप बैठिए। यह कोई तरीका नहीं हुआ कि आप कम्पेलशन करो। आपको बुलवाया पर्ची पर, जवाब देंगे, जवाब दिलाना चाहते हैं लेकिन एक अन्य माननीय सदस्य का वैसा ही प्रश्न है, आप हाउस को गवर्न करना चाहते हैं? यह कोई तरीका है आपका? अच्छा नहीं लगता यह। सदन को अच्छा लगता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी हर बात को मान रहा हूं मैं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पोकरण में आबंटियों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाना एवं IGNP मेन कैनाल पर पुल निर्माण

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री एवं आई.जी.एन.पी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जैसलमेर जिले के लिए इंदिरा गांधी जो कैनाल है वह कैनाल जीवन के लिए और वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। आज आई.जी.एन.पी. कैनाल में पानी मिलने से वहां के लोगों को और वहां के सैकड़ों-हजारों किसानों को, चाहे जैसलमेर हो, चाहे नागौर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे गंगानगर हो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप में कहिए आप।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): तमाम उन सभी जिलों के लोगों को भी जैसलमेर जिले में, वहां लोगों को भूमि आवंटन हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को कि पिछले चार साल से लगातार जिस प्रकार से नहर के अन्दर पानी दिया गया, चाहे फर्स्ट फेज के किसान हो, चाहे सैकिण्ड फेज के किसान हो, उन सभी को इस प्रकार से पानी दिया गया कि ज्यादातर किसानों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि आपने पिछली बार देखा होगा

(श्री शाले मोहम्मद)

कि जो अभी घड़साना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि किस प्रकार से घड़साना और रावला के अन्दर आंदोलन हुए थे। इस बार आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपनी बात कहिए। क्या हो गया, यह तो मंत्रीजी जवाब देंगे। बात समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं उसी पर आ रहा हूं। तो आज उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी हमारे इंदिरा गांधी कैनाल के गड़रा रोड तक लास्ट छोर तक भी किसानों को अच्छा पानी मिला और खास तौर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे यहां पर कुछ किसानों को जो मेन कैनाल है उस कैनाल की 1277 आर.डी. पर 6, 7, 8 डी.बी., वहां पर लोगों को जमीन आबंटित हुई थी। जो उनका आउटलेट है वह मेन कैनाल से था। पर 1992 के अन्दर जो 8 डी.बी. था, उस आउटलेट को बंद कर दिया गया। आज वहां पर सिताया ग्राम पंचायत और घंटियाली ग्राम के लोगों को करीबन सौ लोगों को जमीन आबंटन हो गई है। परन्तु आबंटन होने के बाद में जब 1992 में इस आउटलेट को बंद किया तो वहां के जो किसान हैं, जिनको उपनिवेशन के जरिये जमीन आबंटित हुई थी और 1992 तक उनको पानी मिल रहा था, आज उन आउटलेट से पानी बंद कर दिया। तो आज वे सैकड़ों जो किसान हैं उनकी रोजी-रोटी का साधन है, जीवन-यापन का जो साधन है वह बंद हो चुका है। पहले भी मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर चुका हूं कि यदि उनका आउटलेट चालू नहीं किया जाता है तो उन किसानों का जीवन-यापन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको 8 डी.बी. पर या तो सिंचाई के लिए उस आउटलेट को छोड़ा जाए या फिर वहां पर माइनर बनाकर लोगों को पानी दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): इसके अलावा साथ ही मेरा और भी मैटर है। इसी प्रकार से मेन कैनाल की 1305 आर.डी. है। उसमें नहर के जो दक्षिणी साइड है मेन कैनाल का, वहां पर कम से कम तीन ग्राम पंचायत के लोग रहते हैं जस्ट मेन कैनाल के पास में और उन लोगों की जो जमीनें हैं वह उत्तर साइड में आई हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप पुलिया की मांग कर रहे हो न? धन्यवाद। विराजिए।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं वही कह रहा हूं। तो दक्षिणी साइड में उन लोगों के आने-जाने के लिए, साधन के लिए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्रीजी, कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): करीबन 15 किलोमीटर वहां पर चक्कर काटकर आना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी। अब आपकी बात समाप्त हो गई।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जिंदगी इतनी खतरनाक होकर गुजरती है कि वहां पर 1305 आर.डी. पर पानी का एक टैंकर रखा हुआ है, उस टैंकर के ऊपर से वे लोग गुजरते हैं। मान लीजिए कि कभी कोई हादसा हो गया, कोई आदमी अन्दर गिर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि 1305 आर.डी. पर एक छोटा पुल बने ताकि लोग वहां पर आ-जा सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ बोलना चाहते हैं मंत्रीजी?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर जिलों में पानी के अभाव में बरबाद गेहूं की फसल

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान में चार में से दो समूहों में पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। जिससे आप भी संतुष्ट हैं। वर्तमान रोटेशन 17.3.2013 तक के लिए यह निर्धारित है। उसके पश्चात् भी सिंचाई हेतु फसल की पकाई तक पानी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

जिसका यह कार्यक्रम 17.3.2013 से पूर्व कर दिया जायेगा। इसलिये आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कभी भी आन्दोलन करने का मौका नहीं देंगे। चार साल में हमने आपको कभी भी आन्दोलन करने का मौका नहीं दिया और आगे भी आन्दोलन करने का मौका नहीं देंगे। इंदिरा गांधी नहर में पिछले चार साल में फेज फर्स्ट हो, चाहे सैकण्ड हो, किसानों को बराबर पानी दिया गया है। किसानों ने भरपूर फसल पकाई है और आगे भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आयेगी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): चार में दो चला रहे हो ना। मंत्रीजी, स्पष्ट करो चार में दो चला रहे हो ना अब? (व्यवधान) एक मिनट, चार में दो चला रहे हो ना 17 के बाद, यह तो बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसको दुबारा करेंगे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): दुबारा कब करोगे? इंडेंट भेजने में अब तीन ही दिन बचे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मैं माननीय सदस्यों से इजाजत लेना चाहूंगा कि 295 को यदि हम पढ़ेंगे तो काफी समय लगेगा। आपका पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है, उस पर भी आना है और पर्ची पर भी आना है। एक शाले मोहम्मद जी का था, वह तो पवन दुग्गल जी के साथ ले लिया। बाकी तीन पर्चियां हैं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जवाब तो दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, जवाब तो मंत्रीजी दे देंगे, बात कर लेना। अब यहां सारी चीज सदन में...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हां या ना बताओ ना।

श्री उपाध्यक्ष: आपका मामला यह दिखवा लेंगे, कह दिया इन्होंने।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह बता तो दें कि देंगे कि नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: जो भी सम्भव हो सकेगा, पाजिटिव ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह 1320 पानी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आदेश सदन में तो दे नहीं सकता।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): नहीं आदेश नहीं, निवेदन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बात को बीच में नहीं, यही आपकी है, तीनों बोलने लग जाते हो। मेरा अनुरोध है यदि आपकी इजाजत हो तो 295 पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(स्वीकृत)

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की शंका वास्तव में सही है। अगर मीटिंग नहीं हुई तो इंडेंट नहीं होगा। इंडेंट नहीं होगा तो मंत्रीजी कुछ भी आश्वासन नहीं दे सकते।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इंडेंट ही नहीं दे रहे, मीटिंग ही नहीं हो रही है तो पानी दे कहां से देंगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सदन जब सत्र में होता है तो यहां के आदेश दिये हुए हैं कि मीटिंग नहीं बुलाई जाये। वह बाहर नहीं बुलाकर यहां पर बुला लें। हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर के माननीय सदस्य मीटिंग में बैठ जायेंगे, तय करवा लीजिये। इंडेंट तो तभी हो पायेगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): एक चीफ इंजीनियर को यहां पर बुला लीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मंत्रीजी, आप तो आज मंत्री बने हैं। हम जब से वहां पर नहर बनी है, उससे पहले से उस क्षेत्र में खेती करते आ रहे हैं। इंडेंट करवाना है तो वहां पर मीटिंग बुलवानी पड़ेगी।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि मीटिंग नहीं होगी तो वहां पर ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह सही बात कह रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष जी, गम्भीर बात है मीटिंग ही नहीं करवा रहे हैं, तो कहां से पानी देंगे? आप यहां मीटिंग बुला लो, हम तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे एम एल ए यहां पर बैठे हैं और आप इंडेंट भेजोगे तभी तो पानी आयेगा। आप इंडेंट ही नहीं भेज रहे हो, मीटिंग ही नहीं कर रहे हो तो पानी कैसे आयेगा? आप पानी दोगे कहां से? यह तो बताओ।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): झूठे मुकदमे कर दिये जाते हैं। सरकार से हर बार आन्दोलन करके पानी लेते हैं और सरकार हर बार झूठे मुकदमे कर देती है। हमारे अधिकांश काश्तकारों पर झूठे मुकदमे कर दिये इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, अब बैठिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मीटिंग नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा और मंत्रीजी स्पष्ट करें कि इनमें से एक ग्रुप देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। ज्ञानचन्द पारख। केवल ज्ञानचन्द पारख।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पाली की रोहट तहसील के गैर-आबादी से आबादी भूमि में परिवर्तन के लम्बित प्रकरण

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली विधान सभा क्षेत्र के रोहट तहसील के कई ऐसे परिवार, जो पिछले लम्बे समय से गैर आबादी भूमि पर अपना कच्चा-पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन गैर-आबादी भूमि में होने के कारण उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिये, उनसे वह वंचित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब परिवार बढ़ता है तो मजबूरी होती है कि कहीं बाहर अपना एक मकान बनायें और इस मजबूरी के चलते कई लोगों ने जब परिवार बड़ा हो गया तो अन्य जगह अपना मकान बनाकर वहां निवास चालू किया। कुछ ऐसे गांव हैं जहां देवासी परिवार लम्बे समय से निवास करते हैं। नीमली पटेलान में, नीमली ब्राह्मण में वहां भी ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि नीमली पटेलान में, नीमली ब्राह्मण में माननीय मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी के समय वह परिवार वहां बसे हुए थे और वहां इंदिरा आवास की स्वीकृति उनके हाथ से जारी की गयी। पर वहां पट्टे अभी तक नहीं दिये गये हैं। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री वहां पर राशि दें मकान बनाने के लिये, और आज 30 साल बाद भी वह लोग पट्टे के लिये तरसें या बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगायें, सरकार के लिये इससे बड़ी शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। कई गांव हैं डूंगरपुर है, कुंडावास है, बांडई है, मुकुनपुरा है, कुलथाना है। इन गांवों में कई परिवार लम्बे समय से निवास कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंडावास में तो, उस पूरी बस्ती की स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल वहां बन गया। वह स्कूल लम्बे समय से वहां चल रहा है। वहां जी एल आर बन गयी, कच्ची सड़क बन गयी और घरों में बिजली का कनैक्शन आ गया। जब सरकार ने उस बस्ती को सारी की सारी सुविधाएं दे दीं, तो करना कुछ नहीं है आपको। उस गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करके वहां के लोगों को पट्टे का हक मिल जाये, उसका मालिकाना हक मिल जाये, यह करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक तकलीफ कई लोगों को और

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आ रही है। अब सरकार थोड़ी सी सख्त हुई और सरकार ने यह निर्देश दिये कि यदि कोई गैर-आबादी भूमि में निवास कर रहा हो तो उसको ना तो नया विद्युत कनेक्शन दिया जाये और ना ही कोई सरकारी योजना का लाभ पहुंचाया जाये। अब ऐसे कई बी पी एल परिवार हैं जो लम्बे समय से गैर-आबादी भूमि में निवास कर रहे हैं और मैरिट के हिसाब से उनका नाम मुख्य मंत्री आवास की पात्रता में आता है। पर उनके पास आबादी का पट्टा नहीं है। तो पात्रता होते हुए भी आबादी के पट्टे के अभाव में वह चाहते हुए भी उस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकांश परिवार वह है, जो या तो एस सी श्रेणी में आते हैं, या एस टी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति है, उसकी अपनी मजबूरी है कि उसको ऐसी जगह पर निवास करना पड़ा। इनमें ज्यादातर परिवार एस सी, एस टी के हैं। एक तरफ सरकार एस सी, एस टी के हितों की बात करती है, उनको सुविधाएं देने की बात करती है और दूसरी तरफ उनको हटाने की धमकी देती है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जो ऐसे प्रकरण है, उनको वह एक बार दिखवा दें और जिन-जिनका निस्तारण हो सकता है, उनका निस्तारण करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन ग्रामों की ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा में इस आशय का प्रस्ताव भी लिया कि यह परिवार इतने वर्षों से इस भूमि पर काबिज है, पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं। इनको आबादी में परिवर्तित कर दिया जाये। एक बार नहीं अनेक बार ऐसा प्रस्ताव लिया गया है। लेकिन वह सारे के सारे प्रस्ताव सरकारी कार्यालय में इधर-उधर धक्का खा रहे हैं। उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक मिनट की बात और है। इतना ही नहीं, इतनी बार प्रशासन गांवों के संग अभियान इस सरकार के कार्यकाल में चला और हर अभियान के दौरान वहां के ग्रामवासियों ने वहां उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखे, लेकिन एक बार भी इनकी समस्या का समाधान उस अभियान के दौरान नहीं हुआ। इस बार भी यह सारे प्रकरण अभियान के दौरान आये थे। लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह कि रोहट तहसील के जिन-जिन गांवों में गैर आबादी भूमि पर जो परिवार बसे हुए हैं, उस भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

करके वहां के लोगों को पट्टे जारी किये जायें ताकि उनको मालिकाना हक के साथ-साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, यह मेरा आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब जिस बिन्दु के लिये आप सब उद्वेलित थे। माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल, इनकी पर्ची निकली है, उसी के साथ सबको लेंगे।

गौ-शालाओं के अनुदान की उपलब्धि व अवैध बूचड़खानों पर रोक

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के हजारों की तादाद में गौ-भक्त, गौ-पालक और साधु-सन्त गायों की रक्षा करने के लिये गौ-शालाओं को बचाने के लिये ....

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप में बोलना हनुमान जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बैठ जाऊं नीचे वापस।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप संक्षेप में बोलिये। आपका अधिकार है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, मेरे लिये इतने क्यों राइडर लगाते हो।

श्री उपाध्यक्ष: कोई यही बात है इसलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो भूल ही जाऊंगा फिर सारा। तैयारी करके आया था।

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं अर्ज करूं, निवेदन करें आसन से, तो आप बैठ जाना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज उद्योग मैदान पर हजारों की तादाद के अन्दर साधु-सन्त गायों को बचाने के लिये इकट्ठे हुए हैं। मैं पर्ची के माध्यम से सदन का ध्यान, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रदेश में लगातार पिछले 60 वर्षों में 54 बार अकाल पड़ा। पहले राज्य सरकार और केन्द्र सरकार गौ-शालाओं को अनुदान देती थी, लेकिन पिछले चार साल से गौ-शालाओं को अनुदान बंद कर दिया गया। जिसके कारण से

(13.00 बजे)

बड़े-बड़े समाज सेवी, गौ भक्त और साधु सन्त जो गौ-शालाएं चला रहे थे, ज्यादातर गौ-शालाएं बन्द होने के कगार पर हैं और कई तो बन्द हो चुकी हैं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जिसके कारण भूख से गायों की मौत हो रही है। जिस गौ माता को हमारे शास्त्रों और पूर्वजों ने मानव जाति और सम्पूर्ण प्रकृति के लिए व्यवहारिक मापदण्डों पर गौ वंश की आवश्यकता को समझने के पश्चात् माता के रूप में स्वीकार्य किया ऐसी दिव्य गौ माता की यह दुर्दशा हम सभी के लिए शर्मनाक, चिन्तनीय और असहनीय है।

राजस्थान का इतिहास गवाह है। वीर तेजाजी महाराज, गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने बलिदान दिया और प्रदेश के अन्दर कई लोक देवता और जगह-जगह जो भौमियाजी महाराज के स्थान हैं उन्होंने भी गायों की रक्षा करते हुए बलिदान किया।

मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर पशुधन नि:शुल्क दवा योजना और गौ वंश को बढ़ाने की बातें कही हैं लेकिन जब तक आवारा गायों को, आज किसान की अच्छी स्थिति नहीं है। राजस्थान का पूरा इलाका सिंचित नहीं है। जिसके कारण किसान अपना पेट पालने के साथ-साथ इस महंगाई के जमाने में पशुधन को बढ़ावा दे सके। इस हेतु मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पहले प्रति गाय 12 रुपये और प्रति बछड़े के 6 रुपये दिये जाते थे उसे बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय और 20 रुपये प्रति बछड़े के हिसाब से गौ-शालाओं को अनुदान दें। मेरे से पहले भी सदन के बहुत लोग इस मामले को लेकर व्याकुल थे और आज प्रदेश के साधु सन्त गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं। हम सब जो यहां विधान सभा के अन्दर चुन कर आये हैं, हमारे लिए भी चेतावनी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निदेशित करें कि गौ-शालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और गायों को बचाने के लिए प्रमुख जो मांगें हैं। राज्य की सभी गौ-शालाओं/गौ सेवाश्रमों में सेवा-सुश्रुषा प्राप्त समस्त निराश्रित-अनाश्रित गौ वंश को स्थायी रूप से सरकार द्वारा अनुदान प्रारम्भ किया जावे। प्रदेश के सभी गोचर आगोर नाड़ी, नाला, नदियों इत्यादि की भूमि को सीमांकित करवा कर गौ वंश के लिए सुरक्षित किया जावे। सम्भाग, जिला और तहसील स्तर पर प्रमाणिक गौ सेवी संस्थाओं के माध्यम से गौ अभयारण्यों की स्थापना की जावे। काकरेज, थारपारकर, राठी, नागौरी, रेड्डी नस्ल के उन्नत नन्दी तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में संवर्धन केन्द्र स्थापित किये जावें। प्रदेश में गौ वंशीय नस्लों के अनुरूप ग्राम-ग्राम नंदी शाला स्थापित की जाए। साथ ही ग्राम-ग्राम गौ सेवा सदन स्थापित कर लाचार, अनुपयोगी गौ वंश को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आश्रय दिया जावे। भारतीय गौ वंश के संकरीकरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जावे तथा राज्य में विदेशी बीज आधारित कृत्रिम गर्भाधान प्रतिबन्धित किया जावे। राज्य के प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर पर गौसदन एवं गौसंवर्धन केन्दों की स्थापना को योजनाबद्ध कर अनिवार्य रूप से लागू किया जावे। संवर्धन योग्य नन्दी बनाये जाने वाले नर गौवंश को छोड़कर शेष नर गौवंश का गांव पंचायत स्तर पर बाल्य काल में ही नसबन्दी को अनिवार्य स्तर पर लागू किया जावे। गौ आधारित कृषि एवं पंचगव्य उत्पादों को समर्थन मूल्य पर खरीद कर सब्सिडी मूल्य पर विपणन हेतु सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान की वृहत नीति बनाकर लागू करे। गौ वंश सम्बन्धी कानूनों को तुरन्त प्रभाव से अपेक्षित बदलाव करते हुए कठोर बनाया जाए। कानून में बदलाव के अन्तर्गत सर्वप्रथम गौ तस्करी में लिप्त वाहनों को जब्त किये जाने, ट्रक के चालक एवं सह चालक को गैर जमानती रूप से गिरफ्तार किये जाने और संलिप्त पाये जाने पर वाहन के मालिक पर भी वही कार्यवाही किये जाने का कानून बनाया जावे। प्रदेश से किसी भी नस्ल के 3 वर्ष से छोटे गौ वंश को कृषि कार्यों इत्यादि किसी भी आधार पर बाहर नहीं ले जाये जाने का कठोर कानून बनाया जावे। प्रदेश में कृषि मण्डी के माध्यम से सरकार को प्राप्त राजस्व में से तीस प्रतिशत राशि गौ शालाओं के विकास एवं गौ संवर्धन हेतु आरक्षित की जावे। राजस्थान गौ सेवा आयोग पिछले तीन वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है तथा आयोग के पास कोई वित्तीय, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार नहीं होने के कारण अव्यावहारिक होकर रह गया है। अतः गौ वंश सम्बन्धित उपरोक्त सभी विषयों को लागू करने हेतु राज्य मंत्री मण्डल में गौ पालन मंत्रालय का अलग से गठन किया जावे।

कल मुख्य मंत्रीजी ने बजट पर जवाब के अन्दर गौ शाला निदेशालय की स्थापना की बात कही थी। गौ शाला का निदेशालय स्थापित होने से ही राजस्थान के अन्दर गायों की रक्षा नहीं होगी। अपना प्रदेश देश के अन्दर सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी पशुपालन की संख्या भी राजस्थान में सबसे अधिक है इसलिए गौ वंश को बचाने के लिए राज्य सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए। आज जितने भी लोग हजारों की तादाद में स्टेच्यू सर्किल पर इकट्ठा हुए हैं उनके प्रतिनिधि मण्डल को बुलाकर स्वयं मुख्य मंत्रीजी को पहल करके एक संदेश राजस्थान के अन्दर देना चाहिए कि सरकार सिर्फ लाठी और गोली से नहीं ही, कभी ढंग से और व्यावहारिकता से भी लोगों की बात

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सुनती है और जो पहले सबूत दिया था वकीलों और सरपंचों को, आप वही करना चाहते हो कि वापस वही उनके भी साथ भी हो और फिर सदन के अन्दर उठे। उसका तो आप जानें उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजें आप। आपको पूरा समय मिल गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाकी अगर आज ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ राजस्थान के अन्दर हो जाएगा। पुन: आपके माध्यम से गौ वंश को बचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़। (व्यवधान) इनके बाद। पहले यह बोल लें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गम्भीर मामला है। गाय की जब बात होती है तो सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा पहले आप बोलो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मुख के ऊपर पट्टी बांधकर बैठी रहती है सरकार। किस काम की है यह सरकार? Be sensitive please. आसन निर्देश दे सकता है। प्लीज आप इस बात को गम्भीरता से लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात कह दीजिए। फिर बाद में आपको। बोल लिए आप। बोलिए, माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, लाखों बीघा जमीन हमारी पूर्वजों ने गोचर गायों के लिए छोड़ी, ओरण छोड़ी गांव के देवी-देवताओं के नाम से। वह सदियों तक सुरक्षित रही इसलिए हमारी शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था चलती रही। एक धेला खर्च नहीं होता था। अब गायों के ऊपर संकट आ गया। तब से समाज से अधिकार छीनकर आपने सरकार को बीच में डाल दिया, पंचायती राज और नगरपालिका को बीच में डाल दिया। तब से हमारी गाय के ऊपर संकट है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक अनुरोध करूं आपसे? इस पर नियम बना हुआ है कि कितनी गायें, कितनी जमीन होनी चाहिए, उसकी पालना की बात तो कोई कर नहीं रहा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वही तो मैं कह रहा हूं। आप निर्देश दीजिए। सरकार की मजाल नहीं है जो चूं भी कर जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कानून की पालना होनी चाहिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हां, यही मैं कह रहा हूं कि उसकी पालना नहीं हो रही है। करना कुछ नहीं है। जो हमारी सुरक्षित निधि बच गयी। जो गयी सो गयी। कब्जा हो गया। आपने कहीं और कम्पनियों को अलाट कर दी। यह जो इंगित कर रहे हैं न, समय-समय पर, कि कोई प्रभावशाली फैक्ट्री मालिक, कम्पनी वाला आ गया तो आप उस गोचर को नियम विरुद्ध, हमारे रेवेन्यू लॉ बने हुए हैं कि आप यदि कोई भी गोचर अवाप्त करते हैं तो उतनी ही जमीन आपको पहले छोड़नी पड़ती है और वह भी जन हित के कार्य में। यह नहीं होता कि कोई इण्डस्ट्री आ रही है उसके लिए आप जमीन अवाप्त कर लो। आपने अलग-अलग, कोटा में, नागौर में बीकानेर में सब जगह हर जिले में जो हमारी गोचर और औरण थी वह आपने उद्योगपतियों को अलाट कर दी। गाय मूक दर्शक है। वह क्या कर सकती है? सदियों से, हमने इतने बड़े-बड़े ऋषि मुनि और योद्धा दिए उस गाय का दूध पी कर जिसका आज महत्व है कि आन्ध्र प्रदेश ब्रीड की एक गाय लेकर गये थे ब्राजील में जो आज वहां पर 60 किलो दूध दे रही है। इतना बड़ा गौ संवर्द्धन का कार्य हुआ वहां पर।

हमारा संकट यह है कि साधु संत अपनी बात शांति से कहने आये हैं लेकिन यह व्यवस्था इस बात को देख नहीं रही है। कोई भी सरकार आती है, चाहे उस समय दिल्ली के अन्दर हमारा हुआ 67-68 में, वहां भी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। गोलियों से मारा गया। यह कौनसा तरीका है प्रजातंत्र में? सिर्फ आपको बात ही तो सुननी है। जो आपको ठीक लग सकती है, आपके अन्दर इच्छा शक्ति है तो समय पर लागू हो जाएगा लेकिन आप उससे बात नहीं करते हो। जो साधु संत आये हैं, उनका क्या स्वार्थ है? आप बताइये। वह हमारे लिए पैरवी कर रहे हैं। समाज के ऊपर संकट नहीं आये। आगे आने वाली पीढ़ी को दूध मिलता रहे। दूध से बढ़ कर कोई अमृत नहीं है इस संसार के अन्दर। हालांकि वह भी मिलावटी मिलता है लेकिन साधु संत आये हैं। जो बात वर्षों से गौर नहीं की जा रही।

वह एक माध्यम है प्रजातंत्र में कि आप आकर शांतिपूर्वक अपनी बात कहिए। हमारा यह रवैया हो गया है इस प्रजातंत्र में जो कहीं धरना करने, कहीं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आपसे अनुमति मांगे, आप कहते हैं कि नो, नो अनुमति। यहां आए तो ...

श्री उपाध्यक्ष: कम्पैल कर दिया आज तो आसन को।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ना, ना, आपने भावना समझी है।

श्री उपाध्यक्ष: हालांकि कम्पैल शब्द ठीक नहीं बैठता।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपने गाय की और साधुओं की भावना समझी है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आसन को सलाम करता हूं कि आपने हमारी भावना समझी।

श्री उपाध्यक्ष: आसन का अनुरोध भी, थोड़ा दो-दो मिनट में समाप्त करें तो आगे का बिजनस लें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): देखिए, मसला ऐसा है, इससे बढ़कर कोई नहीं। आप नारी की बात करते हो वो अपनी जगह है।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार के ध्यान में लाना था, ला दिया, और क्या है?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): लेकिन गाय के लिए आप गम्भीरता लाइये। कोई भी मुझे आकर खड़ा होकर कह दे कि हम गाय के खिलाफ हैं, गायों की रक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके संवर्द्धन की रक्षा नहीं हो, कोई कह दे। किसी की मजाल है क्या? पर हमारे पास भावना है। हमारी भावना का एक रूप बना दिया कि सरकार के माध्यम से जो भी कार्यवाही होगी, हमें कानून के तहत बांध दिया। इस देश में जब तक कानून की किताबें जो अंग्रेज लाए हैं उससे पहले नहीं थीं। तब तक हम सब सुरक्षित थे, हमारे गांव सुरक्षित थे, हमारी गोचर, ओरण, गाय, वन्य जीव, कानून व्यवस्था सब सुरक्षित थी। आपने जिस प्रकार से अधिकार अपने में समाहित कर लिए सरकार के माध्यम से तब से वो गोचर, ओरण सारे वीरान पड़े हैं। यह चाहते हैं साधु-संत, वह जो गोचर है, ओरण है, ठीक है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। कल जो बजट भाषण के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने उस भावना को समझकर इनीशिएटिव लिया, डाइरेक्ट्रेट कायम किया, उसके लिए पच्चीस करोड़ का प्रावधान किया। पूर्व में भी वो हमारे बीकानेर में ...

श्री उपाध्यक्ष: आपने मुझे इन्फार्म किया था कि मैं मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बीकानेर शहर के अन्दर आठ हजार बीघा में हमने तारबंदी करके उसके अन्दर सेवण घास बीजी। आज मुफ्त में वहां पर हजारों गायें चर रही हैं। इस प्रकार से अलग-अलग हमने पूरे पश्चिमी

(श्री देवी सिंह भाटी)

राजस्थान में किया है। साधु संत यह चाहते हैं गाय अगर मर गयी क्योंकि हमने कत्लेआम के लिए तो पूरी छूट दे दी, जगह-जगह आपने कारखाने लगवा दिए कि गाय का कत्ल हो सकता है। जबकि आपको इतिहास को याद करना चाहिए।

शिवाजी ने परवाह नहीं की अपने शासन की और कोई गाय को काटने के लिए ले जा रहा था तो उसका सिर कलम कर दिया। उस भावना को समझो कि गाय की रक्षा किए बगैर हम कहीं नहीं रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हम चाहते हैं कि साधु संत यहां पर आए हुए हैं, वो अलग-अलग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, उनसे आप बात कर लीजिए और जो सम्भव है वो कीजिए। ठीक है समय के साथ धीरे-धीरे हम एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे। वापस हमारी पुरातन व्यवस्था आए। लेकिन यह तरीका नहीं होना चाहिए कि जो भी अगर बीस, पचास हजार, लाख की संख्या में यहां जयपुर में अपनी भावना लेकर प्रदेश में विभिन्न मुद्दों को लेकर आते हैं, सरकार का यह रवैया हो गया कि उनसे बात मत करो, बात नहीं करोगे तो कौनसा रास्ता है? हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, हिन्दुस्तान-चीन सब लड़-लड़ाकर आखिर में टेबल टॉक के ऊपर आते हैं। आप उनसे बात नहीं करो क्योंकि उसके पास में बन्दूक नहीं हाथ में। आपके सामने जो बन्दूक लिए नक्सलवादी, उग्रवादी खड़ा होता है उसके सामने तो पूंछ हिलाते हो, उससे तो तुरन्त बात करते हो, कैसे भी हमारे से वार्ता हो जाए।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं शांतिपूर्वक उन साधु संतों की बात सिर्फ गाय के लिए और कोई उनका स्वार्थ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहते हैं कि कम्पनियों को आप गोचर, ओरण अलाट मत करो। ये हमारी पूर्वजों की निधि है जो हमारी शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, उसे मत लूटने दो। अगर यह होता है, सरकार बात करती है तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा, उनको धन्यवाद अग्रिम दे दूंगा। अगर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर यह दिशा एक उग्र रूप धारण करेगी। भावना प्रकट करने के अलग-अलग माध्यम हैं।

इसलिए मैं चाहूंगा आसन के माध्यम से सरकार की ओर से, मैंने अभी मुख्य मंत्रीजी को भी कहा है, स्पीकर साहब को भी अभी जाकर मैंने

(श्री देवी सिंह भाटी)

अपनी बात रखी जो सदन की भावना है। लेकिन यहां भी एक मुख के ऊपर से पट्टी तो हटवाओ, कोई बोलता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन के नेता से बात हो गयी तो ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वह बाहर हुई है, यहां नहीं। हाउस के अन्दर रिकार्ड में आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: सदन के नेता सब जगह सदन के नेता हैं, माननीय भाटी साहब, आप सब जगह भाटी साहब हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, आसन से समय-समय पर गम्भीरता से लगे मुद्दों के ऊपर आसन ने निर्देश दिए हैं और मैं बिलकुल यह मानता हूं कि आपकी भी गाय के प्रति गांव के साथ में, किसान के साथ में भावना जुड़ी हुई है तो आसन यह निर्देश दे कि सरकार की ओर से कोई आश्वासन दे कि हम उनको बुलाकर गाय के सम्बन्ध में साधु संतों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाने के लिए रख रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नारे लगाते हुए लोगों को देखा है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि साधु संत हजारों की संख्या में सुरभि महासंकीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, गाय का नाम ले रहे हैं और इनकी अगुवाई वो लोग कर रहे हैं जिनके दर्शन करके यहां सदन में बैठे कई लोग अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं। राधाकृष्ण जी महाराज, दिनेश गिरी जी महाराज, परमपूज्य नारायण दास जी, किस-किस का नाम लूं और यह पहला अवसर है जब राजस्थान की विधान सभा के सामने इस तरह के देव तुल्य संत आए हैं और वह आए भी इसलिए हैं कि दिसम्बर में उन्होंने राज्य के मुखिया मुख्य मंत्रीजी से अपील की थी, उनके सामने अपनी बात रखी थी। उनकी बात सुनी-अनसुनी हो गयी और उसके बाद 3 जनवरी, 2013 को पूरे राज्य के गौ-भक्त यहां इकट्ठे हुए। उन्होंने यह बात कही कि राजस्थान के अन्दर इस समय 1200 पंजीकृत गौशालाएं हैं जिसके अन्दर छह लाख गौ वंश हैं। चारे की दरें आसमान छू रही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। मंहगाई के बोझ तले यह अनाश्रित गौ वंश जिसका कोई आश्रय नहीं है, उनको आज अपने पास लेने की स्थिति में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा गौ भक्त कौन हो सकता है जिन्होंने लीक से हटकर हम लोगों को बुला दिया। गायों के सामने दो ही बातें हैं, या तो भूख से व्याकुल होकर दम तोड़ दें या कत्लखाने में चली जाएं। आज हरियाणा की तर्ज पर हम पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय के हिसाब से क्यों नहीं पैसा दे देते। वहां पन्द्रह रुपये का प्रावधान इस बजट में किया है और हिन्दुस्तान के सबसे बड़े गौ भक्त नरेन्द्र मोदी ने पचास रुपये का प्रावधान कर रखा है। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे, गोचर हो, आगोर हो, नाड़ी हो, नाले हों, इनका कहीं सीमांकन नहीं। दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के अन्दर नहीं, पूरे देश के अन्दर एक निर्णय अदालत ने किया। निर्णय किया सर्वोच्च न्यायालय ने जगपाल सिंह बनाम पंजाब और लिखा, चरागाह की भूमि, जोहड के पायतन की भूमि, तालाब की भूमि व्यावसायिक या अन्य किसी उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती।

इसी राज्य सरकार ने आदेश जारी किया 25.4.2011 को एफ-10(3) राज/6/2007 पार्ट-1 और उसके बाद भी आज सारी भूमि गोचर की बरबाद हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आगे का, आगे का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। यह राजस्थान की राजधानी जहां पर बैठकर गांव के लोग देखते होंगे कानून क्या बनता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर तहसील में एक इंच जमीन गोचर की नहीं बची जो जमीन आज जे डी ए के नाम इन्द्राज नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, गौवंश को लेकर तस्करी के लिए जो वाहन जाता है इसके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक्साइज के अन्दर वाहन पकड़ा जाए उसको छोड़ा नहीं जाता और अगर गौ वंश को लेकर, मेरे पास लिस्ट है, एक वाहन से सात-सात बार गौ तस्करी हुई है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। आता है छूट जाता है, इस चीज को बंद करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ स्थाई तौर पर इन गौशालाओं को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुदान, हमारे गोचर सुरक्षित हों, इन सारी बातों के साथ-साथ यह जो नंदी की बात कही है इस पर भी हमें निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गौवंशीय पशुवध प्रतिबन्ध अस्थाई प्रयोजन नियम बना हुआ है 1995 का और उसको सख्ती से लागू नहीं कर रहा। कोई पकड़ा जाता है पशु क्रूरता के अन्दर, पशु क्रूरता में मामला दर्ज करते हैं। अगर इसको इस अधिनियम के तहत दर्ज करें तो मैं समझता हूं कि गौ तस्करी पर पाबंदी लगेगी इसलिए मेरा निवेदन है कि आज जो दृश्य हम देख रहे हैं, मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। आज बाहर ओजस्वी संत संकीर्तन कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं। सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने दिसम्बर में बात नहीं सुनी, जनवरी के प्रथम सप्ताह में बात नहीं सुनी, उनकी बात सुनें और सरकार कोई रास्ता निकाले। यह गौवंश बर्बाद हो रहा है। एक करोड़ बीस लाख गौवंश है जो बर्बादी से बचे। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: आहूजा जी। यहां तक सीमित रखो। (व्यवधान) यह बाद की बात है। आहूजा जी, थोड़ा संक्षेप में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अभी गौवंश पर फिर मेरा मेडिकल पर बुलवाएं दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: केवल गौवंश ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ) मैं अलवर जिले में पिछले तीस साल से गौवंश के लिए संघर्ष करता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: देखिए जो इस पर बोल लेगा उसको दूसरे पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर मौका नहीं मिलेगा, यह साफ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ): माननीय, मैंने लिखकर के दिया है फिर मेडिकल पर भी मौका दें दो मिनट। गौवंश के लिए मैं पिछले तीस-पैंतीस साल से अलवर जिले में लगातार संघर्ष करता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको बोलने का मौका मिलेगा अभी। आप इस बिजनस को आगे चलने दो। आप चाहेंगे, आपको भी बुलाया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले भी जब मैं विधायक रहा तब और उसके बाद भी कभी स्थगन में, कभी ध्यानाकर्षण में कभी 295 में गौवंश के लिए बोलता रहा हूं और निवेदन यह है कि अलवर जिले की बोर्डर मेरे बोर्डर से लगी हुई है हरियाणा की।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हरियाणा में प्रति दिन पहले तो ट्रकों में, मिनी ट्रकों में अब सफारी, टाटा सूमो और स्कोर्पियों में भी गौ वंश को भरकर के बड़े दर्दनाक तरीके से, बड़े क्रंदन करते हुए, उनके मुंह में तेजाब भर दिया जाता है ताकि वो बोल नहीं सकें गाय, गाय बोल नहीं सके और उनको ले जाया जाता है प्रति दिन हजारों गौवंश को जनता रुकवाती है। पुलिस की नफरी कम होने के कारण पुलिस समय पर नहीं पहुंचती। गौ तस्करों की इतनी हिम्मत है कि वो फायर करते हैं, गौ भक्तों पर पत्थर फेकते हैं, यहां तक कि उन पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसी लगभग 22 घटनाएं पिछले तीन महीने में हुई हैं।

इस गौ तस्करी को हरियाणा बोर्डर से रोका जाए, आज का जो संतों का आना है, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय राजेन्द्र राठौड़ ने कहा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। थोड़ा संक्षेप करें। इनके बाद आप हो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: किसी को निराश नहीं किया जायेगा लेकिन थोड़ा अपने पिन पाइंट बात करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: केवल गौ पर, केवल गौ पर। तो दूसरे पाइंट पर नहीं मिलेगा। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, गौ वंश की बात चल रही है, पूरा राजस्थान जानता है और हिन्दुस्तान जानता है। पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर यहां बात होनी चाहिए। सब लोग जिस ढंग से बात कर रहे हैं उसमें बीच-बीच में गौ वंश की रक्षा की तकलीफ तो कम है, बार-बार टारगेट करना, सरकार के ऊपर टारगेट कर के बात करना, यदि वास्तव में गो वंश की रक्षा की जिम्मेदारी थी तो चार वर्ष पहले शासन में बी.जे.पी. थी, मोरल ड्यूटी बनती थी कि आप गायों की दवाइयां फ्री करते, पशुओं की दवाइयां फ्री करते। आपको मना किसने किया था? पहली सरकार है जिसने आजादी के बाद 65 वर्षों में दवाइयां फ्री की हैं और तैयारी कर दी कि गाय को जो पालेगा, गौशाला जो खोलेगा उसको दवाई की चिंता नहीं है, गाय को बचाने की चिंता राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने की और उसके साथ-साथ

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

गाय को ही नहीं बचाया, ऊंट को बचाया, भेड़ को बचाया, बकरी को बचाया। हर पशुपालक को सम्मान दिया और अभी जो दस करोड़ का बजट दिया है यह बजट भी आजादी के बाद पहली बार, 25 करोड़ रुपये का बजट जो दिया है, आजादी के बाद पहली बार इस सरकार के मुख्य मंत्री ने खुद ने घोषणा की और जब घोषणा की तब सामने इशारा किया कि यदि कोई कमी रह जाए तो मेरे साथ बैठ जाना, गौ वंश को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।

यही नहीं, और मैं आज कह रहा हूं, यदि कोई चार्ज लगाता है इस बात का कि गौ वंश की तस्करी हम करवा रहे हैं या जगह-जगह कत्लखाने खुले हुए हैं, कहां खुले हुए हैं, आप खड़े होकर बता दो। कहीं पर गलत चार्ज कभी भी सरकार पर नहीं लगाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में, हां। डिस्टर्ब करेंगे तो चर्चा समाप्त।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): और बीच में गलत चार्ज आप लगाते हैं उसका गलत संदेश जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गायों को बचाना चाहती है, ना तो गायों की तस्करी करवाना चाहती है ना गायों को मारना चाहती है, गायों को बचाना चाहती है। गाय की पूजा पूरा हिन्दुस्तान करता है और कांग्रेस सरकार ने गौ वंश को बचाने के लिए, गौ वंश के सम्मान के लिए ...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मुफ्त दवाइयों से तस्करी नहीं रुकती।

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं। केवल प्रतापसिंह जी का अंकित होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं। आप चाहें तो आपको मौका दिया जायेगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं। आपको मौका मिलेगा लेकिन अभी नहीं। मैं अपने आप दे दूंगा, मुझे सब पता है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): फिर गायों के चारे के लिए अनुदान राशि बढ़ा दी और जब मुख्य मंत्री बोल रहे थे तब इशारा किया मुख्य मंत्रीजी ने, कोई कमी रह गयी हो तो बता दो, और अभी भी कोई कमी रह गयी हो तो आप बता दो लेकिन, उपाध्यक्ष जी, गाय को पूजा के स्तर पर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

माना जाता है, हर आदमी गाय का सम्मान करता है, पूजा करता है, कौन कह रहा है कि गोचर की जमीन छोड़ दो, हम तो खुद कह रहे हैं कि गायों की जमीन बचाओ, गोचर को बचाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय भाटी साहब ने जो आन्दोलन खड़ा किया बीकानेर में, हम तो उसका स्वागत करते, हम तो सम्मान करते हैं आपका। आपका जो संघर्ष का माद्दा है, सारी दुनिया जानती है और आपने एक जो नयी शुरूआत की है, राजस्थान की सरकार, एक बात ईमानदारी से माननी पड़ेगी कि 65 वर्षों में पहली सरकार है जिसने आगे बढ़ कर गौशालाओं को चलाने के लिए, गौवंश को बचाने के लिए, गायों की रक्षा के लिए चाहे वो दवाइयां फ्री की हों, चाहे पैसे दिये हों, चाहे गायों के चारे के लिए अनुदान राशि बढ़ायी हो, पहली सरकार ने ऐसा किया है।

उपाध्यक्ष जी, जब आप सब को मौका दे रहे हैं और आपने बहस छेड़ ही दी है तो आप इस बात पर भी फैसला करवा लें एक-एक पाइंट पर, आपके जितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं आदरणीय भैरोंसिंह जी से लेकर और आदरणीय वसुन्धरा जी तक, आप इस बात का फैसला करा लो, मैं आपको चुनौती देता हूं कि इस चार साल में जितना काम गायों को बचाने के लिए गहलोत सरकार ने किया है, उसका आधा भी आपने किया हो तो आप साबित करो। आपको साबित करना चाहिए इस फ्लोर पर, इस फ्लोर पर हम बैठे हैं। आपको साबित करना चाहिए। हमारे मंत्री बैठे हैं चार-पांच, आपने, आपकी सरकारों ने क्या-क्या छूट दी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, मैं कुछ बताना चाहता हूं प्रतापसिंह जी खाचरियावास को।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी से, पार्टी से चिट आयेगी उसको मौका मिलेगा, इन्टरवीन नहीं। आप अपने मुख्य सचेतक से बात कर लीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राजस्थान की सरकार ने ...

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय खाचरियावास साहब, आप बोलिये। केवल प्रतापसिंह जी का।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सब जानते हैं सदन में ...(व्यवधान) केवल प्रताप सिंह जी का।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन को आर्डर में रखिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)...

राजेन्द्र जी राठौड़, अपने सदस्यों को कंट्रोल में रखिये, यह नहीं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, मैं ससम्मान अलवर से आये हुए विधायक की बात को स्वीकार करता हूं और इन चार वर्षों में गायों के लिए जितना काम हुआ है उतना काम आप साबित करोगे, आपके नेता साबित करेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप शांत रहिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नाराज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काम नहीं किया इसलिए नाराज हो रहे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रतापसिंह जी का।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अभी हमारा समय बाकी है, आपके आने में आपको सपने लेने पड़ेंगे, अभी विराजो आप थोड़ी देर, बैठो। (व्यवधान)

ऐसा है, उपाध्यक्ष जी, यह बात मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं, अब आपने किया। मैं तो कह रहा हूं आप तीन बार सत्ता में आये, हमने इन चार साल, सवा चार साल, जितना आप मानो मान लो, आपने उतना आपके तीन कार्यकाल में यदि किया है, 25 करोड़ रुपये कभी दिये हैं, कभी अनुदान राशि बढ़ायी है तो आप उसको यहां पर सदन में साबित करो। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रतापसिंह जी का।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप बड़े डी.जी. लगे हुए हो क्या राजस्थान में, डी.जी. हो, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी, इसको, चर्चा को मैं समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखने के लिए आपसे निवेदन किया और आपकी, आसन की व्यवस्था हुई और आसन की व्यवस्था होने के बाद में उस व्यवस्था को सभी लोग स्वीकार करते हैं और मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अपनी उस पर बात रखी है, अभी दो-तीन माननीय सदस्यों ने, वो बात ठीक तरीके से आयी है।

अब आप मान लो कि वहां से माननीय सदस्य बोले और डिस्टर्बेंस नहीं हुआ क्योंकि हम इस बात को गम्भीर समझते हैं इसीलिए सारे सदस्य डिस्कस करना चाहते हैं। जब इस तरफ से माननीय सदस्य अगर बोल रहे हैं और इस प्रकार से अगर आप टोकाटाकी करना चाहते हो तो मैं समझता हूं कि डिमाण्ड पर भी बात होनी है और इतना गम्भीर मसला अगर किसी माननीय सदस्य ने उठाया है और उस मसले को हमको डिस्कस करना है, आप चाह रहे हो कि सरकार इसमें कुछ बोले, कुल मुख्य मंत्रीजी ने इसमें घोषणा भी कर रखी है। मैं समझता हूं कि अगर चर्चा कर भी रहे हैं तो आप उस चर्चा को उस रूप में ऊपर करो कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल अगर डाइरेक्टरेट की घोषणा की है, 25 करोड़ रुपये देने की तो उसमें हमारे क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम आगे चलकर क्या व्यवस्था दे सकते हैं। एक डाइरेक्टरेट, एजुकेशन का डाइरेक्टरेट हो या हैल्थ का डाइरेक्टरेट हो, डाइरेक्टरेट अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, हम सब लोग समझते हैं।

कृपया करके अगर बात कर रहे हैं तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे ताकि अच्छी बातें यहां आवे क्योंकि यह बहुत जरूरी मसला है, हम भी समझते हैं इस चीज को और अगर हमको टीका-टिप्पणी करनी है तो उस बात को आप यहीं समाप्त कर दो ...(व्यवधान) इस बात को खतम कर दो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक जी, मैं इसको समाप्त करूंगा, आप देखिये, आपके सदस्य अनकंट्रोल होते जा रहे हैं, सदस्य को कंट्रोल में रखिये आप। (व्यवधान) बी.जे.पी. के सदस्य अनकंट्रोल नहीं हो सकते, न आप, क्योंकि आपकी भावना के मुताबिक सदन में चर्चा हो रही है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बिलकुल आदेश की पालना होगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपके सदस्य को देख लीजिए। सदन से ज्यादा समझ नहीं आनी चाहिए न किसी में। आप बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, आज गायों की चिंता हुई, अब यह मोबाइल वैन किसने शुरू की, आज तक यह मोबाइल वैन जाती थी क्या गांव में? पहले भी आपने लगायी थी क्या, बीच-बीच में आप बोलना, नम्बर लेनो, रोळा करनो, ओ ही काम है, सच्चाई सामनै जानी नहीं चाईजै राजस्थान की जनता कै सामनै। मैं खुल के कह रहा हूं, फैसलो हो जावे सच को, कुण कितनो काम करो, बो सामनै आ जावै, थांका काम सामनै आ जावै, उपाध्यक्ष जी, म्हांका काम भी सामनै आ जावै और, उपाध्यक्ष जी, आज आप डिसाइड कर दयो इस बातनै, रोज-रोज को फैसलो हो जावै, गाय नै कोई भी राजनीति कै वास्ते यूज नहीं कर पावै, ई बात को फैसलो आपनै करनो है और आपनै करनो चाईजे। रोज की रोज झको झंझट चालू होयो है, गाय न लेर बार-बार कांग्रेस पार्टी नै टारगेट करनो, कांग्रेस पार्टी में, यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब गाय का सम्मान करते हैं और गाय के सम्मान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने गाय के समर्थन में घोषणाएं कीं। गौशालाओं के समर्थन में घोषणा की। गायों को बचाने के लिये घोषणा की। सन्तों का हम भी सम्मान करते हैं। कौन मना कर रहा है सन्तों से बात करने के लिये। लेकिन सन्तों तक ...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह भी बात जानी चाहिये कि इस सरकार ने काम करके दिखाया। आपके पास राज के खजाने की चाबी थी तब आपने गाय के लिये खजाने का ताला नहीं खोला। तब आपने गाय को बचाने के लिये कोई योजना नहीं बनायी। तब आपने गाय और पशुओं की चिन्ता नहीं की। यह चिन्ता राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने की। कांग्रेस की सरकार गौ-वंश को बचाना चाहती है। गायों का सम्मान करती है। गाय को पूजनीय मानती है। बार-बार राजनीति के लिये गाय और राम का यूज नहीं करना चाहिये। बल्कि कंस्ट्रक्टिव एप्रोच के साथ...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भवानी सिंहजी, विराजिये। माननीय भवानी सिंहजी, यह ज्ञानवर्धन सभी कर रहे हैं, सर्वोपरि नहीं बनिये। मैं एक-एक को मौका दे रहा हूं, नहीं तो चर्चा समाप्त कर दूंगा। माननीय सचेतक महोदय, यह सिस्टम ठीक नहीं है। एक इधर से बोलेगा, वह नाम आ रहे हैं। केवल एक पक्ष का राइट नहीं है...(व्यवधान) अब जो भी है, आप कृपा करके ऐसे नहीं। वन साइड़ नहीं चलेंगे। बीच में यह भी बोलेंगे, इनका भी अंकित नहीं होगा। आप भी बोलोगे आपका अंकित नहीं होगा। देखिये, सदन में निष्पक्षता से जितना हो सकता है, कोशिश की जा रही है। आपकी भावना की कद्र...(व्यवधान) माननीय जीवाराम जी चौधरी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं मेरी बात तो पूरी कर दूं, उपाध्यक्ष जी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): खाचरियावास जी...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय प्रतापसिंह जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं इनकी बातों का तहे दिल से समर्थन करता हूं। किसी गाय पर यह ठप्पा नहीं है यह बी जे पी की है, यह कांग्रेस की है। गाय मनुष्य मात्र के लिये...

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजित बात नहीं करें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माता के समान है और हम सब मानते हैं छोटे से लेकर बड़े तक। गाय माता के दूध का उपयोग करते हैं, दही का उपयोग करते हैं, घी का उपयोग करते हैं। घी को अमृत माना है और हमने गाय के लिये यह किया, हमने गाय के लिये यह किया, अगर किसी ने कुछ किया है तो एक परमार्थ और पुनीत कार्य किया है। करने वालों को सबको मेरी ओर से धन्यवाद....

श्री उपाध्यक्ष: सजैस्टिव, केवल सजैस्टिव बात करें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा निवेदन इतना है, एशिया की सबसे बड़ी पथमेड़ा गौशाला मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और एक समय में डेढ़ लाख गौ-वंश की रक्षा हमारी उस गौशाला के माध्यम से की जाती थी। सरकार अनुदान देती है। यह सरकार भी देती है और पिछली सरकार भी देती थी, लेकिन वह अनुदान पर्याप्त नहीं है। हम सबका निवेदन यही है। आज मान लो, हमारे कई अच्छे-अच्छे सन्त-महात्मा मंच पर विराजमान हैं। उनकी मांग क्या है? उनको सरकार से कोई सड़क नहीं बनवानी, उनको सरकार से कोई मंदिर नहीं बनवाना। वह सिर्फ गौ-माता की पुकार को लेकर वर्तमान सरकार कांग्रेस की है, बी जे पी की होती तो बी जे पी के पास आते। आज आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास आयेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): स्वाभाविक है। खाचरियावास जी ने कहा कि हम गाय को बचाना चाहते हैं...(व्यवधान) एक मिनट, गुप्ता जी। दो मिनट के बाद आप बोल लेना...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नयी बात कोई कहना है तो कहें उसको, रिपीट नहीं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता हूं। मैं तो इन्हें धन्यवाद देता हूं इन्होंने अच्छी बात करी है कि हम गाय को बचाना चाहते हैं। तो रोक कौन रहा है आपको ? फिर-फिर राजनीतिक बात, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि पिछली बार माननीय वसुन्धरा जी ने पथमेड़ा गौशाला को डेढ़ करोड़ रुपया अलग से एक पैकेज दिया था। कौन कहता है कि नहीं किया हमने? किया है, अच्छा किया है लेकिन आज उससे भी और आगे करने की जरूरत है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): इन लोगों की जो पांच-सात मांग हैं। हम दो बजे...(व्यवधान) सिर्फ एक ही निवेदन करना है...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिये...(व्यवधान) केवल जीवाराम जी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): कि सरकार का कोई भी एक मंत्री वहां चला जाये और उनको आश्वस्त करे, जितना हो सके उतना सहयोग करे। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री करण सिंह जी राठौड़...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): क्या हो गया ? क्या गड़बड़ हो गयी?

श्री उपाध्यक्ष: यह डिमाण्ड की जगह इसको करें तो क्या करें अपन?

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौ-वंश पर जो चर्चा हो रही है वह वास्तव में चिन्ता का विषय है। हम जब गांव में जाते हैं तो चरागाह की जमीन बची नहीं। गांव में जो गायें बचती हैं उनको पूरे गांव वाले इकट्ठा करके एक चरवाहा रखते हैं। सारी गायों को इकट्ठा करके सड़क पर छोड़ देते हैं। उनके भोजन-पानी की व्यवस्था होती नहीं है। एक-दो आदमी

(श्री करणसिंह)

पूरी गायों की रखवाली करते हैं। इस तरह गांव-गांव में पूरे राजस्थान में यह सिस्टम है। आप कहीं भी जाकर देख लें, गाय दूध देती नहीं है, गाय का बछड़ा बिकता नहीं है। गाय का बछड़ा किसी काम आने लायक नहीं रहा। और जब इसकी उपयोगिता खतम हो गयी इसीलिये हमारी गाय की वैल्यू खतम हो गयी। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। गौ-वंश की रक्षा करने के लिये हम सदन में बैठे हुए 200 आदमियों को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। प्रत्येक पंचायत स्तर पर गौशाला बनानी चाहिये। गांव के लोग लावारिस गाय को उठाकर 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ट्रक में भरकर दूर छोड़ आते हैं। उधर वाले ले जाकर इधर छोड़ देते हैं। इस तरह की दुर्दशा आज गायों की हो रही है जो हमसे देखी नहीं जाती है। उधर हमारे धर्म प्रेमी बैठे हैं जो गौ-वंश की बात करते हैं, जिन्होंने गाय के नाम पर ठेका ले रखा है, इन लोगों ने 4 साल पहले कुछ नहीं किया। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप ज्यादा दिमाग मत लड़ाइये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): फिर वही बात। थोड़ा-सा कुछ छेड़ते ही गड़बड़ हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं उन्होंने नहीं किया ...

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा नहीं...

श्री करणसिंह (छबड़ा): समय निकल गया मगर इस बारे में सोचने की आवश्यकता है प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला की व्यवस्था होनी चाहिये माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय से भी कहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री करणसिंह (छबड़ा): गौशाला का स्थान चिह्नित होना चाहिये और गौशाला का स्थान चिह्नित होने के लिये अलग से बजट सरकार को देना चाहिये, तब हम गौ-वंश की रक्षा कर पायेंगे। मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजकुमार जी रिणवा। कोई आपकी नयी बात हो तो कहिये आप बिलकुल। नयी बात हो तो बोलिये बिलकुल।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही अभिनन्दन और आभार प्रकट करता हूं कि ...

श्री उपाध्यक्ष: आपका सदन है, आपका समय है। आप डिमाण्ड पर कम बोलना चाहते हैं तो कोई एतराज थोड़े ही है आसन को।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ऐसे दिव्य विषय पर आपने समय दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

उपाध्यक्ष महोदय, गाय धर्म की धुरी है। धर्म रक्षोक्षित है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे ब्रह्म परम अवतार श्री कृष्ण हुए थे उन्होंने भी अपने कर्म की शुरूआत गौ-सेवा से की थी। महात्मा गांधी जी ने 1946 में काशी में जब अपनी सभा की थी उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि जिस दिन भारत स्वतन्त्र होगा, पहली कलम से गौ हत्या बन्द करेंगे और जब 1949 में महात्मा गांधी का कहा नहीं माना गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खतम कर देना चाहिये। आज गाय की क्या हालत हो रही है। जन्म देने वाली मां बारह महीने तक दूध पिलाती है। किन्तु हमारे जन्म पर्यन्त तक गाय दूध पिलाती है। हमारे भारत जैसे सनातन देश में जहां शेर की हत्या पर प्रतिबन्ध है, टाइगर की हत्या पर प्रतिबन्ध है, हिरण की हत्या पर प्रतिबन्ध, पक्षियों, मोर की हत्या तक पर प्रतिबन्ध है और आज गौ हत्या पर प्रतिबन्ध नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। रावण जैसा राक्षस भी सन्तों का सम्मान करता था। अकबर था। यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति है आपको बताऊं...

श्री उपाध्यक्ष: आप पार्टी से...

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): स्कैंडल में वह साम्प्रदायिक रूप लेते हैं..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कोई भी किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। आपको...

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): हमारे रतनगढ़ में 20 गौशालाएं हैं... (व्यवधान) हम आपको बताएं, हर कार्यकारिणी में मुसलमान है। अभी मैं देखकर आया हूं, सीकर के पास में 150 गौशाला मकसूद नाम का मुसलमान पाल रहा है। धन्य है वह। तो इस सब्जैक्ट को इस तरह से नहीं ले जाकर और माननीय मुख्य मंत्रीजी को खुद जाकर सन्तों को लेकर करना चाहिये कि क्या दिव्य सब्जैक्ट लेकर आप पधारे हैं। आपका स्वागत है। और एक जो यह काम किया गया है एम एल ए कोटे से...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): जो गौशालाओं को दिया जा रहा था उस पर प्रतिबन्ध लगाया है, उसको हटाया जाये। गाय की रक्षा केवल

(श्री राजकुमार रिणवां)

गौशालाओं के माध्यम से हो सकती है। घरों के अन्दर, शहरों के अन्दर गाय की रक्षा नहीं हो सकती है। गौशालाओं को ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ की जगह कम से कम 1 हजार करोड़ देने की मुख्य मंत्रीजी को घोषणा करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। समाप्त। माननीय डा. श्रीमती परम नवदीप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन के माध्यम से गौ-वंश के लिये कुछ सुझाव देना चाहती हूं। पहला सुझाव मेरा है माननीय मुख्य मंत्रीजी से हमें अपेक्षा है 25 करोड़ की जगह इसका बजट बढ़ाकर कम से कम 50 करोड़ किया जाये... (व्यवधान) ताली तो बजा दो।

दूसरा मेरा सुझाव है गौ-वंश की जब हम बात करते हैं तो हमें गौशालाओं के लिये नियम बनाना चाहिये। उसमें गोधा, बैल उसको भी संरक्षण मिलना चाहिये। आज स्थिति यह है कि गांव में गौशाला है वहां गायें चली जाती हैं और गोधों को शहर में मण्डी के अन्दर खुले आम छोड़ दिया जाता है। उनसे एक्सीडेंट्स होते हैं, जनता का नुकसान होता है। उसकी बात आज कोई सदन में नहीं कर रहा है, पर मैं समझती हूं इस बात को हमें समझना पड़ेगा। पार्टी के लेवल से ऊपर उठकर इस बात को करिये कि गौ-वंश का मतलब क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि जो हमारे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन होना यह चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सिवाय चक की भूमि यदि नहीं है तो इस नियम में यह जाना चाहिए कि जमीन जिला परिषद के माध्यम से खरीदी जाये और ढाई बीघा, 5 बीघा या 10 बीघा, कोई भी नियम बनाया जाये और उतनी जमीन हमें गौ-शाला के लिये रखनी होगी और वह ताउम्र रहे। इस पर भी ताली बजनी चाहिए, माननीय सदस्य। मैंने सुझाव दिया है, मैं बात कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति की बात नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है और मास्टर उसकी पिटाई करता है तब भी बच्चा कहता है कि मुझे आता नहीं, कहता है, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

आता है। आप भी बच्चे रहे हैं, हम भी उस स्थिति से गुजरे हैं। इन स्थितियों से गुजरने के बाद, गौ माता को सम्मान देने के लिए मन से आप या हम सजेशन देते हैं तो उसका यही फायदा होगा कि हमारे सजेशन नियमों में ढल जायें। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो-तीन बातें कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सारे बोलकर क्या करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमारे सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा ...

श्री उपाध्यक्ष: आप इनकी मत करो, आप तो अपनी बात कहो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मैं वही कह रहा हूं। हमारी सरकार गौ-वंश को बचाने के लिए बड़ी सजग है। बड़ा काम कर रही है। मैं तो यह कहना चाहूंगा, यह मेरे कहने से नहीं है, एनिमल वैलफेयर बोर्ड आफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी है उसमें उसने कहा है कि सर्वाधिक बूचड़खाने यदि कहीं पर हैं तो वह राजस्थान में हैं।

श्री उपाध्यक्ष: काहे के? कन्फ्यूजन वाली बात मत करिये। इसको पूरा पढ़िये। कन्फ्यूज नहीं, सदन को कन्फ्यूज नहीं करें। काहे के बूचड़खाने?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जितने भी जानवर कटते हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बूचड़खाना अलग चीज है, भैंस कटना अलग है, खरगोश कटना अलग है, कोई और कटना वह अलग है, गौ का अलग है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं वही तो बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: स्पष्ट करिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): बूचड़खाने में तो गाय कटती है। बूचड़खाने में गाय कटती है, भैंस कटती है। बूचड़खाने की बात कहां से आयी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप बीच में मत बोलो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): बूचड़खाने में तो काटने का काम होता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप बैठो, विराजो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप पालने की बात तो कर ही नहीं रहे हो। पशुओं को बचाने की बात करिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप विराजो, विराजो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): काटने की बात मत करिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा, विराजिये। सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुन्धरा जी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वसुन्धरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं तो लगातार 5 साल तक बड़े पशु के लिए 32 रुपये और छोटे पशु के लिए 16 रुपये अनुदान के रुप में दिया। 4 साल आपको राज करते हो गये, गौ-वंश के नाम पर एक नया पैसा भी आपने अनुदान में नहीं दिया और अब आप कह रहे हैं कि हम गौ-वंश को बचाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि जैसे गुजरात में 50 रुपये प्रति गौ-वंश पर वहां की सरकार दे रही है और हरियाणा में तो आपकी ही सरकार है, मान लो गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा की सरकार पंजीकृत गौ-शालाओं को जिस प्रकार से अनुदान दे रही है, आप खड़े होकर के घोषणा कर दें या मंत्रीजी घोषणा कर दें कि जिस प्रकार हरियाणा में गौ-वंश को बचाने के लिए पंजीकृत गौ-शालाओं को अनुदान देते हैं, उसी तर्ज पर, उसी के अनुसरण में हम भी यहां पर अनुदान देंगे, तो हम टेबलें थपथपा देंगे। केवल झूंठी वाहवाही लेने के लिए कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अगर आप वास्तव में गौ-वंश को बचाना चाहते हैं तो निश्चित रुप से कोई सार्थक घोषणा आपको यहां करनी होगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ओम जोशी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक मिनट, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि बस्सी के पास जो हिंगोनिया गौ-शाला है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने बहुत समय ले लिया। अब ओम जोशी जी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक सैकण्ड, उसमें बिजली का बिल कामर्शियल आ रहा है, उसको तो कम से कम डोमेस्टिक करिये। जिससे कि लोगों के हजारों रुपये बचें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। केवल ओम जोशी। देखिये, आप दोनों मुख्य सचेतक बैठ जाइये। सदन आपकी राय से चल रहा है। यह नहीं है कि आप लिस्ट दे दो और आपके सदस्य हाथ खड़े करेंगे और इधर भी करेंगे। माफ करना, आपको डिमांड में कम समय मिलेगा, समय शायद बढ़ नहीं पायेगा।

श्री ओम जोशी (फलौदी): उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बहुत पवित्र और पावन विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: पाइंटेड बात करिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी): पाइंटेड कर रहा हूं। गौ-माता के संदर्भ में, गौ-माता की रक्षा के लिए हम सभी सदस्य मिलकर के जो सुझाव दे रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, वह निश्चित रुप से उपयोगी साबित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार और हमारी सरकार के मुखिया ने जब पूर्व मुख्य मंत्री थे, तब भी अकाल का समय था और अकाल के समय में राजस्थान का पशु एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा था। उस समय किस तरह से पशु धन को बचाया जा सके, किस तरीके से उसकी व्यवस्था की जा सके, उसके लिए हमारे मुखिया ने साधु-संतों के पास हरिद्वार, ऋषिकेश और सुखताल जाकर के आदरणीय रामसुख जी से, पूज्य विद्यानंद जी से, पूज्य ईश्वरानंद जी से, पूज्य रामनरेशाचार्य जी से, ऐसे बड़े-बड़े संत जो इस देश को मार्गदर्शन देते हैं, उनके चरणों में बैठकर माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने यह निवेदन किया था कि मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है राजस्थान का जो पशु धन है वह किस तरीके से बचे। गौ-माता की रक्षा कैसे हो? उनसे ही मार्गदर्शन और सलाह लेकर के उस समय पशु धन को बचाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पिछले 4 वर्षों में और वर्तमान में भी उन्होंने जो फैसले किये हैं वह गौ-माता के संरक्षण के लिए, गौ-वंश के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए उपयुक्त साबित हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं आशा करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गौ-माता के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौ-शालाओं के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है उसके संदर्भ में भी, खासतौर से गौ-

(श्री ओम जोशी)

माता को बेचकर के जिस तरह से पैसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। यही मेरा खास तौर से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय बनवारी लाल जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप पिन पाइंट बात करेंगे। आपकी भावना तक सीमित रखें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि राजनीतिक पार्टियों की बात कम आये ताकि कोई कनक्लूजन निकले। मुख्य मंत्री ने भी इसको माना है। उन्होंने भी बोला है, आप भी बोल रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रदेश में गाय और गौ-वंश की तस्करी होकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में रोजाना गायों को काटकर, राजस्थान से गौ-वंश को समाप्त करने का जो काम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: हिन्दुस्तान में गाय का कत्ल बंद है। किसी में भी नहीं है। आप सुनिये, आप कृपया अपनी बात तक सीमित रहें ताकि सजेशन आयें उभरकर।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैंने एक तारांकित प्रश्न संख्या 460 कृषि विपणन विभाग, जो कि 30.03.2012 को लिस्टेड था क्रम संख्या 205 पर, इसमें मैंने राज्य सरकार से जानकारी चाही थी कि क्या यह सही है कि राज्य में कृषि विपणन निदेशालय द्वारा प्रदेश में मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि को राज्य में पंजीकृत गौ-शालाओं को प्रतिवर्ष दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुझे जो उत्तर प्रेषित किया गया, उसमें मुझे बताया गया कि हां, एक सर्कुलर राज्य सरकार का 20.08.2009 को जिसका नम्बर 1035-1207 था जिसमें आदेश थे राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 19 की उप धारा 9 ए में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मंडी समिति निधि में से राज्य में सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए प्रति वर्ष मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि राज्य में पंजीकृत गौ-शालाओं के रख-रखाव, पशुओं के चारे एवं पानी के लिए आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

इसके अतिरिक्त, दूसरा एक सर्कुलर, यह 02.09.2009 का एक सर्कूलर है, जो मात्र 13 दिन बाद ही एक संशोधित आदेश जारी हुआ। जिसका नम्बर है 23547-94, इसमें लिखा गया निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव, कृषि विपणन राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक, जो इसमें नंबर है, दिनांक 20.08.09 की पंक्ति संख्या 3 में अभिव्यक्त प्रतिवर्ष को विलोपित किया जाता है। यानी केवल उसी वर्ष के लिए छोड़ दिया गया।

इसके पश्चात इसके उत्तर में मुझे जो परिशिष्ट 'स' दिया गया, 2.2.2010 को जिसका नम्बर 43952-44126, इसमें लिखा गया कि उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशों के द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 19 की उप धारा 9 ए में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मंडी समिति निधि में से राज्य में सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि राज्य में पंजीकृत गौ-शालाओं के रखरखाव, पशुओं के चारे एवं पानी के लिए आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त आदेशों की क्रियान्विति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। पहले सर्कुलर को भी और दूसरे सर्कूलर को भी।

इसके बाद एक सर्कूलर है, इसका नम्बर 339 दिनांक 5.11 जिसमें लिखा है कि विचार-विमर्श उपरांत यह तय किया गया है कि उक्त राशि को अकालग्रस्त जिलों में स्थित कृषि उपज मंडियां सीधे ही आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के मद में आरक्षित कर देंगी।

मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी भी प्रकार की जैसे जीवाराम जी ने कहा, प्रताप सिंहजी ने कहा, मैं समर्थन करता हूं इनकी बातों का, किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो। जिस प्रकार से लगातार महंगाई के कारण से चारे की दरें बढ़ी हैं, आज गाय को पालना मुश्किल हो गया है। अगर किसी गाय के प्रजनन में बछड़ा पैदा हुआ है तो उस गाय का पालक उसको पालने की स्थिति में नहीं है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वह दो सौ, तीन सौ रुपये में बिकेगा, कसाइयों के हाथ में जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। मैं एक बात का सुझाव देना चाह रहा हूं कि राजस्थान में जो पशु मेले लग रहे हैं, उनमें अधिकतम जो बिक्री हो रही है, आज न ऊंट बिक रहा है, न कोई और चीज बिक रही है, केवल गाय बिक रही है, इस पर भी रोक लगाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष: आप टेबल करना चाहते हो? इस कागज को आप टेबल कर रहे हो तो आप टेबल करिये। आप दीजिये इसको।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हां, कागज को टेबल कर रहा हूं1 मैं अभी फोटोस्टेट करवाकर टेबल करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमारामजी। आप शोर्ट में अपने पाइण्ट बतायें नहीं तो मैं समाप्त करूंगा इसको, माफ करना। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने मुख्य सचेतक जी से बात कीजिये, लिस्टें आई हैं पार्टियों की।

श्री पेमाराम (धोद): कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सब्जैक्ट रखा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सारे नामों का जरूरी नहीं है। (व्यवधान) अभी इनके बाद में आपका नाम है। इनके बाद में ...(व्यवधान) इनके बाद में आपका नाम ले रहा हूं।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौ-वंश को बचाने के सवाल को लेकर, मैं कोई पार्टियों की बात नहीं करता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आपके मुख्य सचेतक से लिस्ट आयेगी तो बुलवाउंगा, नहीं तो नहीं।

श्री पेमाराम (धोद): यह सही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में देशी गाय जो हमारे घर में आर्थिक तौर पर भी चूंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कुछ हो हल्ला करना एक जुदा बात है लेकिन मेरे घर में आज भी देशी गाय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और अभी ब्यायी है पेलूण, उस पेलूण को जब थनेड़ी करते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, मेरी घर वाली के लात यहां मार दी। तीन दिन तक इन्जेक्शन दिलवाने पड़े। केवल बात करना एक जुदा बात है लेकिन आज वह किसान जो गाय को बचाता था, एक कानून हमारे राजस्थान की विधान सभा ने बनाया कि तीन साल से छोटी उम्र का बछड़ा बाहर नहीं जायेगा और यदि वह बछड़ा ले आई तो जैसे मैं पाल रहा हूं गाय और मेरे वाली गाय बछड़ा ले आई वह गाय, वह बछड़ा मेरे लिये भी संकटग्रस्त हो गया क्योंकि बछड़े को मैं कहां भेजूं? निश्चित तौर पर एक तो राजस्थान की विधान सभा में वह कानून बनना चाहिये जो बछड़ा, बड़ी उम्र के बछड़े पर जो

(श्री पेमाराम)

पाबन्दी लगाई है वह पाबन्दी हटा दें तो मैं समझता हूं कि पशु मेले भी लगेंगे और बछड़ों के दाम बढ़ेंगे तो वह देशी गाय हम पालना हमारे घर में रखना सुविधाजनक समझेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी का परिणाम है कि देशी गाय, आज जगह-जगह गौ-शालाएं हैं उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि किसी ने क्या कानून बनाया, किसने क्या कानून बनाया लेकिन यह जो कानून है वह किसान को अपने घर में गाय रखने से बाधा पैदा करता है, आर्थिक तौर पर नुकसान होता है। देशी गाय चार गुना दूध देने वाली होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जिन गांवों में गौ-शाला है, गांव वालों ने मिलकर उसकी जमीन अलोटमेंट करवाने में सरकार को चाहिए कि नियमों में कोई शिथिलता देकर जमीन अलोट करवाये। दूसरा मेरा सुझाव है कि जहां भी गौ-शाला है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करिये। आप तो भाषण दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, सुझाव दे रहा हूं और सुझाव भी यदि कोई अटपटे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नाथूराम जी सिनोदिया। (व्यवधान) केवल नाथूराम जी सिनोदिया।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक बार नम्बर आयेगा। आप बैठिये।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करिये।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): यह जो गायों की बातें कर रहे हैं इनके घरों में कितनी गायें हैं जानकारी करवा लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल नाथूराम सिनोदिया।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): बाकी गायों का कोई काम नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल नाथूराम सिनोदिया।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं का जो पैसा मिला है ...(व्यवधान) सरकार ने ही बांट दिया। नगरपालिकाओं को 5 प्रतिशत देते हैं, 10 प्रतिशत देते हैं तो वह अनुदान गौ-शालाओं को दिलाओ।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल नाथूराम जी सिनोदिया। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं होगा। केवल नाथूराम जी सिनोदिया।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): इनके घर में गायें हैं? पूछो तो पहले किस-किस के घर में गायें हैं। (व्यवधान) दो-तीन भी हो सकती हैं। यह ज्यादा बोलने वालों के घर में गायें नहीं हैं। (व्यवधान) शहरों में गायें हैं वह दूध देने के बाद बाहर निकाल देते हैं। (व्यवधान) इस पर प्रतिबन्ध लगाओ। दूध देने के बाद गायों को छोड़ते हैं शहर में, वह गांवों में भागती है, रोज उनको ट्रैक्टर में डालकर नगरपालिका और गांवों में छोड़कर आते हैं, उन पर मुकदमा लगाओ। (व्यवधान) नगरपालिका का जो अनुदान है वह चालू करवा दो वापस। नगरपालिका का पैसा भी मिले गायों के लिए अच्छी बात है। सभी गौ-शालाएं चाहती हैं कि हमें नगरपालिका को जो मिल रहा है वह मिलना चाहिए। गायों के कोई खिलाफ नहीं है, सब गायों की रक्षा करते हैं। गायें कोई काटता नहीं है लेकिन हो-हल्ला करते हैं। मेले में जाती हैं तो कहते हैं वह कटने जा रही हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको। हल्ला ज्यादा करते हैं। मेले में नारे बिकते हैं, बेचने वाले लोगों के नाम हैं, लेने वाले लोगों के नाम हैं फिर भी हल्ला करते हैं। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): यहां के ज्यादातर लोगों ने गाय के दर्शन ही नहीं किये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त ...(व्यवधान) चर्चा समाप्त। मंत्रीजी। (व्यवधान) आप सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: संसद की बात यहां मत कीजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह भारतीय संसद नहीं है, राजस्थान विधान सभा है। (व्यवधान) आप सुनना चाहते हैं या नहीं? (व्यवधान) अब वह सब हो गया पूरा। अब किसी और में देख लेंगे। अब नहीं। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी। (व्यवधान) अब आगे मैं बिजनस लूंगा फिर।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मुख्य मंत्रीजी की बात मुख्य मंत्रीजी से कीजिये। आप मिलकर आये हैं, आपने इतना समय ले लिया सदन का।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं फिर दूसरा बिजनस लूंगा। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक जी, मैं दूसरा बिजनस लेता हूं। (व्यवधान) यह कोई बात हुई?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके सदस्य आपके कण्ट्रोल में नहीं हैं। मैंने बीजेपी के माननीय मुख्य सचेतकजी से अनुरोध किया है, तीन दफा अनुरोध किया है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस अभी चल रही है, यह बहुत अच्छी बात है कि गौ माता की सेवा के लिए सभी सदस्य चिंतित हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें केवल एक पशुपालन विभाग को मुद्दा नहीं बनाया इन्होंने। इसमें दूसरे विभाग भी हैं और जहां तक पशुपालन विभाग का सवाल है, अभी खाचरियावास जी ने जो सारी डिटेल आपको बता दी कि राज्य सरकार क्या-क्या कर रही है इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि गाय माता को आगे करके इसका दुरुपयोग करके राजनीति करना चाहते हैं ज्यादातर लोग। होना ऐसा नहीं चाहिये, गायों के लिये तो सभी को एक रूप दिखाकर सभी को गायों की सेवा के लिए आगे आना चाहिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(14.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े दिये जा रहे हैं, पहली बात तो ज्यादातर आंकड़े यह दिये जा रहे हैं कि इतना गौ-वंश वध के लिये जा रहा था। अलवर में पकड़ा, वहां पकड़ा, चारों तरफ पकड़ा। इस बात की इनको तारीफ करनी चाहिये। अब ये यह कहें कि हमारे टाइम में तो तस्करी नहीं होती थी तो यह पकड़ते ही नहीं थे इसलिए तस्करी नहीं हुई क्या? मौजूदा सरकार इसमें सतर्क है और पुलिस विभाग इसमें बराबर कार्यवाही कर रहा है। जो कार्यवाही कर रहा है उसका यह उलटा अर्थ लगा रहे हैं इसलिए विशेष रूप से इसमें मेरा यही निवेदन है कि सरकार की तरफ से गायों की भलाई के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आज आप आंकड़े उठाकर देख लो, पिछले समय में क्या यह सही है कि हुआ, इस समय में क्या यह सही है कि हुआ। शुरू-शुरू में, आज से चार साल पहले राज्य सरकार ने यह कदम उठाया कि जो भी पशु हास्पिटल तक नहीं आ सके, उनके लिए उनके गांवों में जा-जाकर कैम्प लगाये और केम्प में जितने भी इलाज किये वह सारी की सारी दवाइयां फ्री थीं। इस चार साल के पीरियड में कितनी पशु चिकित्सा संस्था खुली, आप पीछे का हिसाब कर लो और अब का भी हिसाब कर लो। अभी जो जिक्र आया दवाइयां फ्री कर दीं, उसको यह गायों के लिए भला काम नहीं समझ रहे हैं। हर तहसील मुख्यालय पर एक चल वाहन चिकित्सा इकाई की स्थापना कर दी। इसके बाद में हर जिले में एक अलग से चिकित्सा व्यवस्था के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था कर दी और उसमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जहां तक अनुदान देने का सवाल है, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले हम इतना अनुदान देते थे। इसका जो अनुदान बढ़ाया है, वह मौजूदा सरकार ने बढ़ाया है। पहले जो 20 रुपये देते थे, उसकी जगह 32 रुपये, पहले जहां 10 रुपये देते थे, उसके लिए 16 रुपये, यह हमने बढ़ाया है, पहले नहीं बढ़ाया, इस सरकार ने बढ़ाया है। और इसके बाद में, सरकार यह चाहती है कि पशुपालन के लिए आपके कोई अमूल्य सुझाव हों, आप दीजिए, सरकार विचार करेगी, उसमें कोई ना करने की कहीं भी बात नहीं है लेकिन टारगेट यही होना चाहिए कि पशुओं की भलाई हो, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री मोहनलाल गुप्ता ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय मोहनलाल गुप्ता।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अपूरित लक्ष्य

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय मोहनलाल गुप्ता का अंकित हो रहा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय मोहनलाल गुप्ता का अंकित हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक डेलीगेशन मिलने के लिए आ रहा है और सरकार की तरफ से उनको ढाई बजे का टाइम दिया है, सरकार बात करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, आपने पढ़ लिया?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पहले मैं बोलूंगा या मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपने तो बोल लिया न, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, मंत्रीजी अपनी बात कहेंगे।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ठीक है, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: शांत रहिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय शांती धारीवाल जी।

(श्री भवानी सिंह राजावत, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में समस्याओं के समाधान के लिए जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसमें मोटे तौर से आपने यह कहा है कि अभियान में कार्य किये जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गयी, जिसमें अवाप्तधीन भूमि पर बसी हुई कालोनियों का नियमन, वन भूमि पर बसी हुई कालोनियों का नियमन, कच्ची बस्तियों का नियमन, जिन कालोनियों के सहकारी समिति के दोहरे आवंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं, उनका समाधान और स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जारी करना तथा सहकारी समितियों के द्वारा बसाई गई कालोनियों में जो गैर अनुमोदित हैं, उनका नियमन करना है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार के कई आदेश सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों को, जयपुर विकास प्राधिकरण को, जयपुर नगर निगम को, इनको दिये गये हैं लेकिन जो आपने यह बताया कि वन भूमि, वन विभाग की भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन तथा सहकारी समिति के द्वारा दोहरे आवंटन जारी किये जाने के प्रकरणों बाबत कोई आदेश, कोई निर्देश राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिये गये हैं।

दूसरी बात आपने निवेदन किया है कि यह प्रचारित किया गया कि जनता में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और हजारों की संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं फरवरी, 2013 तक जो यह अभियान समाप्त होने जा रहा है इसलिए काफी प्रकरण बगैर निस्तारण के आवेदन पत्र पड़े हुए हैं और बल्कि आपने यह भी लिखा है कि साहब, रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये हैं तो पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह रद्दी की टोकरी में कितने डाले गये हैं, उनकी संख्या बता दें आप मुझे, वरना मैं संख्या बता दूंगा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितनों का निस्तारण हुआ है। आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण में पूर्व तैयारी शिविरों, मूल शिविरों में एवं उसके पत्र दिनांक 28.02.2013 तक कुल 81609 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से 34414 का निस्तारण हो चुका है और बाकी शेष पर निस्तारण होना बाकी है। अभी यह अभियान समाप्त नहीं हुआ है।

इसी तरीके से, राजस्थान आवासन मण्डल, आपने यह भी पूछा है कि राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राज्य सरकार के अन्य विभाग, रीको को और वन विभाग को छोड़ते हुए, अन्य सभी विभाग जो राजस्थान सरकार के हैं, उन पर बसी हुई कालोनियां, राज्य में स्थित अवाप्त, उन पर बसी हुई कालोनियां चाहे वह अवाप्तशुदा भूमि पर बसी हुई हों, अवाप्तधीन पर बसी हुई हों, अतिक्रमणों का नियमन वगैरह राज्य सराकर द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देशों के प्रावधानों के तहत में किया जा रहा है। एक अकेले जयपुर में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी का यह डिसीजन था कि कोई भी पब्लिक लैण्ड पर नियमन नहीं किया जाएगा। पब्लिक लैण्ड किसे कहा जाएगा, यह लेखराज सोनी का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बहुत क्लियर किया है, उसको फिर एम्पावर्ड कमेटी ने क्लियर किया है कि अगर अवाप्तशुदा भूमि पर, जिस भूमि पर पेपर पजेशन न होकर के जेडीए का या किसी भी यू एल बी का भौतिक रूप से कब्जा है और जिसका मुआवजा खातेदार को दिया जा चुका है, उसको अवाप्तशुदा माना जाएगा तो उस अवाप्तशुदा भूमि को पब्लिक लैण्ड मानते हुए वहां पर कोई भी नियमन नहीं हो पाएगा, सिर्फ जयपुर के लिए और दूसरा अगर अवाप्तधीन है तो अवाप्तधीन का बाकायदा नियमन किया जाएगा, रिजर्व प्राइस का 25 परसेंट या 1500 रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड, जो भी अधिक होगा, उसके हिसाब से किया जाएगा।

फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभियान के दौरान अवाप्तधीन भूमि पर बसी कालोनियों को बाकायदा पट्टे बांटे गये हैं और कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए भी शिविर लगाकर पट्टे बांटे गये हैं। मुख्य बात जो आप पूछना चाहते थे, वह मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं जो समझ पाया हूं कि आपने यह काल अटेंशन मोशन क्यों दिया है, इसके बाबत में आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका मकसद यह था कि जोन-10 में जो अवाप्ति से प्रभावित तीन योजनाएं हैं, उन तीन योजनाओं का नियमन

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

नहीं किया जा रहा है, मैं उन तीनों योजनाओं का नाम ले लेता हूं आपको, पहला है शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की तिलक विहार, दूसरा पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति की अशोक कालोनी और तीसरा मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की प्रकाश नगर योजना। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो जोन 10 है यह जोन 10 इकोलॉजिकल जोन में आता है और जैसा आपको विदित है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने 9.12.10 को मास्टर प्लान में जो इकोलॉजिकल जोन दिखा रखा है, जो रूरल बैल्ट दिखा रखी है, जो ग्रीन बैल्ट दिखा रखी है, जो पैराफेरी बैल्ट दिखा रखी है उस पर किसी भी प्रकार का नियमन या भू उपयोग परिवर्तन पर पाबंदी लगा रखी है जो आज भी कायम है इसलिए इनका नियमन नहीं हो सकता।

रहा सवाल इस बात का कि आपने कहा कि प्रशासन शहरों के संग की प्रगति बहुत कम है। स्वतंत्रता के बाद आज तक कभी नगर निकायों के द्वारा दो लाख के लगभग पट्टे नहीं बांटे गये जो दो लाख पट्टे बांटे गये हैं। इसी के साथ-साथ जेडीए के द्वारा जो पट्टे बांटे गये हैं वो भी 22252 पट्टे बांटे गये हैं, नगर निगम के द्वारा जो पट्टे बांटे गये हैं वो 3870 की संख्या में बांटे गये हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आपने पूछा कि अवाप्तधीन और अवाप्ति से प्रभावित कितनी कालोनियां हैं जिनमें नियमन का काम किया गया है। कुल मिलाकर जयपुर में 144 कालोनीज ऐसी हैं जो या तो अवाप्तधीन हैं या अवाप्तशुदा हैं और उनमें से 35 का नियमन कर दिया गया है और बाकी सब विचाराधीन है।

ठीक इसी तरीके से सहकारी समितियों की गैर अनुमोदित योजनाओं के बाबत भी आपने पूछा है। गैर अनुमोदित योजनाएं जो हैं उनमें करीब-करीब 78 गैर अनुमोदित योजनाओं का नियमन कर दिया गया है जिसमें 5609 पट्टे बांटे गये हैं। मैं यह फिर निवेदन कर दूं कि कच्ची बस्ती के बाबत पहले भी कांग्रेस के शासन में, जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मेरा ख्याल है कि कोई कच्ची बस्ती का नियमन नहीं हो पाया। एक पट्टा कच्ची बस्ती का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। 1998 से 2003 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कच्ची बस्तियों का नियमन किया गया था।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आपके राज में तो कच्ची बस्तियों पर बुलडोजर चलाये हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराज जाओ, नेता जी, विराज जाओ।

श्री उपाध्यक्ष: केवल शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी सूचना मेरे पास रखी है, सदन में नहीं चाहिए। (व्यवधान) केवल शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब बोलने दीजिये। मेरे बाद में आप बोल लेना।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल शांती कुमार धारीवाल। आप विराजें, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बात तो सुनिये। (व्यवधान) आप मोहन जी का क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। आपका जयपुर का मामला है तो अपने पास रखिये। अभी तो शांत रहें। आप सुनिये। केवल शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) जब बोल रहे हैं और अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसका प्रोसीजर है, नियम में आप डालिये, इसको पढ़िये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 9 कच्ची बस्तियों के 712 पट्टे बांटे गये। इसी तरीके से सुदामा और पुनर्वास योजना के तहत भी 2540 पुनर्वास किये गये। ये सब कुछ है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रशासन शहरों के संग अभियान इतना सफल अभियान रहा है और यह खतम नहीं हो रहा है, 31.3.13 तक जिन लोगों ने दरख्वास्तें दे दीं और रिलीफ मांगा है उन सब पर फैसले किये जाएंगे और 31.3.13 के नजदीक आते-आते अगर यह देखा जाएगा कि मान लीजिये कोई पैण्डिंग वर्क है और उसको निपटाने के लिए तिथि बढ़ाने की आवश्यकता भी है तो सरकार उस पर भी विचार करके निर्णय लेगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनलाल जी गुप्ता। केवल मोहनलाल गुप्ता। बीच में जो बोलेगा उसको मौका नहीं मिलेगा। मंत्रीजी बोल रहे थे, आप नहीं बोले हो तो आपको मौका मिलेगा। आप सुनो। जो बीच में बोलेगा उसको मौका नहीं मिलेगा, वो समझदार हैं, सब कुछ ज्ञान वैसे ही है। बोलिये मोहनलाल जी गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वो वो ही जवाब दिया है जो सरकारी अधिकारियों ने उनको लिखकर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो माना हुआ है। मोहन जी, आप तो समझदार हो, महापौर रहे हो, जो नोन है उसको क्यों रिपीट करते हो आप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जमीनी वास्तविकता का आंकलन माननीय मंत्रीजी को नहीं है। माननीय मंत्रीजी, सुन लें। आपने जो जवाब दिया है...

श्री उपाध्यक्ष: आप पाइंटेड बात कर सकते हो, स्पष्टीकरण चाह सकते हो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जी, मैं चाह रहा हूं। जो लोग शिविरों में जा रहे हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत आई हैं और जमीनी स्तर पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैंने आपको टेलीफोन पर भी कहा था और आपने आदेश जारी कर दिये, बहुत अच्छी बात है। पिछली सरकार में भी आपने जो आदेश....

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे तो आपने टेलीफोन धन्यवाद के लिए किया कि आपने बहुत अच्छा बनाया है और इससे बड़ा लाभ हुआ है। कहा या नहीं आपने? यह कहा या नहीं कहा यह बताओ आप?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): बोल रहा हूं साहब। बोल रहा हूं न मैं बोल रहा हूं। पिछली सरकार में आपने जो आदेश जारी किये थे उनको जेडीए में मैं लेकर गया था और मेरे लोगों को मैंने पट्टे जारी करवाये थे उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया था लेकिन इस सरकार ने, आपने जो आदेश जारी किये हैं उन आदेशों का अभी तक पालन नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप शिविरों में जाइये, शिविर में लोगों को फाइलें नहीं मिल रही हैं। अतिरिक्त भूमि की जो रेट है वह ज्यादा ली जा रही है एक हजार रुपया, दो हजार रुपया कच्ची बस्ती के लोगों से। दलाल घूम रहे हैं, दलालों के घरों पर फाइलें हैं। आप इस बात की एसीडी वगैरह से चैकिंग करवा लीजिये कि कितनी फाइलें नगर निगम की जेडीए में हैं, जेडीए की नगर निगम में हैं और दलालों के घर पर हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है...

श्री उपाध्यक्ष: स्पष्टीकरण मांगिये, आरोप नहीं होते हैं यहां।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कि लोगों को फाइलें नहीं मिल रही हैं। जेडीए में आपने कहा कि 81600 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 24 हजार ही निस्तारित हुए हैं तो बाकी का क्या हुआ? 60 हजार ये आवेदन पैण्डिंग हैं, फाइलें नहीं मिल रही हैं, लोग-बाग़ दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और नगर निगम में तो हालत और भी खराब है कि 18 हजार में से आपने कहा कि 3800 आवेदनों का निस्तारण किया है। आखिर यह क्या है? आपने बहुत ज्यादा आदेश जारी कर दिये, पूरी किताब निकाल दी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने, सरकार ने एक पब्लिक सर्विसेज डिलिवरी एक्ट पास किया था और उसमें कहा था कि निश्चित दिनों में निश्चित काम होंगे और राजस्थान स्वायत्त शासन के कितने काम उसमें होंगे, अलग-अलग विभागों के अलग-अलग आपने दावे भी किये थे कि इतने काम इतने दिन में हो जाएंगे, इतने दिन में हो जाएंगे तो यह प्रशासन शहरों के संग अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि आपके प्रशासन पर आपकी कमजोरी है, आपके अधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं इसलिए आपको प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाना पड़ा। आपने एक्ट 2012 में पास कर दिया तो फिर लोगों के निश्चित समय पर काम क्यों नहीं हो रहे हैं, लोगों को दर-दर ठोकरें क्यों खानी पड़ रही हैं और वो कैम्पों में भी खानी पड़ रही हैं। मेरा क्वेश्चन है कि उस डिलिवरी एक्ट के तहत आपने कितने अधिकारियों पर कार्यवाही की और कितने लोगों के काम हुए। एक साल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। ज्यादा क्या स्पष्ट करना है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेडिकेटेड कंसल्टेंसी की जरूरत आपको क्यों पड़ी? (व्यवधान) आपने एक बहुत बड़ा आर्डर जारी किया है, जेडीए, नगर निगम के सारे काम डेडिकेटेड कंसल्टेंट को दे दिये तो फिर अधिकारी, कर्मचारी क्या करेंगे? सारे काम दे दिये। इतने बड़े-बड़े आर्डर्स हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में Regularisation of unauthorised colonies on agricultural land यह भी उसको दे दिया, regularisation of slums. इसके द्वारा भी काम किये जाएंगे, Preparation of project under affordable housing policy. यह भी दे दिये जाएंगे, Issuance of patta under state grant Act वो भी दे दिये जाएंगे, Identity of siwai chuck land वो भी डेडिकेटेड कंसल्टेंट करेंगे, Any other work project mutually agreement terms and conditions between the consultant and local body. सारे काम करीब 10 काम दिये हैं। जो प्रमुख काम उनके एटीपी को करने चाहिए, डीटीपी को करने चाहिए, चीफ

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

टाउन प्लानर को करने चाहिए, कमिश्नर्स को करने चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को करने चाहिए वो सारे काम आपने उनको दे दिये। मैं यह पूछना चाहता हूं आपने यह बताया कि गैर अनुमोदित को-आपरेटिव सोसाइटी की 78 योजनाओं में 5600 पट्टे दिये लेकिन उन 78 गैर अनुमोदित योजनाओं में से कितनी गैर अनुमोदित योजनाएं बाकी हैं जिनके पट्टे देना शेष हैं? ये जो आपने अब तक पट्टे दिये हैं या अब तक जितना निस्तारण किया है वो तो रेगुलर काम का निस्तारण है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो न।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): रेगुलर काम का निस्तारण आप कर सकते हैं, रेगुलर तरीके से कर सकते हैं। आपके अधिकारी बैठे रहते हैं, आपने वहां केन्द्र खोल रखे हैं कि सुविधा केन्द्र, जाइये, एप्लीकेशन दीजिये आपको अपने आप जवाब मिलेगा। जेडीए में मिलेगा, नगर निगम में मिलेगा और फटाफट आपके काम हो जाएंगे। सारा भ्रष्टाचार खतम हो गया, सारी चीजें खतम हो गईं, स्वर्ग आ गया इस धरती पर, जयपुर शहर में स्वर्ग आ गया और जयपुर शहर के बहुत सारे विकास के काम आपने कर दिये इस प्रकार की घोषणाएं, इस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं। आखिर वहां एप्लीकेशन देकर क्या हो रहा है? लोग-बाग़ दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, नगर निगम, जेडीए में जाकर देख लीजिये कि कितने वहां पर उन्होंने सिंगल विण्डो में आवेदन किया हो और कितना जवाब समय पर गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। केवल स्पष्टीकरण चाहिए। देखिये आप कितना समय बोल गये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो-तीन पाइंट हैं। चारदीवारी में स्टेट ग्रांट एक्ट, कितने पट्टे दिये, कितने पट्टे बाकी हैं? नगर निगम के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर को टाइम नहीं है, देखने का टाइम नहीं है, अधिकारियों को टाइम नहीं है। स्टेट ग्रांट एक्ट के आपने कितने पट्टे दिये? अभी आपने दो दिन पहले लोगों को फार्म भेजा है कि आप आवेदन करो। तीन महीने से क्या कर रहे थे? नर्सिंग कालोनी, लालदास का अखाड़ा, मण्डी खटीकान, श्यामपुरी, जतीजी की बगीची, रैगरों की कोठी, सारी एससी एसटी की बस्तियां, इन सबको आपने पेंडिंग छोड़ रखा है। 40-40, 50-50 वर्षों से लोगबाग रह रहे हैं। मैंने आपको पत्र भी लिखा था,

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

मेरे पत्र का अभी तक जवाब नहीं आया। चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर, नगर निगम ने जवाब नहीं दिया। मंत्री महोदय, आपके यहां से जवाब आ गया कि मैंने कार्यवाही के लिए वहां भेज दिया। क्या हुआ, उन कालोनीज का क्या हुआ? 30-30, 40-40 साल से लोगबाग वहां बसे हुए हैं। आप कहते हो कि हम उनका नियमन नहीं करेंगे। लेखराज की एक रिट लगी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप वकील हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि लेखराज की अपील को और उसकी पिटीशन को अगर ढंग से देखेंगे तो वास्तव में यह कोई प्ली ही नहीं है। यह पता नहीं, कहां का मामला कहां से घूमकर कहां आ गया? मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी किसी की क्या-क्या समस्या है, वह आप बता दीजिये। ऐसे नहीं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल):...विश्वकर्मा नगर, ओम गृह निर्माण सहकारी समिति, जलमहल योजना में अवाप्त समिति। आपने कहा कि मैं केवल जोन-10 की ही बात कर रहा हूं। जोन-10 में भी बहुत सारे मैटर्स ऐसे पेंडिंग हैं, यदि आप एटीपी को लगायेंगे, डीटीपी को लगायेंगे, चीफ टाउन प्लानर को लगायेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि जयपुर शहर की जनता जेडीए में चक्कर नहीं खाये। जयपुर शहर में जमीनों के भाव जो बढ़ रहे हैं, यदि आप पट्टे दे देंगे, जमीनों को रेगुलराइज कर देंगे, पृथ्वीराज नगर को रेगुलराइज कर देंगे तो जमीन के भाव डाउन हो जायेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजो विराजो। विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...आम आदमी को जमीन सस्ती मिल जायेगी। आप पट्टे दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इकोलोजिकल जोन के नाम पर, मास्टर प्लान में संशोधन के नाम पर, एक रोड जा रही है शिवाजी नगर से पुरानी बस्ती तक, वहां हजारों लोग बसे हुए हैं, 30-40 साल से बसे हुए हैं। केवल आपको मास्टर प्लान में संशोधन करना है, आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि लोग बसे हुए हैं। वहां हाइटेंशन लाइन जा रही है। सब काम हो सकते हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आपके पास चीफ टाउन प्लानर,

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

एटीपी, डीटीपी की कमी है। वे वहां मौके पर जाते नहीं हैं और मौके पर जाकर काम करते नहीं हैं और काम करते हैं तो फाइल पड़ी रहती है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये। इतना नहीं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की आपने बात की है। भट्टा बस्ती को वन विभाग से निकलवाने की बात कही। भट्टा बस्ती को मैंने निकलवाई है वन विभाग से। वन विभाग की सीमा का जो आंकलन है... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है। (व्यवधान) वन विभाग से भट्टा बस्ती को मैंने निकलवाया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): भट्टा बस्ती को इंटरविन करने का काम, क्योंकि यह मेरी कांस्टीट्यूएंसी में है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां तो क्या हुआ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): इसलिए आप गलत तथ्य दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं मेयर था, मैंने निकलवाई है। मैं मेयर था।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैंने निकलवाई है वह।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं मेयर था और मैंने योजना बनाई है। (व्यवधान) मैंने वहां कैम्प लगाया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई? यह राजस्थान की विधान सभा है। यहां पूरे राजस्थान की बात रख सकते हैं। पूरे राजस्थान की बात रख सकते हैं वे। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आप नहीं बोल सकते हैं। मैं तथ्यपूर्वक कहता हूं कि मैंने निकलवाई है वह और इनको यह तक मालूम नहीं है कि यह कहां से निकली है? (व्यवधान) आप तो जाते रहते हैं वहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनको अपनी बात रखने दीजिये। यह क्या है, ये अचानक खड़े हो गये। जागीर है क्या आपकी? जागीर है आपकी वहां? पूरे राजस्थान की बात रखेंगे हम। जागीर बना रखी है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको चिट्ठी भी दी थी कि वन विभाग का जो आंकलन है, सीमांकन है, वह

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

गलत है। गलत है वन विभाग का सीमांकन। आप अधिकारियों को बोलिये। यही आपके चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर, नगर निगम, इन्होंने जेडीए की अनुमोदित शास्त्री नगर योजना के लिए यह कहा था कि वन विभाग में डली हुई है, इसलिए मैं पट्टे नहीं दूंगा। मुझे कलक्टर के पास संघर्ष करना पड़ा। जेडीए ने आक्शन कर दी, यूआईटी ने आक्शन कर दी। अब आप कह रहे हो कि मैं इनको नियमित नहीं करूंगा। पिछली सरकार में हमने नियमित कराया है। ये अधिकारी गलत बात बोलते हैं। आपको अंधेरे में रख रहे हैं। प्रताप सिंहजी की भी बात सुन लीजिये, हमारी बात भी सुन लीजिये। हम यह चाहते हैं कि वहां के लोगों को पट्टे मिले। उसमें संशोधन करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय कालीचरण जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वन विभाग से निकालने के बाद भी...

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरण जी। नहीं नहीं, केवल कालीचरण जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब यह नहीं होगा। आप विराजिये। कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: आप एक क्वेश्चन पूछिये, ज्यादा नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं दो-तीन बात ही पूछूंगा। मैं तीन मिनट से 10 मिनट नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, तीन मिनट तो बहुत हो जाते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तीन मिनट आप गिन लेना, तीन मिनट के बाद आप बैठा देना।

श्री उपाध्यक्ष: तीन मिनट नहीं, तीन बात।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तीन मिनट। जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चला तो हमारे काबिल स्वायत शासन मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि अवाप्त भूमि, अवाप्ताधीन भूमि, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अल्सर भूमि और स्टेट ग्रांट के पट्टे सबको दिये जायेंगे। आज तक की जो सूचना है, जैसा आपने बताया कि 81 हजार लोगों ने आवेदन किया और उनमें से आपने 24 हजार का निस्तारण किया, बाकी का अभी तक निस्तारण नहीं

(श्री कालीचरण सराफ)

किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस अभियान में केवल और केवल जो पूर्व में अनुमोदित कालोनियां थीं, उनको ही पट्टे जारी किये गये हैं? जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। अवाप्त भूमि में, सरकारी भूमि में, अल्सर की भूमि के लिए जो आपने दावे किये, मेरी सूचना के हिसाब से एक भी पट्टा आपने जारी नहीं किया। यदि किया है तो हमें बता दें क्योंकि मैं खुद कई कालोनीज के लोगों को लेकर जेडीसी महोदय से मिला तो उन्होंने कहा कि साहब, यह तो अवाप्त है, यह तो अवाप्ताधीन है, यह तो अल्सर में है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर काहे के लिए आपने यह अभियान चलाया? दूसरा, आपने कहा कि रीको में जो जमीन आ गई, उसका हम नियमन नहीं कर सकते।

मैंने एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न संख्या 352, 12.10.2012 को, उसमें सरकार ने जवाब दिया कि जोन-4 में रीको द्वारा अवाप्त भूमि पर बसी जादौन नगर का नियमन कर दिया गया है। इस कालोनी के समीप जो रामद्वारा कालोनी बसी हुई है, उसके लिए यह कहकर कि यह रीको की जमीन पर है, उसका नियमन नहीं किया।

इसी प्रकार से मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि टोंक रोड पर तरूछाया नगर है, आपको यह ध्यान होगा, 1989 में जेडीए ने इसका ले-आउट प्लान...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप, इधर देखिये। उनको कोई ध्यान नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक ही बात है साहब।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, एक बात नहीं है, दो बात हो जाती हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तरूछाया नगर टोंक रोड पर है। आप देखिये, कितनी जोरदार बात है। 1989 में जेडीए ने इसका ले-आउट प्लान एप्रूव कर दिया, वहां पर 70 प्रतिशत मकान बन गये। एक बार जेडीए, रीको और यूडीएच के अधिकारियों की मीटिंग हो गई। उसकी दर निर्धारित कर दी कि 500 रुपये प्रति वर्गगज हम लेंगे। उसके बाद केबिनेट सब-कमेटी बनी और केबिनेट सब-कमेटी ने दो साल पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुनियेगा। दो साल पहले और इसकी दो बार सिफारिश कर दी कि इसका नियमन कर दिया जाये। क्या पता क्या दवाब है, क्या करना चाहते हैं? अभी तक उस कालोनी का नियमन नहीं हुआ। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि..

श्री उपाध्यक्ष: तो नियमन करेंगे कि नहीं करेंगे, यह पूछो ना आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ... आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं। अवाप्त भूमि पर नियमन, अवाप्ताधीन भूमि पर नियमन, अल्सर की भूमि पर नियमन...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सुनिये। सुनिये सुनिये, यह नहीं। अब आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...सरकारी भूमि पर नियमन, स्टेट ग्रांट के पट्टे तो श्रीमान्, यह बताइये कि मैंने स्पेसिफिक जिन कालोनीज के नाम बताये हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बीच में बोल लिये ना। आप बीच में बोल गये ना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? कृपया बताइये।

श्री उपाध्यक्ष: पहले उनको, फिर बाद में आपको। माननीय प्रतापसिंह जी खाचरियावास। पहले इनको, बाद में आपको, और बीच में कोई दूसरा माननीय सदस्य कभी बोला तो मजबूर होना पड़ेगा आसन को, उसको मौका नहीं मिलेगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): देखो, तीन मिनट से चौथी मिनट नहीं बोला मैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बाद में। बाद में, बाद में, बाद में।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक मिनट। आपने सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है, इतनी सी बात कहना चाहता हूं। ये कहेंगे कि आपके राज में आपने कितना काम किया? हमारे राज में 12,000 पट्टे हमने कच्ची बस्तियों में दिये हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो राज में कभी रहे नहीं हैं। पार्टी रही है। आप विराजिये। पार्टी रही है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ..और कच्ची बस्तियों का नियमन किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। पार्टी रहती है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...और सुनिये। सहकारी समितियों के भी 10,000 से ज्यादा पट्टे दिये हैं। पता नहीं क्या किया आपने।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। प्रतापसिंहजी खाचरियावास। केवल माननीय खाचरियावास का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कल हो गया ना यूजर चार्जेज का काम।

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रतापसिंहजी खाचरियावास का। यह लम्बा नहीं होगा। डिमांड भी है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कालीचरणजी और मोहनलालजी गुप्ता साहब, ये जयपुर की समस्या उठाते हैं लेकिन आपको आज धन्यवाद देना पड़ेगा यूजर चार्ज का तो। आपने कल ताली बजाई, एक-दो ही बजाई। नाराज हो गये यूजर चार्ज खतम होते ही। यूजर चार्ज खतम होते ही नाराज हो गये। आप राज़ी तो हो ना यूजर चार्ज खतम होने से। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये सुनिये। केवल प्रतापसिंहजी खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप बैठो, बैठो। (व्यवधान) आप और हम एक थे यूजर चार्ज पर।

श्री उपाध्यक्ष: ये आपको नहीं बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। मेरे माध्यम से मंत्रीजी को बोल रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, मैं तो दोनों को धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम जयपुर की आवाज को दोनों पार्टियों ने किसी मुद्दे पर एक होकर उठाया, वह यूजर चार्ज था और उसके लिए हम दोनों पक्षों को धन्यवाद।

उपाध्यक्षजी, प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ तो बीच-बीच में बात उठी थी कि क्या यह सक्सेस हो पायेगा लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है जयपुर की जनता जो आजादी के पहले से जयपुर में बैठी हुई थी, जो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

स्टेट टाइम पर जयपुर के बसने से पहले से बैठी हुई थी वह लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमको पट्टा मिले, हमको अधिकार मिले और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं आज के दिन आदरणीय भैरोंसिंहजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 94 में कोशिश की थी कि इन सोसाइटियों को मैं खत्म कर दूं और पट्टे दे दूं लेकिन अधिकारियों ने उनको भी भ्रमित करके पट्टे देने से रोक दिया, पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवालजी ने मिलकर वह काम कर दिया जो आजादी के बाद कोई भी सरकार नहीं कर पाई। ईमानदारी से, मैंने पहले भी कहा था ओर फिर कह रहा हूं, इस बात पर आप एक घंटे की डिबेट कर लो कि पैंसठ वर्ष में आज तक सबसे ज्यादा पट्टे, सबसे ज्यादा अधिकार किस सरकार ने जनता को दिये हैं, इसका भी फैसला आप करा लो, अपने आप फैसला हो जायेगा। मैं एक बात कहता हूं, ईमानदारी से कहीं कोई कमी है, डे-बाई-डे अख़बार में यह निकलवाना कि यदि यह कमी है तो इसका समाधान यह है, हर आदमी के पास सरकार के नियम, कायदे-कानून अख़बार के जरिये लाखों रुपये के विज्ञापन देकर पहुंचाये गये, विज्ञापन हाथ में लो, नगर निगम और जेडीए के दफ्तर में जाओ...

श्री उपाध्यक्ष: क्वेश्चन करिये आप तो, क्वेश्चन।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। जेडीए जाओ और जाकर जो कमी आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं, अधिकारी और कर्मचारी जितना सरकार सहयोग चाहती है उतना जब नहीं मिल रहा था शुरूआत हुई, अब वह मिलने लगा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नहीं। कालीचरण जी का अंकित नहीं होगा। माननीय कालीचरण जी, आपको मौका दिया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप बीच में डिस्टर्ब करो। अब दूसरा बिजनेस बाकी है, माफ करना हमें, नहीं, ऐसे नहीं फिर, यह ध्यान रखेंगे सारी बातें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्षजी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग शुरू में डिस्टर्बेंस हो रहा था कि भाई कहीं यह प्रोब्लम आ जायेगी, यह प्रोब्लम आ जायेगी, वह भी दिन पर दिन दूर होने लगी और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा सरकार को कि जनता चाहती थी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कि 31 मार्च तक हमारे आवेदन लिये जायें, यह आपने कर दिया और आज फ्लोर पर स्पष्ट किया है, मैं यही पूछना चाहता था मंत्रीजी से कि लास्ट पट्टा जब तक पेण्डिंग रहेगा तब तक इस अभियान को चलाना पड़ेगा, तो मंत्रीजी ने कहा हम चलायेंगे, इसके लिए, यह बहुत बड़ी बात है कि आपने जनता की भावनाओं को समझा। उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये मंत्रीजी से....

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठें। आपका नहीं। माननीय मोहनजी। मोहनजी। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीटीशन अब नहीं होगा। मैं रिपीटीशन नहीं कराना चाहता था और आप खुद ही नहीं चाहते तो मत चाहिए। सदन को ऐसे नहीं चलाना पड़ेगा न, नियमों से चलता है सदन, आप महापौर रहे हैं, वह सदन में और इसमें अंतर है थोड़ा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप मेरे बोलने से डरते क्यों हैं इतना, मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, बोलिये। पिन प्वाइंट। पिन प्वाइंट, प्लीज।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं कर रहा हूं जल्दी। उपाध्यक्षजी, ऐसा है सारा अभियान चला, उसमें आपने वन विभाग की बात कही, पहली सरकार है वन विभाग में मंत्रीजी, आप एक बार जांच करवा लेना, आपके यहां से लैटर गया है, आपने भेजा भी है जेडीए के अधिकारियों को, यह बात तो आपको माननी पड़ेगी जब भी आप गये, इस राज में सरकार ने यह आदेश दिया, चाहे एम एल ए हमारा हो, चाहे उनका हो, जो भी गया वहां जाकर उसने अलग से मीटिंग ली, अधिकारी आपके साथ बैठे, एक-एक पर डिस्कस हुआ, तरूछाया नगर में, मैं भी यह चाहता हूं कि तरूछाया नगर के लोगों को पट्टा मिले, इसके लिए मैं भी आपके साथ हूं, सरकार भी चाहती है और मंत्रीजी उस पर रास्ता भी निकाल रहे हैं और मंत्रीजी ने भी चिट्ठी लिखी है यह भी आप जानते हो, मैं यह कह रहा हूं, मैं इतना चाहता हूं उपाध्यक्षजी, आपके जरिये एक बात साबित होनी चाहिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान यह कह रहे हैं कि रेगुलरली काम होना चाहिए था, तो कोई डाक्टर ने मना किया था क्या चार साल पहले, रेगुलरली आप यह पट्टे दे देते न। चार साल पहले एक पट्टा आपने दिया नहीं, जयपुर की जनता बारघोड़ा करती रहे, कच्ची बस्ती वाले रोला करते रहे, कालोनी वाले बारघोड़ा करते रहे, आपने कालोनियों का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नियमन नहीं करा, कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया। उपाध्यक्षजी, इन लोगों ने जिनका नियमन नहीं किया, वह लोग आज यह कह रहे हैं कि आपने क्या किया, यह रिकार्ड सारा टूट जायेगा और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, अंतिम व्यक्ति को जब तक पट्टा मिलेगा तब तक मंत्रीजी तो करेंगे ही, हम खुद हर जगह जाकर, सब जगह जाकर और एक जो आरोप लगाया गया, यह बिलकुल गलत आरोप है कि कोई वहां पर करप्शन कर लेगा, घर की दुकान नहीं है, कोई करप्शन करेगा तो उसका इलाज करना कांग्रेस पार्टी को और सरकार को आता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): और यदि कोई, उपाध्यक्षजी, करता है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है उसको आप रोको। जब पट्टा मिलता है तब आपके कार्यकर्ता नीचे बैठे यह कह रहे हैं कि देखो हम पट्टा दिला रहे हैं, वह तो पट्टे दिलाने में लगा हुआ है, आप प्रशासन शहरों के संग अभियान का यदि विरोध करते हो, आप स्पष्ट करो कि जयपुर की जनता को पट्टा देने का आप विरोध कर रहे हो, आप बोल दो खड़े होकर, मैं मान जाऊंगा। आपको कहना चाहिए और यदि आप प्रशासन शहरों के संग अभियान का विरोध नहीं करते हो तो आपको बताना चाहिए कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में काम हो रहा है, हम यह-यह सुधार चाहते हैं और उस सुधार के लिए मैं आदरणीय कालीचरणजी और मोहनलालजी के साथ खुद निगम और जेडीए में चलता हूं, क्या हमारी ड्यूटी नहीं है, जैसे यूजर चार्ज में हम एक साथ होकर निकले, आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं और मंत्रीजी को जहां जरूरत होगी, अपन हाथ पकड़ कर लेकर चलेंगे, काम करायेंगे जयपुर की जनता का।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय परनामी जी। (व्यवधान) एक मिनट। नहीं, कोई नहीं। नहीं अंकित होगा। आप विराजिये। माननीय परनामी जी, आप बीच में बोले, डिस्टर्ब किया है, फिर भी आपको हट करके लीक से, जो लीक बांधी है, इसलिए कृपा करके बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, सदन में इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं, जो चाह रहा है सदन वह हो रहा है, आप एक क्वेश्चन पूछिये बस।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। मेरे साथी प्रतापजी...

श्री उपाध्यक्ष: साथी से नहीं, आप मंत्री से मांगिये। साथी क्या कह गये, वह रिकार्ड पर आ गया। मंत्रीजी से। आप क्वेश्चन पूछिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): देखिये, तथ्यों के आधार पर यदि सदन में बात हो तो उसका आनन्द आता है। 2007 में हाई कोर्ट ने स्टे हटाया था कच्ची बस्ती को पट्टे देने में। हमारी सरकार ने जैसे ही स्टे हटा उसी समय...

श्री उपाध्यक्ष: राजनीतिक मंच नहीं है, स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): बात सुनिये। हां, स्पष्टीकरण दे रहा हूं ना।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार पहले भी जनता की थी और अब भी जनता की है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे राजस्थान प्रदेश में कैम्प के माध्यम से कच्ची बस्ती वालों को पट्टे बांटे थे। केवल मात्र जयपुर शहर में नगर निगम के माध्यम से 12 हजार 368 पट्टे मेरे महापौर कार्यकाल के दौरान मेरे हाथों से मैंने बांटे थे। इस बार के प्रशासन शहरों के और अभी मंत्री महोदय ने कहा केवल मात्र पैंतीस सौ कितने पट्टे बांटे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अभी आपने जो प्रशासन शहरों की ओर लगा रखा है, इसमें जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के यहां पर रहे, चाहे वह आदर्श नगर हो, चाहे वह राजापार्क हो, चाहे वह सिंधी कालोनी हो, चाहे वह अशोक चौक हो, चाहे वह जनता कालोनी हो, चाहे वह सेठी कालोनी में, यहां के लोगों को प्रशासन शहरों की ओर अभियान पट्टे नहीं बांटे जा रहे हैं। वहां के अधिकारी यह कहते हैं कि इस समय केवल मात्र हम कच्ची बस्ती वालों को पट्टे दे रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से आप यह कैम्प लगायें जिससे कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के आये थे, जो शरणार्थी थे...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उनको भी उनके अधिकार मिलें। आज 62 वर्ष हो गये हैं उनको पट्टे नहीं मिले। हमारे कार्यकाल में हमने पचास प्रतिशत लोगों को पट्टे दे दिये थे परन्तु पचास प्रतिशत अभी भी शेष हैं जिनको कि पट्टे जारी होने हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये आप। विराजिये, विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उपाध्यक्ष महादेय, मेरी बात तो कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: सभापतिजी तो बाद में आयेंगे, अभी तो कोई और ही बैठे हैं। आप विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिए विशेष रूप से कैम्प लगायें और इनको पट्टे दें। एक और निवेदन करना चाहूंगा। आज जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम में सामंजस्य नहीं है। नगर निगम वाले कहते हैं कि फाइल आपकी जेडीए में पड़ी है, जेडीए कहता है कि आपकी फाइल निगम में पड़ी है, ऐसी कितनी ही सोसाइटियां जैसे तिवाड़ीजी का बाग़, गोटे वालों की बगीची, उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, केवल मात्र इस कारण से कि निगम और जेडीए में सामंजस्य नहीं है। तो आप सामंजस्य भी स्थापित करने की कृपा करें और जिनकी फाइलें नहीं मिल रहीं उनकी फाइलों को ढूंढे या उनके पास जो रिकार्ड है...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप विराजिये। अब आप विराजिये, विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उसके आधार पर फाइल बनाकर उनको भी पट्टे जारी करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी को स्पष्टीकरण देना है। अब इसके बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा, बिलकुल नहीं होगा, आप बीच-बीच में तीन दफा बोल लिये। हां, हो गया, अब खूब हो गया वैसे भी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोहनलाल जी गुप्ता साहब ने कहा कि कंसलटेंट की सर्विसेज ली जा रही है, क्या गलत है। अगर मान लीजिये स्टाफ की कमी है और सर्विसेज अगर कंसलटेंट की लेकर के काम को तेजी से, गति से चलाया जा सकता है तो क्या गलत है इसमें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): रेगुलर स्टाफ क्या काम कर रहा है वहां।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रेगुलर स्टाफ के अलावा भी जब प्रशासन शहरों की ओर चलता है तो लार्ज स्केल पर चलता है, यह कोई रेगुलर....

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): तो उनको सारे काम छोड़ दिये, यह जिम्मेदार हैं क्या।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात सुन लीजिए, बैठिये आप, आपकी बात समझ में आ गई है आप विराज जाओ। जब शिविर लगाया जाता है तो एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, आपसी व्यक्तिगत डिस्कसन नहीं, यह व्यक्तिगत नहीं है सदन।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और कन्सल्टेंट की मदद से अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा आवेदनों का निस्तारण किया जा सकता है तो क्या गलत है इसमें?

श्री उपाध्यक्ष: वह मेरे माध्यम से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं मंत्रीजी। मेरे माध्यम से सुनाएंगे तब उनके समझ में आएगा थोड़ा ज्यादा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो फिर आपके समझ में आ जाएगा तो उनके समझ में नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आ जाएगा दोनों के।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात आपने कही कि अभियान के दौरान अनियमित, नियमित, जो अनुमोदित है उनको नियमित किया गया है। यह फिर कौनसी कालोनियां थीं 35, अनुमोदित को नियमित किया गया है इस प्रशासन शहरों की ओर? यह गैर अनुमोदित थी, अनुमोदित अलग है, अनुमोदित तो एक सतत प्रकिया है निश्चित तौर पर...

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आप सुनिये। उनकी बात पूरी सुनिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अनुमोदित कितनी की वह बताओ? अनुमोदित कालोनी का तो रूटीन में काम चलता है। आपने प्रशासन शहरों के संग चलाया इसमें अवाप्त भूमि पर सरकारी अतिक्रमण जिन पर था, अवाप्ताधीन थी, अल्सर में थी उनके लिए क्या किया वह बताओ आप?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वहीं बता रहा हूं आपको। अवाप्ताधीन और अवाप्ति से प्रभावित कुल योजनाएं थीं 133, 133 में से 35 कालोनियों को नियमित किया गया है और बाकी जो कालोनियां बची हुई हैं वह प्रक्रियाधीन हैं। यह गैर अनुमोदित वाली भी बता दी मैंने, अवाप्ताधीन भी बता दीं और अवाप्तशुदा भी बता दीं आपको।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मतलब अभी 121 कालोनियां बाकी हैं?

श्री उपाध्यक्ष: यह आपसी का विषय नहीं है, अब केवल शांतीजी धारीवाल का। नहीं-नहीं, आपको इजाजत नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आपने तरूछाया के बाबत् कहा 17.1.13 को राज्य सरकार का यह आदेश था कि वन भूमि पर नदी नाले की ज़मीनों पर, तालाब की ज़मीनों पर, रेलवे के पास में 30 मीटर तक और रीको की जमीन पर कोई भी नियमन नहीं होगा। तरूछाया की जो भूमि है वह टोटल अवाप्ताधीन है एक बात। दूसरी, बात यह है कि फिर भी जैसा आपने कहा, बिलकुल सही कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने यह निकाला था कि इसका भी नियमन किया जावे। लेकिन वहां पर विभिन्न न्यायालयों में खातेदारों के बीच में विवाद होने की वजह से यह नियमित नहीं हो पायी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सब कमेटी ने रिकमण्ड कर दिया फिर क्यों नहीं हुई?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अदालतों के फ़ैसले दो साल क्या, बीस साल में भी नहीं होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा, शहरी क्षेत्र के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भी डी.एल.सी. के 10 प्रतिशत के आधार पर अकृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री छोटूसिंह भाटी। केवल श्री छोटूसिंह भाटी का।

ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री छोटूसिंह भाटी का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नहीं, पीढ़ियों से रामगढ़वासी उस गांव में निवास कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: छोटूसिंह जी, आपने रख दिया है, अब मंत्रीजी बोलेंगे, उसके बाद फिर आप कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो बोलिएगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आ गया है वह, जो सिस्टम है उसी सिस्टम पर चलेगा। केवल मंत्रीजी का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन विभाग द्वारा वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला जैसलमेर में दो भांगों में पुरानी आबादी में 26.2 बीघा और नई आबादी में 26.14 बीघा भूमि हस्तान्तरित की गई। उक्त भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा अतिक्रमियों का सर्वे करने हेतु दिनांक 7.10.2005 को एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा कुल 333 प्रकरण अतिक्रमण के पाये गये जो इस प्रकार हैं। 128 प्रकरण आवासीय जिसमें एससी/एसटी और कमजोर वर्ग के...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, यह तो राजस्थान का है ना?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हैं साहब, जैसलमेर में भी आदिवासी हैं। वहां पर 128 प्रकरण पाये गये। इन प्रकरणों का राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 185 के तहत निशुल्क पट्टे जारी कर दिए गए हैं। 38 प्रकरण उपनिवेशन से सम्बन्धित होने के कारण उपनिवेशन को वापस लौटा दिये गये हैं। 163 प्रकरण व्यावसायिक पाये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रकरणों को दिनांक 5.7.2010 को वाणिज्यिक डी.एल.सी दर से लिये जाने का निर्णय किया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.12.2010 को पुन: प्रस्तावित कर नियमन करते हुए सड़क से 20 रुपये प्रति फुट और सड़क से दूर 15 प्रति फुट और वाणिज्यिक उपयोग हेतु 40 रुपए प्रति फुट पर निर्धारित किया गया। जिला कलक्टर, जैसलमेर की रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी विकास अधिकारी की टिप्पणी और उक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को 22.7.2011 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव 14.12.2010 को निरस्त करते हुए आवासीय भूखण्ड नियमों को डी.एल.सी आवासीय दर पर तथा वाणिज्यिक भूखण्डों के नियम वाणिज्यिक डी.एल.सी. दर पर किए जाने की स्वीकृति की गई।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटूसिंह जी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ गांव ऐसा है मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं वहां आज

(श्री छोटू सिंह भाटी)

से नहीं, कई सालों से पीढ़ियों से वह रह रहे हैं। आजाद हिन्दुस्तान के बाद में उसकी आबादी आज तक नहीं बढ़ी है। गांववासी आपस में सलाह मशविरा करके रह रहे थे। मंत्रीजी ने फरमाया है कि कुछ परिवार जो 128 एससी/एसटी और कमजोर वर्ग के हैं उनको निशुल्क पट्टा दिया गया। लेकिन रामगढ़ में 36 कौम रहती हैं उन 36 क़ौमों के अन्दर उनको यह पता नहीं था कि कौनसी आबादी है और कौनसी आबादी नहीं है? जब नहर विभाग आया और उसका सीमांकन हुआ तो उन लोगों को बाहर कर दिया कि आप आबादी से बाहर हो और उनका डी.एल.सी. रेट 40 रुपये और 221 रुपये बताया गया। एक गांव के अन्दर इस प्रकार का रेट, गांव का आदमी कैसे सम्भव कर सकता है। उसके अलावा भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 800 बीघा जमीन उपनिवेशन विभाग को दी गई और देने के बाद 50 पैसे वर्ग फुट से नियमन करने का आदेश दिया गया। लेकिन जो बाहर रह रहे थे उन गांववासियों को और रहने वाले जो आज नहीं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको नहीं दिया गया। आज वह संघर्ष कर रहे हैं। वह आज से नहीं रह रहे हैं, चालीस, पचास साल से उस गांव के अन्दर रह रहे हैं। उन्होंने क्या गुनाह किया? आबादी के हिसाब से, नियम के हिसाब से वह लोग अन्दर आ सकते हैं और उनको दिया जा सकता है। जबकि आप खुद ही इस प्रकार के नियम बनाते हो कि कच्ची बस्ती में हर मुख्यालय पर कच्ची बस्ती के दस परसेंट की डी.एल.सी. रेट पर आपने खुद ने शहरों में भी नियमन किये हैं। इसके अलावा एक लाख आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भी जो अकृषि भूमि थी, बने हुए मकान और दुकानें 2007 में डी.एल.सी. रेट के दस परसेंट पर नियमन जारी करने के निर्णय भी लिये गये हैं। तो क्यों रामगढ़वासियों को ही जो पूर्व से रह रहे हैं, उन्हीं गांवों के रहने वाले, इस प्रकार शहरी क्षेत्र और गांव के क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम भी पचास गांव और ढाणियां इस नहरी क्षेत्र में आती हैं। उन गांवों में नहरी क्षेत्र का रेट अलग और शहरी क्षेत्र का अलग होता है। फिर भी रामगढ़ छोटा सा कस्बा है केवल तहसील हैडक्वार्टर हैं, उसके साथ में 40 रुपये वर्ग फुट और 221 रुपये वर्ग फुट वाणिज्यिक जो सड़क के किनारे आ गया और किसी ने दुकान बना दी है, तो इस प्रकार का व्यवहार जो शहर में नहीं है गांवों में है और गांवों के वासी आज से नहीं रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनके साथ में भेदभाव क्यों बरता जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय, एक तरफ से नहर विभाग 50 रुपये पेशेवर फुट से जमीन उनको दे रहे हैं

(श्री छोटू सिंह भाटी)

रहवासी मकानों के लिए। लेकिन रामगढ़वासी जो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष को अभी तक सफलता नहीं मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस हिसाब से नहर का जो नियम है और लोक कल्याणकारी राज्य के नियम तक जन हित को ध्यान में रखते हुए पीढ़ियों से रह रहे

रामगढ़ जैसलमेर के ग्रामीण डी एल सी दरों से दस प्रतिशत या उपनिवेशन दर से नियमन करने की स्वीकृति रामगढ़ ग्राम पंचायत को प्रदान कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, खड़े होकर बात नहीं करेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये बात सही है...

श्री उपाध्यक्ष: कितनी दफा खड़े होकर कहेंगे आप। कितनी दफा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप भी ग्रामीण अंचल से हैं। यह कौन सा तरीका हुआ कि आप डी एल सी की रेट, आपने सड़क बाद में लगा दी डेढ़ सौ साल पुराना गांव बसा हुआ है आपकी व्यवस्था में...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सात बार का और पहली बार का तो मुकाबला ही नहीं होता है। सात बार और ये पहली बार।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): प्लीज। प्लीज।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ...(व्यवधान) जैसलमेर का मामला है ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक मिनट बैठो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना है कि गांवों में हम सौ वर्ष से, दो सौ वर्ष से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक मेन कड़ी होता है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं आपकी बात कह रहा हूं एक सड़क निकाल दी आपने बाद में। (व्यवधान) आपने पचास साल इस पंचायत राज व्यवस्था में पट्टे जारी कराने की व्यवस्था नहीं की। अब आपने डीएलसी की रेट कर दी कि ये एक स्टेट हाइवे निकल रहा है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये नेशनल हाइवे है, ये मेगा हाइवे है, अब आपके रेट पांच हजार रुपये प्रति गज लगेगी। क्या वो गांव वाला दे सकता है? आपने शहर में स्टेट ग्रांट के तहत

(श्री देवी सिंह भाटी)

एक रुपये में पट्टा दिया है तो क्यों ये गांव वालों के साथ में अलग-अलग व्यवहार करके और मारने पर तुले हुए हो और फैसला नहीं ले रहे हो? मेरा यही कहना है आप थोड़ा सोचिये आप भी गांव से हैं, बाड़मेर से हैं, आपके भी ये समस्या आ रही है। आप मंत्रिमंडल के सामने विषय रखो मुख्य मंत्रीजी क्यों टालेंगे इसको। आप यह करिये कि जो पुराने बसे हुए हैं उनको स्टेट ग्रांट के तहत और ये भी नहीं आप ये साइज कम करने वाला मत करो गांव में। साहब, मेरे वहां पर घास रखते हैं, हम लकड़ी रखते हैं, हम खाट बिछाते हैं, हम भेड़-बकरी, ऊंट गाड़ा सब वहां पर रखते हैं और आप अगर तीन सौ गज पर आ जाओगे तो हमें कैसे न्याय मिलेगा तो जो जैसा बसा हुआ है आप व्यवस्था को यों डगमगाओ मत मेरा सुझाव है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): +++, भवानी सिंह जी +++ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप लम्बा नहीं करें। एक मिनट इनको बात समाप्त कर लेने दें। केवल छोटूसिंह भाटी। अब आप विराजिये माननीय। आप विराजिये। आपकी टोपी के आगे वो...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आदिवासी क्षेत्र से क्या आदिवासी हूं।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि गांव...

श्री उपाध्यक्ष: आप स्पष्टीकरण। ...(व्यवधान) भाषण देते हैं।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): अर्ज है अर्ज। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब गांव बसा था तो न तो सड़क थी ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको पता नहीं है। 131 किसका चल रहा है पता है आपको? आपको पता नहीं आप अभी सदन में आये हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। छोटूसिंह जी भाटी, आप बोलो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवीसिंह जी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, ये रामगढ़ का मामला नहीं है ...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय सदस्य, इनके बाद में नम्बर आएगा आपका।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल रामगढ़ का ही मामला नहीं है। रामगढ़ के मामले के साथ में मेरे क्षेत्र के मोहनगढ़, सुलताना ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप स्पष्टीकरण तक रहें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सभी गांवों का मामला इसलिए है मंत्री जी, कि जो भी गांवों में बसे हैं वहां सड़कें पहले नहीं थी। गांव बने, घर बने उसके बाद में सड़कें बनी हैं। सड़कें बनने के बाद वो कहते हैं कि मकान आपके बाहर आ गये और आपने डीएलसी रेट 41 रुपये गांव की लगा दी, 221 रुपये वाणिज्यिक एक दुकान लगा दी। यह रेट गांववासियों के लिए स्वाभाविक नहीं है यह अन्याय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद में आपको अनुमति है।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): जबकि शहरों में है कृषि भूमि के ही रेट आपने दस प्रतिशत पर लगाये हैं ...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद में आप बोलें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा

(श्री छोटू सिंह भाटी)

निवेदन है कि जैसलमेर में रेगिस्तान है, रेगिस्तान में शिक्षा की कमी से लोगों ने यह ध्यान नहीं रखा और अब सरकार जो रेट लगा रही है वो रेट न लगाकर ...

श्री उपाध्यक्ष: अब उनका जवाब आ जाने दीजिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): जो नियमन, जो उपनिवेशन की रेट 50 पैसे है वो रेट लगायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। हां, माननीय सदस्य। (व्यवधान) एक मिनट, उनका भी साथ के साथ दे दीजियेगा।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो नहरी क्षेत्र की रामगढ़ की बात कह रहे हैं वास्तव में पूरे नहरी क्षेत्र में इस प्रकार के रेट नहीं हैं जबकि...

श्री उपाध्यक्ष: रामगढ़ तो उसमें शामिल है ।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं यही बात कह रहा हूं जबकि मोहनगढ़, नाचना जो नहरी क्षेत्र में बड़े-बड़े कस्बे हैं उनकी तो रेट भिन्न है जबकि रामगढ़ की जो रेट कह रहे हैं सदस्य सही बात कह रहे हैं कि उसकी रेट जिसने तय की वह वास्तव में ज्यादा है क्योंकि इस रेट से तो जैसलमेर जिले में यदि सिटी में भी देखें तो उसकी भी रेट नहीं है। तो मैं यह चाहता हूं मंत्रीजी से कि जैसलमेर पूरे जिले में ही यदि ये रेट नहीं है, रामगढ़ कस्बे में यदि इस प्रकार की रेट होती है तो उन लोगों के साथ में यह अन्याय है इसलिए मैं चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह नहीं है माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि इस तरह से पुराने बसे हुए हैं उनको कैसे किया जाए। शहरों को तो फायदा हो रहा है और गांवों को नहीं हो रहा है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): नहीं-नहीं, हमारी स्थिति और है ... (व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि हमारा जिले में काफी जो गांव हैं, लोग गांव में नहीं बसते हैं सभी लोग ढाणी में बसते हैं। अभी जिस प्रकार से प्रशासन गांवों के संग अभियान में कहा जो लोग खातेदारी में बैठे हैं उनका आप नियमन कर रहे हैं, उनको पट्टा दे रहे हैं। जो लोग सरकारी जमीन पर बैठै हैं उनको न तो राजस्व विभाग चिह्नित कर रहा है, न पंचायती राज उनको चिह्नित कर रहा है, उन लोगों का कोई धणी-धोरी नहीं है इसलिए हम चाहते हैं

(श्री शाले मोहम्मद)

कि जो सरकारी लैंड पर ढाणियां बसी हुई हैं चाहे नहरी क्षेत्र में हो, चाहे राजस्व क्षेत्र में हो, उन सभी गांवों की जो ढाणियां हैं उनका चिन्हीकरण किया जाए। जो भी परिवार वहां रह रहे हैं उनके लिए सरकार के दिमाग में कम से कम यह तो रहे ये लोग वास्तव में ढाणी में इस जगह बस रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आप शहर के अन्दर स्टेट ग्रांट के पट्टे देते हो, ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप स्टेट ग्रांट के पट्टे उसी अनुसार आप उन ढाणियों को भी चिह्नित करें और जो लोग अकृषि भूमि में बैठे हैं उनको भी आप पट्टे जारी करावें। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, पहले मैं कह चुका हूं उसका सर्वे हुआ है और उस सर्वे में जिनको निःशुल्क पट्टे दे सकते थे उनको हमने निशुल्क पट्टे दे दिये हैं। क्योंकि पंचायती राज में तमाम कानून और नियमों में जो प्रावधान हैं उस प्रावधान के अनुसार ही चलना होगा। जब सर्वे हुआ ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्यों? नहीं-नहीं, नियम अपन बनाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में व्यक्तिगत डिस्कसन नहीं होगा।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अब बनायेंगे लेकिन पहले आपने बनाये हम तो जूनियर हैं। आपने बना दिये उसी पर तो हम चल रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अब नये बना दो।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में जिन लोगों को हम निःशुल्क दे सकते थे, पट्टे उनको दे दिये गये। ये जो लोग रह गये हैं वो व्यावसायिक काम कर रहे हैं और जो व्यावसायिक काम कर रहे हैं और निःशुल्क पट्टे मांग रहे हैं, कानून में कहीं पर भी हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए हम उसको देने में असमर्थ हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट भाटी साहब, इनका यह आशय है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं कि क्या काम कर रहे हैं, पुराने कब्जे हैं उनके बारे में ।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): पुराने कब्जे ...

श्री उपाध्यक्ष: पुराने कब्जे हैं। आप ये ही कह रहे हैं न पुराने कब्जे।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय मंत्री महोदय, हम यह नहीं कह रहे हैं आज की रेट और है हम तो पूर्वजों के बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पूर्वजों के हैं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): नहीं मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही बात कह रहा हूं कि जब सर्वे कलक्टर ने करवायी वहां पर और सर्वे के टाइम पर वो आराम से वहां पर व्यापार-धंधा कर रहे हैं तो व्यापार-धंधा करने वाले व्यक्ति को हम नि:शुल्क पट्टा कैसे दे सकते हैं। ये सर्वे में पकड़े गये हैं।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): हम नि:शुल्क का नहीं कह रहे हैं। मंत्रीजी, हम कह रहे हैं कि जब पूर्वजों से ही मकान हैं आज नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक करके। आप दोनों में से एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं बताता हूं ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं न।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) सर्वे कौन सा हुआ है। बता दीजिये एक गांव का। एक गांव का यदि सर्वे किया है तो बता दीजिये। आज तक पंचायती राज में कौन सा सर्वे कब हुआ है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जो अभी इन्होंने सर्वे किया है, जो ये कलक्टर ने रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट सही नहीं है। वास्तव में लोगों के पुराने घर हैं उनके पूर्वज वहां रहते थे। उन्होंने घर के साथ में दुकान बना ली। वह दुकान जो सड़क के ऊपर है, मेन मार्केट के ऊपर है तो उसमें उनका घर आ गया जबकि उनकी दुकान नहीं है, वाणिज्यिक नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वो आपकी ही बात कह रहे थे।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उनका घर है पुराना ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले मंत्रीजी का पूरा जवाब आने दो उसके बाद में आप कहें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): नहीं, एक मिनट निवेदन है। मंत्री जी, आप फरमा रहे हैं कि जो वाणिज्यिक काम कर रहे हैं, वो वाणिज्यिक कैसे कर सकता है वो तो पूर्वजों से ही वहां रहने वाला है और वहां रह रहा है। अब यदि सड़क वहां निकली और बीच में उसका मकान आ गया उसने दुकान बनाई तो गुनाह तो नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय छोटूसिंह जी आपके फायदे में यह है कि पूरा जवाब आए तब आप कहें। अगर आप बीच में बोलोगे तो फिर मैं अगला बिजनेस ले लूंगा।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये रिपोर्ट 2010 में कलक्टर ने भेजी है सरकार ने इसको एग्जामिन करा के इसके ऊपर निर्णय किया है और हमारे कानून में ऐसी कोई कहीं पर भी छूट नहीं है, हम नहीं दे सकते इसलिए हम देने की स्थिति में नहीं हैं। स्पष्ट बात है।

(15.00 बजे)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): मंत्रीजी, हमारा पूर्ववर्ती मकान है, आपको नि:शुल्क देने की जरूरत कहां है। हमारा पूर्ववर्ती मकान है, आप नि:शुल्क नहीं देकर उपनिवेशन के नियम से 50 पैसे वर्ग फुट देने की व्यवस्था का आदेश फरमावें। 40 साल पहले का बना हुआ है, आज का थोड़े ही बना हुआ है। उस मकान में रोड बाद में बनी, डवलपमेंट बाद में हुआ, नहर बाद में आई।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो। श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम की 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भारत सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड़ कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री भरत सिंह (सांगोद, मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्र. सं. 104 से 109)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 समिति के 6 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी।

श्रीमती जकिया (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य

(श्रीमती जकिया)

सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 के निम्नांकित छह प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

1- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 104वां प्रतिवेदन;

2- राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-01 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 32वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 105वां प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 33वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 106वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-03 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 107वां प्रतिवेदन;

5- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 42वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-13 का 108वां प्रतिवेदन; एवं

6- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-01 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 52वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 109वां प्रतिवेदन।

घोषणा

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिए जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-8 राजस्व एवं श्री परसादीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-9 वन विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, यह सचेतक महोदय तो मेरे से दोस्ती रखते नहीं हैं, मेरा नाम नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा?

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय हेमाराम चौधरी। बीच में नहीं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8 - राजस्व की प्रस्तुति

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5,93,46,32,000 (अक्षरे पांच अरब तिरानवे करोड़ छियालीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय परसादीलाल जी।

मांग संख्या 9 - वन की प्रस्तुति

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 8,51,69,59,000 (अक्षरे आठ अरब इक्कावन करोड़ उनहत्तर लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री टीकाराम जी जूली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आज तक मांगों के बारे में हमेशा सत्ता पक्ष मांग रखता है और प्रतिपक्ष का सदस्य पहले बोलकर प्रत्युत्तर देता है। यह नई परम्परा कहां से हो गई कि सत्ता पक्ष का सदस्य पहले बोल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: यह परम्परा नहीं मानी जाएगी जो भी व्यवस्था होगी।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): आप आसन को चैलेंज मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसा मत करो। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में नई परम्परा ...

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा नहीं मानी जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, साहब, आप हमें बुलाइए। नहीं, नहीं, पहले हमें बुलाओ। नहीं ऐसा नहीं करें, यह नई परम्परा कहां से आ गई?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं करें, मेरी प्रार्थना है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन का अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप नई परम्परा कौनसी डाल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: यह परम्परा नहीं मानी जाएगी, अब इसमें आप दिखावा करो, अच्छा नहीं लगता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मांग रखी है सत्ता पक्ष ने, मांग रखने के बाद अगर इतिहास में कभी भी माननीय सदस्य बोले हों, सिवाय बजट के, सिवाय राज्यपाल के अभिभाषण के तो आप इनको बुलाइए। नहीं, यह हमारा अधिकार है, हम हमारा अधिकार कैसे छोड़ देंगे।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): यह भी अधिकार है क्या कि कोई भी बोले तो बीच में आप कानून की किताब लेकर खड़े हो जाओ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका अधिकार होगा वह सुरक्षित रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप इन नियमों से बंधे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह नियम है क्या, आप बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कहां नियम है कि उनको बुलाया जाएगा, उन्हीं को बुला दो फिर। आप ऐसा मत करें, मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की व्यवस्था जैसी भी है, इसके अदरवाइज है तो उसको परम्परा नहीं माना जाएगा, आज कोई बोल लिया तो, नाम दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नई बात चालू नहीं करें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा नहीं माना जाएगा। अब वह माननीय सदस्य खड़े हो गए।

मांग संख्या 8 व 9 पर विचार

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग की मांग संख्या-8 पर बोलना चाहूंगा और सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब और हमारे मंत्री हेमारामजी चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे

(श्री टीकाराम जूली)

क्षेत्र की एक बहुत बड़ी डिमांड जो थी जिसके लिए लगातार उस क्षेत्र से मांग उठती रही मालाखेड़ा को तहसील बनाने की, वह आपने पूरी की जिसके लिए मैं मेरे पूरे अलवर ग्रामीण क्षेत्र की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग में बहुत अच्छा बजट अब तक दिया गया है और हर साल बहुत सी सुविधाएं ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं, निर्णय आपने किया कोई दिक्कत नहीं। सामान्यत: डिमांड पर जब ओपन करते हैं तो वह पहले प्रतिपक्ष ही करता है। कारण क्या है कि विषय के बारे में ठीक प्रकार से एक बार प्रतिपादन हो जाए उस डिमांड पर फिर उसके बाद तो अपना-अपना ...

श्री उपाध्यक्ष: पहले की जो परम्परा है वह सुरक्षित रहेगी, अब नाम पुकार लिया है, उनका बाद में आ जाएगा। परम्परा को नहीं तोड़ा जाएगा, यह त्रुटिवश मान ली, भूलवश मान ली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): ... लगातार आम आदमी के साथ जो समस्याएं आती रहीं निश्चित तौर पर राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर उनका निपटारा किया गया। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि अभी आपने एक बहुत बड़ा काम अलवर जिले के लिए किया है कस्टोडियन भूमि की रेट्स थीं जो पिछली बार भाजपा के शासनकाल में डीएलसी रेट का 25 प्रतिशत आप लोगों के द्वारा कर दिया गया था, उस रेट को माननीय मंत्री महोदय ने, मुख्य मंत्रीजी ने साढ़े 12 सौ रुपए किया और उसका फायदा आम आदमी को मिला। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे सामने लोकल लेवल पर कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से कस्टोडियन भूमि के ज्यादातर पट्टे तो मिल गये लेकिन कुछ लोगों को उनमें पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं उसकी वजह यह है कि उनका रिकार्ड जो हम मांग रहे हैं वह रिकार्ड हमारे रिकार्ड में ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस चीज की छूट उन लोगों को दी जाए और राजस्व गांव बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लायी जाए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो मापदण्ड तय हैं उसके आधार पर हम स्वयं ही इस चीज का सर्वे करके राजस्व गांव घोषित करावें। माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस अवसर पर अब मैं वन विभाग की मांग संख्या-9 पर बोलना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूर्व में भी आपने

(श्री टीकाराम जूली)

सरिस्का के आसपास जो लोग बस रहे थे उनको रियायती दर पर गैस कनैक्शन दिए और इस बजट में भी सरिस्का और रणथम्भौर के लिए आपने 20 हजार रियायती दर पर कनैक्शन देने की घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने लगातार पिछले चार वर्षों से हरित राजस्थान के तहत स्कीम चलाकर पूरे राजस्थान को हरा-भरा बनाने में एक पहल की है।

(15.10 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मैं इस अवसर में कहना चाहूंगा कि जल, जंगल, जमीन और जीवन इन सबका आपस में एक नाता है, आपस में इनका सामंजस्य चलता है। कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिनकी वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। मैं चर्चा करना चाहूंगा, आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित भी करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बार्डर का इलाका है उसके पास सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र आता है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सामने स्थिति आ रही है सारे नियम कानून सब हमारे पक्ष में होने के बाद भी वहां लोकल इलाके के लोगों के सामने दिक्कत आ रही है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम, 2006 और 2008 की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जो वन में निवास करते हैं, वह कहीं भी अपने निवास के लिए, जीविका के लिए, स्वयं की खेती करने के लिए और किसी भी सामूहिक उपभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और रहने का उसको अधिकार प्राप्त है लेकिन उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं वह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज उन गांवों के लोग, जो उनके खुद के अधिकार हैं आज उनके रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। उनके किसान क्रेडिट कार्ड तक भी हम रोक देते हैं बिना नियम और कानून के। उनके पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली के कनैक्शन हैं, आवासीय पट्टे और इसके अलावा और भी जो मूलभूत सुविधाएं उनकी है, उनको बिना बात, बेवजह तंग करते हैं।

मैं चाहूंगा कि उनके लिए अधिकार बने हैं तो उन अधिकारों पर माननीय मंत्रीजी ध्यान दें और उन अधिकारों को लागू करावें।

(श्री टीकाराम जूली)

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो गैर खातेदारी है, सभी जगह पर गैर खातेदार को खातेदार का दर्जा हम दे रहे हैं, हम प्रशासन गांव के संग भी पट्टे दे रहे हैं, हम प्रशासन शहर के संग भी पट्टे दे रहे हैं तो वहां के जो निवासी हैं देश आजाद होने से पहले, स्टेट टाइम के लोग वहां पर रह रहे हैं, आज उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी हम निराकरण करें। आज राजस्व और वन विभाग के दोनों माननीय मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं। बार-बार जो बात आती है, मैं सरिस्का की बात नहीं कर रहा लेकिन कहीं भी जाओ वन विभाग और राजस्व विभाग की सीमा है, वहां हमेशा यह कन्ट्रोवर्सी रहती है कि यह भूमि वन विभाग की है या राजस्व विभाग की है। तो मेरा निवेदन है सरिस्का का क्षेत्र है उसके पास राजस्व विभाग और वन विभाग की जमीन है उसका मार्केशन हो जाए और उसमें तय हो जाए कि यह जमीन सरिस्का के अन्दर आती है और यह जमीन राजस्व विभाग की है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम दोहरे मापदण्ड अपना रहे हैं। एक तरफ जहां सरिस्का के कोई भी जानवर बाहर आकर कोई भी नुकसान कर जाए उस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन अगर कोई लोकल पशु सरिस्का के इलाके में घुस जाए तो उसे उसके लिए दण्ड दिया जाता है। उसकी भैंसे बंद कर दी जाती हैं। इस चीज का बहुत भारी नुकसान होता है।

मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि वन अधिकार नियम में गौण वन उत्पाद के अन्तर्गत उत्पाद मूल के सभी गैर इमारती वन उत्पाद जिनमें बांस, झांड झंखाड़, ठूठ, बेंत, तुषार, कोया, शहद, मोम, लाख, इन्दु या तेंदु पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मोम, कंद और इसी प्रकार के उत्पाद जो सम्मिलित है उनका पूर्णतः अधिकार है, जो सरकार ने उनको अधिकार दिया है, उनको हम वह अधिकार प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कोई चीज अगर वह इससे बाहर लेकर आते हैं या इसके अन्दर लेकर जाते हैं तो उस समय भी उनके सामने बहुत भारी दिक्कतें आ रही हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि जब हमने उनको पूरे मूलभूत अधिकार दे दिए हैं तो उनको शादी करने का अधिकार नहीं है क्या ? शादी में क्या उनको जश्न मनाने का अधिकार नहीं है क्या ? वह अपनी शादी में कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो सरिस्का गेट के लोग हैं वह उनको रोकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा क्षेत्र सरिस्का के अन्दर क्रासकां गांव, जिसमें मैं तो क्या, कोई भी प्रत्याक्षी चुनाव के

(श्री टीकाराम जूली)

समय वोट मांगने नहीं पहुंच सकता है, उस गांव में मुझे जाने का अवसर मिला, मैं गया और मैंने वहां के हालात देखे। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि उन लोगों को हम क्यों नहीं देख रहे। हमारी नजर उस जगह भी होनी चाहिए कि जो हमारे भाई सैंकड़ों सालों से वहां पर हैं क्या उनकी सुविधाओं का हम ध्यान रख रहे हैं, हमे उनकी कोई पानी की सुविधा का ध्यान नहीं है, चिकित्सा की सुविधा का ध्यान नहीं है। हमने वहां जरूर एक स्कूल वन विभाग की चौकी में खोल रखा है जिसमें एक टीचर वहीं रहता है, वहीं सोता है और वहीं खाता है, वह अकेला व्यक्ति क्या पढ़ाएगा, इस चीज पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस समय जो मेरे सामने बात आई वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन लोगों ने कहा कि थोड़ा सा प्रोग्राम करने के लिए हम टैंट का और यह सामान लेकर आ गए थे, यह आपकी गाड़ी के साथ-साथ ले जाना नहीं तो वहां पर वन विभाग की जो चौकी है वह लोग रोक लेंगे। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे जो भाई वहां पर रह रहे हैं क्या उनके प्रति हमारा कोई दायित्व, कोई कर्तव्य नहीं बनता है? क्या हम कानून और नियमों में इतने उलझ गए कि उनका कोई रिश्तेदार आता है उसको भी हम रोक देते हैं। डिलेवरी होने के लिए कोई गाड़ी जा रही है उसको भी हम रोक देते हैं। कोई बीमार है, उसको देरी से छुट्टी मिली उसको भी हम रोक देते हैं। क्या हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं ? क्या हमारे अन्दर दिल नहीं है, क्या हम यह नहीं सोच सकते कि वह हमारे भाई, आज जहां हम इस चकाचौंध भरी दुनिया में रह रहे हैं वहां अपने लिए वह लोग एक बल्ब तक नहीं जला सकते। यह चीजें खास तौर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आज से नहीं वह लोग कम से कम 15-20 साल से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अनशन कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली 28 फरवरी से वह धरने पर बैठे हैं, पूरे इलाके के लोग बैठे हैं और हम आज तक उनके साथ किन्हीं बातों पर बैठकर यह नहीं कर पाए कि उनको दिक्कत क्या है। व्यक्ति इतना परेशान क्यों है। जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर रात को वहां जंगल के अन्दर टैंट में पड़ा हुआ है उसके सामने क्या परेशानी है, वह अपनी सारी सुविधाएं छोड़कर वहां जंगल में क्यों पड़ा है? यह चीजें हमें देखनी होगी।

यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जब हम विस्थापन की बात करते हैं, जो लोग विस्थापित हमने वहां से किए हैं उनके लिए हमने क्या किया और हम क्या दे रहे हैं? क्या आज के समय में हम उनका सब कुछ लेकर उनको 10

(श्री टीकाराम जूली)

लाख रुपये में कहीं दूसरी जगह बसा सकते हैं? आप में से कोई भी यह बता दे कि 10 लाख रुपये में कोई भी व्यक्ति, विस्थापित होने के बाद दूसरी जगह रह सकता है, नहीं रह सकता। 10 लाख रुपये में आज क्या आता है। आज एक बीघा जमीन नहीं आती। कहां पर रहेगा, मकान बनाएगा, कहां बच्चों को पढाएगा, कहां बच्चों का पालन-पोषण करेगा यह चीजें हमें दिखती ही नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि नियम, कानून, कायदे सारे हमारी रक्षा के लिए, हमारे लिए और हम लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं पर उसमें हम उन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते। हो सकता है किसी बात पर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर आप यहां से भेजे, वहां लोगों के सामने जो दिक्कत आ रही है उनके लिए वहां आप पहुंचकर बात करें जिससे कि जो वन का हमारा सपना है वह साकार हो सके। हम चाहते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगें। पर कोई व्यक्ति मेरे को यह जवाब दे सकता है कि जब यह कानून और नियम नहीं थे उस समय सरिस्का में पेड़ ज्यादा थे या आज की तारीख में पेड़ ज्यादा हैं, जब यह कानून और नियम बने हैं ? हम उन बातों पर जाएं, हम उनको साथ जोड़ें, वहां के लोकल लोग हैं उनकी कमेटी बनाएं, उनको हम अपने विश्वास में लेकर उन्हीं पर जिम्मेदारी सौंपे जिससे कि पेड़ों को बचाएं, जिनको वह बचाते आ रहे हैं। सैंकड़ों सालों से उन्होंने उन पेड़ों को बचाया है और आज उन्हीं पर इस चीज का लांछन लगता है कि यह पेड़ काट रहे हैं। जहां पेड़ कट रहे हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और सरिस्का, जो हमारे देश की शान है, हमारे इलाके की शान है, हम सब लोगों की शान है, वहां का आम आदमी इससे परेशान हो रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द एक टीम बनाकर वहां भेजी जाए। वहां के लोकल लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनको उससे निजात दिलाई जाए। और साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि सरिस्का के अन्दर अलवर जिले के बहुत ही धार्मिक पर्यटन स्थल पांडुपोल हनुमानजी, हमारे भर्तृहरि महाराज जिनके नाम से अलवर जिला जाना जाता है, हम अलवर को भी यह कहते हैं कि राजस्थान का सिंहद्वार अलवर है और महाराज हमारे जिन्होंने तप किया था भर्तृहरि, उनकी भूमि है, वह सारी चीजें इसके अन्दर हैं और लगातार हमारे भक्त वहां जाते हैं, उनके सामने दिक्कत आती है तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जो आम जन से जुड़ी हुई बात है वहां के लोकल एरिये से जुड़ी हुई बात है, उन पर सदन का ध्यान जरूर इस ओर आकर्षित हो और

(श्री टीकाराम जूली)

उन लोगों की भी बात सुनी जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत लम्बे समय बाद राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आज चर्चा करने का मौका मिला है। काफी सालों से अलग-अलग विभागों की अनुदान-मांगें आती हैं, परन्तु आज कई साल बाद राजस्व विभाग की अनुदान की मांग यहां रखी गयी। सीधा-सीधा किसान से जुड़ा हुआ मसला है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर सबसे ज्यादा दु:खी कोई तबका है समाज का, तो किसान है। राजस्व से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति है सीधा-सीधा, तो किसान है। मंहगाई ने कमर तोड़ रखी है किसान की। बिजली का जो पिछले सालों में तांडव रहा है वह न पक्ष, न प्रतिपक्ष, किसी से छिपा हुआ नहीं है। फसल के टाइम पर किसान को बिजली मिलती नहीं और जब खाद की जरूरत होती है तो खाद की मंहगाई कहां से कहां पहुंची और इतना मंहगा खाद होने के बावजूद भी किसान लाइन में सुबह का खड़ा होता है, शाम तक अपने कपड़े फटवा कर वापस आ जाता है, तब उसको मुश्किल से दो कट्टे खाद के उपलब्ध हो पाते हैं। बीज की क्वालिटी और मंहगाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस नरेगा के बल पर कांग्रेस सरकार में बैठी है, केन्द्र और राजस्थान के अन्दर, अगर सबसे ज्यादा कामचोर आदमी बनाया है तो इस नरेगा ने बनाया है। आज मजदूर किसानों को अवेलेबल नहीं होता है। अगर किसान अपना साल भर का हिसाब लगाये खाद का, बीज का, मजदूरी का खर्चा तो मैं समझता हूं कि जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने कर रखी है, उसके एवज में उसको 50 रुपये भी पर-हैड इस खेती से बचत नहीं होती है। इसके बाद तरह-तरह की विपदाएं किसान को झेलनी पड़ती हैं। अभी हाल ही में ओलों से नुकसान हुआ। जब पाला पडा, शीतलहर आई। जबरदस्त नुकसान हुआ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें सरसों का सत्यानाश हो गया। आलू खत्म हो गया, चना खत्म हो गया। केवल भरतपुर इलाके में ही नहीं पूरे राजस्थान के अन्दर, जीरा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बावजूद, पूरे राजस्थान के किसानों के हल्ला मचाने के बाद, इतने आन्दोलन करने के बाद सरकार ने क्या दिया, ऊंट के मुंह में जीरा। आपने गिरदावरी करवाई, इंस्ट्रक्शंस पहले से जारी कर देते हैं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा नहीं दिखाएं।

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, मैंने एक क्वेश्चन लगाया था अभी। मेरे इलाके में सरसों के खराबे के कारण कितना मुआवजा सरकार दे रही है। जवाब आया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आपका खराबा नहीं है इसलिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा। आप जाकर देखें, किसान के आंसू रुक नहीं रहे हैं। आप सरसों के खेत में खड़े हो जाइये, ऐसा लगता है कि बहुत जोरदार सरसों है, आप फली को निकालकर देखेंगे तो पता लगेगा कि फली के अन्दर सरसों का दाना नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान कहां जाएगा? कौन उसके आंसू को पोंछेगा? यह सरकार अपनी वाह-वाही लूटने का काम तो कर रही है, मंत्री महोदय, आप तो स्वयं किसान हैं। आप किसान की पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसान की पीड़ा को वही अच्छी तरह समझ सकता है जिसने किसान की झौंपड़ी को अन्दर से देखा हो, जिसने किसान की तरह काम किया हो। अपने खेत में हल चलाया हो, वही किसान की पीड़ा को समझ सकता है। केवल भाषण देने से, चारों तरफ से कोई भी नेता हो, किसान हमारा अन्नदाता है, जमीन का पेट चीरकर अन्न पैदा करता है, हमारा पेट भरता है। कभी किसी ने यह भी सोचा कि किसान के पेट की क्या स्थिति है। इस किसान का पेट भर रहा है या खाली है। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय, चाहे आपका प्रशासन गांव के संग गया हो, चाहे आपका प्रशासन शहर के संग गया हो, चाहे यह इधर से उधर घूमता ही रहा है। जनता को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं प्रशासन गांव के संग कई अभियानों में गया। मेरे क्षेत्र में खोहरी पंचायत है डीग में, उसका एक गांव है गिरसै, 165 बीघा कस्टोडियन लैण्ड है। जब से देश आजाद हुआ है, तब से लगातार काश्तकार उस जमीन को काश्त करते आ रहे हैं। खातेदारी का हक आज तक नहीं मिला है। मैंने कलक्टर को, एस.डी.एम. को कहा कि जब आपका प्रशासन गांव के अन्दर जा रहा है तो गांव में बैठकर उन लोगों को खातेदारी का हक दो तो हम मानेंगे कि प्रशासन कोई काम कर रहा है। मैं खुद गया, साहब आप पधार जाइये, हम कोशिश करेंगे। मैं गया। तीन घण्टे बैठने के बाद वहां के एस.डी.एम. ने कहा कि सम्वत् 2012 का रिकार्ड इन किसानों को लेकर आना पड़ेगा। मैंने कहा, एस.डी.एम. साहब रिकार्ड तो सरकार के पास होना चाहिये। किसान के पास पूरा रिकार्ड मिले, नहीं मिले, जरूरी नहीं। परन्तु आपके पास पूरा रिकार्ड रूम रहता है। आपके कलेक्ट्रेट में, आपके एस.डी.एम. कार्यालय में, आपके ए.डी.एम. आफिस में इसका रिकार्ड होना चाहिए। केवल टालने के लिये किसान

(डा. दिगम्बर सिंह)

को परेशान मत करिये। परन्तु एक भी बार एक भी किसान को खातेदारी का अधिकार नहीं दिया। केवल एक गांव नहीं है। मांडोनी पंचायत में, उसमें 67 काश्तकारों को अभी तक खातेदारी का हक नहीं मिला। भटावली रूंद, उसमें कस्टोडियन लैण्ड है, हमारे 17 एस.सी. के परिवार हैं, 3 अल्पसंख्यक परिवार हैं, जोतते आ रहे हैं, बोते आ रहे हैं। परन्तु उनको अभी तक कोई उनका हक नहीं दिया है। हर वर्ष पैनल्टी के नाम पर, उनकी फसल को नीलाम करने के नाम पर लाखों रुपये की पैनल्टी उनके ऊपर चेप देते हैं और किसानों का जबरदस्त शोषण हो रहा है। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एक बार, ऐसे-ऐसे जहां भी इश्यूज हैं, इन इश्यूज का अलग से शिविर लगवाकर इनको खातेदारी के राइट दिये जाएं जिससे किसान को परेशान होने से आप बचा सकें।

दूसरी सबसे बड़ी पीड़ा है किसान की, किसानो के पास खेत के अलावा कुछ है नहीं। जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसको हम विकास के लिये, जरूरी भी है, चाहे कोई इण्डस्ट्रीज लगनी हो, चाहे कोई रोड निकलना हो, कोई मेगा-हाई-वे निकलना हो। सब में किसान की जमीन का अधिग्रहण करने का सबसे पहले काम करते हैं। हम यह कहते हैं कि अधिग्रहण करो आप। पर किसान को उसका उचित मूल्य तो कम से कम मिलना चाहिए। किसान की जमीन को जब आप लेते हैं, अधिग्रहण करते हैं। क्यों नहीं उसको बाजार भाव देते। क्यों नहीं उसको उसका इतना हिस्सा मुआवजा मिल जाए, जिससे दूसरी जगह जमीन खरीदकर दूसरी जगह अपना काम कर ले। राजस्थान में एक ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है, सभापति महोदय, दो/तिहाई राजस्थान या तो डेजर्ट में है या हिल एरिया में है। जो कल्टीवेबल लैण्ड है, कृषि के लिये जो जमीन है, वह बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं है। और इस पर पर अब उद्योग के, डवलपमेंट के नाम पर अगर उपजाऊ जमीन को देने लगे तो राजस्थान में लोग भूखे मरेंगे, उनको पेट को भरने की जगह नहीं मिलेगी। आप बनाइए न उद्योग। वेस्ट लैंड पर ले जाइए। आप बिजली दीजिए। उनको आप रोड ट्रांसपोर्ट दीजिए। रेल ट्रांसपोर्ट दीजिए आप और वहां पर उद्योग स्थापित कीजिए। कौन आपको मना करता है? और अगर जरूरी ही है कि आप किसान की जमीन को अवाप्त करेंगे ही तो कम से कम बाजार का जो मूल्य है और सरकार जो बाजार का मूल्य निकालती है वह भी कैसे निकालती है आपको मालूम है। रजिस्ट्री का देख लेते हैं कि लास्ट रजिस्ट्री किसी भाव से हुई है पर रजिस्ट्री

(डा. दिगम्बर सिंह)

में आपको मालूम है कि एक नम्बर के हिसाब से उसमें जो कीमत लिखी रहती है और वास्तव में जो परचेज कीमत होती है, दोनों में बहुत फर्क रहता है। यह मैं ही नहीं, हम सब लोग जानते हैं। इसलिए उनको कम से कम बाजार भाव से उसकी कीमत मिले, यह भी बहुत जरूरी है और उनके पुनर्वास के लिए निश्चित रूप से जो प्रोजेक्ट, जो अफेक्टेड परसन्स हैं उनको नेगोशिएशन का मौका दिया जाना चाहिए और अगर हो सके तो इनकी जमीन को जिस तरह से हम लीज पर लैंड देते हैं, आप देना किसी प्राइवेट पार्टी को, उसको लीज पर आप जमीन दे दीजिए, उसकी जमीन की जो कीमत है, उसका जो ब्याज है, वह हर साल उसको जिस तरह से वार्षिक वृद्धि होती है, इस तरह से बढ़ा-बढ़ाकर उसको ब्याज देते जाइए तो किसान को कम से कम उसकी जमीन की सही कीमत मिल जाए और कहीं दूसरी जगह पुनर्वास उसको करने के लिए अपनी व्यवस्था बैठ जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान एक सरसों उत्पादक प्रदेश है। मस्टर्ड की पैदावार राजस्थान में काफी होती है। गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, कोटा के पूरे जोन में, भरतपुर के पूरे जोन में, अलवर, सीकर सारी जगह पर मस्टर्ड राजस्थान में मेरे ख्याल से देश की सबसे ज्यादा पैदावार होने वाले राज्यों में राजस्थान है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नम्बर वन है राजस्थान।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्यों नहीं राजस्थान को सरसों उत्पादक राज्य घोषित किया जाता और इस पर पांच परसेंट तो सरसों के तेल पर लगा रखा है वैट। हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री के नाम पर तेल मिल्स के अलावा तो कुछ है भी नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरसों उत्पादक जो हमारे किसान हैं इनको आप वास्तव में अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं तो कम से कम सरसों पर वैट को 5 परसेंट से 2 परसेंट कर दें। आज खाई यह है कि बिनौले के खल तो टैक्स फ्री है, बिनौले के खल पर कोई टैक्स नहीं है परन्तु सरसों की खल पर आज भी पांच परसेंट वैट लगा रखा है, इसको वैट मुक्त कर देना चाहिए और राजस्थान को अगर सरसों उत्पादक राज्य घोषित किया गया तो मैं समझता हूं कि किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान एक ऐसे इश्यू की

(डा. दिगम्बर सिंह)

तरफ लाना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान, जिस तरह यहां की सोशल, यहां की ज्योग्राफीकल, यहां की जो जलवायु है उस हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करने की बहुत बड़ी राजस्थान के अन्दर सम्भावनाएं केन्द्र को भी दिखीं। पहले विंड एनर्जी की बात चली। विंड एनर्जी के नाम पर तमाम लोगों ने आ-आकर अपने यहां पर प्लांट्स लगाए और उन्होंने पावर/एनर्जी अच्छी खासी पैदा भी की। उसके बाद माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार को लगा कि सोलर एनर्जी का राजस्थान बहुत बड़ा केन्द्र है। केरल और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जिनके अन्दर सोलर एनर्जी का भरपूर उपयोग हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन एनर्जी का हम लोग कर सकते हैं। उसको लेकर माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन की स्थापना की और उस मिशन के तहत राजस्थान गवर्नमेंट को यह डाइरेक्ट किया कि राजस्थान में बहुत अच्छी सम्भावना इसकी है इसलिए बहुत अच्छा सोलर जोन राजस्थान में डवलप किया जाए और केरल में भी डवलप किया जाए। जब यह चीज, जो बड़े लोग हैं, जो हाईली कनेक्टेड लोग हैं, उनको पता लगा कि राजस्थान के धोरों की जमीन जो वेस्ट लैंड है, जिसकी कीमत कुछ नहीं है, आज अगर जाकर खरीद लोगे तो वह सस्ते में मिल जाएगी। उन लोगों ने आकर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। माननीय सभापति महोदय राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाप, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोलायत में, सब जगह पर जमीनों की तलाश शुरू कर दी। और इतने हाईली कनेक्टेड लोग थे माननीय सभापति महोदय, उनको यह भी पता लग गया कि राजस्थान में यह जोन जो डवलप होने वाला है, जो डिक्लेयर होने वाला है सोलर एनर्जी का, यह कौन से एरिया में होगा और इसके साथ-साथ जो ग्रिड स्टेशन लगने वाले हैं वे कौन से इलाके में होंगे। माननीय सभापति महोदय, जहां-जहां ग्रिड स्टेशन डवलप होने वाले थे उनकी सारी आस-पास की जमीन इन प्राइवेट कम्पनीज ने खरीद ली। जो हाईली कनेक्टेड लोग थे। सरकार ने वहां पर जमीन नहीं खरीदी। सरकार ने ऐसी जगह जाकर जमीन खरीदनी चाही जहां पर कोई एंटरप्रिन्योर जाए नहीं क्योंकि जहां-जहां पर सब स्टेशन लगे हैं, अगर उसके नजदीकी पावर प्लांट लगता तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट को उसमें फायदा होता कि नजदीक ग्रिड स्टेशन है, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर उसका बचता है। तो जितने ग्रिड स्टेशंस हैं उनके आस-पास की सारी जमीन तो हाइली कनेक्टेड हमारे लोगों ने खरीद ली दिल्ली से आ-आकर

(डा. दिगम्बर सिंह)

और सरकार ने तय किया था कि जो कम्पनीज आएंगी उन कम्पनीज को 10 परसेंट आफ द रिजर्व प्राइस डी.एल.सी., 10 परसेंट आफ द डी.एल.सी. सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी। अब जब सरकार जहां जमीन उपलब्ध कराना चाहती थी, उनको 10 परसेंट डी.एल.सी. पर लेने पर फायदा नहीं था क्योंकि उनको ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा खर्चा पड़ता था। इसलिए मजबूरी में उन्होंने जमीन, प्राइवेट कम्पनीज जो बना रखी थीं, उन्होंने जमीन खरीदी किसानों से। उनसे खरीदने को मजबूर हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, यह इतने हाइली कनेक्टेड लोग हैं। इन्होंने 11 कम्पनियां बनाईं। पांच कम्पनीज में तो डाइरेक्टर है। एक कम्पनी में एडिशनल डाइरेक्टर है और छह कम्पनीज में मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। यह सारी कम्पनीज बनाई थीं सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए। परन्तु सरकार को धोखा देकर, सरकार तो पूरी मदद करना चाहती थी। सरकार तो पूरे इनके आगे-पीछे पलक-पांवड़े बिछाकर बैठी थी। क्योंकि सरकार तो चाहती थी कि हमारे यह +++ यहां से किसी तरह से खुश हो जाएं। कहीं नाराज न हो जाएं। ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई और नहीं था, माननीय सभापति महोदय, यह +++ था। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): पहले जैसलमेर का बताओ आप। आप आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान) यह बताओ जैसलमेर में कौनसा गांव है जिसमें प्राइवेट कम्पनी ने जमीन खरीदी है। एक का नाम तो बताओ। पोकरण में कहां लगनी थी यह तो बताओ। (व्यवधान) किस कम्पनी ने यहां पर जमीन खरीदी है, यह तो बताओ। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ... (व्यवधान) कि यह इतने बड़े नेता के +++ और राजस्थान में इस सरकार का ये इतना दुरुपयोग करें यह सरकार ने अपने ऊपर इतना बड़ा संकट उनको जमीन दिलाकर किया है माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप किसी का रेफरेंस नहीं दे सकते। (व्यवधान) ऐसे नहीं बोलोगे। (व्यवधान)

(सदन में भारी व्यवधान एवं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इनको शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) वसुन्धरा राजे के टाइम में नियम बनाने की शुरूआत हुई। इसका प्रारूप आपके टाइम में तय हुआ और वसुन्धरा राजेजी के दस्तखत से 2008 में इसका कैबिनेट मीमो अप्रूव हुआ... (व्यवधान)

(15.40 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट सुन लीजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको शर्म आनी चाहिये। वसुन्धरा राजे के दस्तखत से नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मंत्रिमण्डल का प्रारूप आपके टाइम में तय हुआ और वसुन्धरा राजे जी दस्तख्त से 2008 में काम आगे बढ़ा। यह नियम बनाने का काम आप लोगों ने शुरू किया और आप ही यहां आरोप लगा रहे हो, जरा सी शर्म करो। (व्यवधान) 2008 में कागज...(व्यवधान) वसुन्धरा राजे के दस्तखत से आप लोगों ने कैबिनेट मीमो अप्रूव किया।

एक माननीय सदस्य: राजस्थान की करोड़ों की जमीन +++ ले गया। (व्यवधान).... इस सरकार ने .... (व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, +++ नाम लिया गया है। यह सदन की कार्यवाही से आप निकालिये और इनकी +++ पर लगाम लगाओ। शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा किसी का भी। (भारी व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सब विराजिये। बिना इजाजत कोई नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने इजाजत नहीं दी है, कोई बिना इजाजत नहीं बोलेगा। (व्यवधान) आप विराजिये। एक मिनट विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: चेयर इजाजत देगी तब दूसरा प्रश्न आएगा। आपको इजाजत नहीं दी, आप बैठिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है चेयर से, आप विराजिये। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिना इजाजत के कोई नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको बोलने दो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये। एक मिनट आप विराजिये। (व्यवधान) सदन को चलने दीजिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। पहले माननीय रघुजी शर्मा बोल लेंगे, फिर आप बोल लेना। और लाइन से चलोगे...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह सुनना ही नहीं चाहते।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप आसन की गरिमा गिराने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन नहीं चलाना चाहते क्या?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन को आर्डर में नहीं लेना चाहते, माननीय सदस्यगण? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन क्या करेगा? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप दो मिनट विराजिये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये न। आप आसन की व्यवस्था नहीं मानोगे? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन की व्यवस्था मानोगे...(व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप दो मिनट विराजिये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.48 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(16.18 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मांग संख्या 8 व 9 पर विचार

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट विराजो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप मेरी बात सुनिए। मैं पार्टी की तरफ से पहला व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हुआ।

श्री सभापति: आप विराजो एक मिनट। वह आपका अधिकार है। मैंने आपको निवेदन किया कि आप दो मिनट विराजो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): विराजने के बाद जमीन वापस आ जायेगी क्या?

श्री सभापति: मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आप विराजो। आसन की व्यवस्था तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को माननी चाहिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ऐसे नहीं। सभापति महोदय, अगर बोलने नहीं देंगे, हमारे अधिकारों का संरक्षण आपको करना चाहिए। यह गलत तो है।

श्री सभापति: आप विराजो। मैं आपको अलाउ करूंगा न। मैं बैठा ही इसलिए हूं। आज जिस डिमाण्ड पर बहस होनी है, सभी माननीय सदस्य बोलेंगे।

देखिए माननीय सदस्य, यह सदन परम्पराओं, प्रक्रियाओं और नियमों से चलता है...(व्यवधान) सुनिए। माननीय सदस्य, पहले आप सुनिए। रिएक्ट मत करिए। मैं बहुत लम्बी व्यवस्था देने वाला नहीं हूं।

12 अगस्त, 1964, रामानन्द अग्रवाल, माननीय सदस्य ने खैरथल का एक विषय उठाया अलवर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरदयालजी के खिलाफ और यह कहा कि 50 लाख की गुड की ब्लैक मार्केटिंग करके इन्होंने धनराशि कमाई और मुख्य मंत्रीजी के तरफ से इंगित करते हुए उन्होंने यह शब्द कहे।

तत्कालीन अध्यक्षजी ने यह व्यवस्था दी कि जो सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे के अन्दर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

(श्री सभापति)

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य, जिसके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं वो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आज वन और राजस्व की बहुत महत्वपूर्ण दोनों के ऊपर कई माननीय सदस्य इस चर्चा के अन्दर भाग लेंगे, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस आसन की दी हुई व्यवस्था, जो आज से लगभग 48-49 वर्ष पूर्व दी हुई है, उन नियमों, उन प्रक्रियाओं को मानते हुए आप अपनी बात जारी रखें वर्ना मुझे, मुझे जो माननीय सदस्य इस सदन का नहीं है आप अगर उस पर आरोप लगायेंगे, मैं उसको अंकित नहीं होने का सीधा-सीधा निर्देश दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय। एक सैकिण्ड। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, जो पहले बोला गया, जो पहले यह बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हम सभी मानते हैं कि नियमों और प्रक्रियाओं से सदन चलता है इसीलिए आज सुबह हमने नियमों के नियम 273 के तहत माननीय सचिव के नाम नोटिस दिया और माननीय सम्बन्धित मंत्रीजी के नाम भी नोटिस दिया है।

मैं 273 पढ़कर सुनना चाहता हूं। नियम 273- किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया- 'किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो।'

यह पूर्व सूचना हमने पहले से, आज सदन प्रारम्भ होने से पहले, दस बजे से पहले दोनों को दे दी, हमने सचिव महोदय को दे दी और हमने मंत्रीजी को नोटिस दे दिया इसलिए हमारा अधिकार है नियम के अन्तर्गत और, सभापति महोदय, यह जो आपने अध्यक्षीय व्यवस्था फरमायी है, अध्यक्षीय व्यवस्था नियमों पर प्रभावी नहीं है, नियम अध्यक्षीय व्यवस्था पर प्रभावी हो सकता है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो व्यवस्था दी, उसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप बदलें। नियम 273, जिसके तहत नोटिस दिया है हमने पहले, सुबह पहले आकर नोटिस दिया है इसलिए कृपया इनको बोलने दें, यह जो बात कह रहे हैं तथ्यात्मक बात कह रहे हैं।

श्री सभापति: मैं अनुमति नहीं दे सकता ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह जो नियम हैं न इसको पूरा पढ़ो, श्रीमान, किताब हमारे पास भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पढ़ लिया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसमें जो दूसरा पैरा लिखा हुआ है उसका भी आप अध्ययन कर लो जरा। उसमें लिखा हुआ है, परन्तु अध्यक्ष, इसी नियमों के नियम 273 में लिखा हुआ है, जिसको आप गोल कर गये, जो आपकी आदत का हिस्सा है। उसमें जो लिखा हुआ है- 'परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिसिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई हित सिद्ध नहीं होता।'

इसको पूरा पढ़ लो आप, आपका हित सिद्ध नहीं हुआ है। इससे आपका हित सिद्ध नहीं हुआ।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आपका हित सिद्ध नहीं हुआ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पहला तो, सभापति महोदय, मेरा आरोप है प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय पर कि केवल सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, उन्होंने नियम 273 का हवाला दिया और आपने अधूरा पढ़ा है इसको ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सचेतक महोदय, सुनिये ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह इस सदन के साथ आप धोखा कर रहे हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए इस सदन से और इस सदन के अन्दर यह जो नियम और प्रक्रिया का 273 है इसका पूरा वाचन आपने नहीं करके इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। मेरा आरोप है आपके ऊपर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह नियम 273 बना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसीलिए है कि कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगाये तो पहले नोटिस दे, हमने पहले नोटिस दे दिया है इसलिए हमारा अधिकार है कि उस नोटिस के अनुसार हमारे माननीय सदस्य बोलेंगे और अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, सदन के जो सदस्य नहीं हैं उसके ऊपर आरोप लगता नहीं है ...(व्यवधान) यह नियम इस सदन के माननीय सदस्य के लिए है। (व्यवधान) यह सदन के माननीय सदस्य के लिए है। आप इसका अध्ययन ढंग से करिये।

श्री सभापति: मैंने पहले व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह नियम बना ही इसीलिए है ...(व्यवधान) नोटिस भी दिया है। (व्यवधान) मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी सदन के अन्दर रतनलाल ताम्बी मंत्री थे, यहां किरोड़ी लालजी मीणा थे, नोटिस दिया और उन्होंने आरोप लगाया। यह बात थोड़ी है, कई अध्यक्षीय व्यवस्था है यहां।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक लुटेरा हमको लूटकर चला गया और उसकी बात हम यहां करेंगे तो सदन की गरिमा के खिलाफ है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अगर हिन्दी में समझ में नहीं आये तो अंग्रेजी में लिखा है, उसको समझ लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। मैं स्पष्ट कर चुका हूं ...(व्यवधान) उससे हटकर के आप बोलें, मैं दे चुका हूं वो व्यवस्था वापस नहीं होगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दोबारा पढ़ो बाइबल को। ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पढ़ो, बाइबल तो आपके पास ही है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, सचेतक महोदय, ज्यादा बड़ी-बड़ी बात मत करो, केकड़ी में जनता आन्दोलित है आपके कारण से ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरे कारण से आन्दोलन ...(व्यवधान) आप डीग की चिंता करो। आप डीग की चिंता करो, केकड़ी की चिंता छोड़ दो।

(डा. रघु शर्मा)

आप राष्ट्रीय नेता हो क्या? (व्यवधान) आप आ जाना केकड़ी के अन्दर, क्या गलतफहमी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपसे तो ज्यादा वरिष्ठ हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरे से वरिष्ठ हैं लेकिन आप जिस तरह के आरोपों पर उतर आये हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दूसरी बार सदन में आये हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ऐसा है आप तो पांच बार हो और पचास बार भी आ जाओ तो क्या है, अक्ल तो एक बार में ही आ जाती है, नहीं आये तो पचास बार में भी नहीं आती है। (व्यवधान)

(16.26 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक बात सुन लीजिए आप, यह व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप पर आप उतर आये हैं, आप जैसे वरिष्ठ आदमी को शोभा नहीं देता है। (व्यवधान) कहां, क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करनी है तो मैं इस पर भी तैयार हूं ...(व्यवधान) अगर केकड़ी पर चर्चा करनी है तो उस पर भी तैयार हूं मैं। ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अभी तो आपके अक्ल दाढ़... (व्यवधान) अभी तो यह बचपन के दांत हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसलिए अब आप तो यह बता दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आपने स्थगित किया उससे पहले आपने मुझे अलाउ किया था, आप यह बता दीजिए कि रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान आपकी सरकार की कैबिनेट का मीमो तैयार हुआ, उसको एप्रूव किया गया आपकी तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा, यह भी बताओ और फिर हम पर लगाओ आरोप। यह क्या बात हुई, आपको जो चाहे आरोप लगा दोगे क्या यह हम कभी बरदाश्त नहीं करेंगे...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सुनने का माद्दा रखो। (व्यवधान)

(डा. दिगम्बर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, 12 कम्पनीज हैं जिसमें डाइरेक्टर हैं स्काई लाइट हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ब्ल्यू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्काई लाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, नार्थ इंडिया आई.टी. पार्क प्राइवेट लिमिटेड, इसमें डाइरेक्टर हैं और एक एडीशनल डाइरेक्टर हैं लेम्बोडार आर्ट एण्टरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं लाइफ लाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनवेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइट लाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर इन्फ्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, बैस्ट सीजंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एण्ड प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। यह 12 कम्पनीज हैं जिनके नाम से यह कम्पनी भी फर्जी हैं, इनके नाम से और पावर आफ अटार्नी देकर और जमीनों की यह खरीद-फरोख्त की गयी, उस पावर आफ अटार्नी का एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, टेबल कर सकता हूं जो +++ ...

श्री उपाध्यक्ष: यह नाम नहीं, देखिये, नाम अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) नाम किसी का नहीं होगा। नहीं, नाम अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पत्नी पति का नाम नहीं लेती, हम क्यों नहीं लेंगे भ्रष्ट आदमी का नाम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाम अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं और इसमें डिटेल इंक्वायरी सी.बी.आई. करे, इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करे कि बीकानेर और उसके आसपास जितनी भी जमीनें इन कम्पनियों द्वारा खरीदी गयीं उनकी आय का स्रोत क्या था, वाट वाज द सोर्स आफ द इन्कम? नम्बर वन। यह पैसा कहां से आया, इसकी निष्पक्ष जांच करायी जाए।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केवल यहीं तक नहीं है, इन कम्पनीज को फायदा देने के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो रघुजी फिर उछल जायेंगे ...(व्यवधान) इन कम्पनियों को फायदा देने के लिए सीलिंग एक्ट, 1973 को परिवर्तित किया गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किसी का नाम अंकित नहीं होगा, वो स्वत: ही डिलीट ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ध्यान रखना, आपके दामाद का भी नाम ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): राजस्थान में सीलिंग एक्ट लागू है, कम्पनी को भी एक व्यक्ति माना है, अगर एक कम्पनी है उसको भी एक व्यक्ति माना है।

एक सामान्य आदमी जब सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करता है तो उस पर तो कानूनी कार्यवाही होती है और ऐसे बड़े जो लोग हैं जो हाइली प्लेस्ड हैं, हाईली कनेक्टेड हैं, खुले आम उल्लंघन कर रहे हैं सीलिंग एक्ट का। उसके बाद सीलिंग एक्ट में परिवर्तन किया, उसमें मेरे समझ में नहीं आता, मैं इस बात के लिए आपसे कहना चाहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए ऐसी सरकार की क्या मजबूरी थी कि उस सीलिंग एक्ट में चेंज करना उनको आवश्यक पड़ गया और क्या सीलिंग एक्ट में परिवर्तन किये इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी से जांच होनी चाहिए।

मैं आपको निवेदन करूं, क्योंकि गला मेरा खराब है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये कोई अंकित नहीं होगा और आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर का होटल वेस्टा ...(व्यवधान) देवासीजी, हमारी बात भी सुन लेने दो। बीकानेर का होटल वेस्टा जिसके चार कमरे लगातार कई महीने और सालों तक बुक्ड रहे। उन चार कमरों के अन्दर पूरी खरीद-फरोख्त का हिसाब होता था। तहसीलदार, रजिस्ट्रार उसका पटवारी सब वहां बैठते थे। हाथ की हाथ रजिस्ट्री रात को हो रही है। दाखिला खारिज भी रात को हो रहा है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी थी कि एक-एक दिन में ही सारी रजिस्ट्री भी हो गयी, दाखिले भी चढ़ गये और सब के सब +++ के नाम चढ़ा दिये पूरी रेगिस्तान की हमारी जमीन। ऐसा मुझे समझ में नहीं आता क्या ...

श्री उपाध्यक्ष: आपके 4.32 हो गये, काफी टाइम हो गया माननीय सदस्य। (व्यवधान) समय का, अब देखिये कितना टाइम हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारा समय है ना।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय हो गया। आप ही कहते हो दो मिनट से ज्यादा समय मत दो। इनको दो मिनट से ज्यादा हो गये। माननीय मुख्य सचेतक जी आप ही कहते हो न।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, 722 ...

एक माननीय सदस्य: बी जे पी का समय है।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बी जे पी, कांग्रेस नहीं। सदन सब का है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, 722 कम्पनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया ...(व्यवधान) और 722 कम्पनीज में से एक भी कम्पनी को सरकार जमीन नहीं दे पाई। जो सरकार को 10 परसेंट डी एल सी की रेट पर उनको देनी थी। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जमीन का वो हाईवे पर था। उस जमीन को तो सरकार पहले ही खरीदवा चुकी थी। एक और जोरदार काम हुआ है वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। वह है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब आप बीच में ही...

श्री उपाध्यक्ष: हां, बीच में बोल रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहली बार टर्म आयी है सुना है मैंने। खसरा फिटिंग अगर श्रीमान जी का लिया हुआ खेत हाईवे से दो नम्बर दूर भी है तो वहीं पर बैठकर नक्शा बनाकर उसके खसरे को सड़क पर लाकर फिट कर दिया। यह तक किया ...(व्यवधान) मतलब कहां तक आदमी सहन करेगा, कहां तक राजस्थान की जनता सहन करेगी? ईमानदारी का ढकोसला पीटने वाली यह सरकार, इन्होंने पराकाष्ठा बेईमानी की कर दी और राजस्थान की जनता को लुटवाने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। आज जिस तरह से राजस्थान की जनता का, किसान का सिर मूंडा है चार करोड़ की जमीन खरीदकर कुछ महीने में 116 करोड़ में जमीन को बेच दिया।

अनेक माननीय सदस्य: 114 करोड़।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कमाल की बात है और किसी कम्पनी के बायलाज में जमीन के देने की बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) किसके नाम पर खरीदी। आमेर की हवेलियों का तो जवाब दो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कहो तो टेबल कर दें ...(व्यवधान) एक दो नहीं उनचास डील हैं, 49 डील हैं जिसके अन्दर पैंतीस हजार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आमेर की हवेलियों का तो जवाब दो ...(व्यवधान) कि उसमें कितना घोटाला हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दस हजार एकड़ जमीन खरीदी गयी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आमेर की हवेलियों का तो जवाब दो ...(व्यवधान) जमीन के जो घोटाले में लगे उनका जवाब दो ...(व्यवधान) भैरोंसिंहजी शेखावत जो आज संसार में नहीं हैं, वो जो कहकर गये उसका तो ध्यान दो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जमीनें बेच खाईं ...(व्यवधान) करोड़ों, अरबों रुपए की ...(व्यवधान) कौड़ियों के भाव बेच दी। क्या-क्या नहीं किया। आमेर की हवेलियों ...(व्यवधान) की जांच कराई जाए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ...(व्यवधान) इनकी सरकार के एक-एक मंत्री की जांच कराई जाए। (व्यवधान) इन्होंने जो घोटाले किये हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आमेर की हवेलियों का जवाब दो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

(16.36 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) जो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं उनके बारे में किसी प्रकार की भी टिप्पणी की गयी है वह सारी एक्सपंज करता हूं।

मांग संख्या-8 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,93,46,32,000/- (पांच अरब तिरानवे करोड़ छियालीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-9 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9- वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,51,69,59,000/- (आठ अरब इक्यावन करोड़ उनहत्तर लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो डिवीजन, डिवीजन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन, वी वांट डिवीजन।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.38 बजे गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

स्कूली विद्यार्थियों हेतु लर्निंग लैपटाप

228. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लैपटाप वितरण करने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत किस-किस कक्षा के कितने विद्यार्थियों को लर्निंग लैपटॉप वितरित करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत लर्निंग लैपटाप वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या नियम/मानदण्ड बनाये गये हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा निविदा जारी कर दी गयी है? यदि हां, तो कब व किस आदेश के तहत? उक्त योजना में कितनी निविदाएं प्राप्त हुई? प्राप्त निविदाओं की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए किस फर्म/संवेदक की निविदा स्वीकृत की गई? निविदा स्वीकृत आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए लैपटाप वितरण करने की योजना बनाई गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की 37वीं SeMT (State e-Governance Mission Team) बैठक दिनांक 24.12.2012 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1.12 लाख लैपटाप (वर्ष 2012-13 व 2013-14) में खरीद हेतु राजकाम्प को निविदा करने के लिए अधिकृत किया गया। निविदा का विक्रय दिनांक 28.12.2012 से शुरू किया गया एवं तकनीकी निविदा 20.02.2013 को खोली गई। वर्तमान में तकनीकी निविदा का परीक्षण प्रक्रियाधीन है। तकनीकी परीक्षण पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(शिक्षा मंत्री)

(2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार प्रथम 10-10 हजार बालक-बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में लैपटाप दिये जायेंगे तथा कक्षा 8वीं में प्रत्येक राजकीय विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 35819 विद्यार्थियों को लैपटाप्स वितरण किये जायेंगे।

(3) नियम/मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के आदेश क्रमांक पं.6(46)प्र.सु./अनु.3/2012 दिनांक 16.7.2012 के तहत दिनांक 16.8.2012 को निविदा जारी की गई थी। तत्पश्चात् संशोधित निविदा दिनांक 13.10.2012 को जारी की गई। उक्त निविदा के क्रम में तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्राप्त निविदाओं की प्रति परिशिष्ट ''ख'' (1), (2) व (3) पर संलग्न है।

(5) शिक्षा निदेशालय द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये किसी भी फर्म/संवेदक की निविदायें स्वीकृत नहीं की गई हैं। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु लैपटाप क्रय करने का कार्य RISL (Rajcomp Info Services Ltd.) द्वारा किया जा रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का निरीक्षण

229. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने इन्जीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक कालेज व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं की अंतिम प्रवेश तिथि व परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि क्या थी? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी इन्जीनियरिंग कालेज व पालीटेक्निक के पास एआईसीटीई व सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वयं के भवन, उपकरण व स्टाफ हैं? यदि हां, तो संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये?

(4) प्रदेश में गत तीन वर्षों में खुले सरकारी व निजी पालीटेक्निक

(श्री वासुदेव देवनानी)

कालेज का कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम व निरीक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार निर्धारित मानदंड पूरे नहीं करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 133 इन्जीनियरिंग कालेज, 179 पालीटेक्निक कालेज एवं 856 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 (i), (ii) एवं (iii) पर उपलब्ध है।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं की अंतिम प्रवेश तिथि व परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) निजी इन्जीनियरिंग कालेज व पालिटेक्निक कालेजों के लिए भवन, उपकरण व स्टाफ के मापदण्ड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं। सरकार द्वारा नहीं।

प्रदेश में डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं के अनुमोदन में विस्तार एवं निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति की जांच आदि का कार्य 10 दिसम्बर, 2010 से सीधे ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ संस्थाओं को किराये के भवन में अधिकतम 03 वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि, भवन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध होने की शर्त पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमति हेतु अनुशंसा प्रेषित की गई थी लेकिन उसके पश्चात दिनांक 10.12.2010 से निर्धारित मापदण्डों की अनुपालना की जांच का कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्तर से ही किया जाकर संस्थानों को अनुमोदन/अनुमोदन में विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।

इसी प्रकार इंजीनियरिंग कालेजों में अनुमोदन/अनुमोदन में विस्तार की अनुमति प्रदान करने का कार्य भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्तर से सीधे ही किया जाता है।

इंजीनियरिंग कालेजों के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षणों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्धारित मापदण्डों में विविध कमियां पाई गईं सत्र 2011-12 का संस्थावार भवन, उपकरण व स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) प्रदेश में गत तीन वर्षों में खुले सरकारी व निजी पालिटेक्निक कालेजों के किये गये निरीक्षण विवरण यथा निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम व निरीक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(5) इंजीनियरिंग कालेजों के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय स्तर पर बार्ड आफ इन्सपेक्शन का गठन किया हुआ है, प्रत्येक महाविद्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट बोर्ड आफ इन्सपेक्शन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। निर्धारित मापदण्ड पूरे न होने की स्थिति में बोर्ड आफ इन्सपेक्शन के निर्देशानुसार इन कमियों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों से अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त की जाती है इसके उपरान्त बोर्ड आफ इन्सपेक्शन के निर्देशानुसार प्रकरण विशेष में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा कार्यवाही की जाती है।

डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं के द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्तर से ही शास्ती अधिरोपित की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इन संस्थाओं के निरीक्षण करवाये जाते हैं तथा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति में कमी पाये जाने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

यातायात व्यवस्था के संचालन हेतु क्रय की गई क्रेनों का उपयोग

230. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में केन्द्र सरकार से मिली सहायता से क्रेन क्रय की गयी है? यदि हां, तो कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रेन किस कार्य के लिए क्रय की गयी एवं क्या इनका उपयोग इन कार्यों में हो रहा है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार

थानागाजी के कृषक मित्र योजनान्तर्गत सहायता के लम्बित प्रकरण

231. श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य करते समय मृत्यु या घायल हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक इस हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से कितने आवेदनों पर सहायता राशि स्वीकृत की गई तथा कितने शेष हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत कृषि कार्य करते समय दुर्धटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्ष 2008 से जनवरी 2013 तक कुल 88 आवेदन पत्र कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर में प्राप्त हुए। इनमें से 61 आवेदन पत्रों पर सहायता राशि स्वीकृत की गई है एवं 27 आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं। ग्राम पंचायतवार प्राप्त आवेदनों में स्वीकृत सहायता राशि एवं निरस्त आवेदनों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में विधवा पुत्री विवाह सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

232. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2008 से जनवरी, 2013 तक

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

विधवा पुत्रियों के विवाह हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? इन आवेदनों में से कितनों को कितनी सहायता प्रदान की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा आवेदन उपरान्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेक पात्र आवेदकों को विलम्ब से सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो किन कारणों से क्या सरकार विलम्ब से सहायता उपलब्ध कराये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष जनवरी, 2008 से अब तक विधवा पुत्रियों के विवाह अनुदान हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्र एवं दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधवाओं की पुत्रियों के विवाह अनुदान सहायता हेतु आवेदन पत्र निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व से छह माह पश्चात् तक जमा कराने की अवधि निर्धारित की हुई है विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। पात्र आवेदकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यदि आवेदन पत्र में कमी पाई जाती है तो आवेदनकर्ता द्वारा कमी पूर्ति करते ही सहायता उपलब्ध करवा दी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले में अन्त्योदय परिवारों को वितरण हेतु आबंटित गेहूं

233. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलपुर जिले में कितने अन्त्योदय शहरी तथा ग्रामीण परिवार हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस डीलर को कितना गेहूं वितरित करने के लिये दिया गया? विधान सभा क्षेत्रवार डीलर के नाम दुकान नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुखराम)

(3) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में धौलपुर जिले में अन्त्योदय परिवारों के लिये कितना-कितना गेहूं वितरित किया गया? विधान सभा क्षेत्र एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में कुल अन्त्योदय 1777 शहरी एवं 11963 ग्रामीण परिवार हैं। ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 तक उपलब्ध कराये गये गेहूं का विधान सभा क्षेत्रवार एवं डीलरवार दुकान नम्बर सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विगत तीन वर्षो में धौलपुर जिले में अन्त्योदय परिवारों के लिए उपलब्ध कराये गये गेहूं का विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी, 13 तक)
1.	धौलपुर	14413.00	14413.00	11807.05
2.	बाडी	15580.00	15580.00	13097.20
3.	बसेड़ी	12988.00	12988.00	10565.35
4.	राजाखेड़ा	14739.00	14739.00	12632.61
	योग	**57720.00**	**57720.00**	**48102.21**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बनास नदी से भारी मशीनों द्वारा बजरी खनन पर रोक हेतु कार्य योजना

234. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी से रेती (बजरी) के अधिक दोहन के कारण क्षेत्र में जलस्तर प्रभावित होने से जिला कलक्टरों/उपखण्ड मजिस्ट्रेटों द्वारा समय-समय पर भारी मशीनों से बजरी उठाने पर रोक लगाई

(श्री गोपाल मीणा)

जाती रही है तथा रेलमगरा तहसील में रायल्टी संग्रहण हेतु निविदाएं आमंत्रण करना बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिले के लिये स्थाई एवं लम्बी अवधि के लिये निरन्तर रोक नहीं लगाई जाने के क्या कारण हैं? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिक गहराई तक बजरी दोहन के खिलाफ विभागों एवं अधिकारियों को की गई शिकायतों की प्रभावी सुनवाई नहीं होने तथा बनास नदी बजरी दोहन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समान निर्णय नहीं लिये जाने से शिकायतों की जांच तथा निर्णय में पारदर्शिता प्रदर्शित नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाकर बजरी दोहन के सम्बन्ध में समान निर्णय लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बजरी खनन की समस्या के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर, टोंक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर कमेटी को एक कार्य योजना बनाकर अपने अभिमत के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था? यदि हां, तो कमेटी का गठन किस तारीख को, किस आदेश से हुआ एवं उसकी रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई तथा नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक रिपोर्ट प्राप्त कर ली जावेगी? आदेश एवं रिपोर्ट की प्रति सहित की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बजरी खनन तथा रायल्टी संग्रहण बाबत् टोंक, सवाई माधोपुर सहित बनास नदी से सम्बन्धित जिलों के लिये समान निर्णय लिया जावेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या संविधान की भावनानुरूप बनास नदी के मूल स्वरूप को बहाल किये जाने के प्रयास किये जायेंगे तथा मशीनों द्वारा किये जा रहे बजरी खनन को रोका जायेगा? यदि हां, तो कब तक तथा अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर भीलवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी टोंक व उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा बनास नदी में भारी मशीनों से बजरी उठाने पर समय-समय पर रोक लगायी गई है जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-ए-1 से ए-11 पर

(खनिज मंत्री)

उपलब्ध हैं। रेलमगरा तहसील में स्थानीय ग्रामवासियों की समस्या के कारण वर्ष 2004 के पश्चात रायल्टी संग्रहण का ठेका नहीं किया गया है। बजरी के खनन के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.2.2012 की पालना में सम्पूर्ण राज्य में 3 मीटर गहराई अथवा वाटर लेवल जो भी पहले हो, तक ही खनन कार्य करने तथा नदी नालों के प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध नहीं करने का नियमों में संशोधन अधिसूचना दिनांक 23.5.2012 व 21.6.2012 से कर दिया गया है, अत: स्थाई रोक लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मशीनों से खनन का प्रश्न है, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियामावली, 1986 के नियमों में मशीनों से बजरी खनन पर कोई रोक नहीं है।

(2) जी नहीं। बजरी के दोहन के सम्बन्ध में विभाग को जब-जब शिकायतें प्राप्त होती हैं उसकी समय-समय पर जांच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । सम्पूर्ण राज्य में बजरी के दोहन के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित कर दी गई है जिसका विवरण प्रश्न के खण्ड संख्या 1 के उत्तर में दिया गया है । सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 23.5.2012 व 21.6.2012 की प्रति परिशिष्ट-बी व सी पर उपलब्ध है ।

(3) जी हां। कमेटी का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 25.10.2010 से किया गया, आदेश की प्रति परिशिष्ट सी-1 पर उपलब्ध है। कमेटी की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा उनके पत्र दिनांक 9.6.2011 से प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्तुत की गई है। पत्र एवं रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट सी-2 पर उपलब्ध है। नदी तल बजरी खनन के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.2.2012 की पालना में शासन की अधिसूचना दिनांक 21.6.2012 से वाटर लेवल से नीचे तथा तीन मीटर से अधिक गहराई पर खनन एवं पुल इत्यादि के 45 मीटर दूरी तक खनन निषिद्ध किया गया है जिसकी मोनिटरिंग की जाकर पालना सुनिश्चित की जा रही है। इस हेतु जिला कलक्टर टोंक के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, खान, यातायात व वन विभाग के अधिकारियों के संयोजन से दिनांक 10.9.2012 से 9.10.2012 तक अवैध बजरी खनन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान में शास्ती स्वरूप 22 लाख रुपये वसूल किए गए तथा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध 6 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई ।

(4) जी हां। नदी, नालों से बजरी खनन के सम्बन्ध में माननीय

(खनिज मंत्री)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.2.2012 को पारित आदेश में दिये गए दिशा-निर्देशों की पालना में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 में आवश्यक संशोधन अधिसूचना दिनांक 23.5.2012 से किया जाकर बजरी के खनन पट्टे स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ताकि सम्पूर्ण राज्य में बजरी के खनन के सम्बन्ध में एकरूपता रहे।

(5) बनास नदी सहित राज्य के समस्त नदी नालों के मूल स्वरूप को बहाल रखने के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.2.2012 को पारित आदेश की पालना में खनिज बजरी के नदी स्ट्रेचवार खनन पट्टे आबंटन किये जाने तथा खनन कार्य वाटर लेवल के नीचे तथा तीन मीटर से अधिक गहराई तक न किए जाने, प्राकृतिक बहाव में परिवर्तन न करने इत्यादि सहित नियमों में संशोधन अधिसूचना दिनांक 23.5.2012 से कर दिया गया है तथा इसी अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। खनन पट्टाधारी द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना करते हुए मशीनों से खनन किये जाने की नियमों में रोक नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भोपालगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

235. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के 30 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के प्रस्तावों की अन्य प्रस्तावों के साथ समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन करते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजसमन्द आगार में पदस्थापित कार्मिक

236. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजसमन्द में आगार (डिपो) स्थापित करने की घोषणा कब की गई, आगार कब स्थापित किया गया एवं कब क्रियाशील हुआ?

(2) राजसमन्द आगार में कितने अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मियों के पद स्वीकृत हैं एवं कितने पदों पर कर्मी कार्यरत हैं?

(3) राजसमन्द आगार को कितनी बसें कब-कब उपलब्ध करवाई गई एवं वर्तमान में कितनी बसें इसके अंतर्गत संचालित हैं?

(4) राजसमन्द आगार के विकास एवं परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम का राजसमन्द आगार स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2010-11 के बजट में की गई थी एवं यह आगार दिनांक 14.12.2011 से स्थापित एवं क्रियाशील हुआ।

(2) राजसमन्द आगार में स्वीकृत एवं कार्यरत अधिकारी एवं कर्मियों के पदों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) राजसमन्द आगार में निम्नानुसार वाहन आबंटित किए गए:-

वर्ष 2011	6 वाहन
वर्ष 2012	2 वाहन
कुल	8 वाहन

इस प्रकार वर्तमान में इस आगार में 8 वाहन संचालित हैं।

(4) राजसमन्द में 1.65 करोड रुपये की लागत से आगार का निर्माण कार्य हाल ही में किया गया है।

यात्रियों की सुविधार्थ राजसमन्द आगार से और नये मार्गों पर बसें संचालित किये जाने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित मार्गों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। आगामी ग्रीष्मकालीन समय सारिणी 2013 में इन मार्गों पर वाहन एवं क्रयू उपलब्धता के अनुसार वाहन संचालन किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में विकलांग व्यक्ति को राइडर व्यवस्था से छूट

237. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विकलांग व्यक्तियों के आश्रितों का राइडर होने से विकलांग व्यक्ति को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार विकलांगों के आश्रितों का राइडर हटाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विशेष योग्यजनों को लाभान्वित करने के लिए पात्रता निश्चित करते हुये आश्रितों के राइडर का प्रावधान किया हुआ है, जिससे जरूरतमंद, असहाय एवं कमजोर आर्थिक स्थिति के विशेष योग्यजनों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पात्रतानुसार लाभ मिलने में इससे कोई बाधा नहीं है। इसके लिए परिवार की आय को मापदण्ड माना गया है।

वर्तमान में राज्य सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में विशेष योग्यजन पेंशन योजना के सरलीकरण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाने की घोषणा की है, जिससे आगामी वर्षों में और भी अधिक विशेष योग्यजनों को लाभ मिल सकेगा।

निर्धन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु विशेष योजना

238. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2012-13 के लिए जैसलमेर जिले की विभिन्न बैंकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हेतु कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित है? उनमें से अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा कितना लक्ष्य पूर्ण किया गया है? बैंकवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन आने पर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाते हैं अथवा अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक खातेदार किसान को

(श्री छोटू सिंह भाटी)

किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार गरीब किसानों के लिए कोई विशेष नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2012-13 में जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जैसलमेर को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया है।

(2) किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं है। पात्रता धारक प्रत्येक कृषक सदस्य को आवेदन करने पर सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर यथा शीघ्र किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था है।

(3) पात्रता धारक प्रत्येक खातेदार, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति/ लैम्पस का सदस्य है, को आवेदन करने पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। वर्तमान में गरीबों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम बनाने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना हेतु रियायतें

239. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में प्रचुर मात्रा में पैट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्राप्त खनिज का दोहन कर शुद्धिकरण हेतु अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के लिलाला में तेल शोधक यंत्र (रिफाइनरी) खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में संयंत्र लगाने वाली कम्पनियों द्वारा रियायतें मांगी गई हैं यदि हां, तो क्या रियायतें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर रियायतें नहीं देने के कारण रिफाइनरी लगने में देरी हुई है? यदि हां, तो क्यों? उक्त कार्य की प्रगति सदन की मेज पर रखें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(6) क्या सरकार बाड़मेर में रिफाइनरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर सांचोर बेसिन में पैट्रोलियम के वृहद भण्डार खोजे गये है जिसके अन्तर्गत 3.6 बिलियन बैरल्स (अर्थात 480 मिलियन टन) खनिज तेल के भण्डार प्रमाणित किए जा चुके हैं। नवीनतम आंकलन के अनुसार बाडमेर में 7.3 मिलियन बैरल्स (अर्थात 900 मिलियन टन) खनिज तेल समकक्ष (Oil Equivalent) भण्डार सम्भावित है|

(2) जी हां। खनिज तेल का दोहन कर गुजरात राज्य में जामनगर स्थित रिफाइनरियों को तथा हरियाणा राज्य में पानीपत स्थित रिफाइनरी को शोधन हेतु भेजा जा रहा है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के ग्राम लिलाला में तेल शोधक यंत्र (रिफाइनरी) स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। अभी प्रकरण राज्य सरकार, HPCL एवं केन्द्र सरकार के मध्य विचाराधीन है।

(4) जी हां। ओ.एन.जी.सी. द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 27.10.2006 को पत्र लिखकर रिफाइनरी स्थापना किये जाने हेतु रियायतें मांगी गई जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। किन्तु अब मार्केटिंग कम्पनी एच.पी.सी.एल. परियोजना में ओ.एन.जी.सी. के साथ जुड़ने से एच.पी.सी.एल. द्वारा रु. 3736/- करोड़ प्रतिवर्ष (15 वर्षों के लिए) की वित्तीय रियायतें मांगी गई हैं जिसका विवरण परिशिष्ट-2 में उल्लेखित है।

(5) वर्ष 2005 में ओ.एन.जी.सी. के रिफाइनरी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत वांछिंत रियायतों पर सरकार द्वारा 16 अगस्त, 2008 को लिए गए निर्णय को ओएनजीसी द्वारा अपर्याप्त माना। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी की स्थापना हेतु सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है|

(6) राज्य सरकार राज्य में रिफाइनरी की स्थापना हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है| अभी प्रकरण राज्य सरकार, HPCL एवं केन्द्र सरकार के मध्य विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

ओ.एन.जी.सी. द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 27.10.2006 को पत्र लिखकर रिफाइनरी स्थापना किये जाने हेतु निम्नलिखित छूट/रियायतें मांगी गईं

राज्य बिक्री कर/वैट का आस्थगन या ब्याज मुक्त ऋण जो 1300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 16 वर्षों के लिये (परियोजना लागत का 164 प्रतिशत)।

16 वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय बिक्रीकर से मुक्ति।

प्रवेश कर/सेस/चुंगी या अन्य किसी प्रकार के वसूली योग्य राशि जो कि कच्चे तेल, रसायन एवं उत्प्रेरक ओर अन्य कच्ची सामग्री व पदार्थ जो कि परिशोधन एवं प्रसंस्करण कार्य में उपयोग होगा जिसमें कालान्तर छूट।

राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी साइट पर पानी की सप्लाई निर्बाध रूप से की जायेगी।

नि:शुल्क भूमि का आबंटन।

विद्युत खरीद/स्व:उत्पादित विद्युत कर/सेस/कर भविष्य में देय नहीं होगा।

राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी को जोड़ने वाली सड़कें जिसमें राष्ट्रीय मार्ग/पुलों का निर्माण/अन्य सड़कें भी सम्मिलित हैं, का सुदृढ़ीकरण/विकास किया जायेगा।

रिफाइनरी के निर्माण में काम आने वाले सभी कच्चे माल एवं अन्य सामग्री को राज्य बिक्री कर से मुक्त किया जावे।

रिफाइनरी के लिये आवश्यक सभी प्रकार की भूमि जैसे रेलवे लाइन, पाईप लाइन बिछाने एवं कार्य करने के अधिकार से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकार सहयोग करेगी।

परिशिष्ट-2

राज्य में रिफाइनरी लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास

वर्ष 2005 में ओ.एन.जी.सी. द्वारा राज्य सरकार को रिफाइनरी स्थापना हेतु प्रस्ताव दिया था जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। वर्ष 2009 में

मुख्यमंत्री, राजस्थान ने केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्रीजी से चर्चा कर प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया।

पश्चिमी राजस्थान में हाइड्रोकार्बन के विशाल भण्डार प्रमाणित हुए हैं। केयर्न इण्डिया द्वारा पूर्व में 3.6 बिलियन बैरल्स (अर्थात 480 मिलियन टन) खनिज तेल के भण्डार का अनुमान किया गया था। केयर्न इण्डिया के नवीनतम आंकलन के अनुसार बाड़मेर में 7.3 मिलियन बैरल्स (अर्थात 900 मिलियन टन) खनिज तेल समकक्ष (Oil Equivalent) भण्डार है।

खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन माननीय प्रधानमंत्रीजी की उपस्थिति में 29 अगस्त, 2009 को प्रारम्भ हुआ।

जैसलमेर बेसिन में ओएनजीसी, आयल इण्डिया लि. एवं फोकस एनर्जी द्वारा मनहेरा टीबा, तनोट, डांडेवाला क्षेत्र एवं एसजीएल फील्ड (शाहगढ़) से लगभग 25-30 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के भण्डार खोजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर-नागौर बेसिन में 25 मिलियन टन भारी तेल तथा 53 मिलियन टन बिटुमिन की खोज भी हुई है। वर्तमान में राज्य में 21 ब्लाक्स के अन्तर्गत 12 ब्लाक्स में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं सी.बी.एम. की खोज का कार्य प्रगति पर है तथा 9 ब्लाक्स अध्यर्पण हेतु प्रक्रियाधीन है।

राज्य को इन हाइड्रोकार्बन्स की खोज का पूर्ण लाभ मिल सके इसके लिए मूल्य संवर्धन के जरिए राजस्व अर्जन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेुत प्रयास आवश्यक है। इस संदर्भ में बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री एस.सी. त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2010 में प्रस्तुत की जिसके अनुसार बाड़मेर में प्रथम चरण में 4.5 से 6 MMTPA क्षमता की रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। समिति द्वारा इंजिनियर्स इण्डिया लि. से नवीनतम आंकड़ों के आधार पर राजस्थान रिफाइनरी कान्फिग्रेशन स्टडी रिपोर्ट भी तैयार करवाई।

समिति ने अनुशंसा की कि राजस्थान सरकार निम्नलिखित तरीके से बाड़मेर में रिफाइनरी के प्रमोटरों को समर्थन दे सकती है :

1. राज्य सरकार परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी (Equity participa tion) करे।

2. तेल विपणन कम्पनियों (Oil Marketing Compaines) के साथ विपणन करार (Marketing Tie-up) किया जाए।
3. इस हेतु राज्य सरकार तेल विपणन कम्पनियों को रिफाइनरी उत्पादों पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट की राशि दे।
4. ब्याज मुक्त ऋण 15 वर्षों के लिए।
5. रिफाइनरी को कच्चे तेल की कीमत में 1 डालर प्रति बैरल की छूट दी जाये।
6. केन्द्र सरकार से आग्रह कर बाड़मेर रिफाइनरी की Excise duty में 5 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाये।

ओएनजीसी ने SBI Caps के माध्यम से Financial Appraisal Study करवाई। राज्य सरकार ने त्रिपाठी समिति एवं SBI Caps द्वारा की गई सिफारिशें को मान लिया है। राज्य सरकार द्वारा BPCL के साथ Marketing Tie-up किया गया है। इन्जिनियर्स इण्डिया लि. द्वारा बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना में 5 प्रतिशत भागीदारी हेतु राज्य सरकार को प्रस्तावित किया है।

राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) एवं 17(1) सहपठित 6(1) के अनुसार रिफाइनरी हेतु वांछित भूमि 5950 बीघा (2380 एकड़) तथा अतिरिक्त भूमि 2052 बीघा (822 एकड़) की अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इसके अतिरिक्त टर्मिनल डिपो एवं टाउनशिप के लिए भी 1663.06 बीघा (665 एकड़) की अवाप्ति हेतु धारा 4(1) के अनुसर अधिसूचना जारी की गई है। इस बाबत राजस्थान स्टेट रिफाइनरी लि. के नाम से SPV का गठन दिनांक 14.09.2012 को किया गया है।

ओएनजीसी चाहती है कि Oil Marketing Company रिफाइनरी परियोजना में भागीदार हो। इस सम्बन्ध में ओएनजीसी के स्तर पर HCPL को भागीदार बनाना प्रक्रियाधीन है।

सीएमडी, ओएनजीसी द्वारा दिनांक 2 मई, 2012 को जयपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री, राजस्थान से रिफाइनरी पर चर्चा की, जिसमें बाड़मेर से वर्तमान में क्रुड उत्पादन दर 9 मिलियन टन वार्षिक को देखते हुए एचपीसीएल द्वारा पैट्रोकेमिकल आधारित 9 मिलियन टन क्षमता की रिफाइनरी लगाने की मंशा दर्शाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा एच.पी.सी.एल. से वार्ता कर रुपये 3736 करोड़ प्रतिवर्ष रिफाइनरी आपरेशन आरम्भ होने के वर्ष से आगामी 15 वर्षों तक वित्तीय रियायतों की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें 15 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण, रिफाइनरी उत्पादन एवं कच्चे तेल की कीमत पर छूट सम्मिलित है। राज्य सरकार की परियोजना में 15 से 26 प्रतिशत के मध्य भागीदारी प्रस्तावित की गई है।

आसीन्द में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में नामांकित छात्र

240. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत स्थानों पर सरकार के निर्देशानुसार गरीब वर्ग के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क दिया जाता है? यदि हां, तो आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में संचालित निजी क्षेत्र के विद्यालयों में उक्त अधिनियम के तहत सत्र 2012-13 में कौन-कौन से विद्यालयों में कितने-कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया? विद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क शिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में संचालित 115 गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2012-13 में 763 बालकों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया, जिसका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट हेतु आमंत्रित निविदाएं

241. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(श्री रोहिताश कुमार)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 2012 तक पंजीकृत दुपहिया वाहनों के पंजीकरण नम्बरों की पुरानी सीरीज को नई सीरीज के अनुरूप बदलने के निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब तथा क्यों?

(2) प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के निर्देश कब जारी किये गये तथा इस हेतु निविदायें कब आमंत्रित की गईं व अब तक कुल कितने वाहनों पर उक्त नम्बर प्लेट लग चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 12/2005 दिनांक 17.02.2005 आदेश संख्या 17/2005 दिनांक 18.03.2005 एवं आदेश संख्या 20/2010 दिनांक 28.06.2010 जारी किए जाकर 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व पंजीकृत ऐसे वाहन जिनके पंजीयन अनुक्रमांक में 11 डिजिट आ रहे हैं के पंजीयन क्रमांक 10 डिजिट में बदलने के आदेश जारी किये गये थे क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार वाहन पंजीयन के प्रयोजनार्थ, अन्य राज्यों से Inter Operatability के दृष्टिगत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा तैयार साफ्टवेयर में वाहन के पंजीयन क्रमांक के लिए 10 डिजिट का ही प्रावधान किया गया है।

(2) राज्य में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के निर्देशों का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

दिनांक	निर्णय-विज्ञा
22.8.2001	केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 में संशोधन कर द मोटर व्हीकल्स (न्यू हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) आर्डर, 2001 जारी कर राज्य में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाने के निर्देश जारी किये। इसमें दिनांक 24.9.2001, 16.10.2001 एवं 09.05.2002 को संशोधन किया गया।
20.04.2005	प्रथम बार नोटिस इनवाईटिंग टेण्डर (Notice inviting Tender) जारी किया गया।
25.06.2005	बिड खोलने एवं बिड परीक्षण की तिथि।

(यातायात राज्य मंत्री)

दिनांक	निर्णय-विज्ञा
25.04.2006	लैटर ऑफ इंटेण्ट शिमनित उत्च इंडिया को जारी किया गया।
12.08.2008	राज्य सरकार एवं शिमनित उत्च इंडिया के बीच एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुआ।
09.05.2011	शिमनित उत्च इंडिया के साथ किया गया करार समाप्त हुआ।
26.12.2011	पुन: नोटिस इनवाईटिंग टेण्डर (Notice inviting Tender) जारी किया गया।
16.01.2012	एडेण्डम जारी किया गया।
03.02.2012	टेक्निकल बिड खोली गई।
02.03.2012	फाईनेंशियल बिड खोली गई।
19.03.2012	सफल निविदादाता मै. रियल मैजान इण्डिया लि. नई दिल्ली को लेटर आफ इंटेण्ट जारी किया गया।
28.06.2012	कार्य आदेश जारी किया गया।
	दिनांक 16.07.2012 से दिनांक 28.02.2013 तक 66833 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लग चुकी है।

आरक्षित वर्ग के छात्रों को देय छात्रवृत्ति में वृद्धि

242. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन/मांग प्राप्त हुई है?

(2) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की मांग को उचित मानती है? यदि हां, तो इसमें कब से वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की आय की सीमा बढ़ाकर पांच लाख करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों को छात्रवृत्ति की राशि की दरों में वृद्धि किये जाने हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजाति कार्य मंत्रालय को भिजवाये गये हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि की कार्यवाही भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि की दरों में वृद्धि किए जाने की कार्यवाही भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है।

साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.7.2010 से एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.7.2011 से छात्रवृत्ति की राशि की दरों में वृद्धि की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा का निर्धारण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.7.2010 के द्वारा अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आय सीमा 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये की गई है। इसी प्रकार भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.7.2010 के द्वारा अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आय सीमा 1.45 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख की गई है।

परिशिष्ट 'अ'

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नवीन प्रावधानों (संशोधनों) का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	संशोधन से पूर्व की दरें			संशोधन उपरान्त नवीन दरें (1.7.2010 से प्रभावी)		
		पाठ्यक्रम समूह/अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाहवार रुपये			पाठ्यक्रम समूह/अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाहवार रुपये		
1.	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	**ग्रुप**	**हास्टलर**	**डे-स्कालर**	**ग्रुप**	**होस्टलर**	**डे-स्कालर**
		1	740	330	1	1200	550
		2	510	330	2	820	530
		3	355	185	3	570	300
		4	235	140	4	380	230
2.	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1	740	330	1	1200	550
		2	510	330	2	820	530
		3	355	185	3	570	300
		4	235	140	4	380	230
क्र. सं.	**नाम योजना**	**संशोधन से पूर्व की दरें**			**संशोधन उपरान्त नवीन दरें (1.7.2010 से प्रभावी)**		
1.		पाठ्यक्रम समूह/अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाहवार रुपये			पाठ्यक्रम समूह/अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाहवार रुपये		
	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	**ग्रुप**	**हास्टलर**	**डे-स्कालर**	**ग्रुप**	**होस्टलर**	**डे-स्कालर**
		A	425	190	A	750	350
		B	290	190	B	510	335
		C	290	190	C	400	210
		D	230	120	D	260	160
		E	150	90			

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हेतु अभिशंसा

243. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रत्येक वर्ष जिन्स वार घोषित किये जाते हैं? यदि हां, तो MSP निर्धारण के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की अभिशंसा/रिपोर्ट के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? यदि हां, तो मूल्य निर्धारण के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सिफारिश एवं वर्ष 2003 से जनवरी, 2013 तक जिंसवार बढ़ाई गई न्यूनतम समर्थन मूल्यों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित नहीं किये जाते हैं, बल्कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नई दिल्ली की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा घोषित किये जाते हैं।

(2) कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित प्रश्नोत्तरी के जवाब राज्य सरकार द्वारा समय अवधि में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को भिजवाये जाते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रश्नोत्तरी पर राज्य के कृषकों, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अधिकारियों की बैठक में विचार-विमर्श कर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के पश्चात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश भारत सरकार को भिजवायी जाती है। सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है।

(3) कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ की विभिन्न फसलों के लिए प्रस्तावित की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु भेजी गई सिफारिश की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं वर्ष 2003 से 2013 जनवरी तक जिन्सवार बढ़ाई गई एमएसपी दरों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मजदूरों का बकाया भुगतान

244. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जयपुर गत 10-11 सालों से बन्द है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा इस कम्पनी का रिवाइबल प्लान तैयार करवाया गया था? यदि हां, तो कब और इसे लम्बित क्यों किया जा रहा है? रिवाइबल प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस कम्पनी के ऊपर मजदूरों का 68.34 लाख रुपया बकाया चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे मजदूरों को दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार द्वारा मजदूरों का भुगतान करवाने और उक्त कम्पनी को रिवाइबल प्रकरण के निपटारे हेतु बैठक बुलाने का निश्चय किया गया था? यदि हां, तो कब?

(5) क्या सरकार उक्त जयपुर मैटल्स को पुन: चालू करवाने और मजदूरों का बकाया भुगतान दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में उत्पादन वर्ष 1999 से बन्द है। उत्पादन बन्द होने का कारण मशीनरी अवधिपार हो जाना, पर्याप्त कार्यशील पूंजी का अभाव आदि था ।

(2) जी हां। मंत्रीमण्डल निर्णय दिनांक 25.04.2007 के क्रम में पीडीकोर लिमिटेड के माध्यम से दस्तावेज तैयार करवाया जाकर निजी क्षेत्र से कम्पनी के रिवाईवल हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सफल निविदादाता घोषित किया जाकर दिनांक 08.11.2008 को मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। सरकार द्वारा इसे लम्बित नहीं किया जा रहा है। प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। रिवाईवल प्लान मांगने के लिए जारी किये गये रिक्वेस्ट फार प्रपोजल की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) मजदूरों के 68.34 करोड़ रुपये बकाया का विवरण 'Request For Proposal' में दिया गया है। उक्त राशि का भुगतान मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा मजदूरों को किया जाना था एवं इसमें से 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है। मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा जयपुर मैटल्स को समय-समय पर ऋण स्वीकृत किया जाता रहा है। 9 माह के बकाया वेतन के भुगतान हेतु जयपुर मैटल्स को ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है एवं कम्पनी द्वारा वेतन भुगतान किया जा चुका है।

(4) जयपुर मैटल्स से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु समय-समय पर अलग-अलग स्तर पर बैठक आयोजित की जाती रही है। बैठक दिनांक 27.09.2012 एवं 25.10.2012 को आयोजित की गई।

(5) जयपुर मैटल्स का रिवाईवल अथवा पुन: चालू कराना एवं मजदूरों का भुगतान माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन लम्बित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

झालावाड़ जिले के देवस्थान नियंत्रणाधीन संचालित मन्दिर

245. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में देवस्थान विभाग के अन्तर्गत कितने मंदिरों का संचालन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिरों में सेवा पूजा भोग व नैवेद्य हेतु गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? मंदिरवार/वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मंदिरों में सेवा पूजा कार्य हेतु कितने पुजारी नियुक्त हैं? मंदिरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के अधीन नियुक्त निधि/आत्म निर्भर कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त नियमों में संशोधन कर उक्त कर्मचारियों के

(श्री अनिल जैन)

मृतक आश्रितों को सामान्य कर्मचारियों के समान अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में देवस्थान विभाग के अन्तर्गत राजस्थान राजपत्र दिनांक 25 जून, 1981 के अनुसार निम्न मंदिरों का संचालन किया जा रहा है:-

प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर

क्र.सं.	**नाम मंदिर**
1	मंदिर श्री द्वारिकाधीशजी (माजी सा. जैसलमेरी जी) मंगलपुरा, झालावाड़।
2	मंदिर श्री मथुराधीश जी (भूरी बाई जी) धानमण्डी, झालावाड़
3	मंदिर श्री बांग पीपानन्दजी, ग्राम-मानपुरा, तहसील झालरापाटन, झालावाड
4	मंदिर श्री विशवन्त माताजी झालरापाटन, झालावाड़
5	मंदिर श्री शिलादेवीजी इमली दरवाजे के बाहर, झालरापाटन, झालावाड़
6	मंदिर श्री रामजी, ग्राम-सुनेल, तहसील पिड़ावा, झालावाड़

आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर

क्र.सं.	**नाम मंदिर**
1	मंदिर श्री गोवर्धननाथजी (रूपाबाईजी) मंगलपुरा, झालवाड
2	मंदिर श्री बालाजी, मंगलपुरा, झालावाड
3	मंदिर श्री गोवर्धननाथजी (मेडतनीजी) कोतवाली के पीछे, झालावाड़
4	मंदिर श्री द्वारकानाथजी व नवनीत प्रियाजी, झालरापाटन, झालावाड़
5	मंदिर श्री पदमनाथजी (सूर्य मंदिर) झालरापाटन, झालावाड़
6	मंदिर श्री गिरीरायजी रामद्वारा मौहल्ला झालरापाटन, झालावाड़
7	मंदिर श्री लक्ष्मीकान्तजी, कस्बा डग, तहसील गंगधार
8	मंदिर श्री बाबाजी खिंचीराज किला गांगरोन, ग्राम डग, तहसील गांगरोन, झालावाड़

(देवस्थान मंत्री)

(2) उक्त मंदिरों में सेवा पूजा, भोग व नैवेद्य हेतु तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का मंदिरवार वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर

क्र. सं.	नाम मंदिर	व्यय राशि (रुपये में)		
		09-10	10-11	11-12
1	मंदिर श्री द्वारिकाधीशजी (माजी सा. जैसलमेरीजी) मंगलपुरा, झालावाड़	44027	30804	45786
2	मंदिर श्री मथुराधीशजी (भूरी बाई जी) धानमण्डी, झालावाड़	38027	27400	34400
3	मंदिर श्री बाग पीपानन्दजी ग्राम मानपुरा, तहसील-झालरापाटन झालावाड़	16200	16200	20900
4	मंदिर श्री विशवन्त माताजी झालरापाटन, झालावाड़	15500	15500	18300
5	मंदिर श्री शिलादेवीजी इमली दरवाजे के बाहर, झालरापाटन, झालावाड़	18500	18500	21300

आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर

क्र. सं.	नाम मंदिर	व्यय राशि (रुपये में)		
		09-10	10-11	11-12
1	मंदिर श्री गोवर्धननाथजी (रूपाबाई जी) मंगलपुरा, झालवाड़	32100	31700	35900
2	मंदिर श्री बालाजी, मंगलपुरा, झालावाड़	10000	10050	12300
3	मंदिर श्री गोवर्धननाथजी (मेडतनी जी) कोतवाली के पीछे, झालावाड़	20300	20195	27400
4	मंदिर श्री द्वारकानाथजी व नवनीत प्रियाजी, झालरापाटन, झालावाड़	92301	92120	105171
5	मंदिर श्री पदमनाथजी (सूर्य मंदिर) झालरापाटन, झालावाड़	21100	20800	25400
6	मंदिर श्री गिरीरायजी रामद्वारा मौहल्ला, झालरापाटन, झालावाड़	15800	15685	19900

(देवस्थान मंत्री)

(3) उक्त मंदिरों में सेवा पूजा कार्य हेतु नियुक्त पुजारियों का मंदिरवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। नियमों की प्रति संलग्न है।

(5) जी हां। नियमों में पूर्ण संशोधन किये जाने हेतु राजस्थान देवस्थान निधि सेवा (आत्मनिर्भर मंदिरों/संस्थाओं के कार्मिकों से सम्बन्धित) नियम, 2012 प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिवहन निगम द्वारा लम्बी दूरी की बंद बस सेवा का पुनः संचालन

246. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2012 में लम्बी दूरी के मार्गों पर बसे बंद की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्गों की कितनी बसें कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से मार्गों पर बसें घाटे में चल रही थीं एवं कौन-कौन से मार्गों पर लाभ में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) लाभ में चल रही लम्बी दूरी की बसों को बंद करने का क्या कारण रहा? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लाभ में चल रहे मार्गों पर निगम की बसें पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित लम्बी दूरी की बस सेवाओं में लागत से कम आय वाली बस सेवाओं को बन्द किया गया है उनकी मार्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त सभी मार्गों पर बसें घाटे में ही चल रही थीं। इनका विवरण प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट "1" में अंकितानुसार है।

(3) लाभ में चल रही लम्बी दूरी की बसों को बंद नहीं किया गया हैं।

(4) प्रश्न का उत्तर खण्ड "3" में दिया जा चुका है।

परिशिष्ट-1

बंद की गई सेवाओं की सूची

जोन	आगार	मार्ग	समय	किमी.	परिचक्र	बसों की संख्या	जुलाई 12 से सितम्बर, 12 का औसत		अन्तर प्रति किमी. (रुपयों में)	बंद करने का कारण
							आय प्रति किमी (रुपये में)	लागत प्रति किमी (रुपये में)		
अजमेर	ब्यावर	जयपुर-सिरीयारी-जयपुर	1332	292	2	2	1611	25.58	-9.47	कम आय आने के कारण।
	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा-सरदारशहर-भीलवाड़ा	1930	446	2	2	1816	25.85	-7.69	कम आय आने के कारण।
		अजमेर-छोटी सादड़ी-अजमेर	2115	252	2	1	1321	27.21	-14.00	कम आय आने के कारण।
	अजमेर	अजमेर-निम्बाहेड़ा	2245	222	2	1	1252	27.21	-14.69	कम आय आने के कारण।
	अलवर	अलवर-चांदेखेडी	0630	433	2	2	-	27.76	-	कम आय आने के कारण।
बीकानेर	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़-जयपुर वाया सूरतगढ़	0645	459	2	2	1694	24.47	-7.53	कम आय आने के कारण।
	सरदारशहर	बीकानेर-पिलानी वाया सरदारशहर, तारानगर	0515	435	4	2	1136	23.86	-12.50	कम आय आने के कारण।

जोन	आगार	मार्ग	समय	किमी.	परिचक्र	बसों की संख्या	जुलाई 12 से सितम्बर, 12 का औसत		अन्तर प्रति किमी. (रुपयों में)	बंद करने का कारण
							आय प्रति किमी (रुपये में)	लागत प्रति किमी (रुपये में)		
डीलक्स	डीलक्स	जयपुर-बारां वाया कोटा	1100	325	2	2	1814	36.76	-18.62	कम आय आने के कारण।
		जयपुर-चूरू वाया सीकर	2235	196	2	1	-	36.76	-	कम आय आने के कारण।
जयपुर	वैशालीनगर	जयपुर-पुष्कर	0640	154	2	1	1797	29.10	-11.13	कम आय आने के कारण।
		जयपुर-देहली वाया अलवर	0840	335	2	2	2694	29.10	-2.16	कम आय आने के कारण।
		जयपुर-उदयपुर वाया कपासन	0745	425	2	2	1791	29.10	-11.19	कम आय आने के कारण।
		जयपुर-उदयपुर वाया फुलिया	2100	420	2	2	1260	29.10	-16.50	कम आय आने के कारण।
		जयपुर-डीडवाना वाया बालाजी	0800	190	2	1	1822	29.10	-10.88	कम आय आने के कारण।

जोन	आगार	मार्ग	समय	किमी.	परिचक्र	बसों की संख्या	जुलाई 12 से सितम्बर, 12 का औसत		अन्तर प्रति किमी. (रुपयों में)	बंद करने का कारण
							आय प्रति किमी (रुपये में)	लागत प्रति किमी (रुपये में)		
कोटा	बारां	बारां-आलोट वाया चांदेखड़ी	0900	252	2	2	1476	25.10	-10.34	कम आय आने के कारण।
जोधपुर	फलौदी	फलौदी-जयपुर वाया नागौर, सांभर	1830	404	2	2	1709	23.49	-6.40	कम आय आने के कारण।
	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा-जयपुर	1230	520	1	1	1669	23.49	-6.80	कम आय आने के कारण।
		बांसवाडा-कोटा	1020	349	2	2	1536	24.58	-9.22	कम आय आने के कारण।

अलवर जिले में पालनहार योजना का निरीक्षण

247. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में पालनहार योजना के तहत वर्तमान में कुल कितने पालनहारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है? पंचायत समितिवार विधवा पालनहार व अनाथ पालनहारों की सूची मय निवास स्थान के पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में पालनहार योजना के तहत कुल कितने बच्चों को बाल गृहों में भेजा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक कुल कितने पालनहारों के कार्यों का निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पालनहारों की जांच करने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है एवं क्या उक्त कार्य योजना की पालना की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिले में पालनहार योजना की क्रियान्विति में कौन-कौनसी स्वयं सेवी संस्था जुड़ी हुई है? स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितने बच्चों को इस योजना के तहत पालनहार बना रखा है? संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में पालनहार योजनान्तर्गत कुल 2598 पालनहारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पंचायत समितिवार विधवा पालनहार व अनाथ पालनहारों की सूची मय निवास स्थान के पते के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पालनहार योजना के तहत किसी भी बच्चे को बाल गृह में नहीं भेजा गया है।

(3) अलवर जिले में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2211 पालनहारों का निरीक्षण किया गया है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) पालनहारों की जांच हेतु विभाग के पत्र दिनांक 17.04.2009 के क्रम में पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित छात्रावास अधीक्षकों से प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(5) पालनहार योजनान्तर्गत कोई भी स्वयंसेवी संस्था जुडी हुई नहीं है।

(6) जी नहीं। किसी भी स्वयंसेवी संस्था द्वारा बच्चों को पालनहार नहीं बनाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा को राशन सामग्री आबंटित करने सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों की जांच

248. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में उचित मूल्य की कितनी दुकानें कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उचित मूल्य की दुकानों से कितने परिवारों को रियायती दर पर क्या-क्या सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संचालित उचित मूल्य की दुकानों हेतु वर्ष 2012 में आटे एवं अन्य सामग्री के कितने आबंटन की स्वीकृति थी और उनमें से कितना आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जिला रसद अधिकारी द्वारा राशन विक्रेताओं को राशन सामग्री कम आबंटित करने सम्बन्धी शिकायतें सरकार को मिली हैं? यदि हां, तो कब-कब व किस प्रकार की और सरकार द्वारा उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में 113 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दर पर उपलब्ध कराये जा रहे सामान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संचालित उचित मूल्य की दुकानों हेतु वर्ष 2012 में एपीएल आटे के कुल 686600 बैग (प्रति बैग 10 किग्रा.),

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

केरोसीन 2904.7 के.एल., 19020.00 क्विंटल बीपीएल गेहूं, 5109 क्विंटल स्टेट बीपीएल गेहूं, 7219.8 क्विंटल अन्त्योदय गेहूं, 325.2 क्विंटल अन्नपूर्णा गेहूं, 4021.5 क्विंटल तदर्थ गेहूं एवं 2458 क्विंटल चीनी उपलब्ध कराई गई है। उक्त क्षेत्र की दुकानों हेतु उपलब्ध कराई गई सामग्री के आबंटन, उठाव एवं वितरण की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जिला रसद अधिकारी द्वारा राशन विक्रेताओं को राशन सामग्री कम आबंटित करने सम्बन्धी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर के विचाराधीन औद्योगिक क्षेत्र

249. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में एक भी रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है? यदि हां, तो सरकार के उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन से स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा कब तक प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया जायेगा एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा सीकरी में मूर्तिकला उद्योग केन्द्र विकसित करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की ककराला को क्रेशर जोन बनाने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नगर में रीको का कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र नगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। रीको द्वारा जिला प्रशासन से भूमि आबंटन के लिये निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(2) पिछले चार वर्षों में पंचायत समिति नगर के मार्बल मूर्ति दस्तकारों को प्रोत्साहन हेतु आर्टीजन पहचान पत्र योजना में 42 पहचान कार्ड

(उद्योग मंत्री)

बनवाये गये तथा आर्टीजन क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत 75 दस्तकारों को बैंकों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड जारी कराकर ऋण उपलब्ध करवाया गया। सीकरी में मूर्तिकला उद्योग केन्द्र विकसित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बहरोड़ के माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

250. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्ष में कितने माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन किया गया है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कितने माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्षों में 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, के विवरण का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गिगलाना को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।

परिशिष्ट-क

विगत पांच वर्षों में जिला अलवर में उमावि स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण

क्र.सं.	क्रमोन्नति वर्ष	उमावि स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालय	तहसील का नाम
01	2008-09	शून्य	-
02	2009-10	शून्य	-
03	2010-11	शून्य	-

क्र.सं.	क्रमोन्नति वर्ष	उमावि स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालय	तहसील का नाम
04	2011-12	शून्य	-
01	2012-13	राउमावि, बालिका, रामपुर	बानसूर
02	2012-13	राउमावि, भोजराजका	कोटाकासिम
03	2012-13	राउमावि, तिगांवा	कोटाकासिम
04	2012-13	राउमावि, बल्लूवास	मुण्डावर
05	2012-13	राउमावि, बामनवास चौगान	थानागाजी
06	2012-13	राबाउमावि, टपूकडा	तिजारा
07	2012-13	राउमावि, बरखेडा	उमरैण
08	2012-13	राउमावि, कुर्जा	उमरैण
09	2012-13	राउमावि, शाहपुरढहरा	उमरैण
10	2012-13	राउमावि, गिगलाना	नीमराना
11	2012-13	राउमावि, सालोली	रैणी
12	2012-13	राउमावि, तसई	कठूमर
13	2012-13	राउमावि, दोगडी	लक्ष्मणगढ़
14	2012-13	राउमावि, रामपुराबड़ा	राजगढ़

जोधपुर में अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड निर्माण कार्य की प्रगति

251. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जोधपुर डिपो के राईकाबाग बस स्टैण्ड को अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड (आधुनिक बस टर्मिनल) बनाये जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई?

(2) क्या उक्त अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु वर्तमान में स्थापित पावटा सब्जी मण्डी को अन्यत्र स्थानान्तरित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक स्थानान्तरित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(3) उक्त अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड कितने क्षेत्रफल में होगा तथा क्या

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

-क्या निर्माण कार्य कर यात्रियों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित हैं?

(4) क्या सरकार जोधपुर शहर के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये शहर के चारों ओर बस सेवाओं के विस्तार हेतु सेटेलाइट बस स्टैण्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व कहां कहां पर?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर में नवीन बस टर्मिनल के निर्माण हेतु प्रस्तुत आम बजट 2013-14 में रुपये 40 करोड़ राशि की घोषणा की गई है।

(2) मण्डी समिति का कार्यालय भवन भदवासिया में स्थानान्तरित कर दिया गया है। गौण मण्डी यार्ड (फल सब्जी) पावटा को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही एवं गौण मण्डी प्रांगण के व्यापारियों को भूखण्ड आबंटन करने की कार्यवाही कृषि विपणन निदेशालय के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) राजस्थान परिवहन निगम के वर्तमान बस स्टैण्ड एवं पावटा मण्डी की लगभग 40000 वर्गमीटर भूमि पर नवीन बस टर्मिनल को विकसित करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में वर्तमान बस स्टैण्ड से बसों का संचालन यथावत रखते हुये नवीन बस टर्मिनल का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। राईका बाग रेलवे स्टेशन को फुट-ब्रिज के माध्यम से बस टर्मिनल से जोड़ा जावेगा। नवीन बस टर्मिनल में 27 बस-बे का प्रावधान रखा गया है। यात्रियों के लिये जन सुविधाओं यथा-पीने का पानी, आधुनिक टायलेट, यात्री प्रतीक्षालय, बुकिंग-बूथ, जल-पान की सुविधा, कैण्टीन स्टाल, कियोस्क, बसों के खड़े रखने की सुविधा, बैंक, कार्यालय, रेस्टोरेण्ट, आदि विकसित किये जावेंगे।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित जोधपुर मास्टर प्लान 2023 (नगर नियोजन) में केन्द्रीय बस स्टैण्ड, राईका बाग के अतिरिक्त सालावास रोड, नागौर रोड व जयपुर-जैसलमेर बाइपास सड़क पर बस स्टैण्ड प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी स्थापना आगामी वर्षों में की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ बास में स्वीकृत मदिरा विक्रय केन्द्र

290. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा अंग्रेजी व देशी मदिरा की दुकानें लाटरी द्वारा निकाली जाती हैं? यदि हां, तो अलवर जिले में अंग्रेजी व देशी मदिरा की कितनी दुकानें कहां-कहां, किस स्थान व किस-किस नाम से लाटरी निकाली गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधानानुसार ही अंग्रेजी, बीयर एवं देशी मदिरा की दुकानें खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की सभी दुकानों की स्वीकृति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजस्थान आबकारी अधिनियम, राजस्थान आबकारी नियमों एवं आबकारी नीति के प्रावधानों में मदिरा की बिक्री या लाभ पर ग्राम पंचायतों को सीधा लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानें लाटरी प्रक्रिया द्वारा आबंटित की जाती हैं। यह लाटरी वर्ष 2011-12 हेतु फरवरी, 2011 में निकाली गई तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये घोषित आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के अनुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर एवं डोडा पोस्त अनुज्ञाधारियों को निर्धारित शर्तों पर नवीनीकरण का विकल्प प्रदान किया गया।

अलवर जिले में देशी मदिरा की 248 दुकानें व भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 41 दुकानें स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। आबकारी विभाग द्वारा मदिरा की दुकानें राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती हैं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में देशी मदिरा की 26 दुकानें व भारत

(आबकारी मंत्री)

निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 3 दुकानें स्वीकृत होकर संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 3 व 4 पर उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की सभी दुकानों की स्वीकृति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(3) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, आबकारी नियम/अधिनियमों के प्रावधानों में मदिरा की बिक्री या लाभ पर ग्राम पंचायतों को सीधा लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की दिनांक 13.07.2011 को प्रस्तुत अंतरिम सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में देशी मदिरा व भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल) की बिक्री से प्राप्त आबकारी शुल्क की राशि का 2 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को क्रमश: 3:12:85 प्रतिशत के अनुपात में हस्तान्तरित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में सरकारी भूमि पर मिट्टी खनन हेतु जारी स्वीकृति

291. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा सरकारी बिलानाम एवं चरागाह भूमि से मिट्टी खोदने की स्वीकृति के लिए S.T.P. जारी करने के क्या नियम/प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2012 तक भीलवाड़ा जिले में किस-किस व्यक्ति/संवेदक को किस-किस गांव में किस प्रयोजन एवं अवधि के लिए सरकारी बिलानाम अथवा चरागाह से मिट्टी खोदने की स्वीकृति S.T.P. जारी की गई तथा S.T.P. के लिए कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खनिज विभाग द्वारा मिट्टी खोदने के लिए अल्पावधि अनुमति पत्र (एस.टी.पी.) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 63 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.11.2011, 30.8.2012, 18.9.2012, 18.10.2012 एवं 9.1.2013 के प्रावधानों के तहत

(खनिज मंत्री)

स्वीकृत किए जाते हैं जिनकी प्रतियां क्रमश: ए-1 से ए-6 पर उपलब्ध हैं। चरागाह भूमि में अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है ।

(2) भीलवाड़ा जिले में 1 जनवरी, 2010 से 31.12.2012 तक खनिज मिट्टी के स्वीकृत किए गए अल्पावधि अनुमति पत्रों एवं जमा की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में पैट्रोलियम खनन से आय

292. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में राज्य को पैट्रोलियम, खनिज पदार्थों एवं प्राकृतिक गैस के दोहन से होने वाली आय में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वर्ष 2012-13 में पैट्रोलियम, खनिज पदार्थों एवं प्राकृतिक गैस के दोहन से राज्य को कितनी आय प्राप्त हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि आगामी वर्षों में राज्य को होने वाली उक्त आय में वृद्धि होने की सम्भावना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 2012-13 में खनिज तेल, खनिजों एवं प्राकृतिक गैस के दोहन से खान एवं पैट्रोलियम विभाग को आय के रूप में माह फरवरी, 2013 तक क्रमश: 4637.89 करोड़, 2317.89 करोड़ एवं 9.51 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं।

(2) जी हां । आगामी वर्षों में खनिज तेल, अन्य खनिजों तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि एवं इसके फलस्वरूप विभाग की आय में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

जैसलमेर जिले में पुरातात्विक इमारतों/छतरियों के जीर्णोद्धार पर व्यय राशि

293. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री छोटू सिंह भाटी)

जिला जैसलमेर में दिसम्बर, 2008 से 15 जनवरी, 2013 तक मंदिर तथा प्राचीन हवेलियों, छतरियों तथा प्राचीन गांवों की पूर्व में बसी बस्तियों में स्थित प्राचीनतम मंदिर व छतरियों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया? वर्षवार, आवंटित राशि व कार्यवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला जैसलमेर में दिसम्बर 2008 से 15 जनवरी, 2013 तक मंदिर तथा प्राचीन हवेलियों, छतरियों तथा प्राचीन गांवों की पूर्व में बसी बस्तियों में स्थित प्राचीनतम मंदिर व छतरियों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रावधान, वर्षवार राशि व कार्यवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

जैसलमेर में स्थित मंदिर तथा प्राचीन हवेलियों, छतरियों तथा प्राचीन गांवों की पूर्व में बसी बस्तियों में स्थित प्राचीनतम मंदिर व छतरियों के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का कार्यवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	स्मारक/संग्रहालय का नाम	वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि
1.	पटवा हवेली नम्बर 3126	2009-10	27.31	27.31
2.	पालीवाल गांव (परियोजना रिपोर्ट)	2009-10	4.85	4.85
3.	पटवा हवेली नम्बर 3128	2011-12	20.68	20.68
		2012-13	10.00	2.02
4.	संरक्षित स्मारक, खोबा	2011-12	39.30	39.30
		2012-13	10.00	4.15
5.	संग्रहालय, जैसलमेर	2011-12	5.000	4.03
		2012-13	30.00	0.00
6.	टेरिटेज वाक, जैसलमेर	2012-13	30.00	0.00
7.	मंदिर श्री बाबा रामदेव, रामदेवरा, तहसील-पोकरण, जैसलमेर	2011-12	50.00	36.20

शेरगढ़ में स्वीकृत नवीन उचित मूल्य की दुकानें

294. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रदेश में वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गईं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जोधपुर जिले के उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक कितनी उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं? स्थान व डीलर के नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.07.2009 एवं 07.04.2010 के द्वारा 500 राशनकार्डो की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का निर्धारण किया जाकर दुकान खोले जाने के निर्देश थे, परन्तु आदेश दिनांक 11.07.2012 के द्वारा वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों को विभक्त कर नई उचित मूल्य दुकान सृजित नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। आदेश दिनांक 21.07.2009, 07.04.2010 एवं 11.07.2012 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक उचित मूल्य की 3246 दुकानें खोली गई हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जोधपुर जिले के उपखण्ड शेरगढ़ में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक कुल 10 प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं। स्थान व डीलरवार सूची निम्न प्रकार है -:

क्र.सं.	स्थान	डीलर का नाम
1	सुवालिया	जसराज/उदयराज जैन
2	दैडा	अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति
3	बालेसर सत्ता	महिला अपनी बचत सहकारी समिति
4	सैखाला	अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति
5	बालेसर दुर्गावता	महिला अपनी बचत सहकारी समिति

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र.सं.	स्थान	डीलर का नाम
6	तेना	अन्नपूर्णा महिला अपनी बचत सहकारी समिति
7	हिम्मतपुरा	टामचन्द/राणीदान
8	रायसर	रणीदान जैन/कंवरलाल
9	गुमानसिंहपुरा	छगनसिंह/भैरूसिंह
10	खिरजा भोजा	ओमसिंह/रामसिंह

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का लाभ

295. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों पर क्या-क्या वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं?

(2) निगम की स्थापना से अभी तक प्रत्येक वर्ष की कुल विक्रय राशि क्या है? इसमें प्रमुख वस्तुओं की विक्रय राशि क्या रही?

(3) निगम की स्थापना से अभी तक निगम का शुद्ध वार्षिक लाभ क्या रहा?

(4) निगम द्वारा सम्भागानुसार प्रतिवर्ष विक्रय किए जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की मात्रा क्या है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं, फोर्टीफाइड आटा एवं बीपीएल लेवी चीनी तथा नान पीडीएस वस्तुएं चाय, नमक व कपड़े धोने का साबुन उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही माह मार्च, 2013 से मूंग दाल एवं पिसा हुआ मसाला मिर्ची, हल्दी, धनियां आदि उपलब्ध करायी जा रही है।

(2) निगम के माध्यम से पीडीएस वस्तुएं यथा गेहूं, बीपीएल चीनी व फोर्टीफाइड आटे की आपूर्ति पीडीएस थोक विक्रेताओं/आटा मिलों द्वारा की जा रही है।

नान पीडीएस वस्तुओं की आपूर्ति अनुमोदित निविदादाता आपूर्तिकर्ता

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

द्वारा की जा रही है। निगम की स्थापना से अभी तक निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु की खरीद कर उसका सीधा विक्रय नहीं किया गया है। निगम द्वारा अब तक किसी वस्तु के विक्रय का कोई वेट इनवोइस जारी नहीं किया गया है। निगम की वेट रिटर्न वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 (प्रथम तीन तिमाही) की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) निगम का वर्ष 2010-11 में शुद्ध हानि रुपये 0.84 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 में प्रोविजनल लाभ राशि रुपये 20.21 करोड़ रहा है।

(4) बिन्दु संख्या 2 में वर्णितानुसार निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु की खरीद कर उसका सीधा विक्रय नहीं किया गया है। निगम के माध्यम से नान पीडीएस वस्तुओं की संभागवार प्रतिवर्ष की गई आपूर्ति की मात्रा का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

296. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2011 व 2012 में कितने अध्यापकों की किस-किस पद पर कितनी-कितनी नियुक्तियां की गई? पदवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर एवं इन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 2011 व 2012 में शिक्षकों के पदों पर दी गई नियुक्तियों का पदवार संख्या विवरण निम्नानुसार है :-

पदनाम	मा. शिक्षा		प्रा. शिक्षा		पंचायतीराज	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
व्याख्याता	919	727	-	-	-	-
व्याख्याता (अनुदानित)	447	-	-	-	-	-

(शिक्षा मंत्री)

पदनाम	मा. शिक्षा		प्रा. शिक्षा		पंचायतीराज	
	2011	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**
वरिष्ठ अध्यापक	8835	10699	-	-	-	-
वरिष्ठ अध्यापक (अनुदानित)	-	741	-	-	-	-
वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक(अनुदानित)	-	37	-	-	-	-
अध्यापक	-	-	92	693	-	33631
अध्यापक (अनुदानित)	-	609	-	1823	-	-
शारीरिक शिक्षक (अनुदानित)	-	74	-	-	-	-
प्रबोधक	-	-	253	525	-	-
योग	**10201**	**12887**	**345**	**3041**	-	**33631**

(2) जी हां। उक्त भर्तियों में से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा की गई भर्तियों में जिला परिषद प्रतापगढ़ द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं देने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है।

सहाड़ा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

297. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2008 से 31 दिसम्बर, 2012 तक किन-किन विद्यालयों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गयीं? कार्यों की वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2008 से 31 दिसम्बर,2012 तक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रु. 812.06 लाख की लागत के कुल 577 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। कार्यों की वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मेलावास ग्राम (भोपालगढ़) के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

298. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार भोपालगढ़ के ग्राम मेलावास के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

भोपालगढ़ के ग्राम मेलावास के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के प्रस्ताव की अन्य प्रस्तावों के साथ समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन करते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बारां जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत नये संकाय

299. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (अन्ता-बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर 2008 से जनवरी, 2013 तक किस-किस उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौन-कौन से नये संकाय स्वीकृत हुए? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत नये संकाय किस-किस विद्यालय में किस-किस दिनांक को प्रारम्भ हो चुके हैं एवं किस-किस विद्यालय में किन-किन कारणों से अब तक प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त स्वीकृत नये संकायों के लिए किस-किस विद्यालय में किस-

(श्री पानाचन्द)

किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से अब तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत नवीन संकायों का विवरण "परिशिष्ट क" पर संलग्न हैं। आदेशों की प्रतियां भी "परिशिष्ट क" पर संलग्न है।

(2) जिन विद्यालयों में नये संकाय स्वीकृत किये गये हैं उनमें प्रारम्भ करने का माह एवं संचालित नहीं होने के कारण का "परिशिष्ट ख" संलग्न है।

(3) नये संकायों के लिये विद्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत किये गये पदों का विवरण विद्यालयवार "परिशिष्ट ग" संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना के विद्यालयों में निःशुल्क वितरित पाठ्य पुस्तकें

300. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा डेगाना विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों में कक्षा नवम् एवं दसवीं में कम्प्यूटर विषय व शारीरिक शिक्षा समाजोपयोगी उत्पादन कार्य की पाठ्य पुस्तकें अभी तक भी वितरित नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि वितरित की गई हैं तो विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कक्षा 9 व 10 में कम्प्यूटर शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और समाजोपयोगी उत्पादन कार्य की पाठ्यपुस्तकें नि:शुल्क वितरण करने का प्रावधान नहीं है।

सादुलपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

301. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले में वर्ष 2007-08 एवं उसके पश्चात् क्रमोन्नत किये गये माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत कार्यरत एवं

(श्रीमती कमला कस्वां)

रिक्त पदों की स्थिति क्या है? विद्यालयवार एवं संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ छात्र शिक्षक अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चूरू जिले में वर्ष 2007-08 एवं उसके पश्चात् क्रमोन्नत किये गये माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार एवं संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां । राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को अनुदान राशि

302. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार लागू होने से वर्तमान 2012-13 शिक्षण सत्र तक 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देने वाले निजी विद्यालयों को कितना अनुदान दिया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान नहीं देने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर बालक-बालिकाओं को निजी स्कूलों में पढ़ाने के नाम पर मात्र औपचारिकता हुई है?

(3) क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित नहीं होना पड़े, इसके लिये कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा सत्र 2012-13 में आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानान्तर्गत निजी

(शिक्षा मंत्री)

शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित कुल 11,5,009 बालक-बालिकाओं का भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है। जिसमें गैर सरकारी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति हेतु 37,68,18,619/- रुपये का दावा राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनको दो किस्तों में पुर्नभरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। शिक्षा सत्र 2012-13 में भौतिक सत्यापन पश्चात 1,15,009 बालकों के प्रवेश सही पाये गये हैं। जिनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी स्तर पर विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान इस तथ्य को देखा जाता है कि नि:शुल्क प्रवेशित बालकों के साथ शिक्षण, बैठक व्यवस्था एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जावे। अत: यह कहना उचित नहीं है कि निजी स्कूलों में पढ़ाने के नाम पर मात्र औपचारिकता हुई है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 पारित कर नियम-10 में समुचित व्यवस्था की गई है। निदेशालय स्तर पर "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को नि:शुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। निदेशालय द्वारा आ.टी.ई. प्रावधानों की पालना कठोरता से करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिन गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आ.टी.ई. नियमों के अन्तर्गत प्रवेश नहीं दिया गया, उन्हें सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

परिशिष्ट-क

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा सत्र 2012-13 में गैर-सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन पश्चात सही पाये गये नि:शुल्क प्रवेशित बालकों का जिलेवार संख्या विवरण

क्र.सं.	जिले का का नाम	नि:शुल्क शिक्षण हेतु प्रवेशित बालकों में से सत्यापन पश्चात सही पाये गये की संख्या
1	जयपुर	16446
2	अलवर	335

क्र.सं.	जिले का का नाम	नि:शुल्क शिक्षण हेतु प्रवेशित बालकों में से सत्यापन पश्चात सही पाये गये की संख्या
3	सीकर	1860
4	दौसा	3072
5	भरतपुर	6060
6	धौलपुर	1149
7	करौली	3728
8	सवाई माधोपुर	3759
9	उदयपुर	4825
10	चित्तौड़गढ़	2978
11	प्रतापगढ़	1110
12	बांसवाड़ा	1696
13	डूंगरपुर	2363
14	राजसमन्द	2116
15	अजमेर	4657
16	भीलवाड़ा	6122
17	नागौर	4961
18	टोंक	4063
19	कोटा	4463
20	बूंदी	2469
21	बारां	2639
22	झालावाड़	3349
23	चूरू	0
24	बीकानेर	191
25	झुन्झुनूं	2443
26	हनुमानगढ़	5721
27	श्रीगंगानगर	6297
28	जोधपुर	5362
29	जालोर	388
30	जैसलमेर	1299

क्र.सं.	जिले का का नाम	नि:शुल्क शिक्षण हेतु प्रवेशित बालकों में से सत्यापन पश्चात सही पाये गये की संख्या
31	पाली	3779
32	सिरोही	2233
33	बाड़मेर	3076
योग	**योग**	**115009**

जमवारामगढ़ में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय

303. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने सम्बन्धी किस-किस जगह के कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं तथा सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिसूचित नियमों में वर्णित विद्यालय खोलने के मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु ब्लाक जमवारामगढ़ के अधीन के 04 प्रस्ताव निदेशालय द्वारा भिजवाये गये थे जिनमें से 02 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। उक्त क्षेत्र के शेष प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्डों एवं गुणावगुणों के आधार पर समग्र स्थिति का आंकलन किया जाकर विद्यालय खोले जा सकेंगे।

(3) जी हां। भविष्य में उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों एवं गुणावगुण के आधार पर समग्र स्थिति का आंकलन किया जाकर विद्यालय खोले जा सकेंगे।

परिशिष्ट ''क''

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिसूचित नियमों में वर्णित विद्यालय खोलने के मानदण्ड

(अ) प्राथमिक विद्यालयों के लिए :-

1. कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के सम्बन्ध में विद्यालय, वास्थान के आस-पास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जायेगा।
2. कठिन और दूरस्थ क्षेत्रो जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और छितराई हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे आबादी में जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है ओर 6-11 आयुवर्ग के न्यूनतम 20 बालक हैं, वहां पर कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय स्थापित किया जायेगा।

सलूम्बर में सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत कार्य

304. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर जिला उदयपुर में सर्वशिक्षा अभियान के तहत क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों में कक्षा कक्ष, खेल मैदान, चारदीवारी निर्माण तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर जिला उदयपुर में सर्वशिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किये जा रहे कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1	अतिरिक्त कक्षाकक्ष	86
2	प्रधानाध्यापक कक्ष	74
3	चारदीवारी	97

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	स्वीकृत कार्यों की संख्या
4	वृहद् मरम्मत	39
5	विद्युतीकरण	53
6	हैण्डपम्प	32
7	रैम्प	22
8	बाला गतिविधि	25
9	बालक शौचालय	369
10	बालिका शौचालय	129
11	शौचालय शहरी क्षेत्र	3
	योग	**929**

(2) जी हां। उक्त विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित होने वाली आगामी वर्षो की कार्य योजना में स्वीकृत बजट की सीमा में तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मापदण्डानुसार कक्षाकक्ष एवं चारदीवारी का निर्माण कराया जा सकेगा।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा जारी सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के अनुसार खेल के मैदानों का विकास कार्य वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान होने पर कराया जा सकता हैं लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भवन-विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं चारदिवारी निर्माण के कार्य ही प्राथमिकता से स्वीकृत किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा (पी.एच.ई.डी.) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में पेयजल सुविधा के प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना में सम्मिलित किये जाते हैं। कार्य योजना स्वीकृत होने पर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

बायतू में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

305. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के क्या मानदण्ड हैं? तद्सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या वर्ष 2012-13 में प्रदेश में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं? यदि हां, तो तद्सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के उपखण्ड बायतू में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है और खोलने की मांग लगातार की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार बायतू में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिये डीजीईटी नई दिल्ली के द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां। वर्ष 2012-13 में प्रदेश में मुख्य मंत्री बजट घोषणा में 20 एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 05 नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट- 2 व 3 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। क्षेत्रीय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर बाड़मेर जिले के उपखण्ड बायतू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ पालिटैक्निक महाविद्यालय

306. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में किस-किस स्थान पर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पालिटैक्निक कालेज संचालित हो रहे हैं?

(2) उक्त किस-किस संस्थान एवं कालेज में किस-किस ट्रेड की कितनी-कितनी सीटें स्वीकृत हैं?

(3) गत चार वर्षों में किस-किस संस्थान एवं कालेज में किस-किस ट्रेड के कितने-कितने छात्र प्रवेश से वंचित रहे?

(4) गत चार वर्षों में सरकार ने किस-किस संस्थान एवं कालेज में किस-किस ट्रेड में कितनी-कितनी सीटों की वृद्धि की स्वीकृति दी?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(5) क्या सरकार आगामी सत्र में सीटों में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस संस्थान एवं कालेज में किस-किस ट्रेड में कितनी-कितनी सीटें व नहीं, तो किन-किन कारणों से?

उत्तर

(1) पाली जिले में जिला मुख्यालय पर एक पालिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) पाली जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय में स्वीकृत सीटों का विवरण निम्नानुसार है:-

शाखा का नाम	राज्यपोषित में स्वीकृत सीटों की संख्या	स्ववित्तपोषित में स्वीकृत सीटों की संख्या
इलैक्ट्रीकल	40	60
इलैक्ट्रोनिक्स	60	--
कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग	-	40
टैक्सटाइल डिजाइन (नान इंजीनियरिंग)	60	-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) गत चार वर्षों में पाली जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय में किसी भी शाखा में छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहे।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) गत चार वर्षों में पाली जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय में 60, कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग में 40 सीटों की वृद्धि की स्वीकृति दी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) पालिटेक्निक महाविद्यालय में मौजूदा प्रवेश क्षमता के अनुरूप प्रवेश नहीं होने के कारण आगामी सत्र में सीटों में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने तथा गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विकलांग बच्चों हेतु विशेष विद्यालयों में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

307. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अब तक कितने विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकरण व्यक्ति विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गई है? जिलेवार नियुक्त शिक्षकों के नाम व उनकी योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में विकलांग बच्चों की संख्या व श्रेणी के अनुसार विद्यालयों में विशेष शिक्षक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार नये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में समावेशित शिक्षा संचालित है? यदि हां, तो प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षकों की क्या व्यवस्था है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ब्लाक स्तर पर किसी एक राजकीय विद्यालय को विशेष विद्यालय के रूप में चिह्नित कर संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्तमान में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत 272 विशेष शिक्षक कार्यरत हैं। जिलेवार नियुक्त शिक्षकों के नाम व उनकी योग्यता का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विशिष्ट विद्यालयों में लगे हुये भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत 10 विशेष शिक्षकों का विवरण भी परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान योजना में विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं एवं सामान्य शिक्षकों को तकनीकी एवं शैक्षणिक संबलन प्रदान करने हेतु ब्लाक स्तर पर एच.आई.वी.आई. एवं एम.आर. श्रेणी के एक-एक विशेष शिक्षक लगाये जाने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा सत्र 2012-13 में पंचायतीराज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति की गई जिनमें 637 पदों पर तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों की किया जाना सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित आई.ई.डी.एस.एस. के लिये कुल 485 विशेष शिक्षकों के द्वितीय श्रेणी के पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार तथा राजस्थान सरकार के नियमानुसार की जावेगी। इस हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियमों में अपेक्षित संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में समावेशित शिक्षा संचालित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी विद्यालयों के लिए आई.ई.डी.एस.एस. योजना प्रभावी है परन्तु वर्तमान में जो विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत हैं उनको शिक्षण कार्य सामान्य शिक्षकों के द्वारा ही करवाया जाता है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निराश्रित सम्बल योजना के तहत चिन्हित व्यक्ति

308. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 तक कितने विशेष योग्यजनों के द्वारा मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त में से कितने आवेदनकर्ताओं को उक्त मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराई गई? उपलब्ध कराने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अनिल जैन)

(3) प्रदेश में निराश्रित सम्बल योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को चिह्नित करके उन्हें सहारा देने हेतु क्या-क्या प्रबंध व्यवस्था की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत जिला स्तर पर समितियां गठित किया जाना था? यदि हां, तो उक्त समितियों के सदस्यों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 तक कुल 2020 विशेष योग्यजनों द्वारा जिलों में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, जिनकी जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में पात्र 50 विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाई गई है। उपलब्ध कराने में जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाई गई। मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलों की सूची व प्रक्रिया परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राज्य में निराश्रित सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र चिन्हित व्यक्तियों को राशि 2000 रुपये आर्थिक सहायता राशि एक बार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जिलेवार व्यय एवं लाभान्वितों की संख्या की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। निराश्रित सम्बल योजना अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा दो स्वयं सेवी संस्थाओं से एक-एक प्रतिनिधि जिला स्तरीय समिति में मनोनीत किये जाने का प्रावधान है। जिला स्तरीय समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्य हैं :

जिला कलक्टर अध्यक्ष,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्-सदस्य,

जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत दो स्वयं सेवी संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य

उक्त समिति में सदस्य के रूप में जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि की जिलेवार सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर, राजसमन्द जिलों में अनाश्रित बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय

309. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उदयपुर व राजसमन्द जिलों में अनाश्रित बच्चों को शिक्षित करने हेतु किसी प्रकार के विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे विद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उनमें कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिक्षा के अतिरिक्त सरकार द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को शिक्षित करने हेतु उदयपुर एवं राजसमन्द जिले में किसी प्रकार के विद्यालयों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) विभाग द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 6-18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं हेतु बाल गृहों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें आवासरत बच्चों को भोजन, वस्त्र एवं शिक्षण प्रशिक्षण की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देय सुविधाओं की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:एफ2(6)( )मुबाअ:सान्याअवि/07/27671 जयपुर, दिनांक 30/3/2011

<u>आदेश</u>

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 21451 दिनांक 16.4.2007 से किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न राजकीय गृहों के लिए निर्धारित राशन स्केल हेतु प्रतिमाह प्रति आवासी अधिकतम व्यय राशि रुपये 850/- से बढ़ाकर प्रतिमाह प्रति आवासी अधिकतम व्यय राशि रुपये 1250/- एतद्द्वारा निर्धारित की जाती है :-

(अ) राशन स्केल			
क्र.सं.	**सामग्री**	**मात्रा (ग्राम में) (प्रतिदिन प्रति आवासी)**	**अधिकतम व्यय राशि (प्रति आवासी प्रतिमाह)**
1	आटा/चावल	500	1100/- रुपये
2	दाल	50	
3	सब्जी (पालक, घीया, टीण्डा, मौसम अनुसार अन्य हरी सब्जी)	200	
4	सब्जी (आलू, अरबी आदि)	100	
5	फल	125	
6	तेल	20	
7	घी	20	
8	दूध/दही	500	
9	चीनी/गुड	30	
10	नमक व मसाले	10	
(ब) अन्य व्यय			
क्र.सं.	**सामग्री**	**दर (रुपयों में) प्रति आवासी प्रति माह**	**अधिकतम व्यय राशि (प्रति आवासी प्रतिमाह)**
1	साबुन	35	150/- रुपये
2	टूथ पेस्ट व टूथ ब्रश	25	
3	बिस्तर धुलाई	35	
4	शैम्पू	10	
5	जूते-मौजे	25	
6	विविध	20	
		योग (अ+ब)	**1250/- रुपये**
अन्य सामग्री जो उक्त में सम्मिलित नहीं है, पूर्वानुसार प्रदान की जायेगी।			

यह आदेश दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101100951 दिनांक 28.03.2011 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जा रहे हैं।

आयुक्त एवं शासन सचिव

तिलम संघ की स्थापना के उद्देश्य

310. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तिलम संघ की स्थापना कब व किस उद्देश्य से की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) संघ द्वारा मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विगत पांच वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विगत पांच वर्षों में संघ को हुए लाभ-हानि सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा तिलम संघ की स्थापना दिनांक 23.7.1990 को की गई तथा दिनांक 1.1.1991 को राजफैड से अलग होकर कार्य प्रारम्भ किया गया। स्थापना के समय संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे:-

तिलम संघ की स्थापना राज्य में तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों से सदस्य कृषकों के हित में तिलहन उत्पादन, उपार्जन, प्रक्रियण या उत्पादित तिलहन आधारित उत्पादनों के विपणन को समुचित तौर पर इन्टीग्रेटेड करते हुए तिलहन उत्पादक कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु सहकारी आधार पर कार्य करने के उद्देश्य से की गई है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संघ आवश्यक संस्थाओं के सृजित एवं उन्हें मदद देने के कार्य भी आवश्यकतानुसार करेगा।

वर्ष 2008 में तिलम संघ के संशोधन पश्चात उद्देश्य निम्नानुसार है:-

राज्य में तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य कृषकों के हित में तिलहन/अन्य कृषि जिन्सों के उत्पादन, उपार्जन, प्रक्रियण तथा उत्पादित तिलहन/अन्य कृषि जिन्सों पर आधारित उत्पादनों के विपणन को समुचित तौर पर इन्टीग्रेटेड करते हुए तिलहन उत्पादक कृषकों एवं अन्य कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु सहकारी आधार पर कार्य करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संघ आवश्यक संस्थाओं के सृजित एवं उन्हें मदद देने के कार्य भी आवश्यकतानुसार करेगा।

(2) तिलम संघ द्वारा मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गत 5 वर्षों में निम्न प्रयास किये गये:-

(सहकारिता मंत्री)

1. खाद्य तेल प्रक्रियण:- गत पांच वर्षों में सरसों, मूंगफली व सोयाबीन का निम्न प्रकार प्रक्रियण किया गया है:-

(मै.टन)

वित्तीय वर्ष	सरसों	मूंगफली	सोयाबीन
2007-08	20172.21	292.89	5998
2008-09	1691.01	1665.27	2418
2009-10	0.00	1019.82	0.00
2010-11	271.69	810.25	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00

वर्ष 2011-12 से तिलम संघ में खाद्य तेलों का प्रक्रियण बन्द है।

2. तिलहन उपार्जन:-संघ द्वारा गत 5 वर्षों में तिलहन का उपार्जन निम्न प्रकार से किया गया:-

(मात्रा टनों में)

वर्ष	सरसों	सोयाबीन	मूंगफली
2007-08	6563.92	13777.63	3130.54
2008-09	2805.62	11144.64	3809.42
2009-10	7378.02	13575.180	3413.61
2010-11	5164.20	12009.391	4601.12
2011-12	7984.75	12860.48	1918.39

3. प्रमाणित बीज:- तिलम संघ द्वारा गत 5 वर्षों में प्रमाणित बीज निम्नानुसार उपलब्ध करवाये गये:-

(मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	सरसों	सोयाबीन	गेहूं	चना	ग्वार	मोठ
07-08	809.28	15595.65	0.00	0.00	0.00	0.00
08-09	580.38	20316.80	600.00	0.00	0.00	0.00
09-10	1387.47	23421.20	3681.60	0.00	0.00	0.00
10-11	2721.84	29386.40	10235.60	107.40	0.00	0.00
11-12	5801.70	41022.00	20384.40	249.90	22.36	188.14

(सहकारिता मंत्री)

4. समर्थन मूल्य पर खरीद:- गत पांच वर्षों में गेहूं सरसों की खरीद निम्न प्रकार की गई है:-

(मात्रा टनों में)

वर्ष	गेहूं	सरसों
2007-08	2267.65	5565.82
2008-09	149539.80	0.00
2009-10	69014.55	0.00
2010-11	17929.55	0.00
2011-12	93938.45	0.00

(3) तिलम संघ द्वारा गत 5 वर्षों में अर्जित लाभ-हानि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	शुद्ध लाभ-हानि	संचित हानि
2007-08	-379.24	-20858.86
2008-09	-498.82	-21367.68
2009-10	+231.90	-21135.78
2010-11	+226.17	-20909.61
2011-12	+637.06	-20272.55

बाड़मेर उपभोक्ता होलसेल भण्डार की बकाया राशि की वसूली हेतु कार्य योजना

311. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उपभोक्ता होलसेल भण्डार बाड़मेर ने गत तीन वर्षों में अकाल राहत के तहत पशु शिविरों में किन-किन संस्थाओं को चारा आपूर्ति का कार्य किया?

(2) क्या उक्त संस्थाओं ने होलसेल भण्डार की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया अथवा बकाया है?

(3) सरकार द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिये उक्त संस्थाओं के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(श्री मेवाराम जैन)

(4) क्या सरकार उक्त संस्थाओं के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही कर राशि वसूलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बाड़मेर द्वारा गत तीन वर्षो में अकाल राहत के तहत निम्न स्वीकृत चारा डिपों के माध्यम से पशुचारा सप्लाई किया गया:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	वर्ष
1.	थार विकास संस्थान	2009-10
2.	सवेरा ग्रामीण विकास संस्थान	2009-10
3.	रियल्टी संस्थान	2009-10
4.	खावड विकास संस्थान	2009-10
5.	रहबरू विकास संस्थान	2009-10
6.	किसान विकास संस्थान	2009-10
7.	अल्प संख्यक विकास संस्थान	2009-10
8.	सेवा विकास संस्थान	2009-10
9.	महेश्वर विकास संस्थान	2009-10
10.	नेहरू युवा मण्डल अजबे का पार	2009-10
11.	सरवर विकास संस्थान	2009-10
12.	बाड़मेर ग्रामीण विकास संस्थान	2009-10

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. द्वारा अकाल राहत के तहत पशु चारा सप्लाई का कार्य नहीं किया गया है।

(2) निम्नांकित चारा डिपो संस्थाओं में वर्षवार उनके समक्ष अंकित राशि बकाया है-

वर्ष 2009-10

क्र.सं.	संस्था का नाम	बकाया राशि
1.	थार विकास संस्थान	5020528.00
2.	सवेरा ग्रामीण विकास संस्थान	22374.00
3.	रियल्टी संस्थान	65726.00
4.	खावड विकास संस्थान	81400.00

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	**संस्था का नाम**	**बकाया राशि**
5.	रहबरू विकास संस्थान	87400.00
6.	किसान विकास संस्थान	66800.00
7.	अल्प संख्यक विकास संस्थान	20700.00
8.	सेवा विकास संस्थान	16520.00
9.	महेश्वर विकास संस्थान	39100.00
10.	नेहरू युवा मण्डल अजबे का पार	7800.00
11.	सरवर विकास संस्थान	15600.00
12.	बाड़मेर ग्रामीण विकास संस्थान	15600.00
	योग	**5459548.00**

(3) उक्त बकाया राशि प्रकरण में संस्था के आडिट रिपोर्ट वर्ष 2009-10 में मामला सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 में संस्था के भूतपूर्व मुख्य व्यवस्थापक श्री प्रेमसिंह चौधरी निरीक्षक (कार्यकारी) एवं श्री पुखराज दवे कार्यवाहक लेखाकार के विरुद्ध दर्ज करना प्रस्तावित किया गया। आरोपित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मामला माननीय न्यायालय अति. रजिस्ट्रार (अपील्स) जोधपुर में अपील दायर कर स्थगन प्राप्त किया गया है वर्तमान में मामला माननीय न्यायालय अति. रजिस्ट्रार (अपील्स) जोधपुर में विचाराधीन है।

(4) चूंकि सभी प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं उक्त प्रकरणों में निर्णय होने के पश्चात तदानुसार वसूली कार्यवाही की जा सकेगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने हेतु कार्य योजना

312. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितना-कितना घाटा हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने हेतु कोई अनुदान राशि/पैकेज अथवा सरकारी सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी-कितनी राशि तथा नहीं, तो क्यों?

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(3) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । गत पांच वर्षों के वर्षवार घाटे का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	घाटा लाख रूपये में
2007-08	2357.43
2008-09	18932.61
2009-10	7894.97
2010-11	18499.84
2011-12	13059.86

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वार्षिक हानि के पुनर्भरण हेतु वर्ष 2012-13 में आर.टी.आई.डी.एफ. से 10 करोड़ रुपये की आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा उक्त वर्ष में ग्रामीण बस सेवा संचालित करने हेतु निगम को वी.जी.एफ. के रूप में 10 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय पुनर्गठन हेतु वर्ष 2012-13 में निगम को 215 करोड़ रुपये अंशपूंजी एवं 500 करोड़ रुपये के बाण्ड जारी करने हेतु गारंटी प्रदान की गई है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में भी 100 करोड़ रुपये अंशपूंजी एवं 150 करोड़ रुपये बाण्ड जारी करने हेतु गारंटी एवं वी.जी.एफ. हेतु 100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।

(3) प्रश्न का उत्तर खण्ड-2 में दिया जा चुका है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री किराये में वृद्धि

313. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कब-कब, कितने-कितने यात्री किराये की वृद्धि की तथा वृद्धि के क्या कारण रहे?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के किराया वृद्धि में रोक के बावजूद वर्ष 2013 में जयपुर से इलाहाबाद की बसों का किराया बिना अनुमति प्राप्त किये बढ़ाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर व तारानगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस अड्डों के विस्तार व रखरखाव के लिए कुल कितनी-कितनी राशि कब-कब विगत चार वर्षों में किस-किस मद में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों यथा 2008 से 2012 तक समय-समय पर बढ़ाये गये किराये का विवरण कारण सहित परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं । निगम द्वारा जयपुर से इलाहाबाद मार्ग की बस के लिए राजस्थान राज्य क्षेत्र के यात्री किराया दरों में वृद्धि नहीं की गई, अपितु राजस्थान सरकार से पूर्व प्राप्त अनुमति के अनुसार ही टोल नाके पर भुगतान देयता निर्धारित होने पर, टोल टैक्स की प्रतिपूर्ति के लिए टोल टैक्स शुल्क की वसूली दिनांक 01.2.2013 से प्रारम्भ की गई तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यात्री किराया दरों में दिनांक 02.02.2013 से की गई वृद्धि के कारण जयपुर-इलाहाबाद मार्ग में उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र की यात्रा दूरी के अनुसार यात्री किराया राशि में वृद्धि हुई ।

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर व तारानगर में बस स्टैण्डों के विस्तार व रखरखाव पर विगत चार वर्षों में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-कुचामन बस सेवा का संचालन प्रकरण

314. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से कुचामन (वाया चौमूं, रेनवाल, करड़, सुरेरा) मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वर्ष 2010-11 में बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया था? यदि हां, तो कब से और किस-किस समय? समय सारिणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त बसों का संचालन बीच-बीच में बंद कर दिया गया था? यदि हां, तो कब-कब किस कारण से और पुन: संचालन कब शुरू किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में उक्त बस सेवा का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए उक्त बसों का संचालन पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर-कुचामन वाया चौमूं-रेनवाल-करड-सुरेरा मार्ग पर वर्ष 2010-11 में निम्न समयानुसार वाहन संचालन प्रारम्भ किया गया था :-

<table>
<tr><td rowspan="2">विद्याधर नगर आगार</td><td rowspan="2">अक्टूबर, 2008 से जून, 2010 तक</td><td>जयपुर-कुचामन वाया रेनवाल-चितावा 0730</td></tr>
<tr><td>जयपुर-कुचामन-वाया सुरेरा 1515</td></tr>
<tr><td rowspan="3">जयपुर आगार</td><td>जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010 तक</td><td>जयपुर-कुचामन-रामगढ़-जयपुर वाया रेनवाल, करड, सुरेरा-0725</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर, 2010 से जुलाई 2012 तक</td><td>जयपुर-कुचामन-रामगढ़-जयपुर वाया रेनवाल, डांसरोली-1515</td></tr>
<tr><td>अगस्त, 2012 से सितम्बर, 2012 तक</td><td>जयपुर-कुचामन-रामगढ-जयपुर वाया रेनवाल, रामगढ़, सुरेरा-1230</td></tr>
<tr><td>वैशाली नगर आगार</td><td>दिनांक 26.10.2012 से</td><td><table>
<tr><td>कुचामन</td><td>जयपुर वाया चौमूं, रेनवाल, करड सुरेरा</td></tr>
<tr><td>0615</td><td>1100</td></tr>
<tr><td>जयपुर</td><td>कुचामन</td></tr>
<tr><td>1230</td><td>1715</td></tr>
<tr><td>कुचामन</td><td>रामगढ़</td></tr>
<tr><td>1730</td><td>1900</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(यातायात राज्य मंत्री)

रामगढ़	कुचामन
0615	0800
कुचामन	रामगढ़
0830	1315
जयपुर	कुचामन
1515	2000

(2) यह सही है कि संचालन अवधि में उक्तानुसार संचालित बस सेवाओं का संचालन निम्नानुसार उनके सामने अंकित कारणों से बंद रहा है :-

आगार का नाम	**बन्द अवधि**	**बन्द करने का कारण**
विद्याधर नगर आगार	निल	
जयपुर आगार	दिनांक 19.8.2010, 26.11.2010, 01,7,22,23.12.2010 25.1.2011, 21.2.2011, 20.3.2011, 01.3.2012, 02.8.2012	क्रयु की कमी के कारण
वैशाली नगर आगार	30.1.2013 से 10.2.13	वाहन एवं क्रयु की कमी के कारण। वैशाली नगर आगार द्वारा दिनांक 11.2.2013 से पुन: इस मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) जी हां । दिनांक 26.10.2012 से किया जा रहा है ।

(4) वर्तमान में प्रश्न के भाग संख्या "1" में अंकित समयानुसार वैशाली नगर आगार द्वारा बस सेवा का संचालन किया जा रहा है।

जयपुर शहर में मिनी बसों के स्वीकृत मार्ग एवं परमिट

315. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में मिनी बसों को किन-किन मार्गों पर परमिट स्वीकृत हैं तथा इनमें कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयपुर शहर में मिनी बसों के मार्ग सं. 07, 11, 31 एवं 32 में मिनी बसों को परमिट देने हेतु कितना-कितना स्कोप निर्धारित किया हुआ है तथा उक्त मार्गों पर वर्तमान में कितनी-कितनी मिनी बसें संचालित हैं? संचालित मिनी बसों का नम्बर, वाहन मालिक का नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में संचालित मिनी बसों को एक माह में जयपुर शहर से बाहर शादी-पार्टी में जाने हेतु दो बार ही टी पी जारी की जाती है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार टी पी की बाध्यता को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में मिनी बसों को 39 नगरीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत हैं। मार्गो की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है, तथा ये सभी मार्ग स्वीकृत हैं।

(2) जयपुर शहर में मिनी बसों के मार्ग संख्या 7, 11, 31 एवं 32 पर स्कोप एवं संचालित वाहनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	मार्ग संख्या	निर्धारित स्कोप	संचालित वाहनों की संख्या
1	7	100	100
2	11	150	150
3	31	105	105
4	32	75	75

(यातायात राज्य मंत्री)

उक्त मार्गों पर संचालित मिनी बसों के वाहन नम्बर एवं वाहन मालिक का नाम व पते की सूची परिशिष्ट 2, 3, 4, 5 पर उपलब्ध है ।

(3) जी हां । राज्य परिवहन प्राधिकार के प्रस्ताव संख्या 3/2005 दिनांक 2 जुलाई, 2005 के अन्तर्गत शहर में संचालित मंजिली बसों को माह में अधिकतम दो बार या कुल चार दिवस हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकते हैं। प्रस्ताव की छायाप्रति परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है ।

(4) नगरीय सेवा की बसें/मिनी बसें अपने निर्धारित मार्ग पर अधिकतम संचालित हो एवं अस्थाई अनुज्ञापत्रों (टी.पी.) पर टयूरिस्ट पार्टियों शादी पार्टियों, आदि के प्रयोजनार्थ इनका न्यूनतम उपयोग हो सके इस दृष्टि से ऐसी बसों के अस्थाई अनुज्ञा पत्रों की सीमा निर्धारित की गई थी । उक्त सीमा समाप्त करने पर शहर की जनता हेतु सस्ती परिवहन सेवा में कमी आने की संभावनाओं के दृष्टिगत उक्त सेवाओं की अस्थाई अनुज्ञापत्रों की सीमा समाप्त करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ में स्वीकृत/अपूर्ण सड़कें

316. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कौन-कौन सी सड़कें कितनी-कितनी लम्बाई की कहां-कहां स्वीकृत हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो उक्त सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अधूरी पड़ी सड़कों को कब तक निर्मित करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड में 03 सड़कें 9.60 कि.मी. लम्बाई की मंडी समिति खैरथल में स्वीकृत हुई थीं, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) हां। तीनों सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्वीकृत उक्त तीनों सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत 5 वर्षों में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृति का विवरण			निर्मित वर्ष	व्यय राशि लाखों में	कार्य की स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण
			क्रमांक दिनांक	राशि लाखों में	लम्बाई किमी			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	खैरथल	चावण्डी से मांढन गिगलाना रोड	प.7(7)कृषि/ग्रुप2/ 2003/दिनांक 25.09.2007	39.80	2.60	2008-2009	39.20	पूर्ण
2	खैरथल	गंडाला से ढूंढारिया		55.00	3.40	2008-2009	51.56	पूर्ण
3	खैरथल	खोहर से दोसोद		55.20	3.60	2008-2009	52.54	पूर्ण
			योग	**150.00**	**9.60**		**143.30**	

बस्सी में कृषक मित्र योजनान्तर्गत दी गई सहायता राशि

317. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि, कब-कब, सहायता के रूप में प्रदान की गई? नामवार एवं ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में कृषिगत कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर नियमों की अज्ञानता के कारण एफआईआर दर्ज नहीं होने की दशा में प्रभावितों को सहायता राशि किस विधि से दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) कृषिगत कार्य के अन्तर्गत किस-किस प्रकार की दुर्घटनाओं को सम्मिलित किया गया है जिसके आधार पर प्रभावितों को सहायता दी जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता राशि का विवरण नामवार व ग्रामवार परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में कृषिगत कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर नियमों की अज्ञानता के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने की दशा में प्रभावितों को सहायता राशि राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देश 2012-13 के अनुसार दी जा रही है। योजना की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत जिन दुर्घटनाओं को सम्मिलित किया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट 'ब' के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

होमगाड्‌र्स/स्वयं सेवकों की सहायता हेतु कल्याण कोष में जमा राशि का उपयोग

318. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों के नियोजन से सम्बद्ध संस्थाओं एवं स्वयंसेवकों से कल्याण कोष के मद में कुछ राशि वसूली की जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी तथा किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कल्याण कोष में माह जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कितनी राशि जमा हुई और वर्तमान में कुल कितनी राशि जमा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त कल्याण कोष के गठन का उद्देश्य क्या था तथा कल्याण कोष की राशि के व्यय के लिए क्या मानदण्ड अथवा नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कल्याण कोष से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई तथा कितने होमगार्ड स्वयं सेवक अथवा उनके परिजनों को किस-किस रूप में कितनी-कितनी राशि सहायतार्थ दी गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) स्वयं सेवकों के नियोजन के सम्बन्ध संस्थाओं से पारिश्रमिक राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा एवं स्वयं सेवकों से 50/- रुपये प्रति स्वयं सेवक प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क के रूप में कल्याण कोष में वसूल किये जाते हैं।

(2) कल्याण कोष में माह जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक जिलेवार राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त कल्याण कोष के गठन का उद्देश्य विभाग में पदस्थापित नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा, शहरी गृह रक्षा, सीमा गृह रक्षा के नियमित स्टाफ और स्वयं सेवकों को उनके कष्ट के समय और उनके सामान्य कल्याण के लिये वित्तीय सहायता एवं राहत उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है। होम गार्ड स्वयं सेवक चूंकि स्थायी कर्मचारी नहीं है, अत: इन्हें

(गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री)

बीमार/घायल एवं मृत्यु होने पर राज्य कर्मचारियों की भांति कोई चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा व्यय, पुनर्भरण या अन्य कोई परिलाभ देय नहीं है। इसी प्रयोजनार्थ कल्याण कोष की स्थापना की गयी है। राशि के व्यय के लिये राजस्थान होम गार्ड एवं सिविल डिफेन्स वेलफेयर रूल्स 1987 निर्धारित है।

(4) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कल्याण कोष में से जिलेवार राशि व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कल्याण कोष से माह जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक निम्नलिखित स्वयं सेवक अथवा उनके परिजनों को सहायता प्रदान की गई है:-

वर्ष	छात्रवृति		निधन पर परिवार लाभान्वित		घायल एवं बीमार सदस्य लाभान्वित (चिकित्सा)		शव ले जाने हेतु परिवार लाभान्वित	
	सदस्य	लाभा. राशि	परिवार	राशि	सदस्य	राशि	सदस्य	राशि
2009	247	216420	29	451500	07	80227	04	17250
2010	200	71257	14	720000	77	185297	01	30600
2011	240	161270	11	780000	07	110033	02	20000
2012	118	125925	11	890000	03	120928	01	8704
2013	-	-	01	5000	-	-	-	-
योग	**805**	**574872**	**65**	**2846500**	**94**	**496485**	**08**	**76554**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बिलेटा ग्राम (अलवर) में इस्लामिया मदरसा की स्वीकृति

319. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार गांव बिलेटा, तहसील रैणी (अलवर) में ग्रामवासियों द्वारा जमीन उपलब्ध करवाये जाने पर इस्लामिया मदरसा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

मदरसा खोलने का कार्य समाज के स्थानीय लोगों की समिति द्वारा किया जाता है। मदरसा बोर्ड, मदरसे के पंजीयन के लिए आवेदन करने पर

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

इसका पंजीयन करता है। यदि ग्रामवासी मदरसा प्रबंधन समिति बनाकर मदरसे के पंजीकरण करने हेतु आवेदन करते हैं तो पंजीयन बाबत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत लाभान्वित अल्पसंख्यक परिवार

320. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से कार्यक्रम व योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनावार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006 से 2012 तक केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा राज्य सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की एवं कितनी राशि उपलब्ध करवाई तथा कितना व्यय हुआ? कार्यक्रमवार, वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किस-किस कार्यक्रम में कितने-कितने अल्पसंख्यकों को लाभन्वित किया गया? कार्यक्रमवार, वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक विभाग द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्रीजी का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने 2006 से 2012 तक इन कार्यक्रमों में स्वीकृत राशि व व्यय राशि कार्यक्रमवार, वर्षवार, जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) 15 सूत्रीय कार्यक्रम से अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया। विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वक्फ सम्पत्तियों का अंकेक्षण

321. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वक्फ के अन्तर्गत कितने कब्रिस्तान हैं एवं उन पर वर्ष 2009 से 2012 की अवधि में कितनी-कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया तथा आवंटित राशि में से कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार एवं मदवार विवरण सहित कब्रिस्तानों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वक्फ के अधीन आने वाले उपरोक्त कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु निगरानी की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक वक्फ सम्पत्तियों का कब-कब अंकेक्षण किया गया है एवं अंकेक्षण में किस-किस सम्पत्ति के बारे में क्या कमी/आक्षेप दर्ज हुए एवं उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वक्फ रिकार्ड अनुसार 7013 कब्रिस्तान दर्ज हैं। वर्ष 2009 से 2012 की अवधि में बोर्ड में आर्थिक संसाधन अपर्याप्त होने के कारण वक्फ बोर्ड कोष से राशि व्यय किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया।

कब्रिस्तानों की जिलेवार सूची संलग्न है। परिशिष्ट - "क"

(2) वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं निगरानी हेतु वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ कमेटियां गठित की जाती हैं। वर्तमान में 201 वक्फ कमेटियां प्रदेश में स्थित हैं। सूची संलग्न है। परिशिष्ट - "ख"

(3) वक्फ सम्पत्तियों का अंकेक्षण चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष कराने की नियमित प्रक्रिया है। वर्ष 2008 से 2013 तक 06 सम्पत्तियों के अंकेक्षण में कमी/आक्षेप दर्ज हुये हैं। उनकी सूची संलग्न है। परिशिष्ट "ग" इन सम्पत्तियों के अंकेक्षण में कमी/आक्षेप होने के कारण सम्बन्धित कमेटियों को कमी/आक्षेप की पूर्ति हेतु पत्र जारी कर दिये गये हैं।

इनके अतिरिक्त बोर्ड में निम्न वक्फ कमेटियों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड स्तर से जांच व अंकेक्षण कराया गया है आक्षेपों के सम्बन्ध में नोटिस जारी किये गये हैं। कार्यवाही चल रही है -

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

(01) वक्फ कमेटी दरगाह अब्बनशाह पीर की जाल प्रतापपुरा सांचोर जिला नागौर।

(02) वक्फ कमेटी दरगाह दीवाने शाह साहब कपासन जिला चित्तौड़गढ़

(03) वक्फ कमेटी दरगाह सूफी हमीदुद्दीन साहब नागौर।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

किशनगढ़ बास में सड़कों की दुर्दशा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सड़कों की दुर्दशा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा उक्त क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। बीबीरानी से गढ़ी बोलनी चौक 22 कि.मी. सड़क इन्टर स्टेट योजना में स्वीकृत हुई। जिसका शिलान्यास केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा किया जाने के बावजूद टेण्डर निरस्त हो गये और आज तक भी टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कार्य चालू नहीं किया गया है। आलमपुर से जाटूवास चौक होते हुये आकोली, जाटूवास चौक से बीरणवास चौकी तक, किशनगढ़ बास से खैरथल, खैरथल से हरसौली, बीबीरानी से हरसौली, किशनगढ़ बास से इस्माईलपुर, खैरथल से इस्माईलपुर, जगता बसई से रातां खुर्द, पाटनअहीर से तिगांवा, कोटकासिम से खानपुर अहीर होते हुये खेड़ी, चामरोदा से लगड़बास, कोटकासिम से बुढी बावल, खैरथल हरसौली रोड से नांगसालियां होते हुये अहीर बासना, बासकृपालनगर से जटियाना मोड़, खैरथल हरसौली रोड से बघेरी कलां मोड़, गोठड़ा से गुरगचका मोड़, किशनगढ़ बास से बाघौडा, हरसोली से पतलिया होते हुये नगलीजाटान, तिगांवा से खैराल, सम्पर्क सड़क कांकरा, सम्पर्क सड़क सिवाना, सम्पर्क सड़क टांकाहेड़ी आदि सड़कें जीर्ण-शीर्ण हालत में है और अधिकतर सड़कों पर पेचवर्क का कार्य भी सम्भव नहीं है।

इसी प्रकार उक्त क्षेत्र में 250 से 500 की आबादी वाले गांवों की स्वीकृत ग्रामीण सम्पर्क सड़कें ग्राम रोणिजा, हाजानाका, बीरणवास, रामनगर, मूनपुर ठाकरान, दाईका (बीबीरानी), झरियाणा, साधूका, ठाठका, कैरवा, चाचियावास, मिर्जापुर, दाईका (चौकी), कासिमपुर आदि को बनाने की प्रक्रिया में अधीक्षण अभियन्ता अलवर के द्वारा ठेकेदारों को धमकाने के कारण ठेकेदारों द्वारा टेण्डर नहीं डाले गये। जिसके विरोध में हजारों की संख्या में 19 दिसम्बर, 2012 को उपखण्ड कार्यालय कोटकासिम के सामने एक दिन का धरना दिया

गया। जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि पुन: टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर 10 फरवरी, 2013 तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। परन्तु टेण्डर प्रक्रिया में सूक्ष्म त्रुटि को आधार बनाकर टेण्डरों को निरस्त कर दिया गया। जिसके कारण जनता में जन आक्रोश है। टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य चालू नहीं किया गया तो जन आक्रोश उग्र आन्दोलन का रूप ले लेगा। और जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर शीघ्र टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण उक्त सभी सड़कों का कार्य अति शीघ्र चालू किया जावे व जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण किया जावे।

रामहेत सिंह यादव

(किशनगढ़ बास)

हवाई सेवा प्रारम्भ करने हेतु राज्य स्तर पर प्रयास

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले की वर्तमान जनसंख्या 19 लाख है और लगभग 12000 लघु, मध्यम व वृहत उद्योग कोटा में संचालित हैं, फिर भी कोटा में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। कोटा में सन 1995 की अवधि में हवाई सेवा उपलब्ध थी। कोटा एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 530 एकड़ क्षेत्रफल है तथा इसका रनवे 4081 फीट लम्बा है जो कि 40 से 45 सीटर क्षमता के विमान उतरे जाने के लिये उपयुक्त है।

कोटा औद्योगिक व शैक्षणिक नगरी के रूप में पूरे देश में पहचान रखता है। कोटा शहर में सम्पूर्ण देश से 1 लाख से अधिक छात्र विभिन्न कोचिंग्स में प्रतिवर्ष अध्ययन करने आते हैं। कोटा के पास ही रावतभाटा अणु शक्ति परियोजना कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना और एन टी पी सी गैस पावर परियोजना स्थापित है। कोटा में सीमेंट, स्टोन, एग्रो, चिकित्सा ऊर्जा व शिक्षा से जुडे व्यक्तियों व व्यवसायियों को कोटा आने के लिये वाया जयपुर अथवा उदयपुर तक की अनावश्यक हवाई यात्रा करनी होती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोटा के विकास में मील का पत्थर मानी जा रही आई आई टी को भी एअर कनेक्टिविटी नहीं होने के बहाने से छीन लिया गया। हवाई सेवा के अभाव में कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर कि फैकल्टी नहीं आ पाती है तो कई औद्योगिक सेमिनार भी नहीं हो पाते हैं जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोटा के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

यहां वर्षों से सिर्फ वीआईपी और चार्टर विमानों की लैडिंग तो हो ही रही है अत नियमित उड़ान भी शुरू की जा सकती है। कोटा में राज्य की पहली वर्ल्ड क्लास ट्रिपल आई टी संस्थान खोलने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ऐसे में देश के बड़े औद्योगिक घराने व आई.टी. कंसलटेंसी कंपनियां यहां आने की सम्भावनाएं है। इसी प्रकार मुकंदरा हिल्स चंबल में एडवैंचर स्पोर्टस की विपुल सम्भावनाओं व फिल्मों के लिये अच्छे लोकेशन से पर्यटन की विपुल सम्भावना है। हवाई सेवा से जुड़ने पर हाड़ोती में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। इंडियन एयरलाइंस व एयरपोर्ट आथोरिटी की टीम के सर्वे के मुताबिक भी कोटा से ट्रैफिक मिलने की सकारात्मक रिपोर्ट है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आप माननीय केन्द्रीय उड्डयन मंत्री से मिलकर कोटा में बेहतर व नियमित हवाई सेवा शुरू कराने के प्रयास करें। जिससे शहर के विकास को गति मिल सके।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटा शहर में हवाई सेवाओं को शुरू कराने के लिये राज्य सरकार के स्तर पर अविलम्ब कदम उठाये जावें।

ओम बिरला

(कोटा दक्षिण)

निम्बड़ी चान्दवता को कुचेरा जी.एस.एस. से 33 के.वी. नयी लाइन से जोड़ना

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में ''अन्न का कटोरा'' कहे जाने वाले निम्बड़ी चान्दावता एवं आसपास के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता अन्य क्षेत्रों से अधिक है। इस क्षेत्र के समस्त लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, यहां की कृषि पूर्णत: नलकूपों से सिंचाई पर निर्भर है। डेगाना विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश नलकूप इसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र के नलकूपों पर विद्युत की आपूर्ति कुचेरा के जी.एस.एस. से 33 के.वी.ए. विद्युत लाइन द्वारा होती है, कुचेरा से निम्बड़ी चान्दावता में जाने वाली 33 के.वी.ए. लाइन इस क्षेत्र से आगे खींवसर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों से भी जुडी हुई है। इस कारण इस विद्युत लाइन पर विद्युत भार हमेशा लाइन की क्षमता से अधिक बना रहता है। विद्युत भार की अधिकता के कारण इस लाइन में बार-बार फाल्ट एवं ट्रिपिंग की समस्या उत्पन्न होती रहती है। जिसके कारण किसानों को विद्युत

आपूर्ति मात्र दो या तीन घण्टे ही मिल पाती है। इन गांवों के किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के किसानों को बार-बार विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते है। जिसके कारण किसानों व आम जनता को समय की बरबादी के साथ आर्थिक भार भी उठाना पडता है। किसानों द्वारा हर वर्ष खरीफ व रबी की फसलों में सिंचाई के समय आन्दोलन भी किये हैं। लेकिन इस समस्या की तरफ सरकार द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों को एक तरफ सरकारी घोषणा के अनुसार निर्धारित समय में भी विद्युत नहीं होती है, दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति के समय में भी कई बार लाइनों के फाल्ट की वजह से सिंचाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्र के किसानों पर ''कगांली में आटा गीला'' होने की कहावत चरितार्थ होती है।

अत: निम्बड़ी चान्दावता के किसानों व आम उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं से मुक्ति दिलवाने हेतु कुचेरा जी.एस.एस. से नई 33 के.वी.ए. लाइन से जोड़ा जाना अतिआवश्यक है, ताकि क्षेत्र के किसानों के अलावा खींवसर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों के किसान व उपभोक्ता भी लाभान्वित हो सकें, इसके लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भिजवाये जा चुके हैं।

अजयसिंह
(डेगाना)

क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत

महोदय,

विषय में निवेदन है कि उक्त सड़क नेवड़ क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ती है एवं उक्त नर्मदा नहर के कमाण्ड क्षेत्र है। उपरोक्त पुलिया के ऊपर से नर्मदा नहर का ओवरफ्लो का पानी हमेशा चलता रहता है अत: उसको रपट की जगह पाइप डालकर या दीवार बनाकर पुलिया का निर्माण होता है तो यह रास्ता बारों मास चल सकता है। अभी यह रास्ता बन्द होने की वजह से लोगों को कम से कम 40 किमी. घूम के जाना पड़ता है। अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि उपरोक्त रास्ते पर जल्दी से जल्दी पुलिया निर्माण करावे ताकि आमजन को आवागमन की सुविधा हो सके।

धन्यवाद। **जीवाराम चौधरी**
(सांचौर)

वन भूमि व सिवायचक भूमि पर खनिज आबंटन

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत कोटा की एक गम्भीर समस्या की ओर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा शहर से लगे हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के लगभग 40-50 गांव के लोगों की पीढियों से आजीविका वैध-अवैध खनन कार्य पर निर्भर है। जिससे खान मालिक लगभग 500 ट्रैक्टर चलाने वाले वाहन चालक और पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों सहित 25 हजार परिवारों की रोजीरोटी इसी व्यवसाय पर निर्भर है। यह व्यवसाय चलता रहे तभी इनके घरों का चूल्हा जलता है पोषण होता है।

इस खनन कार्य से ही सरकारी विभागों को सड़कें बनाने आवासीय योजना में मकान बनाने व अन्य निर्माण कार्यों के लिए रब्बल, पत्थर, गिट्टी व मिट्टी मिलती आ रही है। यहां तक की राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य के मार्गों का निर्माण भी इस सामग्री से ही होता आ रहा है। कोटा के आसपास लगभग 25 क्रेशर संचालित है। जिनकी प्रतिदिन की क्षमता 200 टन गिट्टी बनाने की है।

1996 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोटा शहर के आसपास चल रही चुनाई के पत्थरों की वैध रूप से चल रही लगभग 50 खान बंद हो गई। वर्तमान में केवल वैध रूप से एक खान संचालित है। जबकि सरकारी विभागों और तेज गति से बढ़ रहे कोटा शहर के निर्माण के लिए हजारों टन पत्थर की आवश्यकता है। ऐसे में अवैध खनन से आने वाले पत्थर से यह आवश्यकता पूरी हो रही थी। लेकिन सरकार के वन विभाग, खनिज विभाग व पुलिस के सामूहिक दस्ते ने अभियान चलाकर इस खनन कार्य को बंद करवा दिया है। जिससे 25 हजार परिवारों के सामने भूखों मरने की नौबत खड़ी हो गई है। सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य भी बुरी तरह प्रमाणित हो गया है। लोग अपना नया घर भी नहीं बना पा रहे और ऐसे अराजकता के हालात खड़े होते जा रहे हैं कि खनन कार्य करने वाले श्रमिकों व माइनिंग फोरेस्ट ओर पुलिस के बीच हिंसक वारदातें होने लग गई है। इसी वर्ष लगभग 150 मुकदमे भी पुलिस थानों में दर्ज हुए है। श्रमिकों के सैकड़ों ट्रैक्टरों को पुलिस ने जब्त कर रखा है। अभी हाल ही में हिंसक झड़पों में सीमलहेडी गांव के 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जिससे लोग उद्वेलित हो गये जिससे मंडाना पुलिस और श्रमिकों के बीच लाठी-भाटा जंग हो गई।

ऐसे हालातों में मेरा सरकार से आग्रह है कि भूखे मरते लोग अब

मरेंगे या मारेंगे इसलिए इस गम्भीर समस्या के निदान के लिए कोटा के आस -पास वन भूमि व सिवायचक भूमि पर व्यापक पैमाने पर नियमानुसार खनिज आवंटित करे जिससे अवैध खनन तो रूके ही वैध खनन से सरकार को करोड़ों का राजस्व अर्जित हो। 25 हजार परिवारों को रोजी-रोटी मिले। सरकार व आम लोगों का निर्माण कार्य भी नहीं रूके।

अगर सरकार ने शीघ्र ऐसा निर्णय नहीं किया तो कोटा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी और हालात बेकाबू होंगे।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

सादुलपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। राजगढ़ से तारानगर होकर सरदारशहर मार्ग-राजगढ़ से बहल हरियाणा सीमा तक (अन्तरराज्यीय मार्ग) राजगढ़ से सांखू होते हुए झुंझुनूं राज्य मार्ग व राजगढ़ से झूंपा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 65 व राजगढ़ से चूरू राष्ट्रीय राजमार्ग 65 राष्ट्रीय राजमार्ग है लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि जगह-जगह से सड़कें टूट चुकी हैं। राजगढ़ तारानगर मार्ग की तो ये हालत है कि धोलिया गांव के बाद सड़क पर वाहन चलना दूभर है। तारानगर-सरदारशहर जाने वाली गाड़ियां चंगोई होकर जाने के लिए विवश है। कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त भी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार राजगढ़ से बहल मार्ग 2009 में बनने के बाद से आज तक ठीक नहीं हो पाई है। जगह-जगह इतने गढ्ढे हैं कि मूल सड़क ढूंढना भी मुश्किल है बार-बार पैचवर्क पर पैसा खर्च करने पर भी स्थिति जस की तस है इसी तरह 2009 में बैरासर बाडा से भंडेला (झुंझुनूं सीमा तक) बनी सड़क का है। बार-बार अनुरोध करने पर भी सुधार नहीं हुआ है। चूरू से राजगढ़ होते हुए झूंपा तक राष्ट्रीय हाइवे 65 की हालत आपके निर्माण से आज तक सुधरी नहीं है। हर साल करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी स्थिति यथावत है। इन राज्य व केन्द्रीय मार्गों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों यथा ब्यांगल छोटी से ग्वालीयर ब्यांगल बड़ी से झूंपा (हरियाणा सीमा तक) धानोठी बड़ी से हरियाणा सीमा तक नेशल से सुलखनिया छोटा तक नेशल से नांरगपुरा तक चांदगोठी से रामपुरा तक सांखू से भालाना बास-साखूं से मगाउ आदि सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्षा के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। विगत बजट में

स्वीकृत सिरसा से भादरा-सिधमुख राजगढ़-सांखू-झुंझुनूं खाटूश्यामजी की सड़क भी अधरझूल में है। आज दिन तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस सड़क का निर्माण कब तक होगा कुछ मालूम नहीं यही हाल लूणकरणसर से राजगढ़ सड़क का है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की इन सड़कों का नवीनीकरण-सुदृढ़ीकरण करके क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें तथा सिरसा-खाटूश्यामजी व लूणकरणसर-राजगढ़ सड़कों का बजट आवंटन कर चालू करवाये।

धन्यवाद।

कमला कस्वां

(सादुलपुर)

भूमिहीन कब्जा काश्तकारों को खातेदारी

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में निम्न मुजब भूमिहीन काश्तकारों द्वारा काबिज काश्त भूमि ग्राम सिमेला पटवार हल्का पाली तहसील सज्जनगढ़ में होकर 2061 से कब्जा है।

क्र. सं.	नाम	जाति	ग्राम	खसरा नं.	रकबा
1	भुरजी/बिजिया	भील	हरेन्द्रगढ़	480/22	4.00
2	मिखेल/विरजी	भील	हरेन्द्रगढ़	487/22	4.00
3	कलसिंग/दिपा	भील	हरेन्द्रगढ़	490/22	3.00
4	खुमचन्द्र/बिजिया	भील	हरेन्द्रगढ़	515/22	3.00
5	सवा/लालु	भील	हरेन्द्रगढ़	510/22	3.00

अध्यक्ष महोदय, उक्त पांच काश्तकारों द्वारा से कब्जा होर दंड पेनल्टी जमा करवा रहे हैं।

यह कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक कब्जा होते हुए भी काश्तकारों को खातेदारी नहीं दी गई। जब यह सरकार पारदर्शी, जवाबदेही, संवेदनशील कहलाती है। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि उपरोक्त काश्तकारों को समय पहले रहते उक्त जमीन की खातेदारी अधिकार दिलाया जावे।

यह कि उक्त जमीन ग्राम सिमेला पटवार हल्का पाली तहसील

सज्जनगढ़ जिला-बांसवाड़ा में स्थित है। यह कि पांच काश्तकार आदिवासी हैं और हर वर्ष राज्य सरकार में पेनल्टी जमा करवाते है।

कृपया उक्त जमीन रेगुलाइज करें या ऐलोट कब्जे के आधार से करें।

फतेह सिंह

(कुशलगढ़)

उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के संविदा कर्मचारियों को वेतन श्रृंखला

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उदयपुर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड में विगम 10-15 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारी अपनी सेवाएं पूर्ण निष्ठा भाव से समर्पित कर रहे हैं और आज वे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गये हैं कि अन्य नौकरी के लिए आवेदन करने में भी असमर्थ है। इतने वर्षों के कार्यकाल के उपरान्त भी अभी तक बैंक में इनका अस्तित्व ना के बराबर है।

जहां एक तरफ बैंक के स्थायी कर्मचारी को बैंक के नियमित वेतन श्रृंखला के तहत वेतनमान दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों को भरण-पोषण लायक भी मानदेय नहीं दिया जाता है, इस महंगाई के युग में इन्हें मात्र 4650/- रुपये मासिक मानदेय नहीं दिया जाता है, इतने कम मानदेय में उक्त कर्मचारियों के परिवारों को गुजर-बसर करने को विवश होना पड रहा है। समयानुसार अब इनके बच्चे बडे हो गये हैं जिनकी जिम्मेदारियों को इस न्यूनतम पारिश्रमिक में निर्वाह करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।

उक्त कर्मचारीयों बैंक में बैंकिंग सम्बन्धित समस्त कार्य करते हैं जैसे - खातों में वाउचर पोस्टिंग करना बैलेन्स मिलान करना, लोकल व बाहरी चैकों की क्लीयरिंग बनाना व उसका रिलायजिशन कर खातों में बताना, डी.डी. बनाना, कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री करना, डाक बनाना अन्य बैंक के केश लाने में अन्य कर्मचारियों की मदद करना, बैंक के अधिकारियों की मदद पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करते आ रहे हैं।

जहां अन्य विभागों में संविदा पर 10 वर्ष से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान प्रदान किया जा रहा है, वहीं इनकी यह

विडम्बना है कि 15 वर्षों से कार्यरत हैं फिर भी न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वेतन ही दिया जा रहा है। शायद इन पढ़े-लिखे व्यक्तियों में तो अनपढ़ नरेगा श्रमिक ही अच्छे हैं जिन्हें इन से ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है।

अत: मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त संविदा कर्मचारियों की वेदना को दृष्टिगत रखते हुए इनके जीवन को उन्नत तरीके से जीवन यापन करने हेतु बैंक के स्थायी सहायक कर्मचारियों के समान वेतन श्रृंखला दिलाने का कष्ट कराने का श्रम करावें ताकि ये जीवन में हीन भाव महसूस ना करें।

हरिसिंह रावत

(भीम)

विधि महाविद्यालयों को बी सी आई के मानदण्डानुसार सुविधाएं

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही में वर्ष 1984 में विधि महाविद्यालय प्रारम्भ हुआ और उक्त विधि महाविद्यालय सिरोही व जालोर के बीच मात्र एक विधि महाविद्यालय सिरोही में हैं। सिरोही जिला आदिवासी एवं जालोर पिछड़ा बाहुल्य जिला होने से इन दोनों जिलों के अब तक अनु. जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सैकडों विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। अगस्त 2011 से उक्त विधि महाविद्यालय में एक भी प्राध्यापक नहीं होने के कारण वर्ष 2011-12 में एक भी प्रवेश नहीं हुए। उक्त विधिमहाविद्यालय हेतु जमीन तो आवंटित हो चुकी है परन्तु भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित नहीं हुआ है। बार काउंसिलि आफ इंडिया के मानदण्डों के अनुसार सुविधाएं नहीं होने से बीसीआई ने 2009 के बाद मान्यता नहीं दी हैं और यह नये विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देने का एक कारण बना है। महोदय बीसीआई के मानदण्डों के अनुसार सुविधाएं देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, परन्तु राज्य सरकार प्रदेश के समस्त विधि महाविद्यालयों के प्रति उदासीन है। प्रदेश के आठ सरकार विधि महाविद्यालयों की लगभग यही स्थिति है। जबकि कमिश्न शिक्षा विभाग के द्वारा प्रचारित एक आदेश अनुसार जब तक विधि महाविद्यालयों का अपना भवन नहीं बन जाता, तब तक पूर्व में चल रहे महाविद्यालयों के साथ ही उनमें विधि महाविद्यालय संचालित करने की सुविधा दी हुई है। परन्तु उक्त आदेश की पालना नहीं हो रहीं है।

महोदय आज प्रदेश सहित पूरे देश में माननीय न्यायालयों में बकाया प्रकरणों की संख्या में निरन्तर बढ़ रही है जबकि राज्य सरकार विधि शिक्षा को ही समाप्त करने जा रही हैं यह बड़ी विडम्बना का विषय मैं आपके

माध्यम से राज्य सरकार को मांग करना चाहता हूं तत्काल इस ओर ठोस कदम उठाते हुए सिरोही सहित पूरे राज्य के विधि महाविद्यालयों को बीसीआई के मानदण्डानुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जावें तथा बीसीआई से मान्यता नियमित करवाते हुए प्रदेश में विधि शिक्षा उपलब्ध करवाई जावे। ताकि आदिवासियों, अनु. जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से जुडे विद्यार्थियों को सरकारी स्तर पर विधि शिक्षा सरलता से उपलब्ध हो सके।

ओटाराम देवासी

(सिरोही)

कोकाकोला प्लांट अन्यत्र स्थापित करना

महोदय,

चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कालाडेरा में कोकाकोला प्लांट स्थापित है, जहां भारी जलदोहन हो रहा है। जलदोहन से कालाडेरा व आसपास के ग्रामों का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है।

कृषि ट्यूबवैल ड्राई हो चुके हैं स्थिति यह हो रही है कि आने वाले समय में पीने के पानी की भी किल्लत आने वाली है। 20 वर्ष पूर्व ग्राम कालाडेरा व आसपास के क्षेत्र में पानी की सतह बहुत ऊपर था, जो आज काफी नीचे चला गया है।

कालाडेरा कोकाकोला प्लान्ट की स्थापना से क्षेत्रवासियों को कोई रोजगार भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कोकाकोला प्लांट को कालाडेरा से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर नदी के किनारे स्थापित किया जावे। अतः आपसे अनुरोध है कि जनभावना व दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए कालाडेरा कोकाकोला प्लान्ट को बंद करवाने की कृपा करें।

भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)

मालासी में बाइपास बनाना

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे द्वारा विधान सभा सत्र के दौरान नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये वर्ष 2012 में सालासर-रतनगढ़ मार्ग पर ग्राम मालासी में बाइपास बनवाने का निवेदन किया गया था। जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्ताव संख्या 8(3) अनु. 15

(सानि/2012/डी-1410 दिनांक 16.3.2012 के अन्तर्गत सूचित किया गया था कि मालासी गांव के मालासी बाइपास की अनुमानित लागत 200.00 लाख रुपये है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होते ही बाइपास निर्माण करवाने का आश्वासन दिया गया था। सालासर में विश्व प्रसिद्ध श्री हनुमानजी का सिद्धपीठ मन्दिर है तथा मालासी में प्रसिद्ध भैरूजी का मंदिर है। लाखों पैदल यात्री एवं वाहनों का आवागमन इस मार्ग पर रहता है। कई बार यह मार्ग कई घटों तक अवरूद्ध रहता है तथा लोगों को अत्यन्त कठिनाई होती है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए सालासर से रतनगढ़ सड़क मार्ग पर मालासी में बाइपास बनाने की अनुमति प्रदान करवाने का श्रम करें।

राजकुमार रिणवां
(रतनगढ़)

जाखम डैम के रखरखाव हेतु पर्याप्त बजट आबंटन

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद में स्थित जाखम परियोजना जो कि वर्ष 1986 से क्षेत्र में किसानों को नहरों एवं वितरिकाओं के द्वारा सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। जिसकी कुल लम्बाई 550 किमी है।

वर्ष 1986 से अब तक जाखम परियोजना पर अब तक किसी भी प्रकार का बजट आवंटित नहीं किया गया है। रख-रखाव एवं बजट के अभाव में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी किसानों को टेल तक पानी नहीं मिलता है। वर्षा के समय में डेम पर गेट के नहीं लगने से पानी का ओवर फ्लो होकर लगभग 9-10 हजार एम.सी.एफ.टी. पानी व्यर्थ बहकर गुजरात चला जाता है। यदि इसे रोका जायेगा तो किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलेगा जिससे क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा एवं किसानों में खुशहाली आयेगी।

अत: निवेदन है कि जाखम से जो अतिरिक्त पानी बहकर गुजरात जा रहा है उसको रोकने के लिए डेम पर गेट लगाने हेतु प्रोविजन भी किया हुआ है। अत: जाखम डेम पर गेट लगाने हेतु 30 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत कर क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी टेल (अंतिम छौर) तक पहुंचाने की कृपा करें।

नगराज
(धरियावद)

परिशिष्ट-2

(मांग संख्या 8 पर कटौती प्रस्ताव)

मांग संख्या-8 मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये :

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. जोधपुर जिले में पुजारी वर्ग को काश्तकार ''डोली'' भूमि में पुन: खातेदारी का अधिकार दिलाने तथा काश्तकार के रूप में राजस्व अभिलेखों में इनका नाम दर्ज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भू-राजस्व मण्डल चामू व आगोलाई को उप तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजस्व गांव कुई जोधा, पटवार क्षेत्र कुई ईन्दा के खसरा संख्या 7 गैर मुमकिन भूमि भाकर में से 05 बीघा भूमि ई.सी.एच.एस. अस्पताल के लिये एवं 4.03 बीघा भूमि सैनिक कल्याण कार्यालय हेतु आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजस्व विभाग के अधीन भू-अभिलेख निरीक्षक/आफिस कानूनगों, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों आदि के रिक्त पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ओरण, गोचर, आगोर, चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को भूमि से बेदखल करने एवं अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

6. जिला झुंझुनूं की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

7. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा एवं पीपाडशहर तहसील के राजस्व ग्रामों में प्रतिबंधित भूमियों पर बढ़ रहे अतिक्रमणों की रोकथाम हेतु किये गये नाकाफी प्रयासों से उत्पन्न स्थिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा एवं पीपाडशहर तहसील के राजस्व ग्रामों की संवत 2069 खरीफ फसलों की गलत गिरदावरी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के कारण बिलाड़ा तहसील के एक भी ग्राम को अकालग्रस्त घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बोरूंदा एवं कापरडा आर.आई. सर्कल को क्रमोन्नत कर नवीन उप तहसील कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा तहसील मुख्यालय पर नवीन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

11. सीकर जिले के कलक्टर एवं उपखण्ड कार्यालयों तथा तहसीलों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. राज्य के जिला कलक्टर कार्यालयों में निजी सहायक एवं शीघ्र लिपिकों के नवीन पद सृजित कर एवं पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

14. विधान सभा क्षेत्र नगर में शमशान भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र नगर में गैर खातेदारों को खातेदारी न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र नगर में सीकरी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

17. विधान सभा क्षेत्र बायतू में बायतू एवं पचपदरा तहसील में 5 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डल सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बायतू में उप तहसील गिड़ा को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र बायतू में उपखण्ड बायतू के कार्यालय निर्माण हेतु शेष राशि आबंटन कर भवन निर्माण पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र बायतू में राजस्व विभाग में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावाद) :

21. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के झल्लारा (सलूम्बर) में नवीन उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

22. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्रामों में बिलानाम एवं चरनोट जमीन पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

23. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में राजस्व विभाग के द्वारा नियम विरुद्ध किये गये कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में आबूरोड़ व पूरे आबूरोड, तहसील स्तर पर उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

25. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गैर-खातेदारों को खातेदारी हक दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश में परस्पर जमीन को स्थानान्तरित करने पर पंजीयन शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि को सवर्ण वर्ग को रजिस्ट्री कराने की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश में अकृषि भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन करके कृषि के लिए आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. प्रदेश की कस्टोडियन भूमि को मालिकाना हक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

30. प्रदेश में 5 बिस्वा से कम भूमि के बेचने पर क्रेता का नामांकन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जमीन को आबादी भूमि की तरह सामान्य वर्ग के लोगों को बेचने में छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश में उपकृषक की मृत्यु उपरान्त नाम हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश में कस्टोडियन भूमि का नियमन करने के लिए प्रत्येक माह कैम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

34. जिला हनुमानगढ़ तहसील नोहर के ग्राम पंचायत फेफाना को उप तहसील का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. जिला हनुमानगढ़ के तहसील नोहर-भादरा में अधूरे चकबन्दी के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

36. मारवाड़ जंक्शन के ग्राम चोकड़िया में गोचर भूमि में हुए आवंटन के अनुसार एक स्थान वापस गोचर भूमि में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में विठोडी कल्ला में सार्वजनिक पिचके की भूमि का सेटलमेन्ट से नाप करवाकर अतिक्रमणियों को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में पुजारियों से उनके नाम की जमीन देवताओं के नाम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में राजस्व रिकार्ड में शादीशुदा पुत्रियों के नाम डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में खिवाड़ा में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

41. प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लिए रियायती दर पर आवंटित भूमि का भौतिक सत्यापन कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. प्रदेश में भू-खण्डों के दोहरे बेचान एवं धोखाधड़ी के मामलों के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. प्रदेश में सरकारी भूमि का लैण्ड बैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. जोधपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा खनन श्रमिकों और खान संचालकों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश की समस्त गोचर, नदी-तालाब-नालों के भराव क्षेत्र और केचमेंट क्षेत्र पैमाइश सीमांकन कर मुराम लगाने और अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

46. अलवर जिले में धारा 91 की अवहेलना कर प्रभावशाली व्यक्ति को लाभ पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के क्रम में।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

47. चौमूं तहसील में नए राजस्व ग्राम भोजलावा, माताजी भोपावास, सोडक्या की ढाणी, बाढकुमावतान एवं आसीन्द में कुमावतों की बड़ी ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में किसानों की भूमि में मंदिर माफी अंकित नोट को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

49. जिला झुंझुनूं में मंदिर माफी भूमि के काश्तकार को भू-स्वामित्व अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र पिलानी (झुंझुनूं) के गांवों में चरागाह भूमि में बसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

51. राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लगातार बढ़ रहे लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि एवं सरकारी भूमि पर बसी कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

53. विधान सभा क्षेत्र सोजत में पटवारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र सोजत में रायपुर तहसील में पिपलिया को उपतहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सोजत में अनुसूचित जाति के गैर-खातेदारी व सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के गैर-खातेदारों को खातेदारी एलोटमेंट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

56. धोद तहसील मुख्यालय के कार्यालय के लिए बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. धोद उपखण्ड कार्यालय का बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. लोसल में उप तहसील कार्यालय के लिए बजट आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र धोद में आजादी से लेकर अब तक काश्त-कब्जा वाले काश्तकारों को मूर्ति मन्दिर की भूमि पर खातेदारी का हक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र धोद में मौजूद मौके पर आजादी से लेकर अब तक चालू आम रास्तों को प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व नक्शे में तरमीम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

61. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में रिक्त पड़े राजस्व कर्मचारियों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में काश्तकारों को खातेदारी हक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में राजस्व के टूटे पड़े मकानों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

64. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पटवारियों के रिक्त पद शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

66. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई राजस्व अदालतें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. जयपुर जिले के जोबनेर में उप तहसील का गठन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. जयपुर जिले के सांभर को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

69. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में राजस्व विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. शाहपुरा (जयपुर) को जिला एवं अमरसर (शाहपुरा) व राड़ावास (शाहपुरा) को उप तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

71. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में अनुसूचित जाति के काश्तकारों की भूमि का तकाशमा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

72. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पटवारियों की उपस्थिति पटवार घर में सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में खेतों के रास्तों के लिए धारा 251-A के तहत पड़े लम्बित मामलों के सम्बन्ध में।

74. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में राजस्व न्यायालय में लम्बित मुकदमों का निस्तारण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेहत सिंह (किशनगढ़ बास) :

75. अलवर जिले में गैर-खातेदार भूमि एवं गैर-खातेदार कस्टोडियन भूमि के पट्टे किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. अलवर जिले में किसानों की अवाप्त होने वाली भूमि का मुआवजा हरियाणा/दिल्ली के समान गति बनाकर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली को उप तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम रूंध झामूवास उर्फ दौलतपुर को राजस्व रिकार्ड में संशोधित कर ग्राम दौलतपुर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

79. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पर्वत एवं पहाड़ की जमीन को चरागाह से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बालोतरा को जिला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

81. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की पाटन उप तहसील को सुचारु रूप से चलाने के लिये स्टाफ नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

82. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कस्टोडियन भूमि आवंटिन लोगों को सनद देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

83. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सायेलाकलां में नायब तहसील कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बकानी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

85. विधान सभा क्षेत्र के केशोरायपाटन के ग्राम मोतीनगर (बावई) करवाला बैरवा का झोपड़ा, छप्पनपुरा एवं मालियों की बावड़ी (उतराणा) को राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

86. भीलवाड़ा के काश्तकारों की 1258 बीघा जमीन काश्तकारों की सहमति के बिना जिन्दल शॉ लि. को कब्जा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

87. दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत काकरा में दलित को भूमि आवंटन के उपरान्त आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लेने से भूमि पर हुये अतिक्रमण को हटाने एवं आवंटन निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निपटाने हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. राज्य में सिलिंग सरप्लस भूमि को भूमिहीनों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. दांतारामगढ़ तहसील के करड ग्राम की गोचर भूमि पर हुये अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

91. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के कुम्हेर में इंदिरा चौक स्थित तहसीलदार आवास के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. कुम्हेर तहसील कार्यालय की चादीवारी एवं नये टायलेट्स के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. केसेज की संख्या अधिक होने के कारण कुम्हेर तहसीलदार कार्यालय में ''तामील कुनिन्दा'' (Process Server) के दस पद और सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

94. राज्य में राजस्व खातों व राजस्व नक्शों (ट्रेस) को डिजिटाइज्ड करने व सीमा ज्ञान व पैमाइश के प्रकरणों को विवाद रहित बनाने हेतु GPS यंत्रों को पटवारी स्तर पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. कोटा में राजस्व न्यायालय की दो सदस्य बैंच की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राज्य में नायब तहसीलदारों एवं पटवारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राज्य में राजस्व के 58,000 से अधिक विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने व फास्ट ट्रेक राजस्व न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राजस्व मण्डल में सदस्यगणों के लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भर कर लम्बित प्रकरणों को निस्तारित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

99. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पटवारियों एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

100. वर्ष 2012 में ग्राम खेडलावास तहसील बस्सी की चरागाह भूमि आबादी में परिवर्तन कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

101. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में राजस्व गांवों के पठन में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सैकड़ों वर्षों से बसे लोगों को पट्टा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में नगरपालिका क्षेत्र में नि:शुल्क खातेदारों के पट्टे न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

104. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गांवों में बढ़ती आबादी को देखते हुए आबादी भूमि का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सरकारी राजस्व भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नेकमबन्दी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी में गत वर्ष स्वीकृत उप तहसील कार्यालय के लिए स्टाफ, फर्नीचर एवं कार्यालय भवन उपलब्ध करवाकर उप तहसील कार्यालय को शीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में आबादी/कृषि भूमि विहीन बीपीएल परिवारों को इन्दिरा आवास/मुख्य मंत्री आवास निर्माण के लिए राजस्व भूमि से भू-खण्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पटवारियों के 29 रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

109. प्रदेश में गैर-खातेदारी जमीनों को खातेदारी जमीन में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सेटलमेन्ट द्वारा काटे गये रास्तों एवं नक्शों में दुरस्तीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

112. विधान सभा क्षेत्र करौली की उप तहसील मासलपुर को तहसील स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र करौली की ग्राम पंचायत सायपुर में सेसरीपुरा को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

114. राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में से महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरण प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. राजस्व मण्डल की जयपुर में नियमित बैंच स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. ग्राम किकरालिया ग्राम पंचायत श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में न्यायालय के निर्णय के विपरीत वर्ष 2012-13 में खोले गये नामान्तरणों की जांच किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. ग्राम सोडाला, तहसील जयपुर, जिला जयपुर के खसरा नं. 328 की कब्जे राज ली गई भूमि खुर्द-बुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

119. तहसील कार्यालय, डीग के भवन निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. डीग कस्बे में शमशान की भूमि पर अतिक्रमियों को हटाकर उन्हें मुआवजा राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल वर्मा (डग) :

121. विधान सभा क्षेत्र डग की उप तहसील डग, जिला झालावाड़ को पूर्ण तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

122. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर के राजस्व ग्राम जसवंतपुरा के मजरे लक्ष्मीपुरा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील कोटड़ी के ग्राम धनवाड़ा के मजरे चमारों का झोंपड़ा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की नवीन उप तहसील खजूरी में

प्रस्तावित पटवार मण्डल धौड़ एवं धिलेठा को पूर्ववत तहसील जहाजपुर में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

125. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में नये राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पटवारी एवं भू-निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद पटवार मण्डल एवं तहसीलों में प्राप्त अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पटवार मण्डल एवं ग्राम पंचायतों का कार्य क्षेत्र एक समान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

129. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मित्रपुरा को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र बामनवास स्थित ग्राम पंचायत भांवरा को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र बामनवास तहसील बौंली ग्राम पंचायत दतूती के ग्राम हनुमतपुरा में सिवाचयक भूमि पर 50 वर्षों से बसे हुए परिवारों की भूमि को आबादी भूमि में बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में तहसील बौंली में तहसील कार्यालय एवं SDM बौंली कार्यालय हेतु आवंटित जमीन पर नवीन भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में तहसील बामनवास के भवन का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

134. जैसलमेर जिले में चरागाह क्षेत्र घोषित करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के गांवों की आबादी भूमि में विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. भूतपूर्व सैनिकों के लिए जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र में नहरी क्षेत्र के आखिर छोर सीमा मुरबे आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा जैसलमेर में तहसील रामगढ़ के गांव गिरदुवाला, घरयाली, रणाऊ आदि गांवों को राजस्व गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जैसलमेर जिले में भूमिहीनों को भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

139. विधान सभा क्षेत्र बाली में भूमिहीनों को भूमि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र बाली में उपखण्ड बाली मुख्यालय को जिला घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

141. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

142. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कमाण्ड एरिया के किसानों का लगान माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. ग्राम सोप तहसील नादोती, जिला करौली में चरागाह भूमि को खातेदार तथा खातेदारी भूमि को चरागाह भूमि दर्शाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

(मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव)

मांग संख्या-9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये :

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

1. अलवर के सरिस्का क्षेत्र में बसे हुए आम लोगों को जबरन विस्थापित करने व प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा वन क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत बिना अनुमति के होटल स्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

2. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की वन भूमि में पौधे लगाने के उपरान्त देख-भाल के अभाव में पेड़ नष्ट होने से राशि का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

3. बिलाड़ा तहसील के पिचियाक स्थित झुरली पर वन विभाग की भूमि, चांदेलाव एवं कापरडा स्थित वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर स्थित पिचियाक से खारिया मीठापुर (बिलाड़ा बाइपास) पर मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण में से 90 प्रतिशत पौधों के जलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

6. राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु कारगर योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. प्रदेश में वन रक्षकों के नवीन पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

8. विधान सभा क्षेत्र नगर में वन भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई नहीं रुकने से उत्पन स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र नगर में वन भूमि पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

10. प्रदेश में वन्यजीवों की रक्षा हेतु रेस्क्यू वेन एवं रेस्क्यू सेंटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बायतू में निजी भूमि पर स्थित धोरों को स्थिर करने हेतु वृक्षारोपण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र बायतू में उपवन संरक्षक-बाड़मेर में विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पाटोदी एवं बाटाडू में नर्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

14. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वन विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वन विभाग की नर्सरी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में मरू विकास के तहत पौध रोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद) :

17. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के सीतामाता अभयारण्य एवं बस्सी-धरियावद के वन क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम, 2006 एवं सपम 2008 के अन्तर्गत कृषि एवं आवास प्रयोजनार्थ वनाधिकार पत्र देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

19. बाड़मेर शहर के बीचोबीच स्थित वन विभाग के एरिया में नगरपालिका द्वारा अनुमोदित सरकारी रास्ते को खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

20. विधान सभा क्षेत्र भीम के कालागुमान, दिवेर, छापली, नरदास का गुढा, छापली, जीरण, खीमाखेड़ा, बरंजाल, बादाना आदि ग्राम पंचायतों के ग्रामों को राष्ट्रीय जीव अभयारण्य से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

21. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वन अधिकार क्षेत्र में आने वाले पात्र व्यक्तियों को अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वन विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्य में अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

23. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वन विभाग में हो रहे अवैध खनन रोकने एवं व्यवसायिक गतिविधियों को तुरन्त प्रभाव से बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के वन क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के वन क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिये सुरक्षा कर्मियों की अधिक संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के वन क्षेत्रों का तुरन्त प्रभाव से सीमांकन कर खम्बे गाड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वन विभाग द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

28. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वन भूमि में पिछले 20 वर्षों से काबिज व्यक्तियों को सवाइचक के अनुसार नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में सवाइचक भूमि को बिना राजस्व कैम्प के वन भूमि में रूपान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

30. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत झुझाड़ी के ग्राम धारेश्वर में सुअर को मारने का असत्य केस बनाने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गुडा दुर्गा में ओरण वन क्षेत्र की जमीन पर किये गये अतिक्रण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के 23 गांवों को रेन्ज से बाहर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. मारवाड़ जंक्शन का स्वीकृत रेन्ज आफिस चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

34. प्रदेश में वृक्षों के जीवित रहने की दर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में वनीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. जोधपुर के जन्तुआलय को माचिया सफारी पार्क में शिफ्ट करने के कार्य में बरती जा रही शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश में वन भूमि पर बसी बस्तियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिये वनीकरण, नगरीय वनीकरण एवं सार्वजनिक पार्कों को पर्यावरण संरक्षण देने में वन विभाग की कारगर योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

39. विधान सभा क्षेत्र बयाना में वन विभाग बयाना रूपास द्वारा कृषकों को परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रेंज बयाना में निर्माण कार्य में हुये घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. वन विभाग बयाना रेंज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. बयाना तहसील में वन विभाग की भूमि को खनिज विभाग में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

43. सोजत सिटी चामुण्डा माता भांकरी पर स्थायी वनकर्मी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2004 से 2009 तक लगे वनकर्मियों को वेतन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सोजत में वन संरक्षण कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

46. वन विभाग सीकर के अधिकारियों की मिलीभगत से सीकर जिले में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. वन क्षेत्र की भूमि पर नीमकाथाना में खनन कार्य चालू रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. राज्यभर में वन भूमि पर माफियाओं द्वारा कब्जा कर लेने पर भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश में आजादी से लेकर आज तक वन भूमि पर चालू कच्चे रास्ते या ग्रेवल सड़कों को वन भूमि के नक्शे में अंकित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. राज्यभर में वन भूमि पर चालू आम रास्तों पर डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

51. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सेखाला नर्सरी को गोचर भूमि से मुक्त कर वन विभाग का नाम दर्ज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. प्रदेश में अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत व निरोगी बीजों को एकत्रित कर विभाग के माध्यम से उचित वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में रेतीले टीबों पर वर्षों पुराने वृक्षारोपित मृत पौधों के स्थान पर उचित प्रजाति के नये पौधारोपित एवं खातेदारी भूमि पर आये हुए रेतीले टीबों पर वृक्षारोपण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश में पुराने वृक्षारोपण का संधारण एवं चरागाह क्षेत्रों का पुन: विकास करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. मरूस्थलीय क्षेत्रों में सेवण घास एवं चरागाह क्षेत्र विकसित करने हेतु काश्तकारों को जानकारी व बीजों का वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

56. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रिक्त पड़े पदो को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. घड़साना में 3 एसटीआर चक में पड़ी वन विभाग की 50 बीघा जमीन को ग्राम पंचायत को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

58. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के वन क्षेत्र में निर्मित सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. संजय वन स्मृति शाहपुरा (जयपुर) की स्थिति व प्रयोजन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में राड़ावास से बिशनगढ़ सड़क निर्माण कार्य को वन विभाग द्वारा रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

61. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के वन क्षेत्र में लगभग 100 वर्षों से बसे हुये ग्रामवासियों को सड़क, नल, बिजली आदि की राजकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

62. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में वन विभाग में स्थाई निवास करने वाले कार्मिकों को बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

63. नीमकाथाना के वन क्षेत्र बोलीया व श्यालोदड़ा की भूमि पर क्रेशर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

64. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में वन भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये रिहायसी मकानों का नियमन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

65. उपखण्ड बालोतरा में उपवन संरक्षक के समतुल्य पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

66. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में वन विभाग की भूमि पर बसी आबादी को नियमन करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में वन विभाग की भूमि को रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

68. वन विभाग की सीमाओं पर 7 फीट ऊंची बावण्ड्रीवाल निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वन भूमि से ग्रेवल मिट्टी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

70. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में वन क्षेत्र में बसे गावों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

71. भीलवाड़ा जिले में आसीन्द तहसील के मोगर के वन क्षेत्र को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पुन: एक माह में डिफोरेस्ट करके खनन आवंटन के आदेश को लागू करने में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

72. दिनांक 2.3.2013 को झाड़ोल तहसील, जिला उदयपुर में वन अधिकार कानून 2006 का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में पिछले 4 वर्षों में वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

75. डीग में मांडेरा की रूंध की चारदीवारी निर्माण में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

76. राज्य में विभिन्न अभियानों के माध्यम से रोपित किये जाने वाले लाखों पौधे जीवित रहे और वृक्षों में तब्दील हो सके, इस उद्देश्य से ठोस कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. कोटा में अभैड़ा जैविक उद्यान की स्थापना में आ रही रुकावटों को दूर कर शीघ्र स्थापना के प्रयास करने तथा कोटा जंतुआलय में वन्य जीवों को असमय मरने से रोकने के उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. राज्य में वन भूमि पर आदिवासियों व निवासियों के मालिकाना हक (पट्टों) के 30,000 से अधिक विचाराधीन दावों के यथाशीघ्र

निस्तारण किये जाने व पट्टे दिये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को विकसित करने व रणथम्भौर बाघ परियोजना से जोड़ने हेतु कारिडोर विकास करने की योजना को यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. राज्य के अभयारण्यों व परियोजनाओं से बाघों के अन्यत्र पलायन को रोकने व अन्य वन्य जीवों को भोजन व पानी की कमी के चलते आबादी क्षेत्रों में आने से रोकने हेतु आवश्यक प्रबंध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

81. वनों में एवं वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

82. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के चार स्टेट हाई-वे के दोनों तरफ पौध लगाने व स्थापित पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वन अधिकारियों द्वारा प्रभावी नियंत्रण व निरीक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पहाडी क्षेत्र की वन भूमि पर चेक डैम बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी कस्बे में पौधशाला स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त व वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिये वन भूमि पर चारदीवारी, तार फेन्सिंग एवं मेड़बन्दी का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

87. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वन भूमि पर पेड़ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वन भूमि में बने आम रास्तों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वन भूमि पर बनी पक्की सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वन भूमि पर वर्षों से बसी आबादी को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

92. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ अभयारणय ब्लाक डिगोता-61 को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र से हटाकर पुन: ब्लाक जमवारामगढ़ में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के रेन्ज रायर को सरिस्का बाघ बफर क्षेत्र से हटाकर ब्लाक जमवारामगढ़ में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित वन क्षेत्र में डामरीकृत सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित वन भूमि में वर्षों से रह रहे लोगों को आबादी पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

96. विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थित वन भूमि की तारबंदी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र करौली में वन भूमि पर हो रही पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

98. जयपुर के नाहरगढ़ अभयारण्य में रात्रि में फिल्मों की शूटिंग किये जाने से अन्य जीवों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. जयपुर के गलता वन क्षेत्र में पड़ने वाले दिल्ली बाइपास क्षेत्र में वन विभाग की भूमि की निर्धारित सीमाबन्दी न होने से विभाग के कार्मिकों द्वारा इस क्षेत्र में मकान बनाकर रहने वाले नागरिकों को आये दिन परेशान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. वर्षाकाल में विभाग द्वारा जितने वृक्ष लगाये जाते हैं उसके पचास प्रतिशत पौधे ही जीवित रहने के कारण वृक्षारोपण योजना की विफलता पर चर्चा के लिये।

101. जयपुर के आस-पास के वन क्षेत्रों से भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्रों में वन्य जीवों के प्रवेश के कारण इनकी हो रही मृत्यु पर चर्चा के लिये।

102. राज्य में वन क्षेत्रों में हो रही कमी पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

103. कृष्णगंज से सियाकरा के बीच सड़क निर्माण हेतु वन क्षेत्र की भूमि के डी-फोरेस्ट की बकाया कार्यवाही पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

104. वनवासियों के द्वारा वन विभाग की वर्षों पुरानी जमीन पर किये गये कब्जों का नियमन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. ब्यावर गोमती चौराहा उदयपुर को बनने वाली फोर लेन सडक की वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. वन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से वन विभाग की भूमि एवं वन्य जीव सुरक्षित नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. वन औषधि के बागान की जमीन आरक्षित करके वन औषधि का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

108. बूंदी शहर को रामगढ़ अभयारण्य की सीमा से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

109. हरित राजस्थान के तहत वृक्षारोपण को सुरक्षा एवं जीवित रखने के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

110. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बामनवास में वन विभाग की अलग रेंज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

111. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क (डी.एन.पी.) क्षेत्र के गांवों को मूलभूत सरकारी योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. जैसलमेर जिले में प्राकृतिक सेवण घास के क्षेत्र को पशुपालक चरागाह क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

113. वन क्षेत्रों में लगातार कब्जाकाश्त करने वाले किसानों को वन अधिकार के तहत गैर-खातेदारी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

114. ग्राम चिरावड़ा, तहसील नादौती जिला करौली के पास वन क्षेत्र में नाले के ऊपर एनिकट बनाकर वन्यजीव व वन सम्पदा की अभिवृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. तहसील नादौती जिला करौली के ग्राम तालचिड़ा के राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के अन्तर्गत पहाड़ियों में सिंगल माइन्स एवं अन्य पट्टेदारों द्वारा की जा रही अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

116. वन अधिकार कानून 2006 के तहत आदिवासियों को खातेदारी (पट्टा) देने के विचाराधीन प्रकरणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।